इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF
STEEL
सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

भारत स्टील
Bharat Steel

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

विषय वस्तु

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
I	मुख्य बिंदु	1
II	इस्पात मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	10
III	भारतीय इस्पात क्षेत्रः प्रगति और संभावना	14
IV	इस्पात नीतियाँ और नवीनतम पहलें	24
V	सार्वजनिक क्षेत्र	34
VI	निजी क्षेत्र	57
VII	क्षमता निर्माण	65
VIII	तकनीकी संस्थान और कौशल विकास	67
IX	अनुसंधान एवं विकास	71
X	इस्पात के उपयोग का संवर्धन	85
XI	ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन	91
XII	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	94
XIII	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	99
XIV	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	103
XV	सुरक्षा	122
XVI	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	136
XVII	सतर्कता	142
XVIII	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली तथा लंबित मामलों के लिए विशेष निपटान अभियान	157
XIX	दिव्यांग और इस्पात	161
XX	हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग	164
XXI	महिला सशक्तिकरण	172
XXII	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	178
XXIII	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	191
	अनुलग्नक	195

अध्याय – I

मुख्य बिंदु

1.1 इस्पात क्षेत्र में रुझान और विकास

- विश्व इस्पात संघ द्वारा 04 दिसंबर, 2025 को जारी आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।
- क्रूड स्टील का उत्पादन 2020–21 में 103.545 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2024–25 में 152.180 मिलियन टन (एमटी) हो गया। क्रूड स्टील के उत्पादन में वर्ष 2023–24 के 144.299 मिलियन टन की तुलना में 2024–25 में 5.4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
- घरेलू क्रूड स्टील की क्षमता 2020–21 में 143.914 एमटीपीए से बढ़कर 2025–26 (दिसंबर तक) (अनंतिम) में 218.445 एमटीपीए हो गई है।
- अप्रैल–दिसंबर 2025–26 के दौरान, उद्योग परिदृश्य निम्नलिखित था (अनंतिम, स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति):

  (क) क्रूड स्टील का उत्पादन 124.551 एमटी रहा। सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह और जेएसएल ने साथ मिलकर 71.211 एमटी का उत्पादन किया, जो कुल उत्पादन में 57% की हिस्सेदारी रखता है और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.4% अधिक है। शेष 53.340 एमटी अन्य उत्पादकों से आया। कुल क्रूड स्टील उत्पादन में 43% हिस्सेदारी के साथ, निजी क्षेत्र ने 104.542 एमटी क्रूड स्टील का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 10.9% अधिक है।

  (ख) पिग आयरन का उत्पादन 6.364 एमटी रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 1% अधिक है। कुल पिग आयरन उत्पादन में 23% की हिस्सेदारी के साथ, सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह और जेएसएल ने साथ मिलकर 1.475 एमटी उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 12.4% कम है। शेष उत्पादन अन्य उत्पादकों से आया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 5.9% अधिक है। निजी क्षेत्र ने 5.718 एमटी उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 1.3% कम है।

  (ग) अप्रैल–दिसंबर, 2025–26 में तैयार इस्पात (गैर–मिश्रधातु + मिश्रधातु/स्टेनलेस) के तथ्य :
  - तैयार इस्पात का उत्पादन 118.999 एमटी रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.5% की वृद्धि दर्शाता है।
  - तैयार इस्पात का निर्यात 4.799 एमटी रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33.3% की वृद्धि दर्शाता है।

- तैयार इस्पात का आयात 4.649 एमटी रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 37.4% कम है।
- भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक रहा।
- तैयार इस्पात की खपत 119.574 एमटी रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7% की वृद्धि दर्शाता है।

इस्पात व्यापार का समग्र परिदृश्यः

अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान, तैयार इस्पात का कुल आयात 4.649 मिलियन टन (एमटी) रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 37.4% कम था। इन आयातों का कुल मूल्य 42,837.4 करोड़ रुपए था।

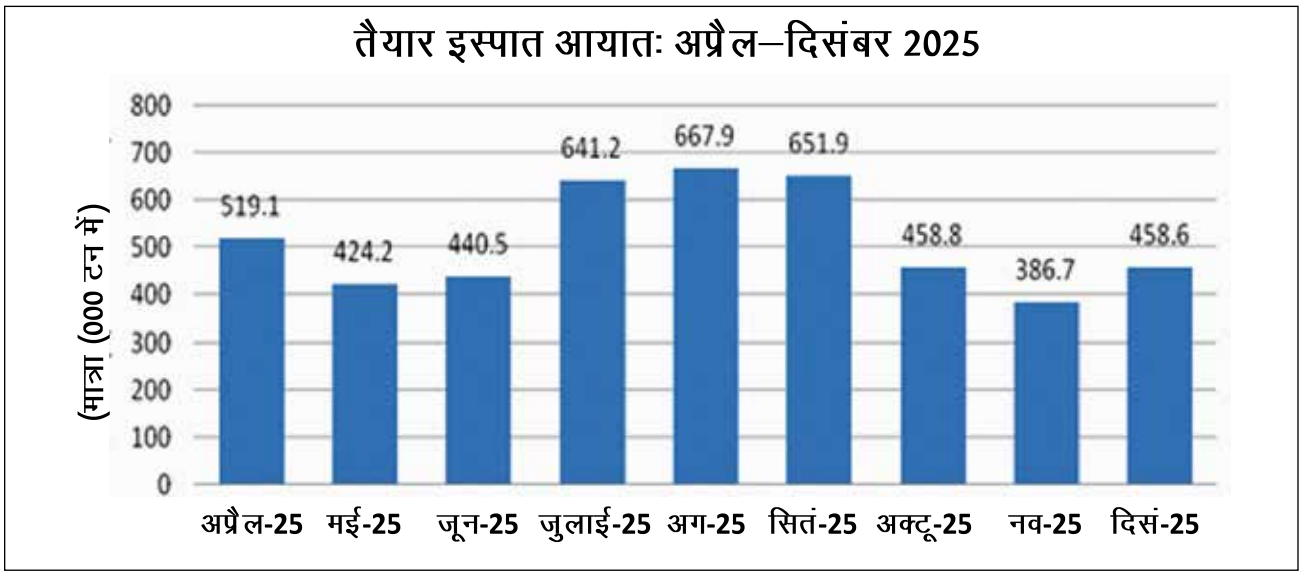

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), अनंतिम

अप्रैल–दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए भारत का तैयार इस्पात निर्यात 4.8 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33.3% अधिक है। निर्यात का कुल मूल्य 35,676.2 करोड़ रुपए था। अप्रैल से नवंबर, 2025 तक निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन दिसंबर, 2025 में गिरावट की अपेक्षा है।

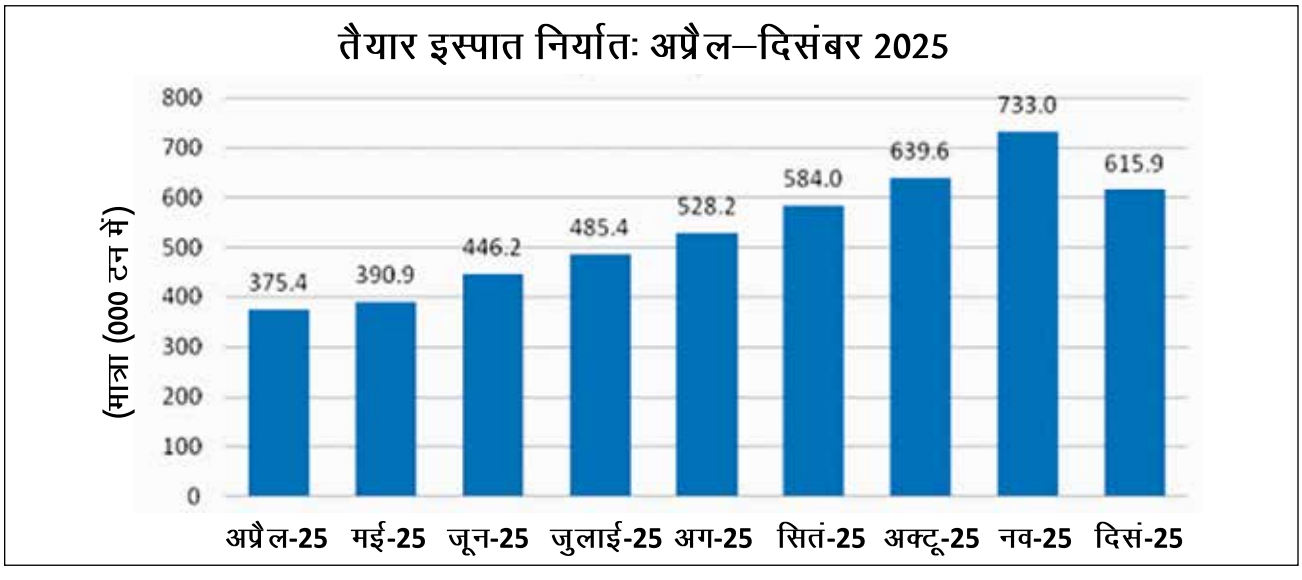

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), अनंतिम

मात्रा के हिसाब से भारत तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक था, परंतु अप्रैल–दिसंबर, 2025 (अनंतिम) के दौरान इसका समग्र व्यापार घाटा 7,161.2 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।

- पिछले पांच वर्षों (2021–22 से 2024–25 तक) और अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) की अवधि के लिए तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात तथा क्रूड स्टील के उत्पादन से संबंधित विस्तृत सूचना नीचे दी गई तालिका में दी गई है :–

(मिलियन टन में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	अप्रैल–दिसंबर 2025-26*
क्रूड स्टील					
उत्पादन	120.293	127.197	144.299	152.180	124.551
तैयार इस्पात					
उत्पादन	113.597	123.196	139.153	146.688	118.699
उपभोग	105.752	119.893	136.291	152.129	119.574
आयात	4.669	6.022	8.320	9.551	4.649
निर्यात	13.494	6.716	7.487	4.858	4.799

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम

1.2 प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपः

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाः विशेष इस्पात के लिए उत्पादन–संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2021 में 6,322 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया था। इस योजना को पूंजी निवेश आकर्षित करके, देश में "विशेष इस्पात" के विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना को 29 जुलाई, 2021 को अधिसूचित किया गया था और इसके कार्यान्वयन दिशानिर्देश 20 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त वर्ष 2024–25 से वित्त वर्ष 2030–31 तक किया जाएगा। इस योजना में पांच व्यापक उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, कोटेड/प्लेटेड स्टील उत्पाद, हाई स्ट्रेंथ/वियर रेसिस्टेंट स्टील, विशेष रेल, मिश्रधातु इस्पात उत्पाद और स्टील वायर और इलेक्ट्रिकल स्टील।

अब तक आवेदन के दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें 19 प्रतिभागी कंपनियों (पीएलआई योजना 1.0 के तहत) की 44 परियोजनाएं और 25 भाग लेने वाली कंपनियों (पीएलआई योजना 1.1 के तहत) की 42 परियोजनाएं क्रमशः पहले और दूसरे दौर में प्राप्त हुई हैं। प्रमुख एकीकृत इस्पात उत्पादकों (आईएसपी) और द्वितीयक उत्पादकों ने दोनों चरणों में भाग लिया है।

प्रत्येक प्रतिभागी कंपनी ने इस्पात मंत्रालय के साथ परियोजना–वार सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति ज्ञापन में भागीदारी, वार्षिक निवेश और उत्पादन प्रतिबद्धताओं की शर्तें शामिल हैं। यह योजना कंपनी द्वारा प्रोत्साहन दावे प्रस्तुत करने के समय मूल्यांकन की गई निवेश और उत्पादन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर

पांच साल की अवधि के भीतर प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के पहले चरण के कार्यकाल के दौरान, 27,106 करोड़ रुपए के निवेश, 14,760 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने और लगभग 7.9 मिलियन टन विशेष इस्पात के उत्पादन की प्रतिबद्धताएं जताई गई है।

पीएलआई 1.1: दूसरा चरण (पीएलआई 1.1) 6 जनवरी, 2025 को शुरू किया गया था। पीएलआई 1.1 के तहत, 17,000 करोड़ रुपए के निवेश, 16,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने और लगभग 6.4 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन प्राप्त करने की उम्मीद है।

पीएलआई 1.2: विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना का तीसरा चरण (पीएलआई 1.2) 4.11.2025 को शुरू किया गया है। इस योजना में उत्कृष्ट मिश्रधातु, सीआरजीओ, मिश्रधातु फोर्जिंग, स्टेनलेस स्टील (लॉंग एंड फ्लैट), टाइटेनियम मिश्रधातु और कोटेड स्टील्स सहित 22 उत्पाद उप–श्रेणियां शामिल हैं। प्रोत्साहन दरें 4% से 15% तक होती हैं, जो वित्त वर्ष 2025–26 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए लागू होती हैं, जिसका वितरण वित्त वर्ष 2026–27 में शुरू होता है। मूल्य निर्धारण के लिए आधार वर्ष को भी वित्त वर्ष 2024–25 में अद्यतन किया गया है ताकि वर्तमान रुझानों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। अब तक, पीएलआई योजना ने 43,874 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित किया है, जिसमें पहले दो चरण के तहत 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले ही किया जा चुका है और 13,000 से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं।

पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान: इस्पात क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने देश में कार्यरत इस्पात इकाइयों की भौतिक स्थिति को अपलोड करके पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में अवसंरचना के उपयोगकर्ता के रूप में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, सभी इस्पात सीपीएसई के उत्पादों और उत्पादन क्षमता को पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर अपलोड किया गया है।

गैर–क्यूसीओ स्टील ग्रेड के लिए एनओसी की आवश्यकता को हटाना:

- इस्पात मंत्रालय ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत कवर नहीं किए गए स्टील ग्रेड के आयात के लिए स्पष्टीकरण या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया है। इससे पहले, 20 अक्टूबर 2023 के परिपत्र के अनुसार, आयातकों को गैर–क्यूसीओ ग्रेड आयात करने से पहले मंत्रालय से अनुमोदन लेना आवश्यक था। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय से संबंधित एचएसएन कोड में सभी गैर–क्यूसीओ स्टील ग्रेड को इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पोर्टल पर मैप किया गया है, जिससे आयातकों को मंत्रालय–स्तरीय किसी हस्तक्षेप के बिना सीधे एसआईएमएस पंजीकरण उत्पन्न करने की अनुमति मिलती है।

सुधार का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य उन इस्पात ग्रेडों के लिए आयात प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाना है जो अनिवार्य गुणवत्ता विनियमन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस सुधार का उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि नियामक संसाधन क्यूसीओ–कवर उत्पादों पर केंद्रित रहे, जहां गुणवत्ता की निगरानी आवश्यक है।

क्षेत्र/जनता को लाभ

- एनओसी की आवश्यकता को वापस लेने से गैर–क्यूसीओ ग्रेड के लिए आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, बंदरगाहों पर होने वाली देरी कम हो जाती है और आयातकों के लिए अनुपालन लागत कम हो जाती है। इस सुधार के लागू होने के बाद एनओसी आवेदनों की औसत संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। यह सुधार अधिक व्यापार–अनुकूल नियामक वातावरण बनाने में योगदान देता है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से 55 मानकों का निलंबनः

- इस्पात मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ परामर्श के बाद **इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025** जारी किया है। इस्पात मंत्रालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है और 55 मानकों के लिए क्यूसीओ प्रवर्तन को निलंबित कर दिया है– तीन साल के लिए 42 मानक और पीएलआई 1.2 के तहत विशेष इस्पात से संबंधित 13 मानक एक वर्ष के लिए निलंबित किए गए हैं। शेष मानकों को अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्याप्त घरेलू क्षमता और लघु इस्पात उत्पादकों के संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर बरकरार रखा गया है।

सुधार का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य क्यूसीओ के बड़े पैमाने पर निलंबन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचने के साथ–साथ सीमित या नगण्य घरेलू उत्पादन वाले ग्रेड की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। निलंबन उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए आपूर्ति अंतराल को रोकता है, पीएलआई 1.2 के तहत उत्पादन इस्पात क्षमता के चरणबद्ध रोलआउट का समर्थन करता है और गैर–अनुपालन या कम कीमत वाले आयात के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों को संरक्षित करता है।

क्षेत्र/जनता को लाभ

- यह उपाय कम कीमत वाले अत्यधिक आयात को रोकता है और मूल्य दबाव में काम करने वाले 2,300 से अधिक छोटे इस्पात उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करता है। यह पीएलआई के तहत विशेष इस्पात परियोजनाओं में निवेश का विश्वास बनाए रखता है, एकल विदेशी स्रोत पर दीर्घकालिक निर्भरता से बचाता है, और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है जहां घरेलू क्षमता वर्तमान में सीमित है।

बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई), कलिंगनगर, जाजपुर ओडिशाः मंत्रालय इस्पात क्षेत्र में फ्रेशर्स और कामकाजी पेशेवरों के लिए कौशल और पुनः कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्टता संस्थान के रूप में कलिंगनगर, जाजपुर, ओडिशा में बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई) को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में है। संस्थान की परिकल्पना 3 से 6 महीने की अवधि के अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की है, जिसमें समस्या–आधारित शिक्षा (पीबीएल) पद्धति पर विशेष जोर दिया गया है।

1.3 वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की मुख्य विशेषताएं

1.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- अप्रैल–दिसंबर, 25 के दौरान, कच्चे इस्पात का उत्पादन 14.350 मिलियन टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 12.193 मिलियन टन था।
- पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 72,595 करोड़ रुपए की तुलना में 79,425 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) का बिक्री कारोबार हासिल किया गया।
- पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 1,445 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की तुलना में 2,010 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया गया है।
- पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 970 करोड़ रुपए की तुलना में 1,554 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) का कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया गया है।
- 31.03.2024 को कंपनी की कुल संपत्ति 54,131 करोड़ रुपए थी, 31.03.25 को 55,656 करोड़ रुपए और 31.12.2025 को 56,236 करोड़ रुपए थी।

1.3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

प्रचालनः

- ब्लास्ट फर्नेस–3 का पुनः चालू होना, जिसे 27 जून, 2025 को फिर से शुरू किया गया था, पूरी तरह से निर्धारित समय से पहले आंतरिक प्रयासों के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। ब्लास्ट फर्नेस–3 को जुलाई 2025 के दौरान तेजी से स्थिर किया गया था और अगस्त, 2025 से उत्पादन में तेजी लाई गई।
- दिसंबर 2025 के दौरान 7 मौकों पर दैनिक हॉट मेटल उत्पादन रेटेड क्षमता (20550 टन प्रति दिन हॉट मेटल) से अधिक रहा। स्थापना के बाद से अब तक का ***सर्वश्रेष्ठ दैनिक*** हॉट मेटल उत्पादन 19.12.2025 को 21,531 टन हासिल किया गया था।
- मार्च, 2025 के दौरान एसएमएस –2 में नए ग्रेड, 1018 एमआईबीआर और 15बी41सीआर–आरएच विकसित किए गए थे और ई350बीआर को जून 2025 के दौरान एसएमएस–1 में विकसित किया गया था।
- मीडियम मर्चेंट एंड स्ट्रक्चरल मिल (एमएमएसएम) सेक्शन आरएनडी 95 स्थापना के बाद पहली बार जुलाई, 2025 में सफलतापूर्वक शुरू हुआ।
- एसएसवाई–1 से स्लैग रेक (45 नग) का प्रेषण स्थापना के बाद से सबसे अधिक है।

बिक्रीः

- कैलेंडर वर्ष 2025 में, अपनी स्थापना के बाद से ***अब तक की सबसे अधिक*** 42.19 लाख टन तैयार इस्पात की बिक्री हासिल की है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के लिए दिसंबर 2025 तक 15,516 करोड़ रुपए का संचयी बिक्री कारोबार हासिल किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक तैयार इस्पात की ***अब तक की सर्वश्रेष्ठ*** संचयी बिक्री 30.77 लाख टन (अर्ध–निर्मित इस्पात को छोड़कर) रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है।
- दिसंबर 2025 तक राउंड, स्ट्रक्चरल और वायर रॉड्स की ***अब तक की सबसे अधिक*** बिक्री हासिल की, जैसा कि नीचे दिया गया है:

उत्पाद	अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (उत्पादन लाख टन में)	पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
डब्ल्यूआरसी	6.0	33%
राउंड	6.40	40%
स्ट्रक्चरल	4.48	62%

- पंजीकृत मूल्य वर्धित इस्पात की बिक्री दिसंबर 2025 में 1.29 लाख टन और अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान 9.50 लाख टन रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 74 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अधिक है।
- 2025–26 के दौरान दिसंबर 2025 तक 11.58 लाख टन की ***अब तक की सर्वश्रेष्ठ*** प्रत्यक्ष प्रेषण मात्रा हासिल की गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

वित्तीय:

- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक 28.88 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड प्राप्त हुआ।
- अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान 59 आंतरिक लेखापरीक्षाएं की गईं और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप प्रणालियों/प्रक्रियाओं में सुधार हुआ और लगभग 8.86 करोड़ रुपए की वित्तीय वसूली हुई।
- बैंकों के साथ डिफॉल्टों के निवारण और मानक स्थिति की बहाली के परिणामस्वरूप, आरआईएनएल की बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार आया है और ***वर्तमान रेटिंग दीर्घकालिक उधारों के लिए 'आईसीआरए बीबी+ (स्थिर)' और अल्पावधि उधारों के लिए 'आईसीआरए ए4+' है।***
- वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का वैधानिक लागत लेखापरीक्षा लगातार 14वें वर्ष के लिए बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी या आपत्ति के पूरा किया गया।

सामग्री प्रबंधन

- 1 मिलियन टन लौह अयस्क पेलेट्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स एनएमडीसी के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी मात्रा को बढ़ाकर 2 मिलियन टन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- गंगावरम पत्तन से कच्चे माल को सड़क मार्ग के माध्यम से भी अक्टूबर, 2025 से संयंत्र परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 7.05 करोड़ रुपए (अक्टूबर–दिसंबर, 2025) की बचत हुई है और टिपलरों पर भीड़भाड़ भी कम हो रही है।
- स्क्रैप के निपटान के माध्यम से वर्ष के दौरान लगभग 25.96 करोड़ रुपए की आय हुई।

भूमि का मुद्रीकरण

- मुद्रीकरण के पहले चरण में, 5.63 एकड़ भूमि की नीलामी की गई और 225 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा, विशाखापत्तनम में चरण–II में 19.33 एकड़ भूमि का मुद्रीकरण प्रगति पर है।

1.3.3 एनएमडीसी लिमिटेड

- पिछली अवधि की तुलना में 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान कंपनी के टर्नओवर में लगभग 22% की वृद्धि हुई है।
- दिनांक 31.12.2025 को कंपनी की कुल संपत्ति 34,026 करोड़ रुपए थी, जो दिनांक 31.12.2024 को समाप्त पिछली अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है यानी 30,128 करोड़ रुपए है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 1,896 करोड़ रुपए (किरंदुल से जगदलपुर तक केके लाइन के दोहरीकरण के लिए किए गए 120 करोड़ रुपए सहित) का पूंजीगत व्यय किया गया।

1.3.4 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक एनएसएल का वास्तविक कार्य–निष्पादनः
  - हॉट मेटल उत्पादन – 22.59 लाख टन
  - लिक्विड स्टील उत्पादन – 17.57 लाख टन
  - क्रूड स्टील उत्पादन – 17.27 लाख टन
  - हॉट रोल्ड कॉइल उत्पादन – 16.83 लाख टन
- जनवरी' 2026 से मार्च' 2026 तक के उत्पादन का अनुमानः
  - हॉट मेटल उत्पादन – 8.00 लाख टन
  - लिक्विड स्टील उत्पादन – 7.39 लाख टन
  - क्रूड स्टील उत्पादन – 7.25 लाख टन
  - हॉट रोल्ड कॉइल उत्पादन – 7.14 लाख टन
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान दिसंबर, 2025 तक 9763 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार हासिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष दिसंबर, 2024 के दौरान 5665 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार हुआ। जनवरी'2026–मार्च'2026 के दौरान अनुमानित 4565 करोड़ रुपए है।
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान दिसंबर, 2025 तक कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (–410.32) करोड़ रुपए हासिल किया गया जो पिछले वर्ष के दौरान दिसंबर, 2024 तक (पीबीटी) रु. (–2657) करोड़ था। जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 के दौरान 768.32 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान दिसंबर, 2025 तक (–333.19) करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान दिसंबर, 2024 तक (–1900) करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त किया गया है। जनवरी–मार्च, 2026 के दौरान 393 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

- दिनांक 31.12.2025 को कंपनी की कुल संपत्ति 12781.29 करोड़ रुपए थी, जबकि 31.12.2024 को यह 13588 करोड़ रुपए थी।

1.3.5 मॉयल लिमिटेड

- दिसंबर, 2025 (वास्तविक) तक 14.21 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन हासिल किया गया है।
- दिसंबर, 2025 तक कंपनी की कुल आय 1111.54 करोड़ रुपए (अनंतिम) थी।
- दिसंबर, 2025 तक 218.44 करोड़ रुपए (अनंतिम) का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल कर लिया गया है।
- दिसंबर, 2025 तक 163.46 करोड़ रुपए (अनंतिम) का कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल कर लिया गया है।
- मॉयल ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 69.39 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें अप्रैल–दिसंबर, 2025 के दौरान केंद्र सरकार को भुगतान किए गए 37.02 करोड़ रुपए शामिल हैं।

1.3.6 मेकॉन लिमिटेड

- 847.80 करोड़ रुपए का टर्नओवर (31.12.2025 तक अनंतिम)।
- कंपनी की कुल संपत्ति 398.38 करोड़ रुपए (31.12.2025 तक अनंतिम) थी।
- कर पूर्व लाभ/कर पश्चात लाभ (पीबीटी/पीएटी) रु. (–) 55.52 करोड़ (31.12.2025 तक अनंतिम)।

1.3.7 एमएसटीसी लिमिटेड

- 242.03 करोड़ रुपए (अनंतिम, 31 दिसंबर, 2025 तक) का कारोबार हासिल किया गया है।
- 173.62 करोड़ रुपए (अनंतिम, 31 दिसंबर, 2025 तक) का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया गया है।
- 129.43 करोड़ रुपए (अनंतिम, 31 दिसंबर, 2025 तक) का कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया गया है।

1.3.8 केआईओसीएल लिमिटेड

- परिवर्तनीय लागत को 1832/– रुपए प्रति मीट्रिक टन लौह अयस्क पेलेट से घटाकर 1655/– रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए दिसंबर, 2025 तक 18,50,200 मीट्रिक टन लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए दिसंबर, 2025 तक 18,97,188 मीट्रिक टन लौह अयस्क पेलेट भेजे गए, जिसमें से 8,81,334 मीट्रिक टन निर्यात बाजार में बेचे गए और 10,15,854 मीट्रिक टन घरेलू बाजार में बेचे गए।
- वित्त वर्ष 2025–26 के लिए दिसंबर, 2025 तक 393.12 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया गया।

अध्याय – II

इस्पात मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

2.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय केंद्रीय इस्पात मंत्री के प्रभार के अंतर्गत आता है और इस्पात राज्य मंत्री इनकी सहायता करते हैं। यह मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग के नियोजन और विकास, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, फेरो–मिश्रधातु, स्पंज आयरन आदि जैसे आवश्यक इनपुट के विकास और अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय को आवंटित विषयों का विवरण **अनुलग्नक–I** में देखा जा सकता है। प्रभारी मंत्री और उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों का विवरण **अनुलग्नक–II** में दिया गया है। इस्पात मंत्रालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 244 है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार 191 कर्मचारी कार्यरत हैं।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- घरेलू इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना।
- इस्पात उद्योग के लिए घरेलू और बाह्य स्रोतों से कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इस्पात उद्योग के विभिन्न खंडों के लिए एक व्यापक डेटा बेस बनाना और उसे अद्यतन करना।
- सीपीएसई के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करना।
- सहमति ज्ञापन में की गई प्रतिबद्धताओं के निष्पादन की निगरानी करना तथा सीपीएसई के आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम।
- अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्यो–आर्थिक मापदंडों में सुधार के माध्यम से लौह एवं इस्पात उद्योग के निष्पादन में सुधार लाना।
- प्रचारात्मक प्रयासों के माध्यम से इस्पात की घरेलू मांग को बढ़ावा देना।

2.1.2 प्रमुख प्रभाग

मंत्रालय में 30 प्रभाग हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। प्रमुख प्रभागों में बोर्ड स्तर नियुक्ति, स्थापना, समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कच्चा माल और लॉजिस्टिक्स, तकनीकी, औद्योगिक विकास, इस्पात विकास (संस्थान),

सेल, एमएसटीसी, एनएमडीसी, मेकॉन, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, व्यापार एवं कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस शामिल हैं।

2.2 इस्पात मंत्रालय के अन्य संबंधित संगठन

2.2.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

2.2.1.1 आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) को सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा "प्राथमिक एजेंसी" के रूप में नामित किया गया है, जो आंकड़े एकत्रित करने में शामिल अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और विस्तार कार्यालयों के माध्यम से काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग के लिए एक गैर–पक्षपाती डेटाबैंक का निर्माण और रखरखाव होता है।

2.2.1.2 इस्पात मंत्रालय के अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार इसके अध्यक्ष हैं एवं भारत सरकार, इस्पात उत्पादकों, इस्पात संघों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि इसके सम्मानित सदस्य हैं। जेपीसी लौह एवं इस्पात से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण और डेटाबेस के प्रबंधन का कार्य करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी इस्पात उत्पादक इकाइयों की क्षमता, स्टॉक, उत्पादन संबंधी आंकड़े।
- लौह एवं इस्पात की प्रमुख श्रेणियों के घरेलू खुदरा बाजार मूल्य।
- पिग आयरन, स्पंज आयरन, तैयार इस्पात, स्क्रैप का निर्यात और आयात संबंधी आंकड़े।
- खपत डेटा डेटाबेस में व्युत्पन्न मद के रूप में शामिल होता है।
- इस्पात उत्पादन में प्रयुक्त चार्ज–मिश्रण।
- इकाइयों की एमएसएमई प्रोफ़ाइल।
- चुनिंदा इस्पात वस्तुओं के एफओबी, सीआईएफ मूल्य और अंतिम लागत।
- लौह अयस्क, कोयला और कोक, रिफ्रैक्टरी जैसी चुनिंदा कच्ची सामग्रियों के भंडार, उत्पादन, निर्यात, आयात, मूल्य डेटा।
- तैयार इस्पात का मद–वार, राज्य–वार प्रेषण।
- खंड सर्वेक्षण के दौरान अखिल भारतीय क्षेत्र स्तर पर संग्रहण में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात उद्योग में उभरते रुझानों को समझने के लिए बाजार अध्ययन।
- इस्पात मंत्रालय को प्रदर्शनियों के लिए संगठनात्मक समर्थन।

2.2.1.3 मासिक और वार्षिक आधार पर प्रकाशनों और डेटा रिपोर्टों की एक श्रृंखला उद्योग के सभी हितधारकों तक सूचना और डेटा का प्रसार सुनिश्चित करती है। एक गतिशील वेबसाइट सभी हितधारकों के लिए वास्तविक समय में डेटा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

2.2.2 इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) की सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	मुख्यालय
1.	सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बैग नंबर 565 सेलम–636005 (तमिलनाडु)
2.	आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड)	प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टनम – 530031 (आंध्र प्रदेश)	ईआईएल, बीएसएलसी, ओएमडीसी सेल कार्यालय, भूतल, प्लॉट सं. 271, बिद्युत मार्ग, शास्त्री नगर, यूनिट–IV, भुवनेश्वर, ओडिशा– 751001
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद – 500028 (तेलंगाना)	
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	द्वारा एनएमडीसी लिमिटेड, खनिज भवन, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद – 500028 (तेलंगाना)	
5.	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर – 440013 (महाराष्ट्र)	
6.	एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर सीएफ–18/2, स्ट्रीट नंबर 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156	
7.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पथ, डोरंडा, रांची – 834002 (झारखंड)	
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560034 (कर्नाटक)	

2.3 दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय का संगठन चार्ट

एएसएंडएफए:	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
जेएस:	संयुक्त सचिव
डीडीजी:	उप महानिदेशक
ईए:	आर्थिक सलाहकार
सीसीए:	मुख्य लेखानियंत्रक
डीआईआर:	निदेशक
डीएस:	उप सचिव
जेडी:	संयुक्त निदेशक
यूएस:	अवर सचिव

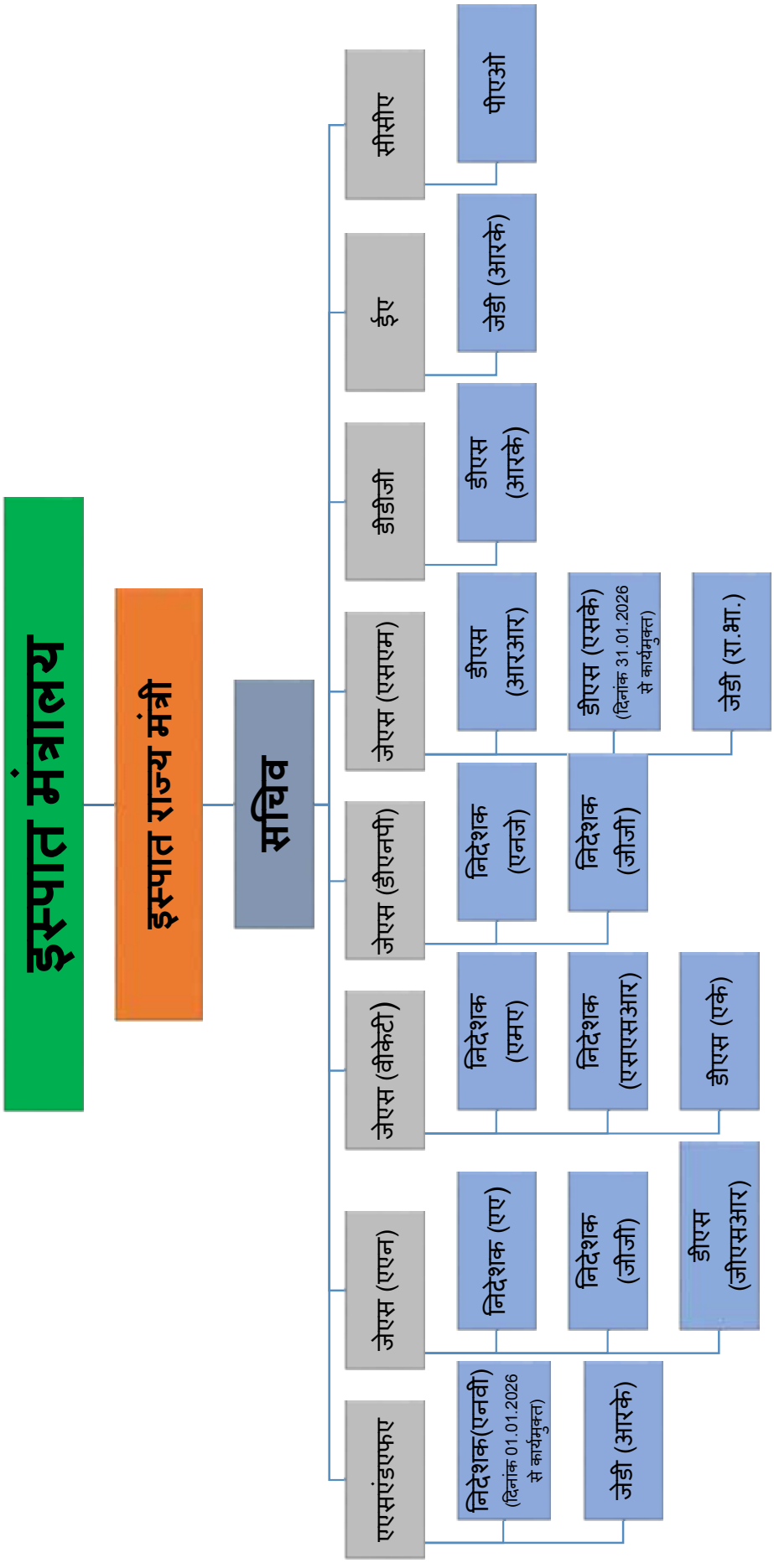
इस्पात मंत्रालय
इस्पात राज्य मंत्री
सचिव
सीसीए
पीएओ
ईए
जेडी (आरके)
डीडीजी
डीएस (आरके)
जेएस (एसएम)
डीएस (आर3आर)
डीएस (एसके)
(दिनांक 31.01.2026 से कार्यमुक्त)
जेडी (रा.भा.)
जेएस (डीएनपी)
निदेशक (एनजे)
निदेशक (जीजी)
जेएस (वीकेटी)
निदेशक (एमए)
निदेशक (एसएसआर)
डीएस (एके)
जेएस (एएन)
निदेशक (एए)
निदेशक (जीजी)
डीएस (जीएसआर)
एएसएंडएफए
निदेशक(एनवी)
(दिनांक 01.01.2026 से कार्यमुक्त)
जेडी (आरके)

अध्याय – III

भारतीय इस्पात क्षेत्र: प्रगति और संभावना

3.1 परिचय

1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत में केवल तीन इस्पात संयंत्र थे– टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और कुछ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस–आधारित संयंत्र। इस प्रकार, 1947 की अवधि तक देश में एक छोटा लेकिन व्यवहार्य इस्पात उद्योग था, जो लगभग 1 मिलियन टन की क्षमता के साथ संचालित होता था और पूरी तरह से निजी क्षेत्र में था। स्वतंत्रता के समय 1 मिलियन टन क्षमता की स्थिति से उबरकर, भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा क्रूड इस्पात उत्पादक और स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। एक नगण्य वैश्विक उपस्थिति से, भारतीय इस्पात उद्योग अब अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिए विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से अपने लंबे इतिहास को पार करते हुए, भारतीय इस्पात उद्योग ने व्यापार चक्रों के उतार–चढ़ाव की चुनौतियों का सामना किया है। पहला बड़ा बदलाव पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आया जब उस समय की अर्थव्यवस्था के अनुरूप, लौह एवं इस्पात उद्योग को राज्य नियंत्रण के लिए निर्धारित किया गया था। 1950 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक के आरंभ तक भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए। इन वर्षों के दौरान उद्योग को नियंत्रित करने वाली नीतिगत व्यवस्था में शामिल थे:

- **क्षमता नियंत्रण के उपाय:** सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए क्षमता का लाइसेंस, बड़े स्तर पर क्षमता सृजन का आरक्षण।
- **दोहरी मूल्य–निर्धारण प्रणाली:** निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एकीकृत, बड़े पैमाने के उत्पादकों के लिए मूल्य और वितरण नियंत्रण, जबकि शेष उद्योग मुक्त बाजार में संचालित होते हैं।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च टैरिफ बाधाएं।
- **रेलवे मालभाड़ा समानीकरण नीति:** संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी, पूंजीगत वस्तुओं सहित इनपुट के आयात पर नियंत्रण तथा वित्त एवं निर्यात पर प्रतिबंध।

3.1.1 इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को विश्व का 10 वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनाने में योगदान दिया क्योंकि क्रूड स्टील का उत्पादन 1947 में मात्र 1 मिलियन टन से बढ़कर एक दशक के अंतराल में लगभग 15 मिलियन टन हो गया। लेकिन 1970 के दशक के उत्तरार्ध से यह प्रवृत्ति बरकरार नहीं रह सकी क्योंकि आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग की वृद्धि की गति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। हालाँकि, वर्ष 1991–92 में यह चरण उलट गया, जब देश ने उदारीकरण और विनियमन द्वारा

नियंत्रण व्यवस्था को बदल दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई नई आर्थिक नीति के प्रावधानों ने भारतीय इस्पात उद्योग को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया:

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े स्तर के उद्योगों को हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को भी स्थान संबंधी प्रतिबंधों के अधीन वापस ले लिया गया था।
- समग्र व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही।
- मूल्य निर्धारण और वितरण नियंत्रण तंत्र बंद कर दिए गए ।
- लौह एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया, जिसका तात्पर्य 50% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वतः अनुमोदन है, जो सामान्य रूप से ऐसे निवेशों को नियंत्रित करने वाली विदेशी मुद्रा और अन्य शर्तों के अधीन है।
- मालभाड़ा समानीकरण योजना को मालभाड़ा अधिकतम सीमा की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंध बड़े पैमाने पर हटा दिए गए। निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिए गए।

3.1.2 इस्पात निर्माताओं के लिए, अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर उनके इनपुट की खरीद के लिए नए चैनल और उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध हुए। इससे विनिर्माण में वैश्विक प्रचालन/तकनीकों की जानकारी तक अधिक पहुँच भी हुई। प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार के दबावों के साथ–साथ इसने दक्षता के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ा दिया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना जा सके। दूसरी ओर, इस्पात उपभोक्ता अब वस्तुओं की एक श्रृंखला से आइटम चुनने में सक्षम था, चाहे वह स्वदेशी रूप से निर्मित हो या आयातित। 1992 में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, देश ने इस्पात निर्माण की क्षमता में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। एस्सार स्टील, इस्पात उद्योगों, जिंदल समूह आदि द्वारा निजी क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता का विस्तार किया। इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित लगभग 9 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता के सृजन के साथ निजी क्षेत्र का उदय।
- टैरिफ बाधाओं में कमी/उन्मूलन, व्यापार खाते में रुपए का आंशिक प्रवाह, वैश्विक प्रौद्योगिकियों की सर्वोत्तम पद्धतियों तक पहुंच और इसके परिणामस्वरूप लागत में कमी – इन सभी ने विश्व निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की।

3.1.3 वर्ष 1996–97 के बाद, घरेलू अर्थव्यवस्था की विकास दर में लगातार गिरावट के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग के विकास की गति धीमी हो गई और सभी कार्य–निष्पादन संकेतकों – क्षमता निर्माण, उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य/लाभप्रदता के संदर्भ में– उद्योग का कार्य–निष्पादन औसत से नीचे आ गया। विदेशी व्यापार में, भारतीय इस्पात को एंटी–डंपिंग/सुरक्षा शुल्कों के अधीन भी किया गया क्योंकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने गैर–टैरिफ बाधाओं को लागू किया। एशियाई वित्तीय संकट के कारण हुई आर्थिक तबाही, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी और नए इस्पात–सक्रिय देशों (तत्कालीन यूएसएसआर की इस्पात–अधिशेष अर्थव्यवस्थाएं) से अतिरिक्त आपूर्ति से पैदा हुई अधिकता के प्रभाव ऐसे कारक थे जिन्होंने विकास के स्तर को नीचे खींच दिया। हालांकि, वर्ष 2002 से काफी हद तक चीन की सहायता से वैश्विक उद्योग ने वापसी की, इसी समय, प्रमुख बाजारों में सुधार हुआ,

जो उत्पादन में वृद्धि, कीमतों में सुधार, लाभप्रदता की वापसी, नए बाजारों के उद्भव, व्यापार बाधाओं के हटने और अंततः वैश्विक स्तर पर स्टील की मांग में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ। भारतीय इस्पात उद्योग के लिए भी स्थिति अलग नहीं थी, जिसने अब तक गहन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, घरेलू प्रति व्यक्ति इस्पात खपत और अन्य बाजार विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के उपायों को अपनाने, आयात प्रतिस्थापन उपायों, निर्यात संवर्धन पर जोर देने और इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक रास्ते तलाशने पर जोर देते हुए परिपक्वता की एक डिग्री हासिल कर ली थी। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया है।

3.1.4 उद्योग की तीव्र वृद्धि दर और बाजार के रुझानों ने कुछ दिशा–निर्देशों और रूपरेखा की मांग की। इस प्रकार, भारतीय इस्पात उद्योग के लिए विकास और वृद्धि का रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा विकसित की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की घोषणा नवंबर, 2005 में एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक बुनियादी खाका के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के पास विश्व मानकों का एक आधुनिक और कुशल इस्पात उद्योग हो, जो विविध इस्पात मांग को पूरा कर सके। नीति का फोकस दक्षता और उत्पादकता के वैश्विक मानदंडों के संदर्भ में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर को प्राप्त करना था। समय बीतने और घरेलू इस्पात उद्योग में निरंतर वृद्धि के साथ, यह महसूस किया गया कि एनएसपी 2005 को बदलते समय के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एक विस्तृत समीक्षा के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की है, जिसमें 2030–31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है। साथ ही, वर्तमान समय के विनियमन मुक्त, उदारीकृत आर्थिक/बाजार परिदृश्य में एक सुविधाप्रदाता के रूप में, सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नामक नीति की भी घोषणा की है। यह नीति राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री के 'मेक इन इंडिया' के विजन को पूरा करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, उपभोग और वृद्धि

3.2.1 नीचे दी गई तालिका वर्ष 2021–22 से अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) तक देश में तैयार इस्पात (मिश्रधातु + गैर–मिश्रधातु) के उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु + गैर–मिश्रधातु) (मिलियन टन अथवा एमटी)			
	उत्पादन	आयात	निर्यात	उपभोग
2021-22	113.597	4.669	13.494	105.752
2022-23	123.196	6.022	6.716	119.893
2023-24	139.153	8.320	7.487	136.291
2024-25	146.688	9.551	4.858	152.129
अप्रैल–दिसंबर 2025-26*	118.699	4.649	4.799	119.574

*स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम*

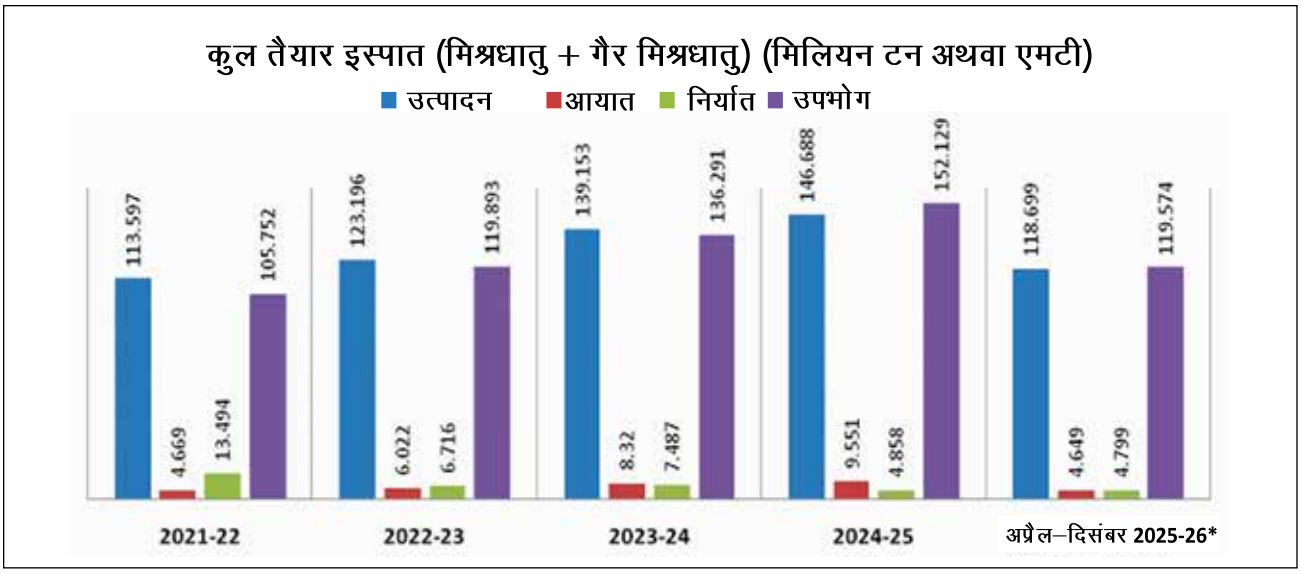

3.2.2 वर्ष 2021–22 से अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) तक क्रूड स्टील के उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग पर आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	क्रूड स्टील		
	क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2021-22	154.062	120.293	78
2022-23	161.299	127.197	79
2023-24	179.515	144.299	80
2024-25	200.333	152.180	76
अप्रैल–दिसंबर 2025-26*	218.296	124.551	57

*स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम*

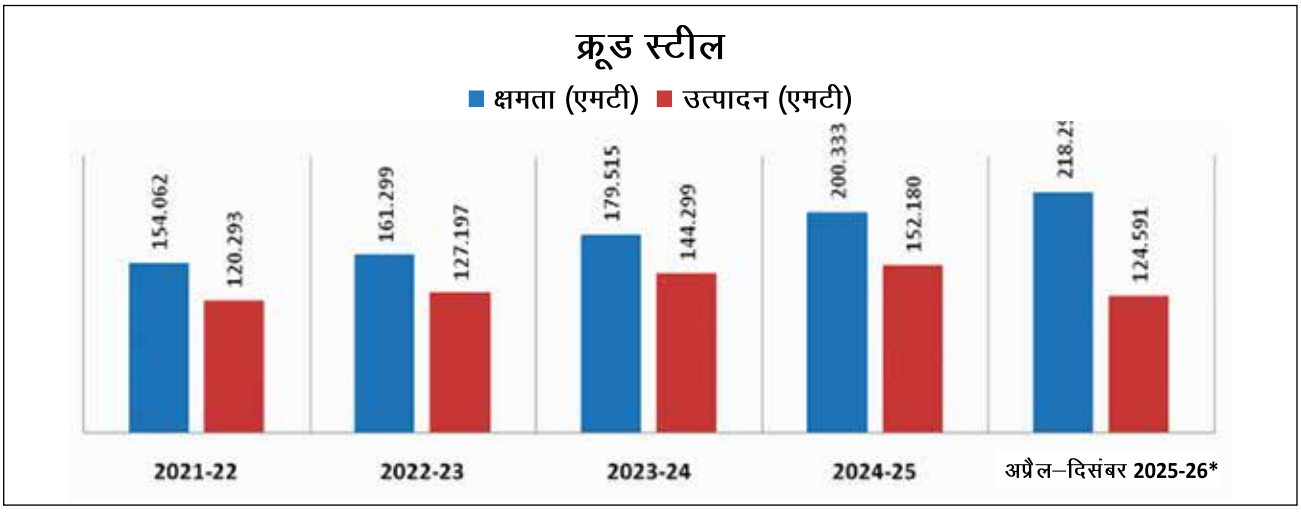

- क्रूड स्टील का उत्पादन 2021–22 में 120.293 एमटी से बढ़कर 2024–25 में 152.180 एमटी हो गया।

- उत्पादन में यह वृद्धि क्षमता विस्तार के कारण हुई, जो इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान 2021–22 में 154.062 एमटी से बढ़कर 2024–25 में 200.333 एमटी हो गई।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु + गैर–मिश्रधातु) की घरेलू खपत 2024–25 में 152.129 एमटी थी, जबकि 2021–22 में यह 105.752 एमटी थी।
- वर्ष 2024–25 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्रधातु + गैर–मिश्रधातु) का निर्यात 4.858 मिलियन टन रहा, जबकि 2021–22 में यह 13.494 एमटी था, उसी वर्ष के दौरान तैयार इस्पात (मिश्रधातु + गैर–मिश्रधातु) का आयात 9.551 एमटी रहा, जबकि 2021–22 में 4.669 एमटी था।
- वर्ष 2024–25 में भारत तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक था।

3.2.3 पिछले पांच वर्षों की अवधि के अंतिम वर्षों के दौरान देश में क्रूड स्टील के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया मार्गों का हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

प्रक्रिया मार्ग द्वारा क्रूड स्टील का उत्पादन		
प्रक्रिया मार्ग	**प्रतिशत हिस्सा (%)**	
	2020-21	**2024-25**
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	43.5	41.1
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	28.4	20.8
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	28.1	38.2
कुल	**100**	**100**

स्रोत: जेपीसी 'अनंतिम

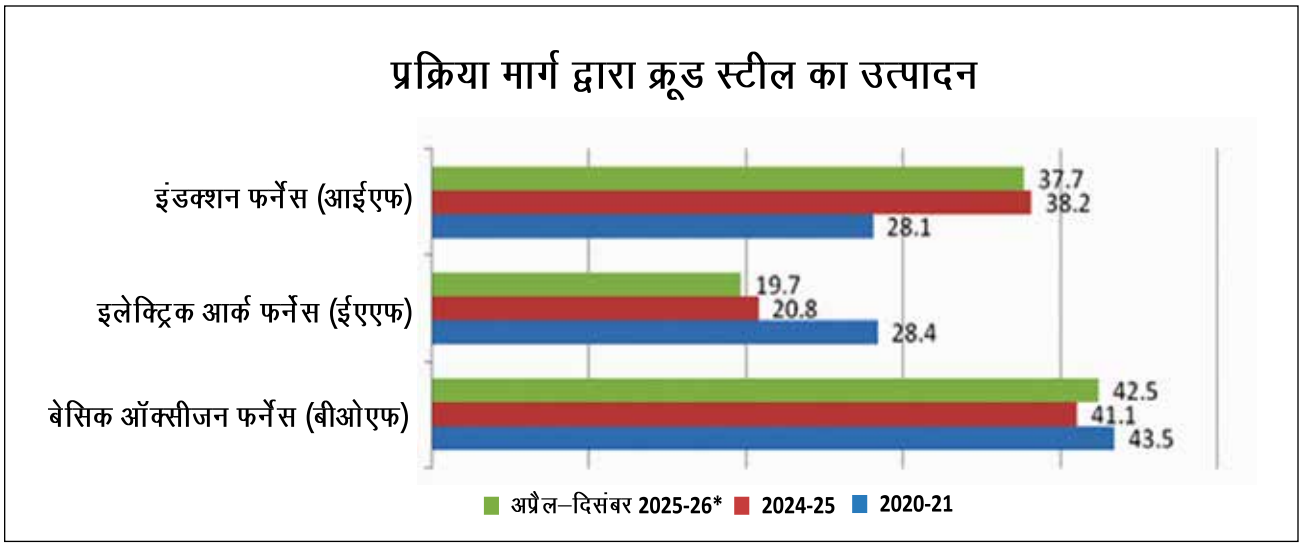

3.2.4 भारत स्पंज आयरन का भी एक प्रमुख उत्पादक है, जिसकी कई कोयला आधारित इकाइयाँ देश के खनिज समृद्ध राज्यों में स्थित हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कोयला आधारित मार्ग एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) में देश में कुल स्पंज आयरन उत्पादन में इसका योगदान 85% रहा

है। भारत 2003 से हर वर्ष विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक रहा है। नीचे दी गई तालिका देश में स्पंज आयरन के कुल उत्पादन को दर्शाती है, जो वर्ष 2021–22 से अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) के लिए कोयला और गैस–आधारित उत्पादन मार्ग की हिस्सेदारी का ब्यौरा दर्शाती है:

वर्ष	स्पंज आयरन का उत्पादन (एमटी)				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	अप्रैल–दिसंबर 2025-26*
कोयला आधारित	30.334	35.614	41.776	46.883	37.867
गैस आधारित	8.866	8.007	9.785	8.880	6.681
कुल	**39.200**	**43.621**	**51.560**	**55.764**	**44.547**

*स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम*

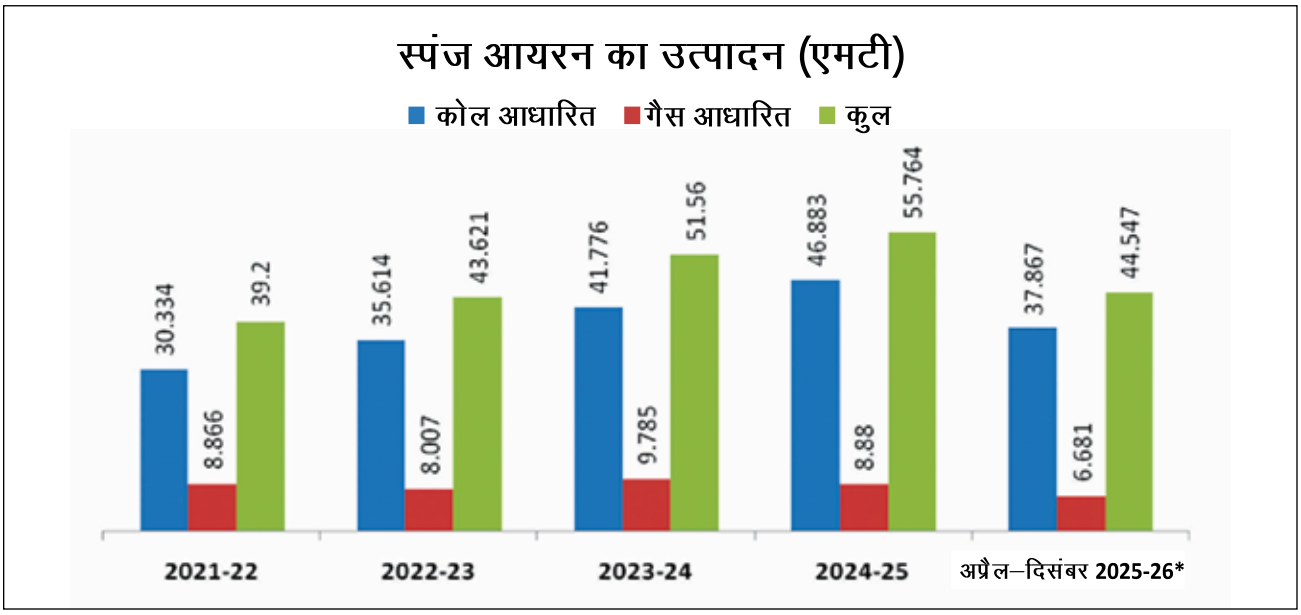

3.2.5 भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र में कई इकाइयों की स्थापना के साथ, आयात में कमी आई है और भारत पिग आयरन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) में देश में पिग आयरन के कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान 90% था। वर्ष 2021–22 से अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) के लिए पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

स्पंज आयरन का उत्पादन (एमटी)					
वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**अप्रैल–दिसंबर 2025-26***
उत्पादन	6.262	5.861	7.364	8.332	6.364
आयात	0.026	0.118	0.366	0.326	0.172
निर्यात	1.213	0.629	0.385	0.287	0.511
उपभोग	5.065	5.333	7.265	8.319	6.068

*स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम*

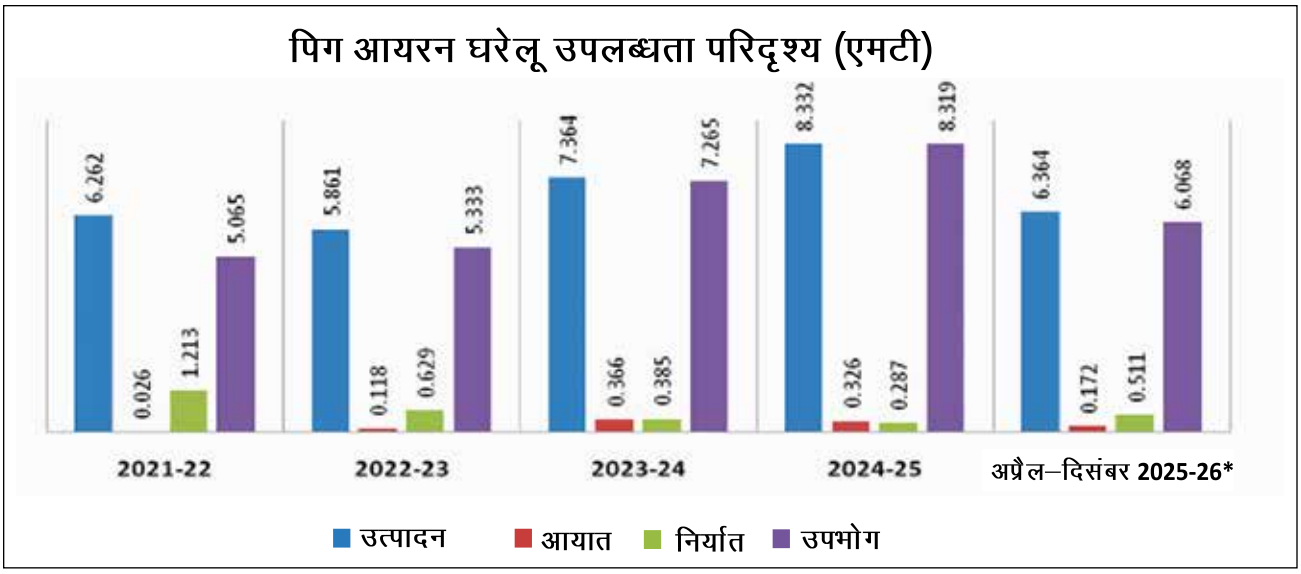

3.3 भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

विश्व इस्पात संघ द्वारा 04 दिसंबर, 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी–दिसंबर 2025 के दौरान विश्व का क्रूड स्टील उत्पादन 1803.774 मिलियन टन रहा, जो 2024 की तुलना में 2% की गिरावट दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, चीनी क्रूड स्टील का उत्पादन 960.810 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.4% की गिरावट दर्शाता है। इस अवधि के दौरान चीन विश्व का सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक बना रहा, जिसने विश्व के क्रूड स्टील उत्पादन का 53% हिस्सा उत्पादित किया। भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा।

विश्व क्रूड स्टील उत्पादन			
अप्रैल–दिसंबर 2025*			
रैंक	**देश**	**मात्रा (एमटी)**	**पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में % परिवर्तन**
1	चीन	960.810	-4.4
2	भारत	164.887	10.4
4	यूएसए	81.951	3.1
3	जापान	80.679	-4.0
5	रूस	67.820	-4.5
6	दक्षिण कोरिया	61.882	-2.8
7	जर्मनी	38.118	3.3
8	टर्की	34.090	-8.6
9	ब्राजील	33.347	-1.6
10	ईरान	31.800	1.4
	शीर्ष 10	**1555.384**	**-2.3**
	विश्व	**1803.774**	**-2.0**

*स्रोतः दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को जारी विश्व इस्पात संघ की विज्ञप्ति; *अनंतिम;*

विश्व क्रूड स्टील उत्पादन : अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अंनतिम)

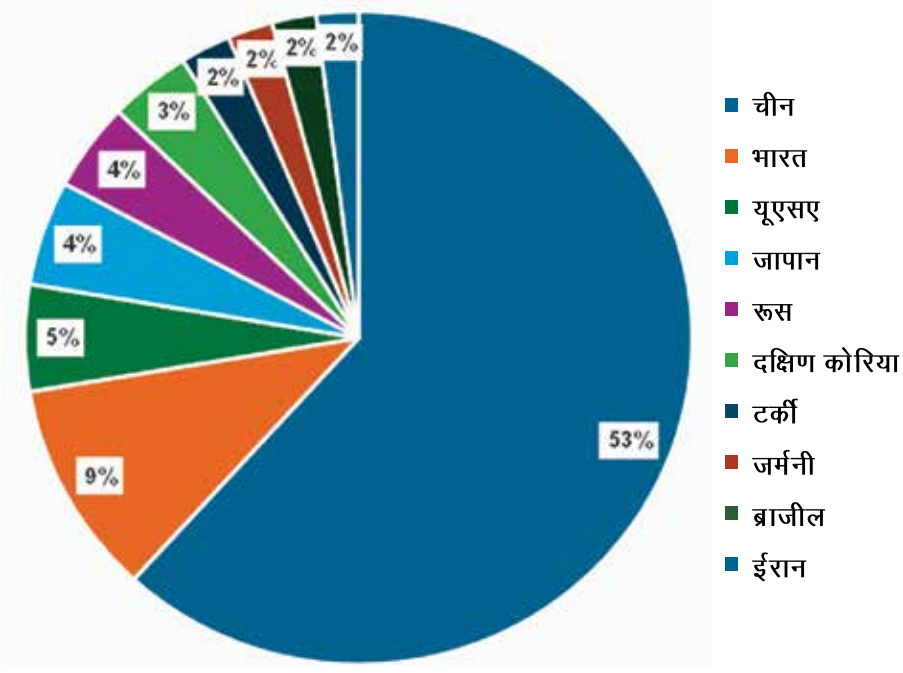

3.4 इस्पातः वर्ष 2025–26 (अनंतिम) के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र के तथ्यः

भारतीय इस्पात परिदृश्यः 2025–26 (अप्रैल–दिसंबर)			
तैयार इस्पात (मिश्रधातु+गैर मिश्रधातु)	**अप्रैल–दिसंबर 2025-26* (मात्रा एमटी में)**	**अप्रैल–दिसंबर 2024-25 (मात्रा एमटी में)**	**% परिवर्तन***
उत्पादन	118.699	107.426	10.5
आयात	4.649	7.424	-37.4
निर्यात	4.799	3.600	33.3
उपभोग	119.574	111.727	7.0
क्रूड स्टील			
उत्पादन	124.551	111.843	11.5
क्षमता उपयोग (%)	57	56	–

*स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम*

कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कई विस्तार परियोजनाओं के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य आशावादी है। इस्पात क्षेत्र के उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े **अनुलग्नक III-XI** में दिए गए हैं।

3.5 उत्पादन में रुझान, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2021–22 से अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) के दौरान देश में क्रूड स्टील के उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डालती है:

भारतीय क्रूड स्टील का उत्पादन						
क्षेत्र	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**अप्रैल–दिसंबर 2025-26***
सार्वजनिक क्षेत्र	एमटी	22.636	22.429	24.192	24.227	20.009
निजी क्षेत्र	एमटी	97.658	104.768	120.107	127.953	104.524
कुल उत्पादन	एमटी	120.293	127.197	144.299	152.180	124.551
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा	%	19	18	17	16	16

*स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम*

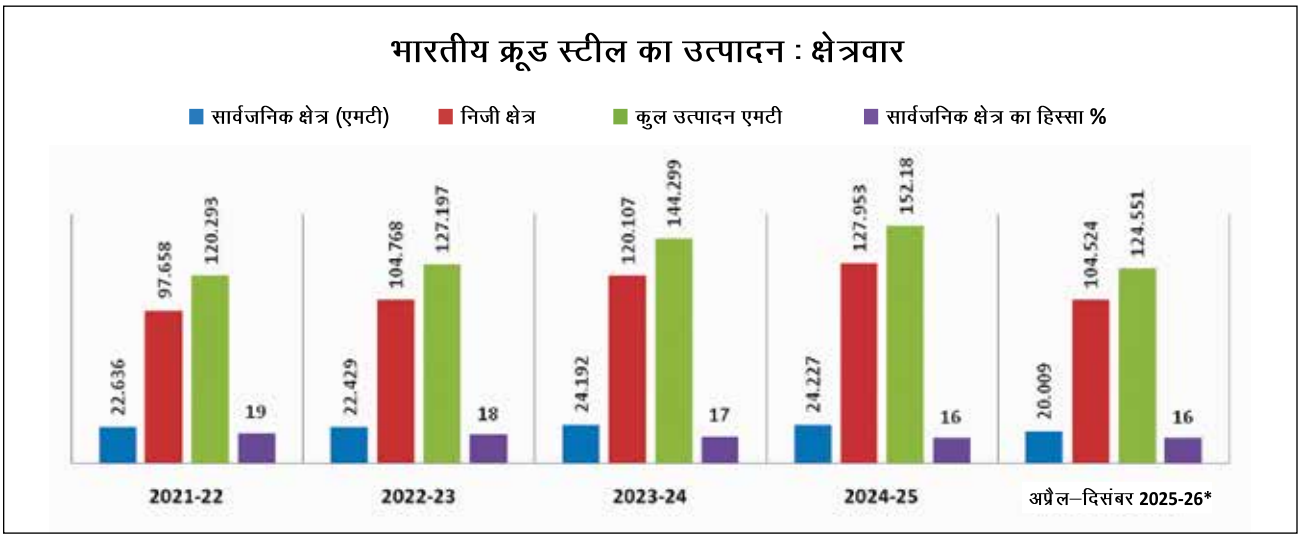

3.6 वार्षिक योजना 2025–26

संशोधित प्राक्कलन 2025–26 के आधार पर मंत्रालय की 2025–26 की वार्षिक योजना 20702.36 करोड़ रुपए की है। इसमें 17479.86 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और 3222.50 करोड़ रुपए का सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) शामिल है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वार्षिक योजना 2025–26 के लिए परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**पीएसयू/संगठन का नाम**	**आईईबीआर**	**जीबीएस**	**कुल**
क.	**पीएसयू की योजनाएं**			
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	10000.00	0.00	10000.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	545.00	3017.00	3562.00
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	6000.00	0.00	6000.00
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	150.00	0.00	150.00

क्र. सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	आईईबीआर	जीबीएस	कुल
5..	केआईओसीएल लिमिटेड	131.00	0.00	131.00
6.	मॉयल लिमिटेड	600.00	0.00	600.00
7.	मेकॉन लिमिटेड	15.00	0.00	15.00
8.	एमएसटीसी लिमिटेड	32.00	0.00	32.00
9.	ओएमडीसी	6.86	0.00	6.86
कुल–क		**17479.86**	**3017.00**	**20496.86**
ख. इस्पात मंत्रालय की योजना				
10.	भारत में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना	0.00	192.50	192.50
11.	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं	0.00	7.00	7.00
12.	भारत में वाणिज्यिक पोतों की फ्लैगिंग	0.00	6.00	6.00
कुल–ख		**0.00**	**205.50**	**205.50**
समग्र योग क+ख		**17479.86**	**3222.50**	**20702.36**

3.7 भारत सरकार द्वारा सांविधिक निकायों/स्वायत्त संगठनों/समितियों/निजी/स्वैच्छिक संगठनों/सार्वजनिक निगमों/संयुक्त उद्यमों/ संगठनों आदि को प्रदान की जाने वाली निधियां/अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों को कुल 600.00 लाख रुपए (दिसंबर, 2025 तक) जारी किए हैं। यह राशि मंत्रालय की आरएंडडी योजना यानी **'लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजना'** के तहत जारी की गई है। उपर्युक्त योजना के तहत 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक–XV** में दिया गया है।

अध्याय – IV

इस्पात नीतियाँ और नवीनतम पहलें

4.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017

एनएसपी 2017 का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना, कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार करना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाना, आयात निर्भरता और उत्पादन लागत को कम करना है और इस प्रकार एक **"प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे"**, इसके अलावा इसका उद्देश्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के साथ निवेश और लागत–कुशल उत्पादन की सुविधा प्रदान करके वैश्विक रूप से किफायती इस्पात निर्माण क्षमताओं का विकास करना है। अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अगले दशक में प्रौद्योगिकी पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा एमएसएमई इस्पात उत्पादक भारत के खपत आधारित विकास और समग्र उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एनएसपी 2017 का अपेक्षित प्रभाव/परिणाम

एनएसपी 2017 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

क्र. सं.	मापदंड	अनुमान (2030–31)
1	कुल क्रूड स्टील की क्षमता (एमटीपीए में)	300
2	कुल क्रूड स्टील की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	255
3	कुल तैयार स्टील की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	230
4	स्पंज आयरन की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	80
5	पिग आयरन की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	17
6	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत (किलोग्राम में)	158

अन्य अपेक्षित प्रभाव निम्नानुसार हैं:

क) भारत ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में अग्रणी बनेगा

इस्पात मंत्रालय, उपयुक्त एजेंसी के सहयोग से, देश के सभी इस्पात संयंत्रों के प्रौद्यो–आर्थिक कार्य–निष्पादन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के साथ निरंतर निगरानी करेगा। ऑटोमोटिव स्टील और अन्य विशेष स्टील

के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को वैश्विक अग्रणी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सहायता करके सुगम बनाया जाएगा।

ख) किफायती और गुणवत्तापूर्ण इस्पात का स्रोत

बीआईएस की अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न योजना के तहत इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए 145 भारतीय मानक पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। पर्यावरण और सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य संबधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त इस्पात उत्पादों को भी इस अनिवार्य योजना के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा।

ग) औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में वैश्विक मानक प्राप्त करना

मंत्रालय इस्पात कम्पनियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस्पात कम्पनियों के कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित बनाए रखने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

घ) उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम करना

पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को निर्धारित करने के लिए एक मंच के गठन में सहायता कर रहा है तथा उद्योग के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ङ) घरेलू स्तर पर उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिकल स्टील, विशेष स्टील और मिश्रधातुओं की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना।

सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश पर भी जोर दे रही है और विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे पीएमएवाई, ऊर्जा गंगा, उड़ान, सागरमाला, भारतमाला, अमृत, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, गतिशक्ति आदि सहित परियोजना के निष्पादन की गति बढ़ा रही है।

4.2 सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति (डीएमआई एंड एसपी) नीति

घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति, जिसे पहली बार 2017 में अधिसूचित किया गया था और समय–समय पर संशोधित किया गया है, जिसकी नवीनतम अधिसूचना 17 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, इसका उद्देश्य सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ संस्थाओं में घरेलू इस्पात निर्माण को बढ़ावा देना और ***'मेक इन इंडिया'*** पहल को आगे बढ़ाना है। नीति के कार्यान्वयन के दौरान उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, एचएस कोड अध्याय 72 (परिशिष्ट–क) के तहत आने वाले उत्पादों के लिए **"मेल्ट एंड पोर"** की अनिवार्यता की शुरुआत और अध्याय 73 एवं 86 के तहत आने वाली वस्तुओं के लिए न्यूनतम 50% मूल्यवर्धन/घरेलू सामग्री की शर्त शामिल है। इसके अलावा, परिशिष्ट–ख को 2019 के बाद पहली बार व्यापक रूप से अद्यतन किया गया है ताकि खनन और इस्पात निर्माण उपकरण, नए संयंत्रों और सामान्य/साझा सुविधाओं की सूची का विस्तार किया जा सके और साथ ही लागू घरेलू सामग्री आवश्यकताओं को भी स्पष्ट किया जा सके; जबकि इसमें शामिल नहीं किए गए उपकरण मैटी/विद्युत/डीपीआईआईटी के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया परिशिष्ट–ग पेश किया गया है। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक निर्धारित अवधि के भीतर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रतिबद्धता पर श्रेणी–I स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के सक्षम प्रावधान भी शामिल हैं। इसका व्यापक उद्देश्य आयात को कम करना, घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और एक सुदृढ़ विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

4.3 इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)

इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (सिम्स), जिसे 2019 में शुरू किया गया था, भारत में इस्पात के आयात से संबंधित विस्तृत डेटा प्रदान करती है। उद्योगों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, इस मंत्रालय ने पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार किया है। यह इस्पात आयात की निगरानी और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऐसे विस्तृत डेटा की उपलब्धता न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू इस्पात उद्योग को उत्पादन और विकास के क्षेत्रों का संकेत भी देती है।

सिम्स में कई सरकारी पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण की सुविधा है, जो गुणवत्ता नियंत्रण को बेहतर बनाती है और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करती है। पोर्टल में एक मजबूत डेटा एंट्री प्रणाली है, जो सुसंगत और प्रामाणिक डेटा सुनिश्चित करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न डेटाबेस का एकीकरण हितधारकों को जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार बेहतर जोखिम प्रबंधन की अनुमति देता है। सिम्स के माध्यम से इस्पात आयात की सटीक निगरानी से इस्पात आयात में वृद्धि का मुकाबला करने, विकास को बढ़ावा देने और भारत के इस्पात उद्योग में सतत निवेश आकर्षित करने के लिए सूचित नीति निर्णय लेने में मदद मिलने की अपेक्षा है।

दिनांक 21 नवंबर, 2025 को **'सरल सिम्स'** की एक नई सुविधा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य छोटे आयातकों द्वारा लौह एवं इस्पात से संबंधित 'छोटे कंसाइनमेंट' के आयात के लिए सिम्स के तहत अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है; साथ ही 'निर्यात उद्देश्यों' के लिए एडवांस ऑथराइजेशन, एसईजेड और ईओयू मार्ग के तहत किए जाने वाले आयात को भी सरल बनाना है। इस उद्देश्य के लिए मौजूदा पोर्टल के अतिरिक्त एक अलग पोर्टल स्थापित किया गया है।

यह सुविधा प्रचालन लचीलापन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पंजीकरण के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक आयात की अनुमति मिलती है, और सिम्स तथा सरल दोनों के लिए सिंगल साइन ओन एक्सेस प्रदान करती है।

नियमित सिम्स के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को भी काफी सरल बना दिया गया है, जिसमें आयातकों द्वारा भरे जाने वाले फ़ील्ड की संख्या को काफी कम किया गया है ताकि व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिल सके।

इसके अतिरिक्त, आयातक अब ऐसे इस्पात ग्रेड के आयात के लिए, जो इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, किसी स्पष्टीकरण या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बिना ही सिम्स पंजीकरण उत्पन्न कर सकते हैं।

4.4 प्रमुख पहलें

4.4.1 "भारत में वाणिज्यिक पोतों की फ्लैगिंग" योजना

आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सरकारी माल के आयात के लिए मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता के रूप में पांच वर्षों में 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई लाभार्थी हैं, क्योंकि यह उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई द्वारा सरकारी माल के आयात के संबंध में सब्सिडी के वितरण से संबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी 2026 तक इस्पात के सीपीएसई को 5.90 करोड़ रुपए के सब्सिडी दावे का भुगतान किया जा चुका है।

4.4.2 ग्रीन स्टील का वर्गीकरण:

लौह एवं इस्पात क्षेत्र के हरित परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, इस्पात मंत्रालय ने 12 दिसम्बर, 2024 को **'ग्रीन स्टील का वर्गीकरण'** जारी किया है। ग्रीन स्टील वर्गीकरण, इस्पात उत्पादन में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा को परिभाषित करके भारत के इस्पात उद्योग को अधिक टिकाऊ, निम्न कार्बन वाले क्षेत्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्गीकरण ग्रीन स्टील बाजार के विकास के लिए एक आधारभूत उपकरण के रूप में काम करेगा, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा और इस प्रकार वैश्विक औद्योगिक अकार्बनीकरण परिदृश्य में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा।

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, अधिसूचित वर्गीकरण के अंतर्गत स्टार रेटिंग के साथ 58 इस्पात इकाइयों को ग्रीन स्टील प्रमाणन प्रदान किया गया है, जो कुल मिलाकर 9.1 मिलियन टन (एमटी) ग्रीन स्टील उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है।

4.4.3 पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी–एन) की सहायता से, अवसंरचना मंत्रालयों ने अपनी रेल, सड़क, पत्तन और संबंधित परिसंपत्तियों को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किया है। इस्पात मंत्रालय ने बीआईएसएजी–एन द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर स्वयं को ऑनबोर्ड किया है और देशभर में इस्पात इकाइयों के भू–स्थान (जियो–लोकेशन), जिनमें प्रमुख कंपनियां भी शामिल हैं, अपलोड किए हैं। सभी मौजूदा संयंत्रों के भू–स्थान अपलोड कर दिए गए हैं, और पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के लक्ष्यों के अनुरूप इस्पात क्षेत्र में मौजूदा स्लरी पाइपलाइनों तथा चल रही/आगामी संयंत्रों को मैप करने का कार्य जारी है।

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई द्वारा पीएम गतिशक्ति पोर्टल को अपनाने और उसके उपयोग को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गई हैं। पोर्टल पर स्लरी पाइपलाइनों और अन्य उपयोग मामलों के लिए उपकरण विकसित किए गए हैं, और सीपीएसई ने परियोजना नियोजन के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग शुरू कर दिया है। सीपीएसई के लिए दो–दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, और स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार डेटा अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा, दो ट्रेनिंग–ऑफ–ट्रेनर्स (टीओटी) कार्यक्रम दिल्ली और रांची में आयोजित किए गए ताकि क्षेत्रीय उपयोग मामलों, जिनमें स्लरी पाइपलाइनों और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, के लिए उपकरण विकास को सक्षम बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के अंतर्गत एक व्यापक दीर्घकालिक अवसंरचना (एसपीईएल) अध्ययन के रूप में ''कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना'' पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई है।

4.5 अन्य पहलें:

4.5.1 इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना: लौह एवं इस्पात उद्योग में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कच्चा माल एक महत्वपूर्ण कारक है। कच्चे माल की सुरक्षा के मामले में उद्योग को अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ–साथ लॉजिस्टिक मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ कच्चे माल से संबंधित मुद्दों को उठाया है।

लौह अयस्क

- एनएसपी, 2017 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने 2030–31 तक 255 मिलियन टन क्रूड स्टील उत्पादन के साथ 300 मिलियन टन क्रूड स्टील की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 437 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता है।
- देश में लौह अयस्क का उत्पादन 2023–24 में 277 मिलियन टन से बढ़कर 2024–25 में 289 मिलियन टन हो गया। अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 तक 156.57 एमटी लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है।

कोयला

- इस्पात क्षेत्र के लिए आवश्यक कोकिंग कोल की मांग आंशिक रूप से घरेलू उत्पादन से ही पूरी हो पाती है क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोल (कम राख वाले कोयले) की आपूर्ति सीमित है। इसलिए, भारतीय इस्पात उद्योग काफी हद तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर रहा है।
- देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोल में राख की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे इस्पात के विनिर्माण में इसका उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण 2020–21 में 51.20 एमएमटी (मिलियन मैट्रिक टन), 2021–22 में 57.16 एमएमटी, 2022–23 में 56.05 एमएमटी और 2023–24 में 58.12 एमएमटी तथा वर्ष 2024–25 में 57.07 एमएमटी कोकिंग कोल का आयात किया गया। इस आयात का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से आता है।
- चूंकि, कोकिंग कोल इस्पात उत्पादन में विनिर्माण लागत का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए इस्पात मंत्रालय आयात स्थलों में विविधता लाकर, कोक की आवश्यकता को कम करने के लिए पैलेट्स के अधिकतम उपयोग, लौह तत्व को बढ़ाने के लिए लौह अयस्क का परिष्करण, कोकिंग कोल मिश्रण अनुकूलन आदि के माध्यम से कोकिंग कोल के आयात बिल को कम करने के प्रयास कर रहा है।
- इसके अलावा, इस्पात निर्माण में उपयोग होने वाले कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच 14.10.2021 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त वर्ष 2021–22 में रूस से कोकिंग कोल का आयात 1.506 एमएमटी, वित्त वर्ष 2022–23 में 4.481

एमएमटी और वित्त वर्ष 2023–24 में 5.256 एमएमटी रहा है और वित्त वर्ष 2024–25 में 7.746 एमएमटी रहा और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इससे कोकिंग कोल के स्रोत में विविधता लाने में मदद मिलती है। वित्त वर्ष 2025–26 (नवंबर, 2025 तक) में सेल का रूस से कोकिंग कोल का कुल आयात लगभग 1,200,000 एमटी रहा, जबकि एनएमडीसी ने लगभग 2,38,000 एमटी आयात किया है।

- उपर्युक्त के अलावा, इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने मौजूदा खदानों से घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाकर और नई वाशरी स्थापित करके मिशन कोकिंग कोल के तहत कोयले के आयात बिल के बोझ को कम करने की योजना बनाई है। इस्पात उद्योगों में घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें कोकिंग कोल ब्लॉक का आवंटन, कोकिंग कोल की नीलामी, कोकिंग कोल लिंकेज के लिए सहमति ज्ञापन आदि शामिल हैं।

4.5.2 खदानों का डिजिटलीकरण

खदानों का डिजिटलीकरण: पूरे देश में लौह अयस्क खनन को अनुकूलित करने के लिए डिजिटलीकरण का अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्व भर में, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए खनन मूल्य श्रृंखला में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकियां खनन उद्योग में पारदर्शिता में सुधार करती हैं और खनन और इस्पात उद्योग दोनों के लिए मूल्य वृद्धि की संभावनाओं को खोलने में संभावित रूप से एक गेम चेंजर हो सकती हैं। इसके लिए, देश में लौह अयस्क खनन क्षेत्र के लिए डिजिटलीकरण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों की भागीदारी से इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

खनन प्रचालनों में उत्पादकता, सुरक्षा, पारदर्शिता और लॉजिस्टिक्स कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए डिजिटलीकरण को अपनाया जा रहा है। सेल, एनएमडीसी और मॉयल ने डेटा–संचालित और आधुनिकीकृत खनन प्रणालियों की ओर बदलाव के लिए संरचित कार्यक्रम शुरू किए हैं।

सेल: सेल ने फ्लीट और उत्पादन की वास्तविक समय निगरानी, स्वचालित लोडिंग, ड्रोन–आधारित खदान सर्वेक्षण, और एनालिटिक्स–संचालित खदान योजना और ब्लास्टिंग के लिए डिजिटल उपकरण अपनाए हैं। थकान निगरानी, सीसीटीवी, जियो–फेंसिंग, और डिजिटल वैधानिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुरक्षा और अनुपालन को समर्थित किया गया है, जबकि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) उत्पादन, गुणवत्ता और डिस्पैच पर एकीकृत नियंत्रण सक्षम करता है।

एनएमडीसी: एनएमडीसी ने एक उन्नत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम और विज़न 2030 के अनुरूप एक डिजिटल मास्टर प्लान लागू किया है। मुख्य पहल में केंद्रीकृत कमांड सेंटर, सेंसर–आधारित स्टॉकपाइल प्रबंधन, डिजिटल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, स्मार्ट एचईएमएम, ढलान स्थिरता निगरानी, और स्वचालित लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, जो संचालन के पैमाने और दक्षता को बढ़ाते हैं।

मॉयल: मॉयल ने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), फ़ाइल और दस्तावेज़ प्रबंधन सिस्टम, कर्मचारी स्व–सेवा पोर्टल और केंद्रीय डेटा सेंटर के माध्यम से मूल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। डिजिटल ग्राहक और विक्रेता इंटरफेस, ऑनलाइन एनओसी वर्कफ़्लो, और उत्पादन रिपोर्टिंग ने पारदर्शिता और प्रक्रिया दक्षता में सुधार किया है।

4.5.3 इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019

इस्पात मंत्रालय ने इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के पुनर्चक्रण को सुगम बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय की रूपरेखा प्रदान करना है।

एमएमआरपीएल, एमएसटीसी और मैसर्स महिंद्रा एक्सेलो (ब्रांड नाम सीईआरओ) के बीच 50:50 एक संयुक्त उद्यम है, जो वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त ईएलवी को नष्ट करने के लिए भारत में अधिकृत ऑटो विखंडन केंद्र स्थापित करने में अग्रणी है। एमएमआरपीएल ने कल्याण, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में छह वाहन स्क्रैपिंग केंद्र/पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित की हैं। एमएमआरपीएल ने 31 दिसंबर, 2025 तक 42,424 वाहनों का पुनर्चक्रण किया है, जो लगभग 26,072 टन फेरस स्क्रैप के बराबर है, जिससे लगभग 39,198 टन लौह अयस्क, 14,384 टन कोयला और 1673 टन चूना पत्थर की बचत हुई है।

4.5.4 पूंजीगत व्यय

भारत में उच्च और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्पात अवसंरचना के निर्माण में पूंजीगत व्यय के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस्पात सीपीएसई अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का उपयोग कर रहे हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, पुराने संयंत्र उपकरणों का आधुनिकीकरण करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए पूंजीगत व्यय का उपयोग किया गया है। इस्पात सीपीएसई द्वारा किए गए इस पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव पड़ा है और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है।

इस्पात सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2024–25 में 10,653.31 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए इस्पात सीपीएसई का पूंजीगत व्यय लक्ष्य 17479.86 करोड़ रुपए है, जिसके मुकाबले दिसंबर, 2025 तक इस्पात सीपीएसई ने 7,692.76 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हासिल किया है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए इस्पात सीपीएसई का पूंजीगत व्यय संबंधी लक्ष्य 25,125 करोड़ रुपए है।

इस्पात सीपीएसई को अपनी कैपेक्स परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने और निर्देश देने के अलावा, मंत्रालय सीपीएसई को कैपेक्स परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अपने अंतर–मंत्रालयी मुद्दों को हल करने में भी मदद कर रहा है ।

4.5.5 सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करना

भारतीय इस्पात क्षेत्र में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने **"लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश"** नामक पुस्तक के रूप में 25 सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश भारतीय इस्पात उद्योग (बड़े और छोटे दोनों) द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों/जोखिमों से संबंधित हैं। ये दिशानिर्देश **इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट** पर अपलोड किए गए हैं । भारतीय इस्पात उद्योग और उसके संघों के हितधारकों से इन दिशानिर्देशों को पूरे दिल से अपनाने का आग्रह किया गया है, ताकि कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। श्रम और रोजगार मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि

वह लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों को अनिवार्य रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान करे। वर्तमान में, ये दिशानिर्देश व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच और डब्ल्यूसी) कोड 2020 की धारा 18 के तहत मानकों को तैयार करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन हैं ।

इसके बाद, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र द्वारा अपनाई गई विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर, लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया। इन प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देशों को व्यापक विचार–विमर्श के बाद कार्य समूह / उप समूह द्वारा तैयार किया गया था। इन प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देशों में 16 दिशानिर्देश शामिल हैं, जिनमें से 4 दिशानिर्देश कार्यस्थल सुरक्षा पर हैं और 12 दिशानिर्देश विशिष्ट लौह और इस्पात बनाने की प्रक्रियाओं पर हैं। इन दिशानिर्देशों को पुस्तक अर्थात **"लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश"** के खंड–2 के रूप में औपचारिक रूप से 25 जुलाई, 2024 को माननीय इस्पात मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया था।

इस्पात मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से इस्पात कंपनियों के कर्मचारियों और संविदागत कर्मियों की सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता की भी पहचान की है। इस्पात सीपीएसई द्वारा की गई प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा जागरूकता संस्कृति और प्रथाओं को बढ़ाने के लिए इस्पात सीपीएसई को हर वर्ष सुरक्षा पर प्रशिक्षण देने के लिए 100% कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है ।

4.5.6 जीईएम

इस्पात मंत्रालय और इसके सीपीएसई द्वारा जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में 31 दिसंबर, 2025 तक 14,277.24 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 10,238 करोड़ रुपए थी, जो लगभग 39.50% की बढ़ोतरी दर्शाती है। 31 दिसंबर, 2025 तक, जीईएम खरीद 14,277.24 करोड़ रुपए थी, जिसने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित 14,259.30 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 100% से अधिक हासिल कर लिया है।

4.5.7 एमएसएमई भुगतान

इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को लंबित भुगतान की स्थिति की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान समय पर हो और इस तरह के भुगतानों के लिए निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के भीतर इसे जमा किया जाए। 94.11% मामलों में, भुगतान 30 दिनों के भीतर किया गया है। अप्रैल–दिसंबर, 2025 के दौरान, इस्पात सीपीएसई ने एमएसएमई को 6398.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

4.5.8 इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठकें

इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक 11 दिसंबर 2025 को संसद भवन एनेक्स, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें ***''इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की उपलब्धता''*** विषय पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक विकास के समर्थन के लिए कच्चे माल की पर्याप्त और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में शामिल प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समिति को निम्नलिखित प्रमुख विकासों से अवगत कराया गया: –

- भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- वर्तमान में देश वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी स्थापित क्षमता 200 मिलियन टन है।
- भारत के 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, जिसकी जीडीपी यूएसडी 4–5 ट्रिलियन के बीच पहुँचने का अनुमान है।
- अवसंरचना का विकास भारत की आर्थिक विकास रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है।
- इस्पात अवसंरचना विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पुल, सड़कों, रेलवे, भवनों, ऊर्जा अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, और रक्षा जैसे क्षेत्रों में आवश्यक इनपुट के रूप में कार्य करता है।
- पिछले एक दशक में, भारतीय इस्पात क्षेत्र ने क्षमता और उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें पिछले दो वर्षों में इस्पात निर्माण क्षमता की 11.46% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।

लौह एवं इस्पात उद्योग के महत्वाकांक्षी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कच्चे माल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं:

- कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का उपयोग करने के लिए शोधन क्षमता को बढ़ाना।
- वाशरी और लाइमस्टोन/डोलोमाइट गवेषण के तीव्र विकास के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना।
- कच्चे माल के आयात के लिए रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना।
- कच्चे माल के अवसंरचना और गवेषण में सार्वजनिक–निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की तेजी से प्राप्ति से खनन कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपलब्धता सुधारने में मदद मिलेगी।

इस्पात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कच्चे मांल–जैसे लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज़ अयस्क–के साथ–साथ खनन और वॉशिंग प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारास्वामी परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

4.5.9 इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 20–21.11.2025 को भुवनेश्वर, ओडिशा में एक **''चिंतन शिविर''** का आयोजन किया। यह शिविर घरेलू इस्पात क्षेत्र की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में मजबूत करने के लिए गहन विचार–विमर्श, सहयोग और रणनीतिक समन्वय का एक मंच बनने की कल्पना के रूप में आयोजित किया गया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में श्री एच. डी. कुमारास्वामी, माननीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री के साथ–साथ श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा, राज्य मंत्री (इस्पात और भारी उद्योग) उपस्थित थे। श्री संदीप पौण्डरीक, सचिव, इस्पात मंत्रालय, और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों ने भी भाग लिया, जिससे उद्योग विकास के प्रति संयुक्त दृष्टिकोण को बल मिला।

भुवनेश्वर में आयोजित चिंतन शिविर

शिविर के विषयगत सत्रों का केंद्र इस्पात क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों– जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, और डिजिटलीकरण–का उपयोग कर नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त बनाने पर था। चर्चाओं का केंद्र बिंदु संचालन उत्कृष्टता और उत्पादकता पर भी था, जिसमें पूरी मूल्य श्रृंखला में दक्षता सुधारने पर जोर दिया गया। इन सत्रों का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए एक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना था, साथ ही इस्पात क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल देना था ताकि आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके और नवाचार को गति दी जा सके।

इसके अतिरिक्त, शिविर में आधुनिक खनन पद्धतियों पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें खनन अवसंरचना के उन्नयन और उत्पादन क्षमता में सुधार पर जोर दिया गया ताकि उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इसलिए, भुवनेश्वर में आयोजित चिंतन शिविर इस्पात क्षेत्र के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत के आर्थिक विकास और समग्र औद्योगिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ करता है।

अध्याय – V

सार्वजनिक क्षेत्र

5.1 परिचय

पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कंपनियों का कार्य–निष्पादन **अनुलग्नक–XII** व **अनुलग्नक–XII (क)** में दिया गया है। जीएसटी, लाभांश आदि के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के कोष में योगदान का विवरण **अनुलग्नक–XIII** व **XIII (क)** पर दिया गया है।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 08 (आठ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हैं। सीपीएसई का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

5.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और एक "महारत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। इसके पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। सेल के पास दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, सेलम (तमिलनाडु) में सेलम इस्पात संयंत्र और भद्रावती (कर्नाटक) में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र नामक तीन विशेष और मिश्रधातु इस्पात संयंत्र हैं। सेल के पास अपने केंद्रीय खनन एवं लॉजिस्टिक्स संगठन (सीएमएलओ) के तहत 15 संचालित लौह अयस्क खदानें, 3 फ्लक्स खदानें और 3 कोयला खदानें हैं, जो झारखंड, ओडिशा, छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में स्थित हैं। केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ), जिसका मुख्यालय कोलकता में है, कंपनी के देशव्यापी विपणन और वितरण

इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर का ब्लास्ट फर्नेस

नेटवर्क का समन्वय करता है। सेल की कई इकाइयाँ भी हैं यथा लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) सभी रांची में स्थित हैं, केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) धनबाद में स्थित है, पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी), और लॉजिस्टिक्स एवं अवसंरचना विभाग तथा कोलकाता में विकास प्रभाग (जीडी) कुल्टी में स्थित हैं, सेल रिफ्रैक्टरी इकाई जिसका मुख्यालय बोकारो में है और चंद्रपुर फेरो मिश्रधातु संयंत्र, सीएफपी महाराष्ट्र में स्थित है।

टेंडेम मील, बोकारो इस्पात संयंत्र

5.2.1 पूंजीगत संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.12.2025 तक कंपनी की प्रदत्त पूंजी 4,130.53 करोड़ रुपए है, जिसमें से 65% भारत सरकार के पास है और शेष 35% वित्तीय संस्थानों, जीडीआर धारकों, बैंकों, कर्मचारियों, व्यक्तियों आदि के पास है।

5.2.2 वित्तीय कार्य–निष्पादन

कंपनी ने अप्रैल–दिसंबर, 2025 के दौरान 79,425 करोड़ रुपए और पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 72,595 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया। अप्रैल–दिसंबर, 2025 के दौरान कर पश्चात लाभ 1554 करोड़ रुपए और पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 970 करोड़ रुपए था।

5.2.3 उत्पादन संबंधी कार्य–निष्पादन

सेल	2023-24	2024-25	अप्रैल–दिसंबर 2025
हॉट मेटल	20.496	20.306	15.143
क्रूड स्टील	19.240	19.174	14.350
बिक्री योग्य इस्पात	18.437	17.940	14.241

5.2.4 कच्चा माल

वित्त वर्ष 2025–26 के नौ माह (अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025) के दौरान, सेल ने अपनी कैप्टिव खदानों से 25.93 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों के लिए अपनी संपूर्ण लौह अयस्क की मांग को पूरा किया। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025–26 के नौ महीनों के दौरान कैप्टिव खदानों से फ्लक्स (चूना पत्थर और डोलोमाइट) का उत्पादन 1.09 एमटी रहा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025–26 के नौ महीनों के दौरान, सेल की कैप्टिव कोलियरियों ने 0.49 एमटी कच्चा कोकिंग कोल और 0.55 एमटी कच्चा नॉन–कोकिंग कोल, जिसमें मिडिलिंग और झामा शामिल है, का उत्पादन किया।

5.2.5 वाशरी का कार्य–निष्पादन

वित्त वर्ष 2025–26 के नौ महीनों (अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025) के दौरान, सेल की चासनाला स्थित वाशरी ने सेल की कोयला खदानों से प्राप्त और सीआईएल स्रोतों से प्राप्त 0.84 एमटी कच्चे कोकिंग कोल की संयुक्त मात्रा का प्रसंस्करण किया। इस कच्चे कोयले के प्रसंस्करण से 0.23 एमटी स्वच्छ कोयले का उत्पादन हुआ।

5.2.6 लौह अयस्क फाइन्स/डंप फाइन्स/टेलिंग्स/लंप की बिक्री

वित्त वर्ष 2025–26 के नौ माह (अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025) के दौरान, सेल खदानों से लौह अयस्क फाइन्स/डंप फाइन्स/टेलिंग्स/लंप की बिक्री मात्रा 1.76 एमटी थी।

पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान करना:

- **गुआ खदान, झारखंड के दुर्गाईबुरु लौह अयस्क परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन**

  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 16.07.2025 को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) संशोधन को मंजूरी दी जिसमें राजबुरु क्षेत्र से 1.5 एमटीपीए आरओएम तक के उत्खनन और 3.1 एमटीपीए डंप फाइन्स के प्रेषण की अनुमति दी गई है, ताकि उन्हें कैप्टिव उपयोग, बिक्री, या बेनिफिकेशन और पेलेटाइजेशन एजेंसियों को पेलेट बनाने के लिए किया जा सकता है। यह सब 12.50 एमटीपीए की स्वीकृत ईसी सीमा के भीतर होगा।

- **बोलानी, ओडिशा के 5.1 वर्ग मील लीज के लिए ईसी संशोधन**

  निकटवर्ती 6.9 वर्ग मील लीज में रखे डंप फाइन्स, जो मूल रूप से 5.1 वर्ग मील लीज से उत्पन्न हुए थे के उपयोग को सक्षम करने के लिए, एमओईएफसीसी ने 24.07.2025 को ईसी संशोधन प्रदान किया, इसके तहत 4 वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 1.2 एमटीपीए डंप फाइन्स और 11.47 एमटीपीए लौह अयस्क के निपटान की अनुमति दी गई है, बशर्ते कुल उत्खनन 12 एमटीपीए से अधिक न हो।

- **रावघाट खनन लीज, छत्तीसगढ़ के लिए ईसी संशोधन**

  दिनांक 19.09.2025 को 8.0 एमटीपीए (5.0 एमटीपीए रावघाट स्टेशन के माध्यम से + 3.0 एमटीपीए सड़क मार्ग द्वारा) के लिए ईसी में संशोधन किया गया। यह अनुमति 3 वर्षों के लिए अर्थात् दिसंबर, 2028 तक दी गई है।

- **मनोहरपुर अयस्क खदान, झारखंड के धोबिल लौह अयस्क की पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन**

  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 06.11.2025 के पत्र के माध्यम से धोबिल लौह

अयस्क खनन परियोजना (क्षमता 0.75 एमटीपीए आरओएम और एमएल क्षेत्र– 513.036 हेक्टेयर) के लिए ईसी संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत 23.01.2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए सड़क मार्ग से लौह अयस्क के परिवहन को जारी रखने की अनुमति दी गई है।

वन मंजूरी (एफसी) प्रदान करना:

- **किरिबुरु–मेघाहतुबुरु खदान, झारखंड के दक्षिण–मध्य ब्लॉकों के तहत 247.50 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए स्टेज–II एफसी की मंजूरी**

  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.10.2025 को सेल की किरिबुरु–मेघाहतुबुरु लौह अयस्क खदानों के दक्षिण–मध्य ब्लॉक के तहत 247.50 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–II एफसी प्रदान कर दी गई है।

5.2.7 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 तक सेल की जनशक्ति क्षमता 50,612 (10,243 कार्यपालक और 40,369 गैर–कार्यपालक) थी।

5.2.8 क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएं

भारत सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुरूप, सेल ने 2030–31 तक वृद्धि और विस्तार के माध्यम से सेल की मौजूदा ~ 20 एमटीपीए से लगभग ~ 35 एमटीपीए तक क्रूड स्टील क्षमता को बढ़ाने के लिए बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और भिलाई में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों के विस्तार की परिकल्पना की है। विस्तार योजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

- सेल बोर्ड ने दिनांक 08.01.2024 को इस्को इस्पात संयत्र के 4.08 एमटीपीए क्रूड स्टील विस्तार को मंजूरी दे दी है। कुल 14 प्रौद्योगिकीय पैकेजों में से तेरह (13) पैकेज आवंटित किए जा चुके हैं और एक (1) पैकेज चरण–2 की मंजूरी के अधीन है।
- सेल बोर्ड ने दिनांक 07.11.2024 को **"दुर्गापुर इस्पात संयत्र के ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार"** के लिए स्वीकृति दी है। विस्तार पैकेजों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है और दिसंबर 2025 तक 1 पैकेज आवंटित किया जा चुका है।
- सेल बोर्ड ने दिनांक 10.01.2025 को बोकारो इस्पात संयत्र के **"ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार"** को 7.25 एमटीपीए क्रूड स्टील तक बढ़ाने के लिए को मंजूरी दी है।
- सेल बोर्ड ने दिनांक 25.07.2025 को राउरकेला इस्पात संयत्र के क्षमता विस्तार हेतु 'कॉन्सेप्ट नोट' को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है, जिसके तहत संबद्ध ब्राउनफील्ड वृद्धि के साथ 5.0 एमटीपीए की ग्रीनफील्ड क्रूड स्टील सुविधा स्थापित की जाएगी।
- सेल बोर्ड को दिनांक 11.08.2025 को एक 'कॉन्सेप्ट नोट' के माध्यम से भिलाई इस्पात संयत्र के विस्तार के बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद, **"भिलाई इस्पात संयत्र की क्षमता को 10.5 एमटीपीए हॉट मेटल तक बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पर्यावरण मंजूरी तैयार करने"** हेतु मेकॉन को नियुक्त किया गया है।

- दुर्गापुर इस्पात संयत्र के ग्रीनफील्ड विस्तार के लिए, मेसर्स एम.एन. दस्तूर को प्री–एफआर/एफआर और डीपीआर तैयार करने के लिए बाहरी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतिम डीपीआर फरवरी 2026 तक जमा होने की उम्मीद है।

परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन (एएमआर) परियोजनाएं

आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण परियोजनाओं के अलावा, सेल समय–समय पर एएमआर योजनाओं के तहत पूंजी निवेश करता है। 2025–26 के दौरान शुरू की गई बड़ी परियोजनाओं (लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आरएसपी के एसएमएस–2 में कन्वर्टर चार्जिंग बे में एक ईओटी क्रेन (250+75/10) टी का प्रतिस्थापन
- बीएसएल में बीआरपी–2, सीओ एंड बीपीपी की बेंज़ोल स्टोरेज यूनिट का प्रतिस्थापन
- बीएसएल के प्लेट मिल में उच्च शक्ति वाली प्लेटों के लिए सुपर त्वरित शीतलन प्रणाली (समान शीतलन)
- आरएसपी में एनपीएम, एसपीपी एंड एचएसएम–2 के लिए नई उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला
- आईएसपी के ग्रीनफील्ड विस्तार के तहत प्रौद्योगिकी पैकेज
    - आरएमएचएस– वेगन टिपलर और स्टैकर और रिक्लेमर की स्थापना
    - सिंटर प्लांट
    - पैलेट प्लांट
    - एलडीसीपी
    - सेकेंडरी रिफाइनिंग यूनिट
    - ब्लास्ट फर्नेस #6
    - बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस
    - कॉन्टिन्युअस कास्टिंग प्लांट
    - हॉट स्ट्रिप मिल
    - हॉट मेटल डीसल्फराइजेशन यूनिट
    - स्टैम्प चार्ज बैटरी #13 – 14
    - बाय–प्रोडक्ट प्लांट
    - कोक ड्राई क्वेंचिंग प्लांट
- डीएसपी के ब्राउनफील्ड विस्तार के तहत सीसीपी में बिलेट कास्टर #I एवं II का उन्नयन

इसके अलावा, वर्ष 2025–26 के दौरान आरंभ की गई कई एएमआर परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत 50 करोड़ रुपए से कम है।

5.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एक नवरत्न पीएसई, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निगमित निकाय है – यह देश का पहला तट–आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय विशाखापत्तनम में है।

आरआईएनएल का आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 7.3 एमटीपीए तरल इस्पात क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसके अलावा, कंपनी तीन खदानों का संचालन करती है, जिनमें आंध्र प्रदेश में जग्गयापेटा माइन्स (चूना पत्थर), गर्भम (मैंग्नीज) माइन्स और तेलंगाना राज्य में मधारम माइन्स (डोलोमाइट) शामिल हैं। आरआईएनएल के पास आंध्र प्रदेश के किंटाडा में क्वार्टजाइट और नदी रेत की खदानें भी हैं। आरआईएनएल अपने उत्पादों का विपणन 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 20 शाखा बिक्री कार्यालयों और 19 स्टॉक यार्ड के व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है जो देश भर में वितरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) 51% शेयरधारिता के साथ आरआईएनएल की एक सहायक कंपनी है। ईआईएल की 2 सहायक कंपनियां मेसर्स ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। ये तीनों कंपनियां दिनांक 19.03.2010 से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गईं और इन कंपनियों का मुख्यालय भुवनेश्वर (ओडिशा) में है। आरआईएनएल इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में भी भागीदार है।

5.3.1 पूंजी संरचना

आरआईएनएल–वीएसपी इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। दिनांक 31.12.2025 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी केवल 40,000 करोड़ रुपए है और जारी/सब्सक्राइब/पूरी तरह से चुकता शेयर पूंजी 14,393.85 करोड़ रुपए है।

5.3.2 वित्तीय कार्य–निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर 2025 तक 15,516 करोड़ (अनुमानित) का बिक्री कारोबार दर्ज किया और 1953 करोड़ रुपए (पीबीटी अनुमानित) का निवल घाटा उठाया, तथा दिनांक 31.12.2025 को कंपनी की निवल संपत्ति 1435 करोड़ रुपए है।

5.3.3 उत्पादन कार्य–निष्पादन

(इकाई: '000 टन)

उत्पादन	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)
हॉट मेटल	4701	3913	4323
क्रूड स्टील	4411	3584	3934
बिक्री योग्य इस्पात	4213	3459	3296

5.3.4 कच्चा माल

आरआईएनएल के पास लौह अयस्क और कोकिंग कोल जैसे प्रमुख कच्चे माल के लिए स्वयं की कैप्टिव खदानें

नहीं हैं। कंपनी मुख्य रूप से एनएमडीसी से और आंशिक रूप से नीलामी/निविदाओं के माध्यम से लौह अयस्क खरीदती रही है। कोकिंग कोल मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाता है।

5.3.5 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल की जनशक्ति 9,311 कार्मिक (कार्यपालक–2797 और गैर–कार्यपालक– 6514) है।

5.3.6 प्रमुख उपलब्धियां/पहलें:

प्रचालन:

- रेक के टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए उठाए गए कदम:
  - अयस्क टिपलर–5 (ओटी–5) का उपयोग बढ़ाना
  - टिपलरों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए, एक टिपलर स्ट्रीम कोल यार्ड में फ्लक्स प्राप्त करने के लिए समर्पित है, जिसे सड़क के माध्यम से निर्दिष्ट बेड में स्थानांतरित किया जा रहा है।
  - सड़क के माध्यम से एजीपीएल से एसएमएस चूना पत्थर और पैलेट्स की प्राप्ति।
- दिनांक 23 दिसंबर, 2025 को, कोक ओवन बैटरी–5 फायरिंग मोड को सीओ गैस से मिश्रित गैस में बदल दिया गया है, जिससे रोलिंग मिल्स को अधिक गैस की उपलब्धता संभव हो सकेगी।
- एमएमएसएम में, 320×250 मिमी ब्लूम्स पहली बार दिनांक 27.12.2025 को रोल किए गए।

परियोजनाएं:

- एयर सेपरेशन प्लांट (एएसपी) बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) का कार्यनिष्पादन गारंटी परीक्षण (पीजीटी)–2 दिनांक 26.04.2025 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ, एएसयू–7 और 8 को दिनांक 03.05.2025 को आरआईएनएल ने अपने हाथ में ले लिया और तब से संयंत्र निरंतर प्रचालन में है।
- कोक ओवन बैटरी–5 (सीओबी–5) में फायरिंग सिस्टम के तहत मिश्रित गैस का परीक्षण और कमीशन किया गया और दिसंबर 2025 से प्रचालन में लाया गया। इससे अतिरिक्त 12000 एनएम3/घंटा कोक ओवन गैस (सीओजी) को रोलिंग मिल्स फर्नेस में बदलने में मदद मिली।
- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सत्यापन को मजबूत करने के लिए विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) आधारित दस्तावेज सत्यापन प्रणाली को अपनाया गया। ई–निविदाओं के लिए, सभी बोलियां विशेष रूप से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाती हैं।
- सिंटर प्लांट में एफएक्स–1 कन्वेयर में कैल्सीनिंग एंड रिफ्रैक्टरी मैटेरियल प्लांट (सीआरएमपी) रिटर्न की मैनुअल फीडिंग की सुविधा के लिए एफएक्स–1ए फ्लक्स कन्वेयर को इन–हाउस किया गया और इसे दिनांक 29.12.2025 को चालू किया गया।

बिक्री:

- पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए, 14 संविदाकार के माध्यम से प्रति माह 65,750 टन रूपांतरण क्षमता के लिए रूपांतरण अनुबंध दिया गया है और आगे 12,000 टन के अनुबंधों के लिए कार्य प्रक्रियाधीन है।
- कई खुले विज्ञापनों के माध्यम से, खुदरा क्षेत्र में 70 नए सहमति ज्ञापन जोड़े गए, जिसके माध्यम से लगभग 2.7 लाख टन मात्रा का सौदा हुआ। वित्त वर्ष 2025–26 में सहमति ज्ञापनों के माध्यम से कुल 39.0 लाख टन मात्रा का सौदा तय हुआ।
- आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर में 2–टियर डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा के अप्रयुक्त क्षेत्रों में आरआईएनएल को पैठ बनाने में मदद मिलेगी।

जीईएम खरीद:

- अप्रैल–दिसंबर, 2025 के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से 3379 करोड़ रुपए के मूल्य के 1201 संविदा की गई थी।

अन्य:

- ***स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का कार्यान्वयन:*** आईटी मॉड्यूल, जिसमें आवेदन से लेकर अंतिम अनुमोदन तक वीआरएस वर्कफ़्लो, अपील, अनुग्रह राशि की गणना, वीआरएस पात्रता की जांच करने के लिए वेब सेवाएं, आयकर गणना, छुट्टी नकदीकरण की प्रक्रिया और नियमों के अनुसार वसूली शामिल है।
- आईजीओटी कर्मयोगी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर 9,258 कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें से 98.3 प्रतिशत ने प्रशिक्षण पूरा किया।

पुरस्कार:

- आरआईएनएल को सीआईआई, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, हैदराबाद द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए *प्रतिष्ठित सीआईआई–जीबीसी* ***ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार 2025*** मिला।
- आरआईएनएल को ईईपीसी इंडिया, दक्षिणी क्षेत्र द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए बड़े उद्यमों की श्रेणी के तहत अपने उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन के लिए 2025 के दौरान ***निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार*** प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने एकीकृत इस्पात संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कोई घातक दुर्घटना न होने का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) द्वारा 2025 के दौरान लगातार दो वर्षों 2022–23 और 2023–24 के लिए पांच ***इस्पात सुरक्षा पुरस्कार*** जीते।
- आरआईएनएल एलक्यूसी टीमों और 5एस टीमों ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित 39वें नेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स (एनसीक्यूसी)–2025 में 11 अति उत्कृष्ट पुरस्कार, 2 उत्कृष्ट पुरस्कार और विशिष्ट पुरस्कार जीते।

5.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है। कंपनी की स्थापना नवंबर, 1958 में हुई थी और इसे जनवरी, 2008 में 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया था। कंपनी के पास छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में लौह अयस्क की खदानें हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड के पास मध्य प्रदेश के पन्ना में एक हीरे की खान और तेलंगाना के पलोंचा में एक स्पंज आयरन संयंत्र, कर्नाटक के दोणिमलै में पेलेट संयंत्र भी है। स्थापना के बाद से, एनएमडीसी देश के कुछ सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में लौह अयस्क और अन्य खनिजों की खोज में शामिल रहा है। एनएमडीसी का निगमित कार्यालय हैदराबाद में स्थित है।

दोणिमलै खदानें

5.4.1 पूंजी संरचना

31 दिसंबर, 2025 तक, कंपनी की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए थी और चुकता पूंजी 879.18 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में भारत सरकार की कंपनी में 60.79 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

5.4.2 वित्तीय कार्य–निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) में 20,381 करोड़ रुपए का टर्नओवर दर्ज किया। वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ 5,401 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) था।

5.4.3 उत्पादन कार्य–निष्पादन

उत्पादन का वास्तविक विवरण नीचे दिया गया है:

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)
लौह अयस्क (एमटी में)	42.19	40.82	45.02	44.07	36.9 एमटी

5.4.4 जनशक्ति

नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी की जनशक्ति 4,499 है।

5.4.5 प्रमुख विस्तार/पहलें:

क. चालू परियोजनाओं का विवरण:

क. किरंदुल में स्क्रीनिंग प्लांट–III

i. **प्रमुख सुविधाएं:** प्राथमिक स्क्रीनिंग (6W+2S लाइनें), द्वितीयक स्क्रीनिंग (10W + 2S लाइनें), टर्शियरी क्रशिंग (3W+1S लाइनें), 06 क्लासिफायर लाइनों के साथ वेट स्क्रीनिंग और स्टैकिंग और लोडिंग सुविधाएं।

ii. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य : 350 करोड़ रुपए है।

iii. दिनांक 31.12.2025 तक हासिल किया गया पूंजीगत व्यय : 128 करोड़ रुपए है।

iv. दिनांक 31.12.2025 तक भौतिक प्रगति: 79.44%

एनएमडीसी लिमिटेड की खदानें

ख. स्लरी पाइपलाइन परियोजना

i. **प्रमुख सुविधाएं:,** अतिरिक्त 4 एमटीपीए ग्राइंडिंग सुविधा के प्रावधान के साथ, बचेली में 2.0 एमटीपीए अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र 15.0 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन बचेली से नगरनार (22" व्यास/135 किमी), नगरनार में 2.0 एमटीपीए पैलेट प्लांट (6 एमटीपीए तक विस्तार करने के प्रावधान के साथ) और संबद्ध फीड वाटर और विद्युत आपूर्ति प्रणाली।

ii. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य: 937 करोड़ रुपए है।

iii. दिनांक 31.12.2025 तक हासिल किया गया पूंजीगत व्यय : 463 करोड़ रुपए है।

iv. दिनांक 31.12.2025 तक भौतिक प्रगति: 90.8%

ग. दोणिमलै में स्क्रीनिंग प्लांट–II

i. **प्रमुख सुविधाएं:** प्राथमिक स्क्रीनिंग (3W+1S लाइनें), द्वितीयक स्क्रीनिंग (3W+1S लाइनें), टर्शियरी क्रशिंग (1W+1S लाइनें), 04 क्लासिफायर लाइनों के साथ वैट स्क्रीनिंग

ii. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य : 450 करोड़ रुपए है।

iii. दिनांक 31.12.2025 तक हासिल किया पूंजीगत व्यय : 204 करोड़ रुपए है।

iv. दिनांक 31.12.2025 तक भौतिक प्रगतिः 45.3%

घ. केके लाइन का दोहरीकरण

i. परियोजना को 03 खंडों में विभाजित किया गया है:

जगदलपुर – सिलकझोरी – 45.50 किमी – जून, 2017 में चालू किया गया ।

किरंदुल–गिदाम – 52.23 किमी – 83% काम पूरा हो चुका है और इसके मार्च, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

सिलकझोरी–गिदाम – 52.73 किमी – सितंबर, 2022 में चालू किया गया।

ii. समग्र भौतिक प्रगतिः 95%

iii. एनएमडीसी द्वारा दिनांक 31.12.2025 तक जमा की गई निधिः 1610 करोड़ रुपए

iv. रेलवे द्वारा दिनांक 31.12.2025 तक किया गया व्ययः 1595 करोड़ रुपए

ङ. किरंदुल में टाउनशिप परियोजना

i. **प्रमुख सुविधाएं:**

टाइप– III– 200 यूनिट (05 टावर), टाइप– IV – 144 यूनिट (03 टावर), टाइप–V– 21 यूनिट (01 टॉवर) और कैफेटेरिया– 01 यूनिट

ii. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य : 120 करोड़ रुपए है।

iii. दिनांक 31.12.2025 तक हासिल किया गया पूंजीगत व्ययः 98 करोड़ रुपए है।

iv. दिनांक 31.12.2025 तक भौतिक प्रगतिः 96%

बैलाडीला लौह अयस्क खदानें, किरंदुल कॉम्प्लेक्स का हवाई दृश्य

च. डीईपी –14 और 11सी, किरंदुल में नया क्रशिंग प्लांट और डाउनहिल कन्वेयर–सिस्टमः

i. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य : 270 करोड़ रुपए है।

ii. दिनांक 31.12.2025 तक हासिल किया गया पूंजीगत व्ययः 91 करोड़ रुपए है।

iii. दिनांक 31.12.2025 तक भौतिक प्रगतिः 10.17%

छ. स्वचालित नमूनाकरण प्रणाली

i. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्यः 104 करोड़ रुपए है।

ii. दिनांक 31.12.2025 तक हासिल किया गया पूंजीगत व्ययः 19 करोड़ रुपए है।

iii. दिनांक 31.12.2025 तक भौतिक प्रगतिः 17%

ख. नए कार्यों का विवरण

दोणिमलै में टाउनशिपः पैकेज दिनांक 03.11.2025 को प्रदान किया गया।

5.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

एनएमडीसी लिमिटेड और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के बीच हुए डीमर्जर की योजना के तहत, एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार आयरन एंड स्टील प्लांट (एनआईएसपी) एनएमडीसी लिमिटेड से अलग होकर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) का हिस्सा बन गया, डीमर्जर की प्रभावी तिथि दिनांक 13–10–2022 थी।

इस्पात संयंत्र का रात्रिकालीन दृश्य

5.5.1 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.12.2025 तक चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 2930.61 करोड़ रुपए है, जिसमें से 60.79 प्रतिशत भारत सरकार के पास है और शेष 39.21 प्रतिशत म्यूचुअल फंड/वित्तीय संस्थानों/बैंकों/अन्य सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है।

5.5.2 वित्तीय कार्य निष्पादन

- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक 9763 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार हासिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान दिसंबर, 2024 तक 5665 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार हुआ था। जनवरी, 2026– मार्च, 2026 के दौरान 4565 करोड़ रुपए का कारोबार अनुमानित है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक कर पूर्व लाभ पीबीटी (–410.32) करोड़ रुपए हासिल किया गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान दिसंबर, 2024 तक (–2657) करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया गया है। जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 के दौरान 768.32 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया गया है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक (–333.19) करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान दिसंबर, 2024 तक (–1900) करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त किया गया है। जनवरी–मार्च, 2026 के दौरान 393 करोड़ रुपए का का कारोबार अनुमानित है।
- दिनांक 31.12.2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति 12781.29 करोड़ रुपए थी, जबकि दिनांक 31.12.2024 को यह 13588 करोड़ रुपए रही।

5.5.3 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख टन में)

मदें	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)
हॉट मेटल	9. 66	20.00	22.59
लिक्विड स्टील	5.18	15.08	17.57
क्रूड स्टील	5.02	14.71	17.27
एचआर कॉइल	4.94	14.39	16.83
पिग आयरन	3.08	4.12	3.99
बिक्री योग्य इस्पात	4.94	14.37	16.82

***वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख 31.08.2023 घोषित की गई।**

5.5.4 क्षमता विस्तार

- पहली कॉइल 24.08.2023 को सफलतापूर्वक रोल की गई।
- वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख 31.08.2023 घोषित की गई।
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 03.10.2023 को इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया।
- वित्त वर्ष 2025–26 में दिसंबर, 2025 तक हॉट मेटल का उत्पादन 30.598 लाख टन और वित्त वर्ष 2025–26 में दिसंबर, 2025 तक एचआर कॉइल का उत्पादन 23.97 लाख टन रहा। इस प्रकार, संयंत्र उत्पादन बढ़ाने और स्थिरीकरण की प्रक्रिया के अधीन है और पूरी क्षमता उत्पादन की ओर अग्रसर है।

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में कॉइल

5.5.5 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) की जनशक्ति 2874 थी।

प्रमुख उपलब्धियां/पहलें:

उत्पादन संबंधी उपलब्धियां:

- **हॉट मेटल का एक दिन का उच्चतम उत्पादन:** दिनांक 28 नवंबर, 2025 को 11,315 टन रहा, जो रेटेड क्षमता उपयोग का 119 प्रतिशत है।
- **हॉट मेटल का एक महीने का उच्चतम उत्पादन:** 2,80,049 टन रहा, जो नवंबर, 2025 में रेटेड क्षमता उपयोग का 101 प्रतिशत है।
- नवंबर, 2025 में 164 किलोग्राम प्रति टन हॉट मेटल की महीने की उच्चतम पीसीआई दर हासिल की गई।
- महीने की सबसे कम ईंधन दर 519 किलोग्राम प्रति टन हॉट मेटल, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ दरों में से एक है, नवंबर, 2025 में हासिल की गई।
- ग्रेड आईएस 10748 जीआर 1 में 1.2 मिमी मोटाई हॉट रोल्ड कॉइल को नवंबर, 2025 में सफलतापूर्वक रोल किया गया था।

पुरस्कार:

एनएसएल को 12 सितंबर, 2025 को ईयू के अधिसूचित निकाय टीयूवी नोर्ड द्वारा **"सीई प्रमाणन पीईडी (प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव) श्रेणी"** से सफलतापूर्वक सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन एनएसएल को "प्रेशर इक्विपमेंट" के लिए **"विशेष ग्रेड स्टील"** निर्माताओं को सक्षम बनाता है और यूरोपीय संघ को अपने इस्पात का निर्यात करता है, साथ ही ओईएम के साथ सहयोग करता है जिनके दबाव उपकरण यूरोपीय बाजार के लिए नियत हैं।

5.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड, एक अनुसूची–क मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई, जो घरेलू उत्पादन में लगभग 47 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में, मॉयल दस खदानों का प्रचालन करती है, जिनमें से 06 (छह) महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और 04 (चार) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं। मॉयल की खदानें लगभग एक सदी पुरानी हैं। सात खदानों में काम भूमिगत विधि के माध्यम से किया जाता है और शेष तीन खदानों में काम ओपनकास्ट विधि के माध्यम से किया जाता है। बालाघाट खदान कंपनी की सबसे बड़ी खदान है। मॉयल ने इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) की 1500 एमटीपीए क्षमता के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से ड्राई बैटरी सेल के निर्माण के लिए किया जाता है। मॉयल द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्ता का है और बाजार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। मूल्यवर्धन के लिए मॉयल द्वारा 12,000 एमटीपीए की वर्तमान क्षमता वाला एक फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया है। गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, मॉयल ने नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म और मध्य प्रदेश में देवास जिले के रतेदी हिल्स में 15.2 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में 5.00 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और मध्य प्रदेश में 5.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है।

बालाघाट खदान, मॉयल में एफएमपी फर्नेस

गवेषण और अनुसंधान एवं विकासः

मॉयल मैंगनीज अयस्क के विभिन्न ग्रेडों और इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज मिश्र धातु जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के गवेषण, दोहन और विपणन में लगी हुई है। कंपनी ने सीएसआईआर–आर एंड डी प्रयोगशाला, प्रतिष्ठित शैक्षणिक और देश के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत करके खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ संचालित की हैं।

गवेषण: मॉयल ने 57741 मीटर गवेषणपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है और दिसंबर 2025 तक 16 मिलियन टन से अधिक संसाधन जोड़े हैं।

गवेषण मीटर में	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
					अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक वास्तविक ड्रिलिंग	जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक प्रस्तावित ड्रिलिंग
	35728	41762	87660	107530	57741	7259

खनन में तकनीकी प्रगति

i. **कांदरी खदान में ब्लास्ट होल स्टॉपिंग का डिजाइन:** यह अध्ययन कांदरी खदान में खनन की ब्लास्ट होल स्टॉपिंग विधि के कार्यान्वयन के लिए आयोजित किया गया था। तीन पैनलों के क्रमिक निष्कर्षण के बाद ड्राइव रूफ और द्वितीयक स्टॉप पर उपज क्षेत्रों के विकास का आकलन करने के लिए एफएएलएसी 3 डी का उपयोग करके संख्यात्मक मॉडलिंग आयोजित की गई थी और तदनुसार समर्थन प्रणाली को अयस्क के सुरक्षित निष्कर्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ii. **उकवा खदान में स्टॉपिंग मापदंडों का मूल्यांकन:** इसी तरह आईआईटी, बीएचयू द्वारा मानव और मशीनरी की सुरक्षा हेतु उत्पादकता बढ़ाने के लिए उकवा भूमिगत खदान में खनन की संशोधित विधि के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। मॉयल अब अध्ययन की सिफारिशों को लागू कर रही है।

शैक्षणिक/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उसकी उपलब्धियों का विवरण;

मॉयल की खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए, इसने आवश्यक अनुसंधान और विकास (अनुसंधान एवं विकास) गतिविधियों को शुरू करने और इस प्रक्रिया में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों को शामिल किया है:

- आईआईटी–बीएचयू, वाराणसी।
- वीएनआईटी– नागपुर।

ये अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं मॉयल के स्टॉप डिजाइनों में बदलाव के साथ–साथ आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को पेश करने में मदद कर रहे हैं।

सॉफ्टवेयर, आधुनिक प्रौद्योगिकियों, उद्योग–शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के निरंतर उपयोग ने खनन कार्यों में सुरक्षा, उत्पादकता और पर्यावरणीय मानकों में सुधार दिखाया है।

इससे मैंगनीज अयस्क भंडार में कंपनी की 'माइन टू मिल' विशेषज्ञता में सुधार हुआ है।

खानों में पर्यावरण निगरानी प्रणाली: मॉयल ने खानों के प्रदूषण मानकों की निगरानी के लिए सभी खानों में निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) स्थापित किए हैं।

अनुसंधान एवं विकास पर व्ययः

वर्ष	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (करोड़ रुपए में)	बिक्री कारोबार (करोड़ रुपए में)	बिक्री कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय
2021-22	12.00	1436.31	0.83
2022-23	11.46	1341.66	0.85
2023-24	27.26	1449.42	1.88
2024-25	24.92	1584.94	1.57
2025-26 दिसंबर तक (अनंतिम)	10.04	1043.19	0.96

फाइव स्टार रेटिंगः खान मंत्रालय ने गुमगांव, कांदरी और चिकला खदानों के लिए 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है।

माइन रेस्क्यूः मॉयल को मेटल माइंस में अखिल भारतीय खान रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है।

आईएसओ प्रमाणनः मॉयल ने प्रधान कार्यालय, खानों और संयंत्रों के लिए आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ: 14001: 2015 और आईएसओ 45001: 2018 के लिए आईएमएस प्रमाणन लागू किया है।

पट्टा और संयुक्त उद्यमः

मॉयल के पास दिनांक 31.12.2025 तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 1944.711 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र है।

मॉयल ने गुजरात में मैंगनीज अयस्क के खनन का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2019 में गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) के साथ एक सहमति ज्ञापन किया। पानी क्षेत्र में गवेषण के पश्चात्, 9.51 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क का एक महत्वपूर्ण संसाधन आधार स्थापित किया गया था। संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाने के लिए इस्पात मंत्रालय, नीति आयोग और दीपम से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए थे। जीएमडीसी ने गुजरात सरकार को खनन पट्टे के आवेदन के लिए आवेदन किया है। गुजरात सरकार ने फाइल को मंजूरी के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया है, जिस पर खान मंत्रालय के पास प्रक्रिया चल रही है।

इसी तरह, मॉयल ने छत्तीसगढ़ में मैंगनीज और संबंधित खनिजों का पता लगाने के लिए जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉयल ने जून 2024 में नीलकंठपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में गवेषण गतिविधियां शुरू कीं। कुल 11,628 मीटर कोर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। आंकड़ों का विश्लेषण प्रक्रियाधीन में है।

मॉयल ने मैंगनीज खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के उपक्रम मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसीएल) के साथ संयुक्त रूप से अक्टूबर 2016 में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में गवेषण पूरा हो गया है, कुछ ब्लॉकों

में मैंगनीज खनन की संभावना है, इसलिए दिनांक 18.10.2024 को एमपीएसएमसीएल के साथ एक मसौदा संयुक्त उद्यम सहमति पर हस्ताक्षर किए गए हैं। **संयुक्त उद्यम के गठन के लिए दीपम और इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और इस संबंध में और आवश्यक औपचारिकताएं वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं।**

डोंगरी बुजुर्ग खदान में ईएमडी संयंत्र में बॉयलर

5.6.1 पूंजीगत संरचना

31 दिसंबर, 2025 तक कंपनी की अधिकृत और प्रदत शेयर पूंजी क्रमशः 300.00 करोड़ रुपए और 203.48 करोड़ रुपए है। मॉयल दिनांक 15 दिसंबर, 2010 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो चुकी है। इसमें भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार की वर्तमान शेयरधारिता क्रमशः 53.35 प्रतिशत, 5.38 प्रतिशत और 5.96 प्रतिशत और शेष 35.31 प्रतिशत जनता और वित्तीय संस्थानों के पास है।

5.6.2 वित्तीय कार्य–निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

मापदंड	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
कुल आय	1515.57	1418.52	1542.96	1696.32	1111.54
कर पूर्व लाभ	523.29	334.45	387.00	486.78	218.44
कर पश्चात् लाभ	376.98	250.59	293.34	381.64	163.46

5.6.3 उत्पादन कार्य–निष्पादन

मापदंड	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
मैंगनीज अयस्क (लाख मीट्रिक टन)	12.31	13.02	17.56	18.03	14.21
ईएमडी (मीट्रिक टन)	1202	1100	1413	1350	746
फेरो मैंगनीज (मीट्रिक टन)	10245	8660	10163	12000	7541

5.6.4 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार मॉयल की जनशक्ति 5093 है।

5.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न सीपीएसई है, जो धातु और खनन, ऊर्जा (बिजली, तेल और गैस), अवसंरचना, पर्यावरण इंजीनियरिंग और व्यापक विदेशी अनुभव के साथ अन्य संबंधित/विविध क्षेत्रों के क्षेत्र में अग्रणी बहु–विषयक डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्श और अनुबंध संगठनों में से एक है। मेकॉन टर्नकी निष्पादन सहित अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। मेकॉन एक आईएसओ 9001: 2015 मान्यता प्राप्त कंपनी है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ पंजीकृत है। मेकॉन ने बदले हुए व्यापार परिदृश्य से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार के नए क्षेत्रों में भी उद्यम किया है। मेकॉन सक्रिय रूप से विकास की संभावनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज कर रहा है और उभरते अंतरराष्ट्रीय अवसरों का लाभ उठाने के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक विदेशी कार्यालय खोला है।

5.7.1 वित्तीय कार्य–निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

मापदंड	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
टर्नओवर	586-67	854.97	923.79	1,073.82	847.80
प्रचालन लाभ	(-) 16.91	(-) 43.48	27.16	(-) 55.02	(-) 107.45
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	19.54	34.01	77.62#	32.87	(-) 55.52
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	13.70	31.01	54.56#	29.00	(-) 55.52

#*पुनः कथित*

– वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुमानित वित्तीय प्रदर्शन (1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026, तक की अवधि के लिए)

5.7.2 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार मेकॉन की जनशक्ति 1004 है।

5.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत श्रेणी–I मिनीरत्न कंपनी है, जो विविध उद्योग क्षेत्र में ई–कॉमर्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगी अग्रिण सीपीएसईस में से एक है, ई–नीलामी/ई–बिक्री, ई–खरीद सेवाओं और आवश्यकता अनुरूप सॉफ्टवेयर/समाधानों के विकास प्रदान करती है। एमएसटीसी पारदर्शी और निष्पक्ष बिक्री और खरीद लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और अन्य निजी संस्थाओं के लिए एक स्टैंडअलोन और तटस्थ ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

एमएसटीसी लिमिटेड को भारत से लौह स्क्रैप के निर्यात को विनियमित करने के लिए दिनांक 9 सितंबर, 1964 को कोलकाता में "मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड" के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी की स्थिति फरवरी 1974 में बदल गई जब इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सहायक कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1982–83 में, कॉर्पोरेशन को इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वतंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था। यह कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप और पुराने जहाजों को विखंडित करने के लिए आयात करने वाली एजेंसी थी। अगस्त 1991 से ऐसी वस्तुओं के आयात को विकेंद्रित कर दिए गए थे।

2002 में, एमएसटीसी ने एक ई–नीलामी प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया और बी2बी ई–कॉमर्स क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद एमएसटीसी ने स्वयं को देश में अग्रणी ई–कॉमर्स सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने महिंद्रा एक्सेलो लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से पुनर्चक्रण व्यवसाय में भी प्रवेश किया और देश की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना की। कंपनी मुख्य रूप से दो व्यावसायिक में काम करती है: (i) ई–कॉमर्स, और (ii) एमएमआरपीएल के माध्यम से पुनर्चक्रण।

एमएसटीसी विभिन्न उद्योगों में व्यापक ई–कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी बन गया है। बाजार में एक प्रमुख उद्योग के रूप में, एमएसटीसी अपने विशाल अनुभव और उन्नत प्रौद्योगिकी का इंटरप्राइज प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन, ई–नीलामी और ई–खरीद सेवाओं और ई–बिक्री जैसे आवश्यकता अनुरूप समाधान प्रदान करने के लिए उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी ने उड़ान, डीईईपी, दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी पोर्टल, प्रमुख और गौण खनिज ब्लॉकों के लिए नीलामी पोर्टल, शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियों के लिए एक्जिम पोर्टल और एलपीजी वितरण और खुदरा पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए तेल विपणन कंपनियों की ऑनलाइन ड्रॉ प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर जैसे विशेष प्लेटफॉर्म बनाए हैं। एमएसटीसी की इन पहलों का उद्देश्य खरीद, बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।

पुनर्चक्रण: एमएमआरपीएल, एमएसटीसी और मैसर्स महिंद्रा एक्सेलो (ब्रांड नाम सीईआरओ) के बीच एक 50:50 संयुक्त उद्यम है, जो भारत में एक अग्रणी अधिकृत ऑटो डिस्मेंटलिंग केंद्र है जो वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुरूप तरीके से प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) को स्क्रैप करने में लगा हुआ है। वर्तमान में एमएमआरपीएल के कल्याण, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में छह वाहन स्क्रैपिंग केंद्र/पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) हैं।

5.8.1 पूंजीगत संरचना

दिनांक 31.12.2025 तक, कंपनी की अधिकृत पूंजी 150 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 70.40 करोड़ रुपए है। भारत सरकार की 64.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 35.25 प्रतिशत हिस्सेदारी जनता और अन्य लोगों के पास है।

5.8.2 वास्तविक कार्य–निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

मापदंड	2023-24	2024-25	2025-26 दिसंबर, 2025 तक (अनंतिम)
ई–कामर्स	141387.50	89646.60	50741.93
व्यापार	199.07	177.00	154.98
व्यवसाय की कुल मात्रा	141586.57	89823.60	50896.91

5.8.3 वित्तीय कार्य–निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

मापदंड	2023-24	2024-25	2025-26 दिसंबर, 2025 तक (अनंतिम)
टर्नओवर	316.25	310.96	242.03
प्रचालन से लाभ	292.17	260.04	181.62
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	284.44	503.90	173.62
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	171.91	402.98	129.43

5.8.4 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार एमएसटीसी की जनशक्ति 291 है।

5.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड (केआईओसीएल), जिसे पहले कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी को दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान में निम्न–श्रेणी के मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन और बेनिफिशीएशन के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया था।

चार दशकों से अधिक की प्रचालन उत्कृष्टता के साथ, केआईओसीएल भारत में लौह अयस्क खनन, बेनिफिशीएशन और आयरन–ऑक्साइड पेलेटाइजेशन में अग्रणी रहा है। कंपनी मंगलुरु में कैप्टिव बर्थ और शिप–लोडिंग सुविधाओं से सम्मिलित है, जो महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक लाभ प्रदान करती है। केआईओसीएल को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसो 45001:2018 मानकों से प्रमाणित किया गया है, जो गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्तमान में, केआईओसीएल मंगलुरु में स्थित अपने 3.5 एमटीपीए पेलेटाइजेशन संयंत्र के माध्यम से लौह अयस्क पेलेट्स के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है।

केआईओसीएल में रिफ्रैक्टरी

मंगलुरु में फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन के निर्माण में लगी 2.16 एलटीपीए ब्लास्ट फर्नेस यूनिट का प्रचालन बाजार की अव्यवहार्य स्थितियों के कारण निलंबित कर दिया गया है। कंपनी वर्तमान में मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ इकाई के प्रचालन के लिए संयुक्त उद्यम साझेदारी के साथ–साथ अन्य विभिन्न अवसरों की तलाश कर रही है।

देवदारी लौह अयस्क खदान: कर्नाटक सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17 ए (2) के प्रावधानों के तहत लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टे के लिए बेल्लारी जिले में देवदारी रेंज में 470.40 हेक्टेयर क्षेत्र के आरक्षण के लिए दिनांक 23.01.2017 को राजपत्र अधिसूचना जारी किया था। इसके पश्चात्, सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने पर, केआईओसीएल ने दिनांक 02.01.2023 को कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान के निदेशक के साथ लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क (2023 का एमएल संख्या 020) के लिए 388 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देवदारी लौह अयस्क खदान के खनन पट्टा विलेख को निष्पादित किया। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 11.04.2023 को वन भूमि के विचलन के लिए सरकारी आदेश जारी किया। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2024 के अपने पत्र के माध्यम से 882.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डीआईओएम परियोजना के लिए भारत सरकार की मंजूरी से अवगत कराया, जिसमें से केआईओसीएल पहले ही 546 करोड़ रुपए का व्यय कर चुकी है। केआईओसीएल ने दिनांक 04.10.2025 को वन पट्टा समझौता किया और इसे दिनांक 10.10.2025 को उप रजिस्टर कार्यालय में पंजीकृत किया। हालांकि, कंपनी खनन गतिविधियों को शुरू करने के लिए कार्य अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

कंपनी कर्नाटक के तुमकुर जिले के चिक्कनायकन हल्ली के कथरीकेहल गांव में 5.00 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रचालित करती है, जिसमें लगभग 10,000 मेगावाट घंटे की अनुमानित वार्षिक बिजली उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मंगलुरु में अपने ब्लास्ट फर्नेस यूनिट परिसर में 1.3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र प्रचालित करती है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत केआईओसीएल को एक गवेषण इकाई के रूप में अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के अनुसरण में, कंपनी ने राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी), भारत सरकार के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित गवेषण

गतिविधियों का संचालन करते हुए खनिज गवेषण के व्यवसाय में प्रवेश किया है। इसके अतिरिक्त, केआईओसीएल को दिनांक 13 अप्रैल, 2022 से नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह बेस और महत्वपूर्ण खनिजों के विश्लेषण के लिए सुविधाओं से सुसज्जित है।

5.9.1 वास्तविक कार्य–निष्पादन

(मिलियन टन में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक वास्तविक)
लौह अयस्क पेलेट्स का उत्पादन	1.510	1.905	0.926	1.850
लौह अयस्क पेलेट्स की बिक्री	1.460	1.790	0.977	1.912

5.9.2 वित्तीय कार्य–निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

मापदंड	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)
प्रचालन से राजस्व	1543.42	1854.34	590.52	393.12
कर पूर्व लाभ	(-) 122.76	(-) 63.70	(-) 205.07	(-) 47.97
कर पश्चात् लाभ	(-) 97.67	(-) 83.31	(-) 204.58	(-) 47.97

5.9.3 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार केआईओसीएल लिमिटेड की जनशक्ति 483 है।

अध्याय – VI

निजी क्षेत्र

6.1 परिचय

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र वर्तमान देश में इस्पात उद्योग के उत्पादन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र की इकाइयों में एक तरफ बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादक और दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी और मध्यम स्तर की इकाइयां जैसे स्पंज आयरन प्लांट, मिनी–ब्लास्ट फर्नेस यूनिट, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, री–रोलिंग मिल्स, कोल्ड–रोलिंग मिल्स और कूलिंग यूनिट शामिल हैं। वे न केवल प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि गुणवत्ता, नवाचार और लागत प्रभावशीलता के मामले में भी पर्याप्त मूल्यवर्धन में योगदान करते हैं।

6.2 निजी क्षेत्र में अपनी निर्धारित इस्पात क्षमताओं सहित अग्रणी इस्पात उत्पादकों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	इस्पात कंपनी का नाम	2025–26 के लिए मौजूदा क्षमता (एमटीपीए में)
1	टाटा स्टील लिमिटेड	26.8
2	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	14.6
3	जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	2.98
4	वेदांता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)	1.87
5	एएमएनएस	9.6

स्रोतः जेपीसी

6.3 टाटा स्टील ग्रुप

भारत, नीदरलैंड, यूके और थाईलैंड में 35 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की क्षमता के साथ सबसे विविध एकीकृत इस्पात उत्पादकों में से एक, टाटा स्टील नवाचार, संधारणीयता और उत्कृष्टता के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता के माध्यम से एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। कंपनी के जमशेदपुर, कलिंगनगर और एमुइडेन संयंत्रों को विश्व आर्थिक मंच उन्नत चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) ग्लोबल लाइटहाउस में मान्यता दी गई है। दुनिया भर में 76,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ, टाटा स्टील ग्रेट प्लेस टू वर्क–प्रमाणित संगठन के लिए एक बेहतरीन कंपनी है। कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समेकित कारोबार दर्ज किया।

टाटा स्टील, कलिंगनगर

भारत में, टाटा स्टील झारखंड के जमशेदपुर और गम्हारिया के साथ–साथ कलिंगानगर (नीलाचलइस्पात निगम लिमिटेड सहित) और ओडिशा के मेरामंडली में 26.6 एमटीपीए की कुल क्षमता के साथ काम करती है। कंपनी के पास भारत में व्यापक कैप्टिव खनन प्रचालन है, जिसमें झरिया और पश्चिम बोकारो में कोलियरी और नोआमुंडी, काटामाटी, जोड़ा ईस्ट, खोंडबॉन्ड, विजया II और कोइडा में लौह अयस्क खदानें शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह लैब्राडोर और उत्तरी क्यूबेक, कनाडा में लौह अयस्क संपत्ति प्रचालित करता है।

कंपनी ने वर्ष 2045 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लुधियाना में आगामी 0.75 एमटीपीए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस–आधारित स्टीलमेकिंग सुविधा भारत में कंपनी का पहला कम उत्सर्जन वाला संयंत्र है। यूके में, टाटा स्टील 2024 में अपनी उच्च–मूल्य वाली संपत्तियों को हटाने के पश्चात्, 3.2 एमटीपीए ईएएफ–आधारित स्टीलमेकिंग रूट में परिवर्तन कर रहा है। टाटा स्टील नीदरलैंड ने डच सरकार को अपनी ग्रीन स्टील योजना प्रस्तुत की है, जिसमें इसकी एक ब्लास्ट फर्नेस को सीधे कम लौह–इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस विन्यास से बदलना शामिल है।

लुधियाना में इस्पात निर्माण सुविधा का हवाई दृश्य

संधारणीयता, नवाचार, सक्रियता और ग्राहकों और समुदायों के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टाटा स्टील विश्व स्तर पर सबसे सम्मानित और मूल्यवान धातु और खनन कंपनी बनने की महत्वाकांक्षा रखता है।

टाटा स्टील, जमशेदपुर का नाइट व्यू

6.4 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

जिंदल स्टील लिमिटेड भारत के अग्रणी एकीकृत इस्पात उत्पादकों में से एक है, जो अपने पैमाने, दक्षता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। एक मजबूत माइन–टू–मेटल मॉडल पर काम करते हुए, कंपनी कार्य निष्पादन वाले इस्पात समाधान प्रदान करने के लिए कैप्टिव लौह अयस्क और कोयला संसाधनों, उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और एक वैश्विक वितरण नेटवर्क का लाभ उठाती है। 12.6 एमटीपीए की स्थापित इस्पात निर्माण क्षमता और 3 एमटीपीए के नियोजित विस्तार के साथ, जिंदल स्टील भारत के बढ़ते अवसंरचना और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

12 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश के साथ, जिंदल स्टील अनगुल, रायगढ़ और पतरातु में अत्याधुनिक सुविधाओं का संचालन करता है, तथा पूरे भारत और अफ्रीका में रणनीतिक प्रचालन बनाए रखता है। इसके कैप्टिव खनन पोर्टफोलियो में 13.6 एमटीपीए की लौह अयस्क क्षमता और 26 एमटीपीए की कोयला क्षमता शामिल है, जो आपूर्ति सुरक्षा और लागत दक्षता को मजबूत करती है। एक विविध और भविष्य के लिए तैयार उत्पाद पोर्टफोलियो अवसंरचना, निर्माण और विनिर्माण जैसे मुख्य क्षेत्रों को रेखांकित करता है, जो मजबूती और संधारणीयता के माध्यम से प्रगति को शक्ति प्रदान करता है।

6.5 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल)

भारत की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील निर्माता जिंदल स्टेनलेस, नवाचार, संधारणीयता और राष्ट्र–निर्माण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ उद्योग का नेतृत्व करना जारी रखती है। कंपनी वित्तीय वर्ष 27 में 4.2 मिलियन टन वार्षिक मेल्टिंग की क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी सुविधाओं को बढ़ा रही है, जिसमें स्पेन सहित भारत और विदेशों में 16

स्टेनलेस स्टील विनिर्माण और प्रसंस्करण सुविधाएं हैं, और मार्च 2025 तक 12 देशों में एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। भारत में, मार्च 2025 तक दस बिक्री कार्यालय और छह सेवा केंद्र हैं। कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में स्टेनलेस स्टील स्लैब, ब्लूम, कॉइल, प्लेट, शीट, प्रिसिशन स्ट्रिप्स, वायर रॉड, रेबार, ब्लेड स्टील और बिना ढले सिक्के शामिल हैं। जिंदल स्टेनलेस लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने एकीकृत प्रचालन पर निर्भर करता है। वर्ष 1970 में स्थापित, जिंदल स्टेनलेस नवाचार और जीवन को समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से प्रेरित है और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी ने भारत की कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें चंद्रयान–3, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और कोलकाता में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन शामिल है। ये योगदान कंपनी की उन्नत क्षमताओं और अधिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को तेज करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

जेएसएल, जगपुर एरियल व्यू

संधारणीयता के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, जिंदल स्टेनलेस ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार और नवीन पुनर्चक्रण विधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय पहल को तेज कर रहा है। वित्तीय वर्ष 25 में, कंपनी ने अपने जीएचजी उत्सर्जन को 14% तक कम कर दिया, नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को 10 गुना बढ़ा दिया और अपने पुनर्चक्रित सामग्री उपयोग को 72% तक बढ़ा दिया है। अपनी अकार्बनीकरण विकास को और आगे बढ़ाने के लिए, जिंदल स्टेनलेस ने 2035 तक कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो संधारणीयता पहल के लिए 700 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा समर्थित है। उल्लेखनीय परियोजनाओं में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहलों ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की हिसार इकाई (क्षमता: 90एनएम3/प्रति घंटा), ओडिशा का पहला 7.3 एमडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सोलर संयंत्र, 23 एमडब्लयू प्रूफटॉप सोलर संयंत्र, जाजपुर और हिसार क्षेत्र में 100 मेगावाट की आरई–आरटीसी परियोजनाएं और हिसार इकाई में 6.54 मेगावाट का रूफटॉप सोलर संयंत्र शामिल है। सामूहिक रूप से, ये पहल नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को आगे बढ़ाने और अधिक संधारणीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए जिंदल स्टेनलेस की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

जिंदल स्टेनलेस अपनी शिक्षा और कौशल गतिविधि, 'स्टेनलेस अकादमी' के माध्यम से क्षमता निर्माण के साथ–साथ क्षेत्रीय और सामग्री जागरूकता को बढ़ावा देकर भविष्य के लिए तैयार उद्योग को सक्षम करने में अग्रणी के रूप में उभरा है। अपनी स्थापना के बाद से, अकादमी ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे एमएसएमई फैब्रिकेटर्स, भारत भर के तकनीकी संस्थानों के छात्रों और उद्योग के पेशेवरों को लाभ हुआ है। आज तक, अकादमी ने 60,000 से अधिक एमएसएमई फैब्रिकेटर्स को कुशल बनाया है और 2030 तक इस पहुंच को 5 लाख से अधिक तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है।

अकादमी सरकारी पॉलिटेक्निक, प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के साथ भी सहयोग करती है ताकि स्टेनलेस स्टील पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें, जिससे युवाओं के लिए गहरी क्षेत्रीय समझ और कैरियर के अवसर पैदा हो सकें। इसके अतिरिक्त, इसके अभिनव प्रशिक्षण और डिस्प्ले वैन ने पूरे भारत में 5.5 लाख किमी से अधिक की दूरी तय की है, जागरूकता बढ़ाई है और 500 से अधिक कार्यक्रम वितरित किए हैं।आईआईटी बॉम्बे में, कंपनी ने औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पाद प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस विभाग के भीतर एक चेयर प्रोफेसरशिप स्थापित की है। इस पहल में स्टेनलेस स्टील धातु विज्ञान पाठ्यक्रमों को बीटेक और एमटेक कार्यक्रमों में एकीकृत करना, पीएचडी अनुसंधान को बढ़ावा देना और स्टेनलेस स्टील अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है। इसके साथ ही, जिंदल स्टेनलेस ने प्रक्रिया अनुकूलन, सामग्री विश्लेषण और मिश्र धातु उत्पादन जैसी धातुकर्म परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी खड़गपुर की शैक्षणिक विशेषज्ञता और कंपनी के उद्योग नेतृत्व का लाभ उठाकर, यह गठबंधन महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने, परिवर्तनकारी नवाचारों को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 विजन में योगदान करने का प्रयास करता है। साथ में, ये साझेदारियां स्टेनलेस स्टील प्रौद्योगिकी और भारत के अवसंरचना के विकास में अत्याधुनिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जिंदल स्टेनलेस ने परिवहन, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील के उपयोग से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों के क्षेत्र में विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग सहयोग और संधारणीय पद्धतियों को मिलाकर, जिंदल स्टेनलेस हितधारकों को सशक्त बनाते हुए स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में प्रगति का नेतृत्व करना जारी रखता है।

जिंदल स्टेनलेस अपने कार्यबल को अद्वितीय अनुभव, निरंतर सीखने के अवसरों और नवाचार की एक संपन्न संस्कृति के साथ सशक्त बनाता है। वैश्विक उपस्थिति के साथ, कर्मचारी विविध बाजारों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग करते हैं और स्टेनलेस स्टील के भविष्य को आकार देने वाली अत्याधुनिक परियोजनाओं में योगदान करते हैं। कंपनी प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, मेंटरशिप और आईआईटी बॉम्बे में इस्पात प्रौद्योगिकी में पूरी तरह से प्रायोजित दो साल के एमटेक प्रोग्राम जैसी पहलों के माध्यम से कर्मचारियों के पेशेवर विकास में निवेश करती है, जो कर्मचारियों को उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता से संपन्न करती है। आंतरिक विकास को जॉब रोटेशन, नेतृत्व कार्यक्रमों और अनुरूप विकास योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। समुदाय की भावना का निर्माण करने के लिए, जिंदल स्टेनलेस परिवार दिवस समारोह, महिला दिवस और सांस्कृतिक त्योहारों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है, साथ ही खेल, स्वयंसेवा और विकासात्मक कार्यशालाओं जैसी कर्मचारी जुड़ाव गतिविधियों का आयोजन करता है। प्रयोग और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हुए, कंपनी शुरुआती करियर के अवसर, मेंटरशिप और ऑटोमेशन और उन्नत तकनीकों के संपर्क में आती है, जिससे नवाचार और उत्कृष्टता के लिए एक गतिशील वातावरण सुनिश्चित होता है।

कंपनी सामुदायिक विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बहुआयामी सीएसआर पहलों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जिंदल स्टेनलेस फाउंडेशन के माध्यम से, कंपनी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ प्रयासों को संरेखित करते हुए गंभीर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करती है। वित्तीय वर्ष 25 में, जिंदल स्टेनलेस के सीएसआर कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी समुदायों में 92,000+ व्यक्तियों को लाभान्वित किया.

स्वास्थ्य, कौशल विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली पहल के साथ महिला सशक्तिकरण एक केंद्रीय फोकस है, जो 14,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करती है। जिंदल स्टेनलेस के लिए पर्यावरण प्रबंधन भी एक मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है। हिसार और जाजपुर में लागू एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम, स्टेनलेस स्वच्छता अभियान के माध्यम से, कंपनी ने अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और सामुदायिक स्वच्छता पद्धतियों को मजबूत किया है, जिससे 32,000 से अधिक लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और कल्याण अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, निवारक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों और दूरदराज और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पहुंच के प्रावधान के माध्यम से, जिंदल स्टेनलेस वर्ष के दौरान 13,000 से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचा।

गैर सरकारी संगठनों, उद्योग जगत के नेताओं और सरकारी एजेंसियों के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से, जिंदल स्टेनलेस यह सुनिश्चित करता है कि इसके हस्तक्षेप सतत विकास को बढ़ावा दे, समुदायों को सशक्त बनाएं और एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाएं।

6.6 आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया)

आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो दुनिया के दो प्रमुख इस्पात विनिर्माण संगठन हैं। देश में अत्याधुनिक डाउनस्ट्रीम सुविधाओं के साथ एक अग्रणी एकीकृत फ्लैट कार्बन इस्पात उत्पादक, कंपनी हजीरा, गुजरात में 9 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की क्रूड स्टील क्षमता के साथ अपने प्रमुख इस्पात संयंत्र का प्रचालन करती है। यह मूल्य वर्धित इस्पात सहित फ्लैट इस्पात उत्पादों की पूरी तरह से विविध रेंज का उत्पादन करता है, और इसकी पेलेट क्षमता 20 एमटीपीए है।

कंपनी वर्तमान में विस्तार मोड में है, इसके हजीरा संयंत्र की क्षमता 9 एमटीपीए से बढ़ाकर 15 एमटीपीए को जा रही है। इसकी योजना आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित आगे विस्तार करने की राह पर है, ताकि राष्ट्रव्यापी 40 एमटीपीए क्रूड स्टील क्षमता लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जो राष्ट्र निर्माण का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

2015 के बाद से, एएम/एनएस इंडिया ने अभिनव पहलों के माध्यम से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता को एक तिहाई से अधिक कम कर दिया है। इसे भारत के सबसे कम कार्बन उत्सर्जक एकीकृत इस्पात उत्पादकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है (राष्ट्रीय औसत से 14% कम)। वर्तमान में, संगठन की कुल ऊर्जा खपत का 25% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि तब महसूस की गई जब हजीरा संयंत्र को आंध्र प्रदेश में एएम ग्रीन एनर्जी (आर्सेलरमित्तल का हिस्सा) द्वारा विकसित की जा रही लगभग 1–गीगावॉट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से बिजली प्राप्त होने लगी। एएम/एनएस

इंडिया बचाऊ, गुजरात में एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (550 मेगावाट पवन–सौर पार्क) भी विकसित कर रहा है। ये पहल कंपनी को संधारणीयता के मामले में सबसे आगे रखती है, जो भारत के 2070 नेट–जीरो लक्ष्य के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है। अपनी सेवाओं की श्रृंखला के माध्यम से, कंपनी प्रीमियम इस्पात उत्पादों और अनुकूलित समाधानों तक सीधी पहुंच प्रदान करके एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना जारी रखती है।

700 से अधिक स्टील ग्रेड के साथ – कई आयात को प्रतिस्थापित करते हुए, यह समकालीन उद्योगों (कृषि, मोटर वाहन, अवसंरचना, रक्षा, ऊर्जा, आदि) की एक श्रृंखला की सेवा करता है और आत्मनिर्भर भारत पहल में योगदान देता है। भारतीय और वैश्विक उद्योग निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त, इसके पोर्टफोलियो में हॉट रोल्ड कॉइल/शीट/प्लेट, कोल्ड रोल्ड कॉइल/शीट, गैल्वेनाइज्ड कॉइल/शीट, प्री–पेंटेड गैल्वेनाइज्ड कॉइल/शीट, पाइपलाइन आदि शामिल हैं। कंपनी एक संधारणीयता दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य 'स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स' बनाना है।

6.7 वेदांता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)

झारखंड के बोकारो जिले के सियालजोरी गांव में स्थित, वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड, लौह और इस्पात उत्पादों के अग्रणी विनिर्माताओं में से एक है। इसमें 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील संयंत्र है जो विशेष रूप से वायर रॉड्स (ब्रांड नामः वी–डब्ल्यूआईआरओ), टीएमटी बार (ब्रांड नामः वी–एक्सईजीए), डक्टाइल आयरन पाइप (ब्रांड नामः वी–डुकपाइप) और पिग आयरन आदि लंबे उत्पादों का उत्पादन करता है। कंपनी के पास 3.0 एमटीपीए तक की विकास योजनाएं हैं, और ईएसजी के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करने के लिए प्रतिष्ठित निर्माताओं से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और समाधान लाती है।

कोक ओवन वेदांता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)

ब्लास्ट फर्नेस वेदांता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)

अध्याय – VII

क्षमता निर्माण

7.1 वर्ष 2025–26 के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने निरंतर अधिगम, व्यावसायिक विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर जोर देने के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक संरचित और परिणाम–उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया। मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों के अनुरूप, मंत्रालय ने एक विकसित प्रशासनिक वातावरण में प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के डोमेन ज्ञान, कार्यात्मक कौशल और व्यवहार संबंधी दक्षताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण रणनीति में एक मिश्रित शिक्षण ढांचे पर जोर दिया गया, जिसमें अनुभवात्मक अनुभव और समन्वित प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के साथ आईजीओटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा का संयोजन किया गया। इस दृष्टिकोण ने कर्मचारियों को इस्पात क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रों में अपने ज्ञान को उन्नत करने में सक्षम बनाया, साथ ही प्रचालन, प्रौद्योगिकी और संधारणीयता से संबंधित पहलुओं में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी प्राप्त की। इन पहलों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि सीखने के परिणामों को बेहतर प्रशासनिक दक्षता और सूचित निर्णय लेने में परिवर्तित किया जाए।

क्षमता निर्माण में मंत्रालय की उपलब्धिः वित्त वर्ष 2025–26

(i) डोमेन पाठ्यक्रमों का विकास

वर्ष के दौरान, सेल, एनएमडीसी, मेकॉन और एनआईएसएसटी की सहायता से इस्पात क्षेत्र से संबंधित पांच डोमेन–विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित किए गए और आईजीओटी पोर्टल पर अपलोड किए गए। इन पाठ्यक्रमों में नो योर मिनिस्ट्री, स्टील मेकिंग प्रोसेस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रौद्योगिकी प्रगति अकार्बनीकरण में प्रौद्योगिकी प्रगति और लौह और इस्पात क्षेत्र के आंकड़े और सूचकांक शामिल हैं। पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय समझ को मजबूत करने और अधिकारियों के डोमेन ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

(ii) इस्पात संयंत्रों के क्षेत्र दौरे

वर्ष के दौरान देश भर के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के तीन क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए गए, जिनमें जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर, टाटा स्टील जमशेदपुर और अर्जस स्टील मंडी गोबिंदगढ़ शामिल थे। मंत्रालय के कुल 26 अधिकारियों ने इन क्षेत्रीय दौरों में भाग लिया और इस्पात निर्माण प्रचालन, संयंत्र–स्तरीय प्रबंधन पद्धतियों और उद्योग में अपनाई गई समकालीन तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की।

(iii) आईजीओटी पोर्टल पर पदनाम–वार प्रशिक्षण योजना का निर्माण

मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को आईजीओटी पोर्टल पर शामिल किया गया था, और एक आवश्यकता अनुरूप, पदनाम–वार प्रशिक्षण योजना तैयार की गई थी और प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी। प्रशिक्षण योजना में प्रत्येक पदनाम स्तर के लिए छह पहचाने गए पाठ्यक्रम शामिल थे। वर्ष 2025–26 के दौरान, मंत्रालय के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से आईजीओटी पोर्टल पर 4,600 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए, जो डिजिटल ल नग इकोसिस्टम के साथ सक्रिय जुड़ाव और निरंतर व्यावसायिक विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(iv) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षमता निर्माण पहलों की निगरानी करना

मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में क्षमता निर्माण पहलों की बारीकी से निगरानी की गई। सीपीएसई में 100 प्रतिशत अधिकारियों और 95 प्रतिशत गैर–कार्यकारी अधिकारियों को आईजीओटी पोर्टल पर शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से 1,02,000 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे करने की प्रक्रिया दर्ज की, जो पर्याप्त भागीदारी और संरचित डिजिटल शिक्षण पहलों को व्यापक रूप से अपनाने का संकेत देता है।

(v) राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय और इसके सीपीएसई के 17,200 से अधिक कर्मचारियों को वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा अभिविन्यास बढ़ाने और नागरिक–केंद्रित सेवा वितरण को मजबूत करने पर केंद्रित था।

(vi) विशेष अभियानों के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

सतर्कता जागरूकता सप्ताह और विशेष अभियान 5.0 जैसे विशेष अभियानों के दौरान, मंत्रालय के कर्मचारियों को आईजीओटी पोर्टल पर पहचाने गए पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन पाठ्यक्रमों में नैतिकता, आचरण नियमावली, अखंडता, व्यवहार परिवर्तन, साइबर हाइजीन, सार्वजनिक अधिप्राप्ति और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे विषय शामिल थे। इन केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप, अभियान अवधि के दौरान कुल 240 पाठ्यक्रम पूर्णता दर्ज की गई।

अध्याय – VIII

तकनीकी संस्थान और कौशल विकास

8.1 तकनीकी संस्थान

8.1.1 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) की स्थापना दिनांक 18 अगस्त, 1987 को एक पंजीकृत संस्था के रूप में की गई थी। क्लस्टर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय लौह और इस्पात उद्योगों की तकनीकी जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, संस्थान औद्योगिक सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, प्रचालन दक्षता, ऊर्जा दक्षता, गुणवत्ता सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। इसकी अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त औद्योगिक संघों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है। वर्तमान में, श्री दया निधान पाण्डेय, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, संस्थान के अध्यक्ष हैं।

इस्पात मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान के रूप में, एनआईएसएसटी द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में काम करने वाली जनशक्ति को उन्नत करके इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करता है। आउटरीच को व्यापक बनाने और क्षेत्र–व्यापी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान इस्पात संघों, उद्योग निकायों और इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग करता है।

एनआईएसएसटी की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- **प्रशिक्षण और कौशल विकास:** भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र के कार्यबल के लिए क्लस्टर आधारित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त आवश्यकता आधारित आवश्यकतानुसार इन–हाउस प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **ग्रीन स्टील प्रमाणन:** इस्पात मंत्रालय के दिनांक 23 दिसंबर 2024 राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मापने, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) के साथ–साथ इस्पात के लिए ग्रीन प्रमाण पत्र और स्टार रेटिंग जारी करने हेतु नोडल एजेंसी।
- **औद्योगिक परामर्श:** कार्य निष्पादन वृद्धि, ऊर्जा दक्षता, प्रक्रिया और गुणवत्ता सुधार के लिए सलाहकार सहायता प्रदान करना।
- **ऊर्जा लेखापरीक्षा:** (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता), ऊर्जा–दक्ष पद्धतियों का समर्थन करना और प्रचालन ऊर्जा लागत में कमी।

- **सुरक्षा निरीक्षण और लेखा परीक्षा:** इस्पात उद्योग सुरक्षा प्रणालियों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए पंजाब, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, केरल, छत्तीसगढ़, मेघालय और पुडुचेरी सहित कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैक्ट्रियों के निदेशकों द्वारा सक्षम व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।
- **इस्पात परीक्षण प्रयोगशालाएं:** (एनएबीएल मान्यता प्राप्त और बीआईएस मान्यता प्राप्त मैकेनिकल, मेटलोग्राफी और रासायनिक प्रयोगशालाएं)। एनआईएसएसटी ने इस्पात उत्पादों की 60 श्रेणियों के परीक्षण के लिए बीआईएस मान्यता प्राप्त की है।
- **अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां लौह निर्माण, इस्पात बनाने और रिहीटिंग फर्नेस से गर्म करने के क्षेत्रों में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित हैं।

इसके अतिरिक्त, द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को अधिक कुशल और पेशेवर तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की एनआईएसएसटी की क्षमता को मजबूत करने के लिए, मंडी गोबिंदगढ़ में एनआईएसएसटी परिसर का नवीनीकरण और उन्नयन किया गया है।

2025 में एनआईएसएसटी द्वारा आयोजित गतिविधियों का सारांश:

- वर्ष के दौरान 58 इकाइयों/आवेदकों को ग्रीन स्टील प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- लौह और इस्पात क्षेत्र में अखिल भारतीय जीएचजी बेसलाइन उत्सर्जन अध्ययन के लिए संयुक्त संयंत्र समिति को तकनीकी सहायता प्रदान की गई।
- बीआईएस/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में 1000 से अधिक इस्पात नमूनों का परीक्षण किया गया।
- 154 छात्रों को गैर–विनाशकारी परीक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- भावनगर (गुजरात), हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश), कोयंबटूर (तमिलनाडु), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब), केउँझर (ओडिशा) क्लस्टर में 7 क्लस्टर–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और देश भर में 8 संयंत्रों में आवश्यकता आधारित इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन पहलों के माध्यम से, एनआईएसएसटी ने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में काम करने वाले कुल 411 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- 12 इकाइयों में ऊर्जा लेखापरीक्षा और कम्बस्टन अध्ययन किया गया, जबकि मंडी गोबिंदगढ़ क्लस्टर में 65 इकाइयों में ऑन–साइट सुरक्षा निरीक्षण किया गया।
- पूरे भारत में 26 इकाइयों में सुरक्षा ऑडिट किया।

जनवरी से मार्च 2026 के लिए अनुमान/प्राक्कलन:

- अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त, जनवरी से मार्च 2026 की अवधि के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में 6 क्लस्टर–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- उद्योग की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा लेखापरीक्षा और इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- निविदा प्रक्रिया के बाद गैर–पीएटी इकाइयों के जीएचजी बेसलाइन अध्ययन की शुरुआत।

8.1.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

बीपीएनएसआई की स्थापना भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी, सेवा और प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में करने के उद्देश्य से की गई है। यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और 1 जनवरी, 2002 से कार्य कर रहा है। बीपीएनएसआई का स्थायी परिसर 20 फरवरी, 2004 को पुरी, ओडिशा में जेपीसी से पूंजीगत वित्त पोषण के साथ एक पूर्ण संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए शुरू हुआ। मार्च, 2021 में,संस्थान को कलिंगनगर (जाजपुर), ओडिशा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो देश का एक प्रमुख इस्पात केंद्र है। वर्तमान में, श्री दया निधान पाण्डेय, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, संस्थान के अध्यक्ष हैं।

संस्थान की सहजीवी भूमिका को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करके इंजीनियरों के कौशल को बढ़ाने और छात्र समुदाय/कामकाजी पेशेवरों को उन कौशलों के लिए आरंभ करने में मदद करने के लिए माना जाता है जिनकी इस्पात क्षेत्र में नियोक्ताओं को आवश्यकता होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। बीपीएनएसआई ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरने और इस्पात उद्योग को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के अपने अनिवार्य उद्देश्य के साथ 2025 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं:

- डीआरआई प्रचालन, उन्नत रखरखाव, संधारणीयता, ऊर्जा प्रबंधन आदि के पहलुओं पर दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक कुल मिलाकर 14 नॉलेज शेयरिंग कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें 340 उद्योग पेशेवरों ने भाग लिया।
- डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ऊर्जा प्रबंधन में दो वेबिनार (ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम, बीपीएनएसआई की एक छात्र आउटरीच पहल) जिसमें इस अवधि के दौरान 213 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
- भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद, कोलकाता के सहयोग से नालको के लिए पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 114 प्रतिभागियों की भागीदारी थी।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 से, बीपीएनएसआई ने एकीकृत इस्पात संयंत्रों और एमएसएमई इस्पात उद्योगों दोनों के लाभ के लिए विभिन्न अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों की पेशकश करने का प्रस्ताव किया है। संस्थान लौह और इस्पात विनिर्माण और संयंत्र प्रबंधन पर पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त स्किलिंग, री–स्किलिंग और अप–स्किलिंग कार्यक्रम, तकनीकी–प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। संस्थान तकनीकी क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करेगा, और बदलते वैश्विक रुझानों के अनुरूप अकार्बनीकरण और ग्रीन स्टील के प्रासंगिक उभरते क्षेत्रों में शामिल होने की योजना बना रहा है।

8.2 कौशल विकास

लौह और इस्पात क्षेत्र में कौशल प्रयासों को समन्वित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय नियमित रूप से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी), बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई) और भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएसएससी) के साथ समन्वय करता है।

लौह और इस्पात क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पर्यावरणीय संधारणीयता पर बढ़ते जोर को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने कौशल विकास पर एक कार्यबल का गठन किया है। टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, कार्यबल की तैयारी का आकलन करने, महत्वपूर्ण कौशल अंतराल की पहचान करने और क्षेत्र में भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए 2025 में एक स्किल गैप सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। समग्र और साक्ष्य–आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसई, निजी एकीकृत इस्पात उत्पादकों (आईएसपी) और द्वितीयक इस्पात कंपनियों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट प्राप्त किए गए थे।

निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रालय कार्यबल उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता–संचालित विनिर्माण का समर्थन करने और क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप कर रहा है।

अध्याय – IX

अनुसंधान एवं विकास

9.1 पृष्ठभूमि

भारत में, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को विभिन्न हितधारकों जैसे सीएसआईआर (एनएमएल और आईएमएमटी) के तहत अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, शैक्षणिक संस्थान (आईआईटी और एनआईटी) और प्रमुख इस्पात कंपनियां जैसे सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एएम/एनएस द्वारा किया जाता है। अग्रणी इस्पात कंपनियां अपने स्वयं के निधियों से अनुसंधान कर रही हैं। इस्पात मंत्रालय सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना "इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन" के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके इस्पात क्षेत्र की अनुसंधान एवं विकास पहल को पूरा कर रहा है।

9.2 इस्पात मंत्रालय की वित्तीय सहायता से अनुसंधान एवं विकास

इस्पात मंत्रालय इस क्षेत्र के समक्ष आने वाले प्रौद्योगिकी मुद्दों को हल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन" नामक एक अनुसंधान एवं विकास योजना का संचालन कर रहा है और प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास भी कर रहा है। देश में लौह और इस्पात क्षेत्र के लाभ के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं और भारतीय इस्पात कंपनियों से अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

दिसंबर 2025 में, क्षमता में सुधार करना और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना को संशोधित किया गया था। संशोधित ढांचे में एमएसएमई और स्टार्ट–अप्स की भागीदारी को व्यापक बनाने के उपाय शामिल हैं, और इसे वित्तीय वर्ष 2030–31 तक बढ़ा दिया गया है।

9.2.1 अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख क्षेत्र

अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में लौह और इस्पात क्षेत्र के समक्ष गंभीर मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन (ग्रीन स्टील उत्पादन, एच2 आधारित इस्पात उत्पादन, सीसीयूएस आदि), अपशिष्ट उपयोग, संसाधन दक्षता आदि के समाधान के लिए नई वैकल्पिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास योजना के प्रमुख क्षेत्रों और बड़े लक्ष्यों की पहचान करने और उनकी समीक्षा करने के लिए एमएसएमई सहित हितधारक कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करेगा।

9.2.2 सहायता वाले क्षेत्र का दायरा

योजना के तहत सहायता का दायरा निम्नलिखित है:

- लैब स्केल/बेंच स्केल में अनुसंधान एवं विकास कार्य और पायलट स्केल/प्रदर्शन संयंत्रों तक स्केल–अप का समर्थन किया जाएगा।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने वाले औद्योगिक/वाणिज्यिक संगठनों के मामले में, कुल लागत का 50% तक वित्तीय सहायता अनुमेय है।
- शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के मामले में, 70% तक की वित्तीय सहायता अनुमेय है। उपयोगकर्ता उद्योग के साथ गठजोड़ करने वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पायलट/डेमोंस्ट्रेशन स्तर की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता 40% तक सीमित होगी और शेष राशि औद्योगिक भागीदार द्वारा पूरी की जाएगी।
- इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए अन्य प्रयोगशालाओं/संस्थानों/उद्योग के साथ संयुक्त प्रस्ताव वांछनीय है।
- बहुमुखी टीमों के लिए 100% तक की वित्तीय सहायता पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

मंत्रालय एमएसएमई सहित औद्योगिक भागीदारों का एक वर्गीकृत पूल बनाएगा, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ जुड़ा होगा, और उद्योग सहयोग को सुविधाजनक बना सकता है जहां परियोजना अन्वेषक एक उद्योग भागीदार को सुरक्षित करने में असमर्थ है।

इस्पात क्षेत्र में व्यक्तिगत नवोन्मेषकों और स्टार्ट–अप्स को योजना–समर्थित सुविधाओं/उपकरणों तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सकती है, और प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर उपयुक्त उद्योग/संस्थागत भागीदारों को सक्षम बनाया जा सकता है।

9.2.3 सहायता राशि

पिछले 5 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की मात्रा नीचे दी गई है:–

क्र. सं.	वर्ष	सरकारी वित्तपोषण (करोड़ रुपए में)
1	2021-22	4.81
2	2022-23	4.49
3	2023-24	2.94
4	2024-25	4.99
5	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)	6.0
	कुल	**23.23**

"लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन" योजना के तहत 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक–XV** में है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, योजना हेतु 6 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था, जिसके तहत दिसंबर 2025 तक 6 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए बजट आवंटन भी 6 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है।

9.2.4 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्वीकृति और निगरानी तंत्र

स्वीकृति और निगरानी तंत्र में शामिल हैं:

- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, डीआरडीओ, डीएसआईआर, डीएसटी, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के सदस्यों वाला एक मूल्यांकन समूह योजना के तहत वित्त पोषण के लिए प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है।
- निदेशक आईआईटी खड़गपुर, निदेशक आईएमएमटी, निदेशक एनएमएल और एमएसएमई के एक प्रतिनिधि सहित इस्पात मंत्रालय के अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएएमसी) जो कि मूल्यांकन समूह द्वारा अनुशंसित अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए दूसरे चरण का अनुमोदन करने वाला निकाय है।
- व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना की लागत के आधार पर नामित प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- एक परियोजना समीक्षा समिति जो नियमित आधार पर चालू परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।

9.2.5 योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया

- इस योजना के तहत, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रोपड़, एमएनआईटी जयपुर, आईएआरआई और सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त सभी प्रमुख हितधारकों जैसे सेल, जेएसडब्ल्यू, एएमएनएस सीएसआईआर लैब्स जैसे सीएसआईआर–एनएमएल, सीएसआईआर–आईएमएमटी, सीएसआईआर–सीबीआरआई, सीएसआईआर–सीआरआरआई आदि को वित्त पोषित किया गया है।

- योजना की शुरुआत से, इस्पात मंत्रालय द्वारा 75 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी गई है, जिनमें से 35 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूर्ण की गई परियोजनाओं में से 6 प्रौद्योगिकियों को उद्योग द्वारा अपनाया गया है, जबकि 23 परियोजनाओं ने प्रयोगशाला पैमाने पर सफल परिणाम प्राप्त किए हैं, जबकि छह ने वांछित परिणाम नहीं दिए हैं।वर्तमान में, 29 परियोजनाएं चल रही हैं, और अन्य 11 परियोजनाएँ पूरी होने वाली हैं।

- इस योजना के तहत शामिल प्रमुख परियोजनाओं में भारतीय लो/लीन ग्रेड लौह अयस्क और कोयले के उन्नयन और बेनिफिकेशन, वैकल्पिक लौह निर्माण रूट का विकास, स्टील स्लैग जैसे इस्पात संयंत्र अपशिष्टों का उपयोग, ऊर्जा और संसाधन दक्षता में सुधार, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का विकास और लौह और इस्पात क्षेत्र के समक्ष आने वाली जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना शामिल है।

- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, योजना के तहत पांच (5) नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष के दौरान तीन (3) पेटेंट दायर किए गए, जो मंत्रालय द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं

विकास ढांचे के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार परिणामों पर निरंतर जोर देने को दर्शाते हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान लौह और इस्पात में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत किया गया व्यय

- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास योजना, अर्थात् "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन की योजना" के तहत विभिन्न संगठनों को कुल 600.00 लाख रुपए (दिसंबर, 2025 तक) की राशि प्रदान की है।

9.2.6 इस्पात कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा अनुसंधान एवं विकास

9.2.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा की गई पहलें

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल):

लौह और इस्पात अनुसंधान और विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), रांची, सेल की केंद्रीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में कार्य करता है, जो अपने इस्पात संयंत्रों, खानों और अन्य इकाइयों को शुरू से अंत तक अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करता है। यह केंद्र उन्नत प्रयोगशालाओं, पायलट–स्केल सुविधाओं और विशेष नैदानिक प्रणालियों से सुसज्जित है जो लौह निर्माण, इस्पात निर्माण, रोलिंग और फिनिशिंग प्रचालन की पूरी श्रृंखला में प्रौद्योगिकियों की व्यवस्थित जांच, सत्यापन और विस्तार को सक्षम बनाता है।

2025–26 के दौरान, आरडीसीआईएस ने लक्षित उत्पाद विकास, प्रक्रिया अनुकूलन और संधारणीयता–संचालित हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसंधान परिणामों को मापने योग्य प्रचालन लाभ में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सेल की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, मूल्य वर्धित इस्पात क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और रक्षा, रेलवे, तेल और गैस, अवसंरचना और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रचालित अनुप्रयोगों के साथ कम कार्बन इस्पात निर्माण, संसाधन दक्षता, डिजिटलीकरण और चक्रिय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने की दिशा में निर्देशित किया गया था।

2025–26 के दौरान आरडीसीआईएस के कुछ मुख्य अनुसंधान एवं विकास योगदान नीचे सूचीबद्ध हैं।

❖ **नए उत्पादों का विकास:**

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)

- एएसटीएम ए387 क्लास 2 (ग्रेड 11/12) बॉयलर और प्रेशर वेसल अनुप्रयोगों के लिए एनपीएम–एसपीपी रूट के माध्यम से प्लेटों को सामान्यीकृत और टेम्पर्ड करता है।
- विद्युत मशीनरी अनुप्रयोगों के लिए एचएसएम–2 के माध्यम से नियंत्रित कार्बन (0.03–0.06%) के साथ ग्रेड 1 एसआईके एचआर कॉइल।
- उच्च ग्रेड सीआरएनओ स्टील्स (50सी 470/50सी 400) एसएमएस–II (आरएच–ओबी) – एचएसएम –2 – एसएसएम मार्ग के माध्यम से, कम कोर हानि के साथ विद्युत स्टील्स के उत्पादन को सक्षम करना।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)

- अर्ध–संसाधित विद्युत इस्पात अनुप्रयोगों हेतु एचएसएम और सीआरएम–3 के माध्यम से आईएस 18316:2023 ग्रेड लो–सिलिकॉन कोल्ड रोल्ड कॉईल।
- ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए सीआरएम–3 के माध्यम से आईएससी470एलए ग्रेड के उच्च शक्ति वाले कोल्ड रोल्ड कॉइल।
- मोटर वाहन और निर्यात–गुणवत्ता गैल्वनाइजिंग अनुप्रयोगों के लिए एसएमएस–1/2 और एचएसएम के माध्यम से एमसी60 ग्रेड एचआर कॉइल और ईएन 10149 एस355एमसी (एसआई < 0.03%) स्लैब।
- बॉयलर और प्रेशर बेसल्स अनुप्रयोगों के लिए आईएस 2002 ग्रेड 2 एचआर कॉइल।
- औद्योगिक फ्लोरिंग, वॉकवेस, प्लेटफार्मों और संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए चेकर्ड प्लेटें।

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)

- वेल्डिंग इलेक्ट्रोड अनुप्रयोगों के लिए एसएमएस–3–डब्ल्यूआरएम के माध्यम से ईएम 12 के वायर रॉड कॉइल (5.5/6 एमएम)।
- मर्चेंट मिल में अवसंरचना और निर्माण क्षेत्रों के लिए आईएस 1786 एफई 600 और एफई 550डी/एफई 550डी–एचसीआर टीएमटी रीबार और वायर रॉड बीआरएम, डब्ल्यूआरएम ।
- इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों के लिए एसएमएस–3 के माध्यम से सी 45 (सीआर–वीएडी) और 50सीआरएमव4 (300×335 एमएम) ब्लूम्स।

इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)

- अवसंरचना परियोजनाओं के लिए यूनिवर्सल सेक्शन मिल के माध्यम से ई350बीओ, ई410बीआर और ई410बीओ ग्रेड में यूनिवर्सल बीम यूबी 406×178 और एनपीबी/डब्ल्यूपीबी संरचनात्मक अनुभाग।
- निर्माण अनुप्रयोगों के लिए बार मिल के माध्यम से एफई550डी और एफई 550डी–एचसीआर टीएमटी बार (25–28 एमएम)।
- सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए डब्ल्यूआरएम के माध्यम से आईएस 7887 ग्रेड 4एम वायर रॉड कॉइल (7 एमएम)।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)

- अवसंरचना के अनुप्रयोगों के लिए मर्चेंट मिल के माध्यम से आईएस 2062 ई410बीओ जॉइस्ट (250×125 एमएम)।
- स्ट्रक्चरल री–रोलिंग के लिए ब्लूमिंग एंड रेल मिल मार्ग के माध्यम से सी20एचएमएनसी, एमए वी60 आरसी और ईएन 10025 एस460जेआर ब्लूम्स ।
- रोलिंग और फोर्जिंग अनुप्रयोगों के लिए डीएसपी–एएसपी रूट के माध्यम से आर 16 रेलवे एक्सल 370 एमएम बीआरसी राउंड से विकसित।

❖ **प्रक्रिया नवाचारः**

- एआई–मॉडल आधारित कोयला मिश्रण अनुकूलन और कोक गुणवत्ता पूर्वानुमान का विकास और क्रियान्वयन।
- क्वेंचिंग टॉवर संशोधन के माध्यम से कोक की नमी में कमी और योजकों के उपयोग के माध्यम से कोक की गुणवत्ता और बीएफ कार्य–निष्पादन में सुधार।
- लेवल मेजरमेंट और ट्रिपर कार पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से कोयला साइलो उपयोग के लिए प्रणाली का विकास।
- बेहतर स्थिरता और उत्पादकता के लिए ब्लास्ट फर्नेस संचालन में एसआई–प्रेडिक्शन मॉडल और प्रक्रिया अनुकूलन का विकास।
- ध्वनिक इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके सक्शन सिस्टम की स्थिति–आधारित स्वास्थ्य निगरानी के माध्यम से सिंटर संयंत्र उत्पादकता में सुधार।
- हेड हार्डेड संक्षारण प्रतिरोधी रेल के उत्पादन के लिए प्रक्रिया विकास।
- पहियों में समान कठोरता के लिए उन्नत रिम स्प्रे शमन प्रणाली का डिजाइन।
- वायर रॉड, स्ट्रक्चरल और रिबार के महत्वपूर्ण वर्गों के लिए रोल पास डिजाइन का विकास उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार।
- रोल फेलियर को रोकने और मध्यम संरचनात्मक मिल की उपलब्धता में सुधार के लिए बेहतर रोल कूलिंग सिस्टम का डिजाइन और पद्धतियों का अनुकूलन।
- यूनिवर्सल रेल मिल के लिए रोल पास स्नेहन प्रणाली का डिजाइन और हॉट स्ट्रिप मिल में आयात प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी हॉट रोलिंग ऑयल का विकास।
- आरएसपी पर सीआरएनओ स्टील्स के उच्च ग्रेड का निरंतर उत्पादन।

❖ **संधारणीयता और ग्रीन स्टील पहलें:**

- "कोयला/कोक की खपत को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग" शीर्षक वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना के तहत ब्लास्ट फर्नेस चलाने के लिए हाइड्रोजन इंजेक्शन प्रणाली का डिजाइन।
- इस्पात मंत्रालय की सहायता से "डीआरआई शाफ्ट रिएक्टर के 3डी मल्टीफिजिक्स मॉडलिंग के साथ अलग–अलग एच$_2$ और सीओ अनुपात के साथ डीआरआई के उत्पादन के लिए प्रक्रिया मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए स्थापित एक प्रयोगशाला/पायलट स्केल" नामक परियोजना के तहत हाइड्रोजन आधारित डीआरआई इकाई के पायलट स्केल का डिजाइन।
- इस्पात मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना "कम कार्बन फेरो मैंगनीज की तैयारी के लिए उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज का अकार्बनीकरण" (सीएसआईआर–एनएमएल के साथ सहयोग परियोजना) शीर्षक की परियोजना शुरू की।

- ईंधन की खपत को 30: तक कम करने के लिए सिंटर मशीन (एसपी रु 3, बीएसपी) की इग्निशन फर्नेस का इन–हाउस उन्नयन।
- कोक और सिंटर बनाने में सीडीसीपी डस्ट और टार डिकैन्टर स्लज का उपयोग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और कच्चे माल की खपत में कमी करना।
- एसआई–किल्ड स्टीलमेकिंग प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए एआई–किल्ड एलएफ स्लैग (अपशिष्ट) से टिकाऊ ब्रिकेट बनाने के लिए एकत्रीकरण तकनीक का विकास।

❖ **सहयोग –**

संगठन	श्रेणी	कार्य क्षेत्र
बीएचपी बिलिटन	सहमति ज्ञापन	स्टील अकार्बनीकरण
सीईएमविज़न	एनडीए	सीमेंट में एलडी स्लैग को अप–साइक्लिंग करना
प्राइमेटल्स	अनुबंध प्रदान किया गया	बीएफ#1, बीएसएल में एच$_2$ इंजेक्शन
मेकॉन	एमओए	कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए बीएफ में एच$_2$ का उपयोग
आरसीपीएल	एनडीए	जीएचजी उत्सर्जन से मूल्य वर्धित उत्पाद

आरडीसीआईएस ने 2025–26 के दौरान केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पहलों, प्रक्रिया अनुकूलन, उत्पाद विकास और संधारणीय पहलों के माध्यम से सेल की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। केंद्र के प्रयासों ने उत्पादकता में सुधार, लागत में कमी, आयात प्रतिस्थापन और ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों की उन्नति में योगदान दिया है, जिससे सेल की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत् इस्पात निर्माण पर राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन किया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):

आरआईएनएल में अनुसंधान एवं विकास पहलों का उद्देश्य संयंत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निर्देशित है। प्रक्रिया सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, नए उत्पाद विकास, लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रम आंतरिक रूप से और साथ ही सहयोगी अनुसंधान के तहत बाहरी संगठनों के साथ किए जाते हैं।

2025–26 के दौरान प्रगतिशील प्रक्रिया और उत्पाद विकास पर प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

- बीओएफ में कच्चे डोलोमाइट के साथ कैलक्लाइंड डोलोमाइट का आंशिक प्रतिस्थापन।
- आईआईटी–दिल्ली के सहयोग से अंतर्निहित सीओ$_2$ को स्वाभाविक रूप से कैप्चर करके और औद्योगिक अपशिष्ट (एलडी स्लैग) के उपयोग से सीओ$_2$ खनिजीकरण के लिए बीएफ गैस के उपयोग द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन की व्यवहार्यता का पता लगाना।
- बीओएफ में लाइम स्टोन के साथ लाइम के आंशिक प्रतिस्थापन पर एक परियोजना जिसका उद्देश्य सह–उत्पाद (–30 मिमी लाईमस्टोन) के उपयोग के माध्यम से लागत बचत करना है।
- ब्लास्ट फर्नेस के बेहतर पारगम्यता सूचकांक के लिए रासायनिक उपचार द्वारा आयरन सिंटर के आरडीआई (रिडक्शन डिसइंटीग्रेशन इंडेक्स) में सुधार करने के लिए एक अध्ययन।

- ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए रिसल्फ्यूराइज्ड स्टील ग्रेड का विकास।
- 20एमएन सीआर5 ग्रेड ब्लूम की आंतरिक सुदृढ़ता में सुधार करने के लिए प्रक्रिया मापदंडों का अनुकूलन।
- आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से बोरॉन, उच्च कार्बन और इलेक्ट्रोड गुणवत्ता ग्रेड, फोर्जिंग ग्रेड और स्प्रिंग स्टील का विकास।

अन्य पहलें

- निम्नलिखित पर कई अध्ययन किए गए:
  - सिंटर निर्माण में धातुकर्म अपशिष्ट माइक्रो पेलेट्स में कोक डस्ट का उपयोग।
  - कोक निर्माण, सिंटर निर्माण और बीएफ में पीसीआई के प्रतिस्थापन के रूप में बायोचार का उपयोग।
  - एसएमएस–1 में सल्फर और फॉस्फोरस का नियंत्रण।
  - 2 बीएफ से हॉट मेटल के उत्पादन के परिदृश्य में 4 कन्वर्टर्स की तुलना में 6 कन्वर्टर्स के साथ हीट उत्पादन के लिए टोटल मेटालिक इनपुट।
  - सीआरआरआई, दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुसार "सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन दिशानिर्देशों और विशिष्टताओं का विकास" नामक परियोजना के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में अपक्षयित एलडी स्लैग के साथ संयंत्र परिसर में एक सड़क का निर्माण किया गया था।
- "इस्पात संयंत्र में 2 टीपीडी सीओ$_2$ कैप्चर और उपयोग पायलट प्लांट की स्थापना" परियोजना के लिए आईआईटी–मद्रास के सहयोग से डीएसटी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए एक पहल।
- टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में "डिजिटल प्रौद्योगिकियों और उद्योग के साथ परिचालन उत्कृष्टता 4.व अनुसंधान एवं विकास विभाग एसआरटीएमआई (स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया) के दिशानिर्देशों के तहत टीपीपी और सिंटर प्लांट क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले आईडी/एफडी फैन के प्रचालन और रखरखाव में सुधार के लिए एआई उपकरणों का लाभ उठा रहा है।
- तेरह (13) पॉट सिंटरिंग प्रयोग और सात (7) पायलट ओवन परीक्षण आयोजित किए।
- इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्कफोर्स टीम प्रमाणन (आईएटीएफ) 16949 प्राप्त करने के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए पहल की गई थी।

एनएमडीसी लिमिटेडः

एनएमडीसी का अनुसंधान एवं विकास केंद्र एक आधुनिक सुविधा है जो उन्नत खनिज प्रसंस्करण, सतत् लौह निर्माण और माइनिंग वेस्ट से मूल्यवर्धन पर केंद्रित है। व्यापक प्रयोगशालाओं के साथ – बेनिफिशियेशन, स्वचालित खनिज विश्लेषण, बल्क सोलिड फ्लो, पेलेटाइजेशन और एकत्रीकरण इकाइयों, विश्लेषणात्मक सुविधाओं (एक्सआरडी, एक्सआरएफ, आईसीपी–एईएस, एसईएम), और पायलट–स्केल संयंत्रों के साथ, केंद्र खनिज मूल्य श्रृंखला में एंड–टू–एंड नवाचार का समर्थन करता है। नए जोड़े गए कोयला लक्षण वर्णन और कोक निर्माण क्षमताएं लोहे और इस्पात उद्योग के लिए समर्थन बढ़ाती हैं।

यह केंद्र सीएसआईआर–आईएमएमटी और हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के साथ इन–हाउस और सहयोगी परियोजनाएं संचालित करता है, जो खनिज सुरक्षा, अपशिष्ट उपयोग और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देता है। पाटनचेरु सुविधा के हालिया आधुनिकीकरण ने एनएमडीसी अनुसंधान एवं विकास केंद्र की अनुसंधान क्षमता को और मजबूत किया है।

प्रमुख अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियां और चल रही परियोजनाएं (2025)

क) नए उत्पादों का विकास

- **माइन वेस्ट से जियोपॉलिमर ब्रिक्सः** लौह–अयस्क टेलिंग, ओवरबर्डन और माइन वेस्ट का उपयोग करके हाई स्ट्रेन्थ, सीमेंट–फ्री जियोपॉलिमर ब्रिक्स का निर्माण। कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ अपशिष्ट–से–निर्माण–सामग्री रूपांतरण का सफल कार्य–निष्पादन किया।
- **किम्बरलाइट टेलिंग से फ्यूज्ड मैग्नेशिया :** पन्ना हीरा–खदान के वेस्ट से फ्यूज्ड मैग्नेशिया निकालने के लिए आईएमएमटी–सीएसआईआर के सहयोग से विकसित एक प्रयोगशाला–स्तरीय प्रक्रिया विकसित की गई है, जो मैग्नीशियम–आधारित अपवर्तक के घरेलू उत्पादन को सक्षम करती है और आयात प्रतिस्थापन का समर्थन करती है।

ख) प्रक्रिया नवाचार

- **कोल्ड–बॉन्डेड पेलेट्सः** वैकल्पिक बाइंडर–आधारित कोल्ड–बॉन्डेड पेलेट्स को थर्मल इन्डयूरेशन को खत्म करने, ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया है। स्ट्रेंथ और न्यूनीकरण का व्यापक प्रयोगशाला मूल्यांकन पूरा हो गया है।
- **सिलिसियस ब्लू डस्ट/लो–ग्रेड अयस्क का ड्राई बेनिफिकेशनः** हाई–सिलिका ब्लू डस्ट को पानी के बिना ब्लास्ट–फर्नेस गुणवत्ता में अपग्रेड करने के लिए दो–चरण चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया विकसित की गई, जो भविष्य के वाणिज्यिक ड्राई बेनिफिकेशन के लिए आधार तैयार करती है।
- **बीएचक्यू/बीएचजे लाभकारी फ्लोशीट विकास (प्रचालनार्थ):** बीएचक्यू/बीएचजे अयस्कों को पेलेट–ग्रेड फ़ीड में अपग्रेड करने के लिए डिपोजिट–विशिष्ट प्रक्रिया मार्ग तैयार किए गए। आगे का शोधन चल रहा है।
- **बीएचक्यू/बीएचजे से फेरोसिलिकॉन उत्पादन (प्रचालनार्थ):** सिलिका समृद्ध बीएचक्यू/बीएचजे अयस्कों के ईएएफ स्मेल्टिंग के माध्यम से फेरोसिलिकॉन के उत्पादन का तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है, जो व्यवहार्यता, ऊर्जा आवश्यकताओं और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर केंद्रित है।
- **ओवरबर्डन से एल्यूमिना निष्कर्षण (प्रचालनार्थ):** ओवरबर्डन अपशिष्ट से एल्यूमिना–समृद्ध यौगिकों को पुनर्प्राप्त करने के लिए हाइड्रोमेटलर्जिकल रूट्स का विकास।

ग) संधारणीयता पहलें

- **अपशिष्ट–से–संसाधन प्रौद्योगिकियां**

  (i) माइन के वेस्ट से जियोपॉलिमर ब्रिक्स

  (ii) किम्बरलाइट टेलिंग से फ्यूज्ड मैग्नेशिया

(iii) ओवरबर्डन से एल्यूमिना निष्कर्षण

- **लो कार्बन आयरन मेकिंग इनपुट:** कोल्ड–बॉन्डेड पेलेट्स ने एकत्रीकरण के दौरान ऊर्जा के उपयोग और ग्रीनहाउस–गैस उत्सर्जन में काफी कटौती की।
- **क्लीन मटेरियल हैंडलिंग:** आईएमएमटी–सीएसआईआर के सहयोग से वायुचालित परिवहन प्रणाली अनुसंधान का उद्देश्य डस्ट उत्सर्जन को कम करना और अयस्क परिवहन में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।

घ) सहयोग

सहयोगी संगठन	कार्य का क्षेत्र/परियोजना
सीएसआईआर–आईएमएमटी, भुवनेश्वर	– लौह अयस्क का वायुचालित परिवहन (प्रवाह व्यवहार, वियर एनालिसिस) – किम्बरलाइट वेस्ट से फ्यूज्ड मैग्नेशिया के लिए प्रक्रिया विकास
हैदराबाद विश्वविद्यालय	– बीएचक्यू/बीएचजे से फेरोसिलिकॉन के उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल):

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी भारतीय इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कंपनी है, जो मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन और भारत की इस्पात विनिर्माण क्षमता में योगदान देने पर केंद्रित है।

एनएसएल लिमिटेड की स्थापना भारत की इस्पात उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई थी। एनएसएल की स्थापना छत्तीसगढ़ के नगरनार में 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) इस्पात संयंत्र के विकास के साथ रखी गई थी। इस संयंत्र की कल्पना भारत के इस्पात उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई थी, जो घरेलू खपत और निर्यात बाजारों दोनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात प्रदान करता है।

एनएसएल भारत के इस्पात उद्योग के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने की देश की महत्वाकांक्षा के साथ, एनएमडीसी स्टील का विकास पथ भारत सरकार के व्यापक लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है। क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और बाजार विविधीकरण में कंपनी के प्रयासों से आने वाले वर्षों में इसकी बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है।

एनएसएल के पास विभिन्न प्रचालन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 7 समर्पित गुणवत्ता प्रयोगशालाएं थीं। केंद्रीय अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) नाम के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सीआरसीएल द्वारा निम्नलिखित पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है:

ऊर्जा संरक्षण:

- संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा खपत में सुधार
- अपशिष्ट उपयोग
- जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

प्रौद्योगिकी समावेश:

- नए उत्पाद का विकास
- विफलता विश्लेषण और जांच,
- प्राथमिक अनुसंधान
- संबद्ध उद्योगों के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता

केंद्रीय अनुसंधान नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) आंतरिक और बाहरी ग्राहकों को अभिनव और लागत प्रभावी अनुसंधान एवं विकास समाधान प्रदान करना है; बेहतर प्रक्रियाओं और उत्पादों का विकास और व्यावसायीकरण; उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरने के लिए अपने मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित है । प्रमुख प्रयास एनएसएल संयंत्रों के उत्पादों के लिए लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार और मूल्य–संवर्धन और ग्राहकों के स्तर पर एनएसएल उत्पादों को अनुप्रयोग आधारित इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने की दिशा में संचालित हैं।

सीआरसीएल विभिन्न खनिजों, कोयला, धातु और गैर–धातुओं का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों से सुसज्जित है। कुछ प्रमुख सुविधाओं में एक्सआरडी, डब्ल्यूडी–एक्सआरएफ, ओईएस, ऑयल स्पेक्ट्रो, फ्यूजन बीड, ओएनएच विश्लेषक, अल्टीमेट विश्लेषक, एसईएम, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, कोल पेट्रोलॉजी और अल्टीमेट विश्लेषक, यूटीएम, इम्पैक्ट परीक्षक, हार्डनेस परीक्षक, सीएनसी लेथ, आरयूएल, रिफ्रैक्टरी परीक्षण उपकरण, टीडीआई, ब्लास्ट फर्नेस सिमुलेशन (सॉफ्टनिंग एंड मेल्टिंग फर्नेस), आरआई, आरडीआई ऑयल और लुब्रिकेंट परीक्षण उपकरण शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 में प्रमुख उत्पाद विकास:

- एनएसएल ने ऑटो उद्योगों के लिए विभिन्न ग्रेड विकसित किए थे जिनमें ग्रेड ई34, ई38 और बीएसके46 शामिल हैं। इन ग्रेड का अनुप्रयोग एलसीवी/एमसीवी/एचसीवी, ऑटोमोटिव संरचनाओं और भागों के लिए चेसिस/फ्रेम में पाया गया।
- एपीआई ग्रेड एक्स52एम पीएसएल–2 विकसित किया गया, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रो रासायनिक उद्योगों में तेल, गैस और पानी के परिवहन में किया जाने वाला पाइप लाइन निर्माण में पाया गया।
- कॉर्टन स्टील के रूप में जाना जाने वाला मौसम प्रतिरोध इस्पात विकसित किया गया था, जिसे बाहरी वास्तुकला, मूर्तिकला और रेल रोड कार जैसे औद्योगिक उपयोगों में अनुप्रयोग पाया गया था।
- आईएस10748 ग्रेड 5 जिसका उपयोग वेल्डेड ट्यूब, पाइप और होलो सेक्शन के लिए किया जाता है।

- आईएस 2062 ई 450 बीआर ग्रेड हाई स्ट्रेंथ और हेवी ड्यूटी अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है।
- एसएई 1006 और एसएई 1020 जो गहरे ड्राइंग एप्लिकेशन, ऑटोमोटिव पैनल, मशीन पार्ट आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं।

मेकॉन लिमिटेडः

1986 में स्थापित, मेकॉन, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग को डीएसआईआर, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए हर तीन साल में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान नवीकरण प्रमाणपत्र पत्र सं टीयू/IV–आरडी/1191/2025, दिनांक 04.03.2025 द्वारा प्राप्त किया गया।

- वर्ष 2025–26 के दौरान **पेटेंट** नवीनीकरण

क्र. सं.	पेटेंट सं.	शीर्षक
1	283924	ब्लास्ट फर्नेस के लिए एक बेहतर स्टोव और उसी को बनाने की एक विधि।
2	291771	एक सतत एनओ$_x$ निगरानी प्रणाली
3	309448	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) कनवर्टर के लिए इन्फ्रारेड इमेजरी आधारित स्लैग डिटेक्शन सिस्टम
4	363573	थर्मोइलेक्ट्रिकली डायरेक्ट कूलिंग हीटिंग हेलमेट।
5	382969	हाइब्रिड थर्मोइलेक्ट्रिकली कूल्ड/हीटेड बैक–पैक्ड एयर सर्कुलेटिंग हेलमेट सिस्टम
6	403408	49.8 मी^{3} हॉट वॉल्यूम कोक ओवन बैटरी ऑटो चेंज–ओवर के लिए पीएलसी नियंत्रित रिवर्सिंग विंच के साथ (अंगारा)
7	419758	एनडीआईआर विधि का उपयोग करके सतत बहु घटक गैस विश्लेषक
8	475776	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस वेसल सस्पेंशन सिस्टम
9	458346	उन्नत 5.0 मीटर लंबा कोक ओवन बैटरी
10	503498	ट्रैवलिंग ग्रेट टाइप पेलेट संयंत्र
11	504651	उन्नत ब्लास्ट फर्नेस और उसका प्रचालन, 4250मी3 ब्लास्ट फर्नेस (लोहा) का डिजाइन विकास
12	508424	शीट ब्लैंक के क्षेत्रवार इंडक्शन हिट ट्रीटमेंट के लिए प्रणाली और क्रियाविधि
13	527876	उन्नत 7.0 एम लंबी कोक ओवन बैटरी
14	530055	इन्फ्रारेड कैमरा आधारित लैडल स्थिति निगरानी प्रणाली

मेकॉन ने आवेदन किया है और इस्पात उद्योग के लिए कोक उत्पादन के लिए "स्टाम्प चार्ज कोक ओवन प्लांट" के डिजाइन और विकास के लिए 2025 के दौरान "पेटेंट प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया गया है। पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

मेकॉन द्वारा किए गए तकनीकी अध्ययन:

- ग्रीन स्टील बनाने वाला प्रौद्योगिकी।
- कार्बन कैप्चर और उपयोग।
- अपशिष्ट जल का कुशल उपयोग/पुनर्चक्रण– शून्य द्रव प्रवाह (जेडएलडी) प्रणाली।
- इस्पात संयंत्र स्लैग से मेटल रिकवरी।
- ब्लास्ट फर्नेस कॉम्प्लेक्स में ड्राई गैस क्लियरिंग प्लांट का स्वदेशी विकास।
- निम्न श्रेणी के लौह अयस्क में बेनिफिशियेशन हेतु परियोजना।

2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–25 और 2025–26 के दौरान अनुसंधान एवं विकास निवेश

क्र.सं.	गतिविधियाँ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
(क)	अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले थर्मोग्राफी, इन्वायरमेंट और फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग मेटेरियल।	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले थर्मोग्राफी, इन्वायरमेंट और फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग मेटेरियल।	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले थर्मोग्राफी, इन्वायरमेंट और फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग (एफएसडब्ल्यू) मेटेरियल।	इस्पात उद्योग में कोक ओवन गैस से कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन रिकवरी, निम्न श्रेणी के लोहे का बेनिफिशिएसन, इस्पात उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस के लिए ड्राई गैस क्लीनिंग संयंत्र का स्वदेशीकरण।	इस्पात उद्योग में कोक ओवन गैस से कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन रिकवरी, निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का बेनिफिशिएसन, इस्पात उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस के लिए ड्राई गैस क्लीनिंग संयंत्र का स्वदेशीकरण।
(ख)	विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया के लिए शुरू किया गया और उत्पाद विकास	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले इन्फ्रारेड कैमरा अधारित टारपीडो लैडलकार कंडीशन सिस्टम, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग (एफएसडब्ल्यू) सामग्री।	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले इन्फ्रारेड कैमरा अधारित टारपीडो लैडलकार कंडीशन सिस्टम, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग (एफएसडब्ल्यू) सामग्री।	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले इन्फ्रारेड कैमरा अधारित लैडल कंडीशन मोनिटरिंग सिस्टम, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग (एफएसडब्ल्यू) सामग्री।	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले इन्फ्रारेड कैमरा अधारित लैडल कंडीशन मोनिटरिंग सिस्टम, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग (एफएसडब्ल्यू) सामग्री।	सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाले इन्फ्रारेड कैमरा अधारित लैडल कंडीशन मोनिटरिंग सिस्टम, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग (एफएसडब्ल्यू) सामग्री।

क्र.सं.	गतिविधियाँ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
	ऊर्जा खपत में कमी, अपशिष्ट उपयोग, कच्चा माल का संरक्षण।	• एकीकृत इस्पात संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली का कार्यान्वयनः एनआईएसपी, नगरनार (छत्तीसगढ) • एकीकृत इस्पात संयंत्रः सेल–आरएसपी, राउरकेला (ओडिशा) में ट्रीटमेंट सिस्टम –1 के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम शुरू और ट्रीटमेंट सिस्टम–2 में कार्य प्रगति पर है। • जेएसडब्ल्यू इस्पात संयंत्र तोनगिलु (कर्नाटक) में संयंत्र स्लैग से धातु रिकवरी संयंत्र के लिए इंजीनियरिंग पूरी हो गई है और कमीशनिंग प्रगति पर है।				
(ग)	शैक्षणिक/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उसकी उपलब्धि।	टाटा स्टील, जमशेदपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय	टाटा स्टील, जमशेदपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय	टाटा स्टील, जमशेदपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय	आईआईटी कानपुर (चर्चा अधीन)	आईआईटी कानपुर (चर्चा अधीन)
(घ)	अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास कार्य किए जा रहे हैं	–	–	–	हाइड्रोजन आधारित ग्रीन स्टील बनाने पर अध्ययन।	हाइड्रोजन आधारित ग्रीन स्टील बनाने पर अध्ययन।
(ङ)	अनुसंधान एवं विकास निवेश (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 में दिनांक 31.12.2025 तक अनुसंधान एवं विकास पर शून्य निवेश अर्थात पूंजीगत व्यय था।				
(च)	प्रकाशन/शोध पत्र/	01	01	01	01	01
	पेटेंट दायर एवं प्राप्त	सील्ड पेटेंट की संख्याः 01 दायर/ प्रक्रियाधीन पेटेंट की संख्याः 09 नवीकरण के लिए आवेदन किए गए पेटेंटों की संख्याः 04	सील्ड पेटेंट की संख्याः 02 दायर/प्रक्रियाधीन पेटेंट की संख्याः 07 नवीकरण के लिए आवेदन किए गए पेटेंटों की संख्याः 05	सील्ड पेटेंट की संख्याः 07 नवीकरण के लिए आवेदन किए गए पेटेंटों की संख्याः 05	नवीकरण के लिए आवेदन किए गए पेटेंटों की संख्याः10	नवीकरण के लिए आवेदन किए गए पेटेंटों की संख्याः 14 दायर/प्रक्रियाधीन पेटेंट की संख्याः 01

अध्याय – X

इस्पात उपयोग का संवर्धन

10.1 पृष्ठभूमिः

इस्पात किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सतत आर्थिक विकास का समर्थन करता है क्योंकि इसे पुनर्चक्रण किया जा सकता है और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। निर्माण और अवसरंचना परियोजनाओं में अधिक इस्पात का उपयोग करने से काम को अधिक तेज़ी से समाप्त किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली संरचनाएं होती हैं, क्योंकि इस्पात अपने वजन की तुलना में मजबूत होता है और यह बहुत टिकाऊ होता है। चूंकि इस्पात 100% पुनर्चक्रण योग्य है, इसलिए यह अपने पूरे जीवन चक्र में पर्यावरणीय कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

इस्पात की खपत किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, खासकर राष्ट्र निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का उद्देश्य भारत को सभी प्रकार के इस्पात में आत्मनिर्भर बनाना और भारतीय लौह और इस्पात उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस्पात मंत्रालय देश के भीतर इस्पात के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के साथ–साथ घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रहा है।

10.2 भारत में इस्पात के उपयोग का परिदृश्यः

10.2.1 पिछले 05 वित्तीय वर्षों और अप्रैल–दिसंबर 2025–26 (अनंतिम) के दौरान, भारत में इस्पात की खपत निम्नानुसार हैः

कुल तैयार स्टील (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर–मिश्र धातु) खपत		
वर्ष	**मात्रा. (एमटी)**	**पिछले वर्षों की तुलना में % परिवर्तन**
2020-21	94.89	-5.3
2021-22	105.75	11.4
2022-23	119.89	13.4
2023-24	136.29	13.7
2024-25	152.13	11.6
अप्रैल–दिसंबर, 2025 (अनंतिम)	119.57	7.0
*स्रोतः जेपीसी (*दिसंबर 2025 तक अनंतिम*)*		

भारत को एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है, जो इस्पात की खपत में मजबूत, लगातार वृद्धि दिखा रहा है, पिछले तीन वर्षों से कई बार मांग दोहरे अंकों में बढ़ रही है। 2023–24 और 2024–25 के लिए प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 97.7 किलोग्राम और 108.0 किलोग्राम है।

10.2.2 भारत में, इस्पात की खपत मुख्य रूप से आवास और निर्माण (43%), अवसंरचना विकास (25%), इंजीनियरिंग और पैकेजिंग (22%), ऑटोमोटिव्स (9%) और रक्षा (1%) जैसे विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में की जाती है।

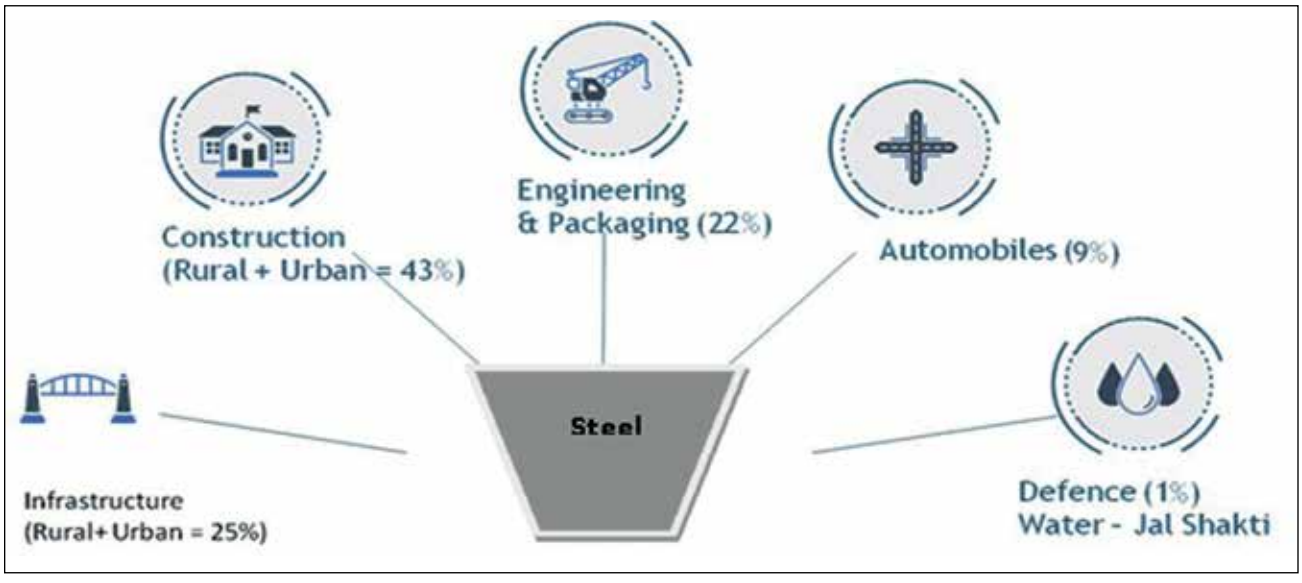

10.2.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, देश में कुल इस्पात की खपत 152.13 मिलियन टन थी। तथापि, भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 108.0 किलोग्राम प्रति वर्ष है। विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग में सुधार की काफी गुंजाइश है।

10.3 भारत की इस्पात मांग का परिदृश्यः

भारत की कुल इस्पात मांग वित्तीय वर्ष 31 तक 230 एमटी तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि भवन और निर्माण (बढ़ती शहरीकरण दर, इस्पात की बढ़ती तीव्रता) और अवसंरचना क्षेत्रों (सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट में निवेश, इस्पात के बढ़ते उपयोग) द्वारा संचालित होगा।

10.4 इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने वाली सरकार की पहलें

सरकार की पहलों में शामिल हैं:

- भारत सरकार नीतिगत प्रोत्साहनों के साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना जारी रखे हुए है जो घरेलू विनिर्माण को मजबूत करता है और सभी क्षेत्रों में इस्पात की खपत को बढ़ावा देता है।
- अवसंरचना में निवेश एक प्रमुख फोकस बना हुआ है। अवसंरचना के लिए पूंजीगत व्यय लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जो सड़कें, रेलवे, पत्तन, शहरी विकास और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं की निरंतर प्राथमिकता को दर्शाता है, जो सीधे निर्माण और औद्योगिक उपयोग में इस्पात की मांग को बढ़ाता है।

- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) जैसे बड़े पैमाने के कार्यक्रमों को आवासीय क्षेत्र में आवास निर्माण और संबंधित इस्पात की मांग का समर्थन करते हुए धन में वृद्धि हुई (उदाहरण के लिए, पीएमएवाई आवंटन में लगभग 64% की वृद्धि हुई थी)
- भारत में इस्पात की मांग में मजबूत वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो अवसंरचना और निर्माण गतिविधियों में निरंतर गति से प्रेरित है। उद्योग का अनुमान है कि इस्पात की खपत में लगभग 8% की वृद्धि होगी, जो प्रति वर्ष 11–12 मिलियन टन की बढ़ती मांग के अनुरूप है। विशेष रूप से, दिसंबर 2025 तक स्टील की खपत में लगभग 7% की वृद्धि हो चुकी है, जो अनुमानित विकास पथ की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाती है।
- स्पेशियलिटी स्टील के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के निरंतर कार्यान्वयन से मूल्य वर्धित इस्पात के उच्च घरेलू उत्पादन का समर्थन होता है, आयात पर निर्भरता कम होती है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि होती है।
- सार्वजनिक अधिप्राप्ति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात को प्राथमिकता देने की सरकार की नीति भारतीय इस्पात उत्पादों की मांग का एक स्थिर आधार सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय परियोजनाओं में स्थानीय उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

10.5 इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई द्वारा इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास

10.5.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल उद्योग में सबसे व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो प्रदान करता है– प्लेट, कॉइल, बार, स्ट्रक्चरल सेक्शन, रेल, पाइप, गैल्वेनाइज्ड उत्पाद, वायर रॉड और 500 से अधिक स्टील ग्रेड। सेल ने ब्रांडेड और मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे कि सेल सिक्योर (प्रीमियम टीएमटी बार), सेल नेक्स (समानांतर फ्लैंग बीम और संरचनात्मक खंड), और सेल–ज्योति (गैल्वेनाइज्ड शीट) में निवेश किया है। ये ब्रांड अवसंरचना, आवास, विनिर्माण और छोटे–ठेकेदार बाजारों के मिश्रण की सेवा करने के लिए अवस्थापित हैं।

सेल ने ग्रामीण पहुँच, अवसंरचना के समर्थन और उत्पाद नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे भारत में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं। भारत में सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक के रूप में, सेल के प्रयास प्रति व्यक्ति इस्पात खपत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

ग्रामीण आउटरीचः "गांव की ओर" अभियान

सेल के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक "सेल स्टील–गांव की ओर" अभियान है। यह स्वीकार करते हुए कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बहुत कम है, यह पहल "सुदूर ग्रामीण क्षेत्र" के बाजार को लक्षित करती है। वर्ष 2017–18 में शुरू की गई 'गांव की ओर' कार्यशालाएं हर साल सामान्य रूप से इस्पात के उपयोग और विशेष रूप से सेल इस्पात के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की जाती हैं, जिसमें 2025–26 के दौरान 254 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

- **सहभागिता कार्यशालाएं:** सेल किसानों और ग्रामीण निवासियों को कृषि, आवास और घरेलू उपकरणों में इस्पात के उपयोग के लाभों के संदर्भ में शिक्षित करने के लिए तालुका और ब्लॉक स्तरों पर स्थानीय भाषाओं में कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

- **ग्रामीण डीलरशिप योजना:** उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सेल ने दूरदराज के क्षेत्रों में हजारों छोटे पैमाने के डीलरों को शामिल करने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार किया।
- **लॉजिस्टिक्स सहायता:** कंपनी अक्सर ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इस्पात की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए अपने गोदामों से ग्रामीण डीलर आउटलेट तक परिवहन लागत वहन करती है।

ब्रांडिंग और उत्पाद नवाचार

सेल जेनेरिक स्टील बेचने से लेकर उच्च दृश्यता वाले ब्रांड बनाने की ओर बढ़ गया है जो गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है।

- **सेल सिक्योर टीएमटी बार्स:** इन भूकंप–प्रतिरोधी (ईक्यूआर) बार को विशेष रूप से व्यक्तिगत घर बिल्डरों के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जो बेहतर लचीलेपन और सुरक्षा पर जोर देते हैं। सेल ने टेलीविजन पर विज्ञापनों के माध्यम से, हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर और हाफ मैराथन और बैडमिंटन टूर्नामेंट जैसे लोकप्रिय खेल आयोजनों के दौरान सेल–सिक्योर टीएमटी बार के लिए कई ब्रांड–निर्माण और प्रचार अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सेल–सिक्योर को आवास और खुदरा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले सुदृढीकरण समाधान के रूप में स्थापित करना है।
- **नेक्स संरचनाएँ:** भारी निर्माण और अवसंरचना के लिए एक विशेष ब्रांड हाई स्ट्रेन्थ टू वोट अनुपात प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो संरचनात्मक स्थिरता को बनाए रखते हुए आवश्यक इस्पात की कुल मात्रा को कम करता है।
- **विशेष इस्पात:** सेल रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों (जैसे नौसेना युद्धपोतों के लिए डीएमआर ग्रेड इस्पात) के लिए विशेष उत्पादों का उत्पादन करता है, जो रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए सहायता

सेल भारत की विशाल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक प्राथमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देता है।

- **रेलवे:** सेल भारतीय रेलवे को उच्च गुणवत्ता वाली रेल (260 मीटर तक लंबे पैनल) का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता है, जो हाई–स्पीड कॉरिडोर के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है।
- **पुल और एक्सप्रेसवे:** इसका इस्पात अटल सेतु (एमटीएचएल) और पूरे भारत में विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं जैसे स्थलों का अभिन्न अंग रहा है।
- **इस्पात गहन भवन:** सेल तेजी से परियोजना पूरी होने और उच्च स्थायित्व के लिए इस्पात गहन भवन (शुद्ध आरसीसी के स्थान पर इस्पात फ्रेम का उपयोग करके) की अवधारणा को बढ़ावा देता है।

डिजिटल और विपणन नेटवर्क

बड़े पैमाने पर ठेकेदारों और छोटे खरीदारों दोनों के लिए खरीदारी को आसान बनाने के लिए, सेल ने अपने वितरण का आधुनिकीकरण किया है:

- **लास्ट माइल कनेक्टिविटी:** ग्राहकों को उनके परिसर में समय पर परेशानी मुक्त तरीके से सामग्री पहुंचाने के लिए, पिछले 9 महीनों में लगभग 6 लाख टन की डोर डिलीवरी की गई है।

- **ई–पोर्टल:** सेल स्वयं का ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रचालित करता है जहां ग्राहक कीमतों का पता लगा सकते हैं और सीधे उत्पाद खरीद सकते हैं।
- सीएमओ भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक विपणन नेटवर्क है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय, वेयरहाउस, टियर–I और टियर–II वितरक शामिल हैं, और एक खुदरा फुटप्रिंट जिसमें देश भर में 5,000 से अधिक डीलर शामिल हैं।

टियर–1 डिस्ट्रीब्यूटरशिप योजना:

एमएसएमई और छोटे व्यवसायों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सेल ने टियर–1 डिस्ट्रीब्यूटरशिप योजना को मजबूत किया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, बी2बी सेगमेंट की मांग को पूरा करने के लिए टियर–1 वितरकों की कुल संख्या 69 है। अप्रैल–दिसंबर'2025 अवधि में टियर–1 चैनल की बिक्री 13.54 लाख टन थी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में टियर–1 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से संभावित बिक्री 18 लाख टन होने की आशा है।

टियर –2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप योजना (टीएमटी के लिए):

अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए, उप–शहरी और ग्रामीण बाजारों में गहरी पैठ बनाने के लिए, सेल ने देश भर में एक टियर–2 वितरक नेटवर्क लागू किया है। यह विस्तारित नेटवर्क आवास और छोटे निर्माण क्षेत्रों के लिए इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने में सेल की भूमिका को मजबूत करता है। यह चैनल वितरकों और डीलरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को मूल्य वर्धित उत्पाद, कुशल वितरण और बेहतर सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, सेल की टियर–2 खुदरा संरचना में देश भर में 63 टियर–2 वितरक और 4,433 डीलर शामिल थे, जो खुदरा बाजार में उत्पाद की उपलब्धता और दृश्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।

संधारणीयता और "ग्रीन स्टील"

2025–2026 के पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप, सेल कम कार्बन उत्पादन विधियों को अपनाकर ग्रीन स्टील के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

- **अकार्बनीकरण रोडमैप:** हाइड्रोजन–आधारित स्टीलमेकिंग और कार्बन कैप्चर में परीक्षणों द्वारा, सेल इस्पात को भविष्य के लिए एक स्थायी "ग्रीन" सामग्री के रूप में स्थापित कर रहा है।
- **हाई स्ट्रेन्थ ग्रेड:** हाई ग्रेड स्ट्रेन्थ स्टील (एचएसएस) को बढ़ावा देने से उपयोगकर्ता समान संरचनात्मक मजबूती के लिए कम सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जो किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है।

10.5.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम (आरआईएनएल)

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान घरेलू बिक्री के 30% के स्तर तक अपनी हाई एंड वैल्यू एडेड सेल्स (वीएएएस) को लगातार बढ़ाना।
- विभिन्न खुले विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर नए खुदरा विक्रेताओं को नियुक्त किया गया और खुदरा क्षेत्र में 70 से अधिक नए सहमति ज्ञापन किए गए और इन सहमति ज्ञापनों के माध्यम से लगभग 2.7 लाख एमटी इस्पात की मात्रा को जोड़ा गया है।

- आरआईएनएल अपने ग्राहकों की आवश्यकता तक पहुंचने और अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप अपनी उत्पाद श्रृंखला को ट्यून करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
- सितंबर 2025 में विजयवाड़ा में एक वास्तुकार, बिल्डरों और ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रतिभागियों को आरआईएनएल के उत्पादों और इस्पात के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिससे स्थानीय निर्माण समुदाय के लिए आरआईएनएल के उत्पाद पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया गया।
- क्षेत्रीय/मुख्यालय स्तर की अध्यक्षता में नियमित ग्राहक बैठकें आयोजित की गईं जिनमें ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्पादों की श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है।
- ऑटोनगर विशाखापत्तनम में एमएसएमई के विक्रेता विकास कार्यक्रम और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में विश्व मानक दिवस प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां गुणवत्तापूर्ण इस्पात उपयोगों के संदर्भ में बेहतर जागरूकता के लिए आरआईएनएल के उत्पादों को प्रदर्शित और प्रचारित किया गया।
- आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर में 2–टियर डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा के अप्रयुक्त क्षेत्रों में आरआईएनएल की पैठ बनाने में मदद मिलेगी।
- इस्पात के दूरस्थ उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरआईएनएल के शाखा क्षेत्राधिकार के तहत विभिन्न स्थानों पर लगातार नए डीलरों को जोड़ा जा रहा है।
- अपने ऑनलाइन पोर्टल ई–सुविधा के माध्यम से देश के दूरदराज के क्षेत्रों को पूरा करना ताकि ऑनलाइन डिजिटल पूछताछ के माध्यम से भारत के हर क्षेत्र की सेवा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और ग्राहकों के घर तक सेवाएं भी प्रदान की जा सकें।

बिक्री संवर्धन के भाग के रूप में, ग्रामीण डीलरों को निशुल्क डिस्प्ले बोर्ड, अधिकतम अनुशंसित खुदरा मूल्य (एमआरआरपी) डिस्प्ले बोर्ड, डीलरशिप प्रमाण–पत्र और उत्पाद शिक्षा प्रदान करना।

अध्याय – XI

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन

11.1 परिचय

11.1.1 इस्पात उद्योग को हार्ड–टू–एबेट क्षेत्र माना जाता है और यह भारत में कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 10–12% है। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करने और 2070 तक नेट–जीरो प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीओपी 26 शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुरूप, इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात क्षेत्र को अकार्बनीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसके समर्पण को दर्शाता है और साथ ही साथ निरंतर आर्थिक विकास और क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने का प्रयास करता है।

11.1.2 इस्पात उद्योग को अकार्बनीकरण करना इसकी ऊर्जा–गहन प्रक्रियाओं और कार्बन–हेवी इनपुट के कारण चुनौतीपूर्ण है। इस्पात मंत्रालय ने पहले ही इस क्षेत्र के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रयासों और रणनीतियों को लागू करते हुए स्थायी तरीके से कम कार्बन वाले इस्पात का उत्पादन करने की दिशा में एक विकास क्रम शुरू कर दिया है। इन पहलों का उद्देश्य कई प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया–उन्मुख समाधान का लाभ उठाकर इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करना है।

11.2 लौह और इस्पात क्षेत्र को अकार्बनीकरण करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलें नीचे मुख्य रूप से दशाई गई हैं:

11.2.1 "ग्रीनिंग दी स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और कार्य योजना" पर रिपोर्ट

इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 10 सितंबर, 2024 को "ग्रीनिंग दी स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और कार्य योजना" शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जो मंत्रालयों/विभागों, उद्योग, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और इनोवेटर्स आदि के हितधारकों से युक्त 14 कार्य बलों की सिफारिशों पर आधारित है।

यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा करती है और विभिन्न प्रमुख लीवरों के लिए ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सामग्री दक्षता, कोयला आधारित डीआरआई से प्राकृतिक गैस आधारित डीआरआई में प्रक्रिया परिवर्तन, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) और इस्पात उद्योग में बायोचार का उपयोग जैसे ग्रीन परिवर्तन पर रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करती है।

इस्पात मंत्रालय 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। अकार्बनीकरण लक्ष्य की दिशा में, अल्पावधि (वित्त वर्ष 2030) में, ऊर्जा और संसाधन दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि को बढ़ावा देने के माध्यम से इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन में कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मध्यम अवधि (2030–2047) के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फोकस क्षेत्र हैं। लंबी अवधि (2047–2070) के लिए, विघटनकारी वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय नवाचार निवल शून्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

11.2.2 इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाएं

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इस्पात क्षेत्र भी मिशन में एक हितधारक है और वित्त वर्ष 2029–30 तक मिशन के तहत लौह और इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 455 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आवंटित की गई है। अब तक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत इस्पात निर्माण में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं, जो कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने और एनजी/अन्य कम करने वाली गैस को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए वर्टिकल शाफ्ट आधारित डीआरआई बनाने वाली इकाई में हाइड्रोजन के इंजेक्शन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

11.2.3 ग्रीन स्टील का वर्गीकरण:

लौह एवं इस्पात क्षेत्र के ग्रीन परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को 'ग्रीन इस्पात का वर्गीकरण' जारी किया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी भारत के इस्पात उद्योग को अधिक संधारणीय, कम कार्बन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस्पात उत्पादन में ग्रीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट ढांचे को परिभाषित करके इस्पात उत्पादन में ग्रीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एक स्पष्ट ढांचे को परिभाषित करना। यह वर्गीकरण ग्रीन इस्पात बाजार के विकास के लिए एक मूलभूत उपकरण के रूप में काम करेगा, ग्रीन प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा और इस प्रकार ग्रीन इस्पात बाजार में भारत की वैश्विक औद्योगिक अकार्बनीकरण परिदृश्य भूमिका को बढ़ाएगा।

विश्व स्तर पर, ग्रीन स्टील की कोई सामान्य रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है; भारत ग्रीन स्टील का वर्गीकरण जारी करने वाला पहला देश है।

ग्रीन स्टील के वर्गीकरण को भारत के दिनांक 23.12.2024 के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचित किया गया है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

i) "ग्रीन स्टील" को इस्पात की प्रतिशत ग्रीननेस के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा जो इस्पात संयंत्र से उत्पादित सीओ$_2$ समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता के साथ 2.2 टन सीओ$_2$ई प्रति टन तैयार स्टील (टीएफएस) से कम है। इस्पात की ग्रीननेस को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा, जो इस आधार पर होगा कि 2.2 टी–सीओ$_2$/टीएफएस थ्रे शोल्ड की तुलना में इस्पात संयंत्र की उत्सर्जन तीव्रता कितनी कम है।

ii) ग्रीननेस के आधार पर, इस्पात को निम्नानुसार रेट किया जाएगा:

- **फाइव–स्टार ग्रीन–रेटेड स्टील:** 1.6 टी–ओ2ई/टीएफएस से कम उत्सर्जन तीव्रता वाले स्टील को फाइव–स्टार ग्रीन–रेटेड स्टील के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- **फोर स्टार ग्रीन–रेटेड स्टील:** 1.6 और 2.0 टी–सीओ2ई/टीएफएस के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाले स्टील को फोर स्टार ग्रीन–रेटेड स्टील के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- **थ्री–स्टार ग्रीन–रेटेड स्टील:** 2.0 और 2.2 टी–सीओ2ई/टीएफएस के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाले स्टील को थ्री–स्टार ग्रीन–रेटेड स्टील के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- 2.2 टी–सीओ2ई/टीएफएस से अधिक उत्सर्जन तीव्रता वाले स्टील ग्रीन रेटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ग्रीन स्टील की स्टार रेटिंग को परिभाषित करने के लिए सीमा की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी।

दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, 58 इस्पात इकाइयों को अधिसूचित वर्गीकरण के तहत ग्रीन स्टील प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जो 9.1 मिलियन टन (एमटी) के समेकित ग्रीन स्टील उत्पादन करते हैं।

अध्याय – XII

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

12.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय को इस प्रयोजन के लिए अपने बजटीय आवंटन का 10 प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता से छूट दी गई है।

12.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्पात सीपीएसई द्वारा पहलें

12.2.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

पूर्वोत्तर क्षेत्र सेल के लिए एक फोकस क्षेत्र रहा है क्योंकि इस्पात के उपयोग के संदर्भ में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम पैठ वाला रहा है। सेल का पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एक स्थापित विपणन नेटवर्क है। गुवाहाटी, असम में इसका एक शाखा बिक्री कार्यालय है जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्पात उत्पादों के विपणन की देखभाल करता है। शाखा बिक्री कार्यालय के अतिरिक्त, गुवाहाटी, असम में एक खेप हैंडलिंग एजेंसी (सीएचए) और सिलचर, असम में स्थित एक खेप एजेंसी (सीए) वेयरहाउस है।

- दिनांक 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के दौरान, सेल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2.99 लाख टन की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।
- 2025–26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026) में अनुमानित बिक्री लगभग 1.00 लाख टन होने की आशा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सेल राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा कर रहा है, जैसे:

- मिजोरम में बैराबी–सैरंग रेलवे लाइन।
- असम में 2000 एमडब्ल्यू की सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना,
- असम और मेघालय को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से फूलबाड़ी तक 19.2 किमी का भारत का प्रस्तावित सबसे लंबा नदी सड़क पुल,
- न्यू गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी, असम।
- असम के विभिन्न जिलों में टाटा कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज।
- असम में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट जागीरोड।

- पलासबाड़ी–सुआलकुची ब्रह्मपुत्र नदी पर 12.21 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल।
- अरूणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना।
- एकीकृत निदेशालय परिसर (आईडीसी) गुवाहाटी, असम

मिजोरम में बैराबी–सैरंग रेल परियोजना।

उपरोक्त सूची के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान सेल बीएसओ गुवाहाटी ने विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं को आपूर्ति शुरू कर दी थी, जैसे,

- मेघालय सचिवालय भवन, शिलांग, मेघालय
- गुवाहाटी, असम में चांदमारी–नूनमती फ्लाईओवर 4 लेन 5.44 किलोमीटर
- असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ में रक्षा परियोजनाएं,
- मणिपुर के इंफाल में आईटी एसईजेड मणिपुर; और भी बहुत कुछ।

मेघालय नया सचिवालय भवन

पलासबाड़ी – सुआलकुची नदी पुल

सेल कोल्ड रिड्यूसर, एलपीजी निर्माता, इलेक्ट्रोड निर्माता, वायर ड्रॉइंग और कई अन्य उद्योगों को इस्पात की आपूर्ति करके क्षेत्र के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहा है। परियोजनाओं और उद्योगों को बिक्री के अतिरिक्त, सेल गुवाहाटी में स्थित टियर–1 वितरक के माध्यम से मध्यम और छोटे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने

और सभी 7 राज्यों को शामिल करने वाले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के तहत शामिल किए गए उत्पाद एचआर उत्पाद, सीआर उत्पाद, पीएम प्लेट, जीपी/जीसी शीट और सभी हल्के, मध्यम और भारी संरचनात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, खुदरा आवश्यकताओं के लिए, सेल ने एक टियर–2 वितरण खुदरा चैनल नेटवर्क स्थापित किया है जिसमें वितरक और डीलर शामिल हैं, जो एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खुदरा बिक्री को 3 टियर–2 वितरकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक डीलरों द्वारा पूरा किया जा रहा है।

गांव की ओर (जीकेओ) इस्पात जागरूकता बैठक

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक कुशल वितरण चैनल के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में अंतिम ग्राहक तक पहुंचना और उत्पादों, वितरण और सेवाओं में मूल्यवर्धन के माध्यम से उपभोक्ताओं/ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करना है। टियर–2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम मील की दुकानों और उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाने में मदद करेगी, जो आम तौर पर छोटी मात्रा, कठिन इलाकों और दूरदराज के स्थानों के कारण लॉजिस्टिक मुद्दों का सामना करते हैं। खुदरा ग्राहकों के बीच ब्रांड जागरूकता और रिकॉल को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रचार गतिविधियां जैसे; मेसन मीट, गांव की ओर (जीकेओ) इस्पात जागरूकता बैठक, दीवार पेंटिंग, होर्डिंग, असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के माध्यम से बस ब्रांडिंग, बीहू महोत्सव, बांस महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी सेल द्वारा सीधे और वितरकों के माध्यम से किए गए हैं।

12.2.2 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी इस क्षेत्र में ग्राहकों की सेवा के लिए गुवाहाटी में एक पूर्वोत्तर शाखा कार्यालय संचालित करता है। शाखा नियमित रूप से अधिशेष और स्क्रैप सामग्री (लौह और अलौह दोनों), अप्रचलित वस्तुओं, उपकरण, मशीनरी, वाहनों और विभिन्न विविध वस्तुओं सहित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ई–नीलामी आयोजित करती है। ये नीलामियां पूर्वोत्तर क्षेत्र में रक्षा इकाइयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और विभिन्न राज्य सरकार के विभागों जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों की जरूरतों को पूरा करती हैं। एमएसटीसी द्वारा नीलाम की गई स्क्रैप सामग्री विभिन्न उद्योगों के लिए द्वितीयक कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह शाखा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते

हुए सरकारी विभागों के लिए प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के निपटान में भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी अपने समर्पित पोर्टल के माध्यम से मेघालय से कोयले की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। कार्यालय असम में विभिन्न खनिज खदानों के लिए समग्र और खनन पट्टा लाइसेंस के लिए दो चरणों वाली ई–नीलामी आयोजित करता है।

12.2.3 मेकॉन लिमिटेड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के हाइड्रो–कार्बन विजन 2030 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और सिक्किम को जोड़ता है। इस ग्रिड को नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (एनईजीजी) कहा जाता है और इसे आगामी बरौनी–गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा जो ऊर्जा गंगा योजना का एक हिस्सा है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) ग्रिड को विकसित करने और संचालित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (गेल, आईओसीएल, ओएनजीसी, ओआईएल और एनआरएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) है। एनजीईजी परियोजना में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के हाइड्रो–कार्बन विजन 2030 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का एक नेटवर्क शामिल है, जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और सिक्किम को जोड़ता है। परियोजना के निष्पादन के लिए पीएमसी सेवाएं प्रदान करने के लिए मेकॉन को परियोजना के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025–26 के दौरान परियोजना में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- एचडीडी विधि के माध्यम से तीन खंडों में 5.7 किलोमीटर की कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने वाली भारत की सबसे लंबी नदी 24" पाइप दिनांक 17.07.2025 को सफलतापूर्वक निष्पादित और शुरू किया गया
- 24" × 392 कि.मी. गुवाहाटी–नुमालीगढ़ पाइपलाइन को 17.07.2025 को सफलतापूर्वक चालू किया गया। वर्तमान में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को गैस आपूर्ति के साथ पाइपलाइन का व्यवसायीकरण किया गया है।
- 8" × 27 कि.मी. गोहपुर–ईटानगर पाइपलाइन यांत्रिक रूप से दिनांक 26.08.2025 को पूरी हो गई।
- 12" × 123 कि.मी. डेरागाँव–दीमापुर पाइपलाइन यांत्रिक रूप से दिनांक 20.09.2025 को पूरी हो गई।
- 12" × 123 कि.मी. डेरागाँव–दीमापुर पाइपलाइन यांत्रिक रूप से दिनांक 20.09.2025 को पूरी हो गई।

ऑयल इंडिया ने न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, दुलियाजान में इंजीनियरिंग और परियोजना निगरानी सेवाएं प्रदान करने, नई ड्रिलिंग ईएंडएफ का निर्माण और ड्रिलिंग टीएस सुविधा प्रदान करने के लिए मेकॉन का चयन किया है।

मेकॉन असम और पश्चिम बंगाल में 5 माइक्रो टनलिंग और मौजूदा पाइपलाइनों के साथ इसके हुकअप के लिए ऑयल इंडिया को ई.पी.एम.सी. सेवाएं प्रदान कर रहा है।

मेकॉन पूर्व भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड के लिए असम के कछार, हैलाकांडी, करीमगंज और कामरूप और कामरूप मेट्रोपॉलिटन भौगोलिक क्षेत्रों में टीएनजीसीएल के लिए गोमती जिले जीए और पश्चिम त्रिपुरा जीए में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए ईपीएमसी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह देश के ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब तक, पीएनजी के लिए 2000 से अधिक घरेलू कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं और 1400 किलोमीटर से अधिक एमडीपीई बिछाने का काम पूरा हो चुका है।

ऑयल इंडिया ने इंजीनियरिंग और परियोजना निगरानी सेवाएं प्रदान करने के लिए मधुबन, दुलियाजान, असम में अनुषंगी सेवाओं सहित दो अतिरिक्त कच्चे तेल भंडारण टैंक और नाओहोलिया में 60,000 किलोलीटर क्षमता के टैंक फार्म और मोरन (एसटीएफ–मोरन) में 30,000 किलोलीटर क्षमता के द्वितीयक टैंक फार्म के निर्माण के लिए एसपीएसयू/सीपीएसयू से ईपीएमसी सेवा प्रदान करने हेतु मेकॉन का चयन किया है।

मेकॉन दुलियाजान टाउनशिप और आस–पास के फील्ड प्रतिष्ठानों की पानी की मांग को पूरा करने के लिए असम के दुलियाजान में ऑयल इंडिया की जल आपूर्ति संवर्धन परियोजना के लिए परामर्श और साइट पर्यवेक्षण सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। निमत किए जाने वाले नए जल शोधन संयंत्र की क्षमता 8 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) निर्धारित की गई है।

त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा मेकॉन को 2 भौगोलिक क्षेत्रों नामतः गोमती और पश्चिम त्रिपुरा में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए ईपीएमसी सेवाएं प्रदान करने का काम भी सौंपा गया है। 33 किलोमीटर में से 73 किलोमीटर लंबी 4 इंच की इस्पात पाइपलाइन बिछाने का काम गोमती जीए में पूरा हो गया है।

अध्याय – XIII

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता महत्वपूर्ण हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग रणनीति की दिशा में, इस्पात मंत्रालय वैश्विक इस्पात मूल्य श्रृंखला में रणनीतिक प्रासंगिकता वाले प्रमुख देशों पर ध्यान केंद्रित करता है और चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, यानी कच्चे माल की सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग, विदेशी और घरेलू निवेश तथा इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने में उनके साथ व्यवस्थित रूप से सहभागिता को गहरा करने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण एक संरचित और दूरदर्शी तरीके से इस्पात मूल्य श्रृंखला में भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अल्पकालिक कार्रवाई योग्य परिणामों को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के साथ जोड़ता है।

कुछ विशिष्ट सहभागिता निम्नानुसार हैं:

13.1 ओईसीडी इस्पात समिति और भारत

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) इस्पात समिति भागीदारों को वैश्विक इस्पात उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने और इस्पात उद्योग के लिए खुले और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के लिए समाधानों की पहचान करने में समर्थ बनाता है। यह देशों को अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात क्षेत्र, वैश्विक इस्पात बाजार परिदृश्य, क्षेत्रीय इस्पात बाजार के विकास, इस्पात व्यापार और नीतिगत विकासों, इस्पात निर्माण क्षमता में विकास, सब्सिडी और सरकार की सहायता उपाय के अन्य तरीकों और उनके प्रभाव, नीतिगत हस्तक्षेप और इस्पात और प्रौद्योगिकीय विकास से संबंधित विषयों पर सूचना एकत्रित करने में सक्षम बनाता है। यह उपरोक्त विषयों और इस्पात क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों पर अच्छी तरह से अनुसंधान किए हुए दस्तावेज़ों को भी प्रकाशित और परिचालित करता है। विश्व इस्पात संघ भी इस मंच पर दो वर्ष में एक बार क्षेत्र से संबंधित प्रस्तुति करता है।

भारत 2000 से ओईसीडी इस्पात समिति में एक ''भागीदार'' है। एक भागीदार के रूप में, भारत को इस्पात समिति की बैठकों में सभी अगोपनीय कार्य–सूची मदों में भाग लेने और इसकी चर्चाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

भारत यह सुनिश्चित करने के लिए ओईसीडी इस्पात समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेता रहा है ताकि भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग के हितों को वैश्विक समुदाय के समक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके तथा भारतीय इस्पात उद्योग और इसके विकास गाथा के बारे में कोई भी गलत अनुमान नहीं निकाला जाए। भारत के

एक प्रतिनिधिमंडल ने 31 मार्च–1 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित ओईसीडी की 97वीं इस्पात समिति की बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने 4–5 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओईसीडी की 98वीं इस्पात समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व किया।

13.2 जापान के साथ सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के तहत कार्यकलाप

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के हस्ताक्षरित एमओसी के तत्वाधान में, लौह और इस्पात उद्योग पर भारत–जापान सार्वजनिक और निजी सहयोगात्मक (पीपीसी) बैठक 21 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में **"इस्पात उद्योग में कार्बन तटस्थता की दिशा में पहल"** विषय पर आयोजित की गई थी। इसके बाद 4 फरवरी, 2025 को तीसरे भारत–जापान इस्पात संवाद का आयोजन किया गया, जिसकी सह–अध्यक्षता दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने की, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के नेताओं और संघों की भागीदारी रही।

भारत–जापान सार्वजनिक और निजी सहयोगात्मक बैठक के हितधारक

तीसरे भारत–जापान इस्पात संवाद के हितधारक

13.3 भारत में आधिकारिक द्विपक्षीय यात्राएं

जॉन कॉकरिल समूह के प्रतिनिधियों के साथ बेल्जियम के राजदूत महामहिम श्री डिडिएर वेंडरहस्सेल्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 जनवरी, 2025 को सचिव (इस्पात) से मुलाकात की, ताकि सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सके और स्थिरता, उच्च श्रेणी के इस्पात तथा डाउनस्ट्रीम इस्पात प्रक्रियाओं से संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी जा सके।

इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बेल्जियम का प्रतिनिधिमंडल

- महामहिम श्री जो स्ज़ाकल्स दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री ने इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से 30 जनवरी, 2025 को इस्पात मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में प्रकाशित **"ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया – रोडमैप एंड एक्शन प्लान"** के बाद संधारणीयता के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने हेतु मुलाकात की।
- श्री उवे गेहलेन भारत में आर्थिक सहयोग और विकास के प्रमुख, जर्मनी के संघीय गणराज्य के दूतावास ने 10 फरवरी, 2025 को उद्योग भवन में सचिव (इस्पात) से मुलाकात की और जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) द्वारा समर्थित पीटीएक्स विकास कोष पर जानकारी का आदान–प्रदान किया, जिसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन और भारतीय इस्पात उद्योग के अकार्बनीकरण पर चर्चा केंद्रित थी।
- महामहिम सुश्री सारा मोडिग, स्वीडन सरकार की ऊर्जा, व्यवसाय और उद्योग मंत्री की राज्य सचिव ने भारत के इस्पात क्षेत्र के विस्तार और भारत–स्वीडन लीडआईटी पहल के तहत सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए 31 अक्टूबर, 2025 को भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री तथा सचिव (इस्पात) से मुलाकात की, जिसमें इस्पात उद्योग की संधारणीयता, नवाचार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।

श्री भूपति राजु श्रीनिवास वर्मा, माननीय इस्पात राज्य मंत्री के साथ सुश्री सारा मोडिग

इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वीडन प्रतिनिधिमंडल

- माननीय इस्पात मंत्री (एचएसएम) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई, सेल, एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड के नए खुले विदेशी कार्यालयों के उद्घाटन के लिए 30 जून–01 जुलाई 2025 के दौरान यूएई का दौरा किया। यात्रा के दौरान माननीय इस्पात मंत्री ने व्यापार अवसरों पर चर्चा करने के लिए अर्थव्यवस्था मंत्री और रास–अल–खेमा के शासक से भी मुलाकात की।

अध्याय – XIV

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

14.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईसीटी अवसंरचना, सेवाओं और अनुप्रयोगों को विकसित करने से संबंधित मामलों पर अद्यतन रहने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

- मार्च 2025 तक, मंत्रालय के वेब एप्लिकेशन और सेवाएं PaaS (प्लेटफॉर्म एज़ ए सर्विस) का उपयोग करके एनआईसी क्लाउड में होस्ट की गई थीं। इसके बाद, मंत्रालय के कुछ वेब एप्लिकेशन और सेवाओं को टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टीसीएल) क्लाउड में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- मंत्रालय में गीगाबिट ऑप्टिकल फाइबर (ओएफसी) के साथ लगभग 355 नोड्स का एक लैन (एलएएन) प्रचालन में है।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों/प्रभागों को एनआईसी/जीओवी डोमेन के तहत ईमेल सुविधा के साथ एनआईसीनेट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

मंत्रालय में कागजरहित कार्यालय की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में कार्यान्वित किए गए ई–गवर्नेंस एप्लिकेशंसः

- डीएआरपीजी के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत मंत्रालय में कागज के कम उपयोग की पहल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **''ई–ऑफिस''** सॉफ्टवेयर और स्पैरो, (ई–अपार) का लागू किया गया है।
- मंत्रालय में एक मंत्रालय–व्यापी इंट्रानेट पोर्टल भी प्रचालन में है।
- ई–अनुरोध, स्टॉक एवं सूची प्रबंधन प्रणाली मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से प्रचालन में है और उपलब्ध है।
- मंत्रालय में ईमेल, फाइल साझा करने, नेटवर्क प्रिंटर पर प्रिंट करने, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–ऑफिस फाइल प्रबंधन, प्राप्ति, फाइलों, वीआईपी/पीएमओ संदर्भों, और मंत्रिमंडल नोट आदि की ट्रैकिंग के लिए लैन (एलएएन) का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अवकाश प्रबंधन प्रणाली, जानकारी प्रबंधन तथा सूचना के प्रसार, वार्षिक रिपोर्टों के लिए सूचना/सामग्री के संकलन, संसदीय प्रश्नों, लंबित मामलों, प्रभागों से एप्लिकेशंस (न्यायालयी मामलों, लेखापरीक्षा पैरा और संसदीय आश्वासनों आदि) की ट्रैकिंग तथा निगरानी के लिए भी किया जाता है।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) लागू की गई है।

- माननीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात) के चैंबर और स्टील कॉन्फ्रेंस रूम में हाई–डेफ़िनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। इस वर्ष के दौरान लगभग 1500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए गए हैं।

ई–गवर्नेंस योजना के तहत, मंत्रालय में निम्नलिखित केंद्रीयकृत नागरिक केंद्रित वेब आधारित प्रणालियाँ भी कार्यान्वित की गई हैं:

- मंत्रालय और इसके सीपीएसई में जनता और पेंशनधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)।
- सूचना का अधिकार अधिनियम– सूचना प्रबंधन प्रणाली (आरटीआई–एमआईएस) – इसके माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की निगरानी की जाती है। यह प्रणाली मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लागू की गई है।
- मंत्रालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), एक वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया गया है।
- प्रगति – सक्रिय शासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्लेटफॉर्म।
- सेवानिवृत्ति पर बकाया राशि का समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने के लिए ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति तथा भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली 'भविष्य'।
- विधि सूचना प्रबंधन तथा ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)।
- अनुभव – सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सरकार के साथ काम करने के अनुभव साझा करने हेतु एक प्लेटफॉर्म।
- भर्ती नियम निर्धारण, संशोधन तथा निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस)।
- सीएसीएमएस, भारत सरकार में पदों तथा सेवाओं में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व (आरआरसीपीएस) की निगरानी की प्रणाली।
- एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस)।
- ई–विजिटर निगरानी प्रणाली (ई–वीएमएस)।
- ई–समीक्षा पोर्टल।
- एपीएआर और वार्षिक संपत्ति विवरणी ऑनलाइन माध्यम से दाखिल करने के लिए स्पैरो (स्मार्ट कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) भी लागू किया गया है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

- इस्पात मंत्रालय (**https://steel.gov.in** और **https://steel.gov.in/hi**) की द्विभाषी वेबसाइट, जिसे कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है, इस्पात मंत्रालय और उसके दूसरे ऑफिस/सीपीएसई की विस्तृत जानकारी और कार्य पद्धति संबंधी जानकारी देती है, अब प्रचालित है। अप्रैल 2025 से, इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई ने वेबसाइट **https://steel.gov.in** को फिर से डिज़ाइन और विकसित किया गया है।

इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस):

वर्ष 2019 में शुरू हुआ एसआईएमएस, भारत में इस्पात के आयात से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। उद्योग की प्रतिक्रिया के आधार पर, मंत्रालय ने अधिक प्रभावी एसआईएमएस 2.0 विकसित करने के लिए पोर्टल को नया रूप दिया है। यह इस्पात आयात की निगरानी और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के विस्तृत डेटा की उपलब्धता न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू इस्पात उद्योग के लिए उत्पादन और विकास के क्षेत्रों को भी संकेत देती है।

एसआईएमएस 2.0 में कई सरकारी पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण की सुविधा है, जो बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। पोर्टल में एक मजबूत डेटा एंट्री सिस्टम है, जो लगातार और प्रामाणिक डेटा सुनिश्चित करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। विभिन्न डेटाबेस का एकीकरण हितधारकों को जोखिम के क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार बेहतर जोखिम प्रबंधन की अनुमति देता है। एसआईएमएस के माध्यम से इस्पात आयात की सटीक निगरानी से इस्पात आयात में वृद्धि का मुकाबला करने, विकास को बढ़ावा देने और भारत के इस्पात उद्योग में निरंतर निवेश को आकर्षित करने के लिए सूचित नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरल एसआईएमएस का परिचय:

सरल एसआईएमएस को छोटी खेप, एमएसएमई और अग्रिम प्राधिकरण/एसईजेड/ईओयू के तहत निर्यात के लिए इस्पात आयात को सरल बनाने हेतु शुरू किया गया है, जिससे खेप–वार अनुमोदन के बिना वार्षिक एसआईएमएस पंजीकरण की अनुमति मिलती है। ये परिवर्तन 21.11.2025 से प्रभावी हुए।

गुणवत्ता नियंत्रण छूट पोर्टल:

इस्पात आयात को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और व्यापार की सुगमता सुविधा के लिए, इस्पात मंत्रालय ने मौजूदा आयात–संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा की है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुसार, आदेशों के तहत शामिल किए गए इस्पात के सभी ग्रेडों का आयात केवल उन विनिर्माताओं से किया जाना अपेक्षित है जिनके पास संबंधित ग्रेडों के लिए वैध और प्रचालित बीआईएस लाइसेंस हैं। ऐसे मामलों में जहां उन विनिर्माताओं से क्यूसीओ कवर स्टील ग्रेड का आयात प्रस्तावित है जिनके पास बीआईएस लाइसेंस नहीं है, छूट का लाभ उठाने के लिए आवेदन **https://sims.steel.gov.in/QCOEXEMPTION/loginqce.aspx** पर किए जा सकते हैं।

मंत्रालय का पुरस्कार पोर्टल

भारत इस्पात पुरस्कार: मैसर्स एमएसटीसी द्वारा भारत इस्पात पुरस्कारों के लिए एक पुरस्कार पोर्टल (**https://awards.steel.gov.in**) विकसित किया गया है। यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई सात पुरस्कार श्रेणियों में से किसी में भी भारत इस्पात पुरस्कारों के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है।

ई–इंडेंट पोर्टल: ई–इंडेंट पोर्टल स्टॉक और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे मांग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूर्ण वर्कफ़्लो–आधारित प्रणाली है और मांग प्रक्रिया दाखिल करने से लेकर सामान्य प्रशासन प्रभाग द्वारा अनुमोदन तक पूरी तरह से स्वचालित है। यह एक

भूमिका आधारित एप्लिकेशन है और इसमें उनकी वर्तमान स्थिति (निर्मित/भेजी गई) के साथ सभी इंडेंट की सूची भी रखी जाती है। संबंधित प्रभाग द्वारा नया इंडेंट भी जोड़ा जा सकता है। पोर्टल का रखरखाव इस्पात मंत्रालय के प्रभागों/डेस्क और अनुभागों द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल को एनआईसी–इस्पात मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है तथा वर्तमान में स्थानीय सर्वर पर होस्ट किया गया है।

निगरानी डैशबोर्ड

- **प्रयास डैशबोर्ड–केपीआई एकीकरण:** डैशबोर्ड के पीएम डैशबोर्ड में इस्पात मंत्रालय के लिए केपीआई का एकीकरण प्रयासः इस्पात मंत्रालय के लिए केपीआई को डैशबोर्ड प्रयास के पीएम डैशबोर्ड में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के लिए इन केपीआई पर सहज ज्ञान युक्त दृश्य विकसित किया गया है। उत्पादन, खपत, व्यापार (आयात और निर्यात) और एसआईएमएस केपीआई के डेटा को एकीकृत किया गया है।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, पोर्टल, मोबाइल ऐप और एप्लिकेशन को डिजिटल हमलों से बचाने का महत्वपूर्ण अभ्यास है। प्रभावी साइबर सुरक्षा उपाय डेटा को अनधिकृत पहुंच, चोरी या दुरुपयोग से बचाते हैं, संगठन की अखंडता को संरक्षित करते हैं और ग्राहकों, भागीदारों और हितधारकों के विश्वास को बनाए रखते हैं।

इस्पात मंत्रालय द्वारा विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- इस्पात मंत्रालय के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) की नियुक्ति की गई है तथा सीआईएसओ की सहायता के लिए एनआईसी से एक उप सीआईएसओ की भी नियुक्ति की गई है।
- इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई को अपने सीआईएसओ नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
- इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने डिजिटल अवसंरचना को साइबर सुरक्षित रखने और साइबर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी उपाय करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उनसे सरकारी कार्मिकों के लिए साइबर सुरक्षा के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा **सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षा संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देशों** का पालन करने का अनुरोध किया गया है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना निर्धारित समय के भीतर एनआईसी–सीईआरटी और सीईआरटी–आईएन को दी जा रही है।
- घटना पर सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए एनआईसी–सीईआरटी और सीईआरटी–आईएन द्वारा साझा की गई चेतावनी पर समय पर कार्रवाई।
- **व्यापक डिजिटल परिसंपत्ति सूची और उसका प्रबंधनः** –
  - i. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क घटकों और अनुप्रयोगों सहित सभी डिजिटल परिसंपत्तियों की एक व्यापक सूची तैयार की गई है।
  - ii. सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के संबंधित वर्गों से प्राप्त इनपुट के आधार पर परिसंपत्ति सूची को अद्यतन किया जा रहा है।

- **एंडपॉइंट सुरक्षा नियंत्रण और उनका कार्यान्वयनः –**
  - सभी डेस्कटॉप पर एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) और यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) सॉफ्टवेयर का परिनियोजन पूरा हो गया है।
  - मैक बाइंडिंग सभी एंडपॉइंट डिवाइस के लिए लागू किया गया है।
  - विंडोज 10 चलाने वालों को छोड़कर असमर्थित (उपयोगिता अवधि समाप्त) या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले सभी एंडपॉइंट को आवधिक एंडपॉइंट मूल्यांकन और परिसंपत्ति इन्वेंट्री समीक्षाओं के माध्यम से पहचाना गया है। इस आकलन के आधार पर हमने मंत्रालय को ऐसे अप्रचलित एंडपॉइंट के नेटवर्क एक्सेस विशेषाधिकारों को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है।
  - मंत्रालय को विंडोज 10 होम/प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समर्थन समाप्त होने के बारे में कई बार सूचित किया गया है और ऐसे सभी सिस्टम को उच्च और समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण में अपग्रेड करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय से अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।
  - प्रशासनिक विशेषाधिकारों को सभी एंडपॉइंट से हटा दिया गया है और पहुंच अब कम से कम विशेषाधिकार के आधार पर सख्ती से प्रदान की जाती है। प्रशासनिक अधिकार जहां संचालन उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है, केवल दुरुपयोग को रोकने और अनधिकृत सिस्टम परिवर्तनों के जोखिम को कम करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
  - एनआईसी की डोमेन नाम प्रणाली (डीएनएस) सेवाओं को सभी एंडपॉइंट डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर किया गया है।
  - नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सेवाओं (**samay1.nic.in, samay2.nic.in**) को सटीक समय सिंक्रनाइज़ेशन के लिए सभी उपयोगकर्ता सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया गया है।
  - एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) का उपयोग करके निरंतर खतरे की निगरानी की जा रही है तथा उनकी गंभीरता और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर ध्वजांकित खतरों से जुड़ी कमजोरियों के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।
  - मैलवेयर इंजेक्शन के जोखिम को कम करने के लिए सभी एंडपॉइंट पर यूएसबी एक्सेस को अवरुद्ध कर दिया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी अपवाद सख्ती से प्रदान किया जाता है।
  - पासवर्ड और खाता लॉकआउट नीतियों को यूईएम उपकरण के माध्यम से लागू किया गया है।
  - दूरस्थ सहायता अक्षम कर दी गई है।
  - पॉवरशेल संस्करण 2.0 अक्षम किया गया है।
  - संभावित रूप से अवांछित एप्लिकेशन जैसे टीम व्यूअर, एनी डेस्क, टोरेंट, विनआरएआर, विनज़िप आदि को डेस्कटॉप से हटा दिया गया है।

- **नेटवर्क सुरक्षा (उद्योग भवन):–**
  - वीएलएएन विभाजन (सेग्मेंटेशन) प्रशासन को आसान बनाने, प्रसारण डोमेन को सीमित करने, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने और सुरक्षा नीतियों के प्रवर्तन के लिए लागू किया गया है, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक नोड की एमएसी बाइंडिंग स्थापित की गई है।
  - आगंतुकों और विक्रेताओं को अलग से स्वागत वाई–फाई सेवा पर नेटवर्क तक पहुंच दी जा रही है।
  - इस्पात मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए अलग एसएसआईडी का उपयोग।
  - मंत्रालय के आईसीटी नेटवर्क के उच्च–स्तरीय डिजाइन (एचएलडी) और निम्न–स्तरीय डिजाइन (एलएलडी) सहित नेटवर्क आर्किटेक्चर आरेख तैयार किए गए हैं।
  - स्विचों के फर्मवेयर को नवीनतम समर्थित संस्करण में अपग्रेड किया गया है।
  - बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित की गई कमजोरियों के अनुसार नेटवर्क प्रशासक द्वारा स्विचों को सख्त करने का कार्य किया गया है।
- **अनुप्रयोग सुरक्षा नियंत्रण और उनका कार्यान्वयन:–**
  - एनआईसी क्लाउड में होस्ट किए गए अनुप्रयोगों के लिए एप्लिकेशन, वेबसाइटों और डेटाबेस की तैनाती सेट–अप को दर्शाते हुए एप्लिकेशन आर्किटेक्चर आरेख तैयार किया गया है। मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पैनल वाले क्लाउड में होस्ट किए गए अनुप्रयोगों के लिए आर्किटेक्चर आरेख प्रदान करे ताकि सिस्टम आर्किटेक्चर की व्यापक समझ और संभावित सुरक्षा जोखिमों की पहचान को सक्षम किया जा सके।
  - सभी एप्लिकेशनों, पोर्टलों और वेबसाइटों के लिए संवेदनशीलता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) आयोजित करने के लिए आवेदक को नियमित रूप से सलाह देने के लिए आईटी टीम के साथ पत्राचार किया जा रहा है।
  - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीईआरटी–इन के दिशा–निर्देशों को इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अनुप्रयोगों और वेबसाइटों के सुरक्षित प्रचालन को बनाए रखने के लिए उनकी समाप्ति से पहले ऑडिट शेड्यूल करने और एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्रों को नवीनीकृत करने के लिए समय पर अनुस्मारक भेजे गए हैं।
  - क्लाउड संसाधनों की सुरक्षा:–
- इस्पात मंत्रालय को आबंटित एनआईसी/एनआईसीएसआई क्लाउड पर वर्चुअल मशीनों का आवधिक संवेदनशीलता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीए/पीटी)।
- केवल सुरक्षित चैनलों के माध्यम से क्लाउड संसाधनों तक नियंत्रित और न्यूनतम पहुंच सुनिश्चित करना।
- **वेबसाइट/पोर्टल और अनुप्रयोग:–**
  - इस्पात मंत्रालय की वेबसाइटें, पोर्टल और एप्लिकेशन अप्रैल 2025 से टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड (टीसीएल) क्लाउड पर चालू हैं।

- इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट अप्रैल 2025 से टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड (टीसीएल) क्लाउड पर चालू है।
- सर्ट–इन के निर्देशों के अनुसार वेबसाइटों और पोर्टलों की आवधिक आवेदन सुरक्षा लेखा परीक्षा की जा रही है।
- ऑटो ईमेलिंग सेवाओं के माध्यम से इच्छित प्राप्तकर्ताओं को अलर्ट/संदेश भेजे जा रहे हैं।

- **व्यापार निरंतरता और साइबर संकट प्रबंधनः –**
  - अनुप्रयोगों, नेटवर्क अवसंरचना, एंडपॉइंट डिवाइसेस और अन्य महत्वपूर्ण आईसीटी घटकों के लिए एक व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) तैयार की गई है तथा समीक्षा और अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया गया है।
  - साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है एवं समीक्षा और अनुमोदन के लिए सीईआरटी–इन को आगे प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा की गई है।

- **सुरक्षा प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंगः –**
  i. मंत्रालय द्वारा मिनी–सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (मिनी–एसओसी) की स्थापना के लिए साइबर टीम के लिए जगह अभी तक प्रदान नहीं की गई है, जिससे बाधा उत्पन्न हो रही है।
  ii. सुरक्षा सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना, आईसीटी टीम के समन्वय से सीईआरटी–इन और एनआईसी–सीईआरटी द्वारा जारी घटना विश्लेषण रिपोर्टों में उल्लिखित आर्टिफेक्ट का संग्रह।
  iii. घटना का विश्लेषण किया जा रहा है और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आईसीटी टीम के साथ सिफारिशों को साझा किया जा रहा है।

- **उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकताः –**
  - सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और हितधारकों के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों पर साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किए गए – जैसे कि डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, कार्यालय से बाहर निकलते समय पीसी को बंद करना, फिशिंग ईमेल का पता लगाना और उनसे बचना, संदिग्ध या असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट करना और घटना प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं का पालन करना।
  - हाइब्रिड मोड के माध्यम से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और हितधारकों के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के दौरान जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था।

- **साइबर सुरक्षा ऑडिट और आकलन (व्यापक और सीमित साइबर सुरक्षा ऑडिट सहित):** –
- सी–डैक द्वारा मंत्रालय के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट किया गया है और प्राप्त संवेदनशीलता रिपोर्ट को मंत्रालय की आईसीटी टीम के माध्यम से इसके अनुपालन और पैचिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया गया है। मंत्रालय से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

- संबद्ध कार्यालयों में इसके आगे प्रसार के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों के लिए परामर्श नियमित रूप से साझा किया जा रहा है।
- मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सीएसके (साइबर स्वच्छता केंद्र) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग की गई है ताकि विभाग संगठनों के अवसंरचनाआईटी अवसंरचना के भीतर चल रहे बोटनेट/मैलवेयर या कमजोर सेवाओं से संक्रमित आईपी एड्रेस का पता लगाया जा सके और क्लीन अप एक्शन को सक्षम करने के लिए संबंधित विभाग संगठनों के साथ ऐसी घटनाओं के विवरण के साथ स्वचालित दैनिक रिपोर्ट/फीड साझा की जा सके।

14.2 लेखों का कंप्यूटरीकरण

लेखों का संकलन और कंप्यूटरीकरण: एनआईसी द्वारा विकसित पीएफएमएस में अपने भुगतान नियंत्रण के डीडीओ के भुगतान तथा प्राप्तियों, यदि कोई हों, की सूची को शामिल करने के बाद भुगतान एवं लेखा कार्यालय पीएओ द्वारा माह के दौरान किए गए लेन–देन के लिए मासिक लेखों का संकलन किया जाता है।

पीएओ से लेखों की प्राप्त के बाद, प्रधान लेखा कार्यालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सहायता से पूरे मंत्रालय के लेखों को संकलित करता है। इस प्रकार संकलित मासिक लेखे ऑनलाइन माध्यम से ई–लेखा **(http://164.100.12.160/Elekha/elekhaHome.asp)** पर सीजीए के कार्यालय में जमा किए जाते हैं।

ई–लेखा: दैनिक लेखा सार, ई–डीडीजी की ऑनलाइन प्रस्तुति, विनियोग लेखों (चरण–I तथा II), एससीटी को वर्ष के दौरान ई–लेखा वेबसाइट **(http://164.100.12.160/Elekha/elekhaHome.asp)** पर सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है, ताकि किसी भी समय मंत्रालय के व्यय और प्राप्तियों को देखा जा सके।

ई–भुगतान: महालेखानियंत्रक के कार्यालय ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। ई–पेमेंट की यह प्रणाली कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और पीएफएमएस (ई–भुगतान गेटवे) के बीच एक साझा प्लेटफॉर्म पर स्थापित की गई है। इस्पात मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय, में भी ई–पेमेंट प्रणाली लागू कर दी गई है और सभी भुगतान ई–पेमेंट प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। मंत्रालय के डीडीओ को सरकारी अधिकारियों तथा निजी विक्रेताओं को ई–पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सभी योजना स्कीमों, सभी प्राप्तिकर्ता एजेंसियों का डेटाबेस, योजना निधियाँ को संभालने वाले बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकरण, राज्य कोषागारों के साथ एकीकरण और सरकार की योजना स्कीम के लिए कार्यान्वयन के सबसे निचले स्तर पर निधि के प्रवाह की कुशल तथा प्रभावी ट्रैकिंग के लिए एक वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह देश में सभी योजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों में निधि के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिससे प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने, प्रणाली में निधि को कम करने, लाभार्थियों को सीधे भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए बेहतर निगरानी, समीक्षा एवं निर्णय समर्थन प्रणाली है। इसके बाद, इस एप्लिकेशन का विस्तार करते हुए लेखों का संकलन, बजट मॉड्यूल, लेखों का मिलान, एजेंट मंत्रालयों/विभागों को निधियों के प्राधिकार जैसी कार्यात्मकताओं को शामिल करने के लिए एप्लिकेशन का विस्तार किया गया और उपर्युक्त कार्यात्मकताओं के साथ विस्तारित पीएफएमएस को अब तक सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में लागू किया जा चुका है।

सभी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली **(http://pfms.nic.in)** के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने होते हैं। यह कार्य इस्पात मंत्रालय वेतन एवं लेखा कार्यालय में किया जा रहा है।

ई–बिल: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022–23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई–बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटल इंडिया इको–सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस–पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाएगा, जिसे वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा। तदनुसार, सीसीए, इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में वेतन एवं लेखा कार्यालय अक्टूबर 2024 से 100% ई–बिल कर रहा है।

गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी): गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों/कॉर्पोरेट अन्य प्रयोक्ताओं को भारत सरकार को देय गैर–कर प्राप्तियाँ ऑनलाइन जमा करवाने के लिए एक वन स्टॉप विंडो उपलब्ध करना है। एनटीआरपी पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर (पीजीए) की पद्धति का प्रयोग करता है। इसलिए कोई भी जमाकर्ता पीजीए के साथ एकीकृत किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता है। वर्तमान में, एसबीआई ई–पे एनटीआरपी के लिए पीजीए है। एनटीआरपी विभिन्न मंत्रालयों के अधिकृत बैंकों के साथ एकीकृत है। इसलिए, इसके माध्यम से जमा की गई कोई भी राशि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) के लेखों में भी दर्ज की जाएगी। यह पोर्टल भारत सरकार के उन सभी विभागों/मंत्रालयों को सेवाएँ प्रदान करेगा जिनके पास अपनी प्राप्तियों के ऑनलाइन संग्रह के लिए कोई मौजूदा समाधान नहीं है। इस्पात मंत्रालय द्वारा एनटीआरपी पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में एनटीआरपी लेन–देन के माध्यम से 2030.60 करोड़ रुपए का गैर–कर राजस्व एकत्रित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में एनटीआरपी लेन–देन के माध्यम से 1030.27 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) का गैर–कर राजस्व एकत्रित किया गया।

अंतरण की तुलना में खर्च (ईएटी मॉड्यूल): ईएटी मॉड्यूल का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा एजेंसियों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंतरित की गई निधि पर पैनी नजर रखना है। ईएटी मॉड्यूल के तहत प्रयुक्त/अप्रयुक्त निधि की निगरानी पीएफएमएस के माध्यम से की जाती है।

14.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अपने डिजिटल परिवर्तन एजेंडे को आगे बढ़ाने और पूरे संगठन में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2025 के दौरान की जाने वाली कुछ पहलें इस प्रकार हैं:–

- सेल के डिजिटल डैशबोर्ड **"प्रवर्तनम"** का शुभारंभ, जो डिजिटल पहलों में एकीकृत, वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करता है।
- माल ढुलाई लागत (~1.5% ~20 करोड़ रुपए की बचत) को कम करने, रेक उपयोग और इन्वेंट्री संतुलन में सुधार, सीओ$_2$ उत्सर्जन को कम करने और एनालिटिक्स–संचालित आपूर्ति श्रृंखला निर्णयों को सक्षम करने के लिए मैनुअल आवंटन को बदलने के लिए मशीन लर्निंग–आधारित लौह अयस्क फ्रेट ऑप्टिमाइज़ेशन मॉडल के विकास द्वारा खदानों से संयंत्रों तक लौह अयस्क के परिवहन की कुल लागत को कम करने के लिए फ्रेट ऑप्टिमाइज़ेशन मॉडल का विकास किया गया है।

- सेल–आईएसपी में बीएफ–5 के लिए एआई–संचालित 3डी डिजिटल ट्विन फर्नेस के प्रदर्शन को अनुकूलित करने, ईंधन की खपत को कम करने, गुणवत्ता और थ्रूपुट में सुधार करने, सुरक्षा बढ़ाने, परिसंपत्ति जीवन का विस्तार करने और अन्य ब्लास्ट फर्नेस में स्केलेबिलिटी के साथ 15–25 करोड़ रुपए वार्षिक लाभ प्रदान करने के लिए वास्तविक समय डेटा और प्रक्रिया मॉडल को एकीकृत करता है।
- कॉग्निटिव वर्कफ़्लो का उपयोग करके इंटेलिजेंट इक्विपमेंट हेल्थ मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम आईओटी और एआई संचालित करता है। सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में सिंटर प्लांट–III में पूरी तरह से कार्यान्वित आईओटी–एआई–जेनएआई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम वास्तविक समय, नॉन–इंट्रोसिव उपकरण स्वास्थ्य निगरानी और संवादात्मक निदान को सक्षम बनाता है, अनियोजित डाउनटाइम को 15–20% तक कम करता है, रखरखाव लागत में 25% की कटौती करता है, और एक स्केलेबल उद्यम–व्यापी विश्वसनीयता ढांचा प्रदान करता है।
- सेल में एक उद्यम–व्यापी एलएलएम/जेन–एआई नॉलेज प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट और संयंत्र दस्तावेजों को एक सुरक्षित, खोजने योग्य भंडार में केंद्रीकृत करता है, जिससे सत्यापित जानकारी तक प्राकृतिक–भाषा पहुंच सक्षम होती है और उत्पादकता, अनुपालन और ज्ञान प्रतिधारण में सुधार होता है।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड का विकास और ऑनलाइन सतर्कता प्रणाली को एक व्यापक एंड–टू–एंड प्लेटफॉर्म में बढ़ाना, जिसमें सभी मामलों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस और त्वरित संदर्भ के लिए एक प्रथम चरण सलाह बैंक के साथ–साथ मंजूरी सृजन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना शामिल है।
- व्यावसायिक विकास और ई–पाठशाला योजनाओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति पहुंच और कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाना।
- बेहतर परियोजना निरीक्षण के लिए सेल संयंत्रों और इकाइयों में एसएपी के साथ एकीकरण के माध्यम से डिजिटल परियोजना निगरानी प्रणाली (डीपीएमएस) को सुव्यवस्थित करना।
- आधिकारिक संचार की विश्वसनीयता, प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार के लिए एनआईसी ईमेल सेवाओं का उन्नयन।
- सीडीओटी से एआई–संचालित, एकीकृत साइबर सुरक्षा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की शुरूआत, जो एंटरप्राइज आईटी परिसंपत्तियों और महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना में 24×7 वास्तविक समय में खतरे का पता लगाने, विश्लेषण और समाधान प्रदान करता है।
- संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए इंटरनेट–फेसिंग अनुप्रयोगों के लिए संवेदनशीलता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) को पूरा करना।

14.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल आईटी अवसंरचना और विभिन्न आईटी प्रणालियों/अनुप्रयोगों के विकास में निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान उपलब्धियाँ में शामिल हैं:

1. अप्रचलित सॉफ़्टवेयर–डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (SD-WAN) को बदलकर बाहरी कार्यालयों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सुरक्षा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (IPSEC VPN) लागू किया गया।

2. **ब्लॉस्ट फर्नेस, स्टील मेल्ट शॉप और रोलिंग मिल्स, आदि जैसे शॉप फ्लोर में सुधार।**

   - बीएफ–3 में लेवल–2 सिस्टम के साथ उन्नत लेवल–1 का एकीकरण।
   - **एसएमएस –1:** गर्मी के अनुसार गर्म धातु, गर्मी के अनुसार और शॉप के अनुसार स्क्रैप की खपत की निगरानी गर्म धातु विश्लेषण समय, औसत एस और सी सामग्री के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया।,
   - **एसएमएस –2:** हीट–आईडी, टैप–एंड–टाइम, लैडल–नो, ग्रेड, लैडल सर्कुलेशन टाइम, होल्ड टाइम, अपडेटेड टाइम के साथ हीट बैंक डिस्प्ले के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। एलएफ1 और एलएफ2 स्तर 2 से टेलीग्राम पढ़ने के लिए विकसित एप्लिकेशन, लैडल बॉटम टेम्परेचर और कन्वर्टर एंगल और प्लांट ओवरव्यू स्क्रीन में डिस्प्ले।
   - **एलएमएमएम:** एलएमएमएम बिलेट मिल के लिए हीट ट्रैकिंग एप्लिकेशन विकसित।
   - **डब्ल्यूआरएम:** रोलिंग फिगर और हुक मूवमेंट के आधार पर खाली हुक की स्थिति प्रदर्शित करता है।

3. **मानव संसाधन कार्यों में सुधार:**

   - कर्मचारियों को क्वार्टरों का स्वतः आवंटन विकसित और कार्यान्वित किया गया था।

4. **एमएम कार्यों में सुधार:**

   - पिछले अधिप्राप्ति डेटा, डब्ल्यूपीआई और कोटेशन के आधार पर सामग्री की कीमतों के अनुमान के लिए एप्लिकेशन विकसित किया गया।
   - **मालिकाना लेख प्रमाणपत्र (पीएसी):** मालिकाना प्रकार की खरीद के लिए ऑनलाइन मालिकाना लेख प्रमाणपत्र प्रसंस्करण के लिए आवेदन लागू किया गया।

5. **ई–सतर्कता पोर्टल विकसित किया** गया और रिकॉर्डिंग गतिविधियों (जैसे निरीक्षण, लेखा परीक्षा, जांच, कानूनी, संपत्ति और संवेदनशील पोस्ट प्रबंधन) के लिए सतर्कता आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वित किया गया।

6. **सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:** आईएसओ 27001–2022 के लिए निगरानी ऑडिट सफलतापूर्वक पारित किया गया और प्रमाण पत्र को जारी रखने की सिफारिश की गई।

7. **ग्रीन अवार्ड:** ग्रीन आईटी पहल की दिशा में वर्चुअल मशीन (वीएम) तकनीक को लागू करने के लिए प्राप्त हुआ।

14.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड डिजिटलीकरण और नवीन गतिविधियों की यात्रा में निरंतर सुधार की प्रक्रिया में, एनएमडीसी ने निम्नलिखित विकास को कार्यात्मक बनाया है:

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

एनएमडीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), औद्योगिक स्वचालन, आईओटी, उन्नत

एनालिटिक्स, क्लाउड आधुनिकीकरण और साइबर रिजिलिअन्स के उपयोग पर जोर देने के साथ 2025–26 में अपनी डिजिटल यात्रा जारी रखी। 100 एमटीपीए लौह अयस्क उत्पादन प्राप्त करने के विजन 2030 लक्ष्य के अनुरूप, एनएमडीसी सभी खदानों और व्यावसायिक कार्यों में दक्षता, उत्पादकता, सुरक्षा, स्थिरता और प्रचालन इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहा है। एसएपी/4एचएएनए प्लेटफॉर्म पर ईआरपी को लागू करने के बाद, उत्पादन योजना, संयंत्र रखरखाव, गुणवत्ता, ईएचएस, बिक्री, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन और वित्त जैसे मॉड्यूल में उन्नत स्वचालन और विश्लेषण सक्षम हैं।

ऑनलाइन पोर्टलों का विकास/उन्नयन

सतर्कता पोर्टल

सतर्कता पोर्टल सतर्कता गतिविधियों जैसे प्राप्त शिकायतों और उनके वर्कफ़्लो प्रोसेसिंग, औचक/नियमित निरीक्षण, फाइल अध्ययन, सीटीई–प्रकार के अध्ययन, प्रणाली में सुधार की सुविधा प्रदान करता है, और इसमें सीवीसी और मंत्रालय को रिटर्न जमा करने के लिए ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी और एमआईएस जनरेशन शामिल है।

ग्राहक पोर्टल (दर्पण)

बुद्धिमान ग्राहक जुड़ाव, केंद्रीकृत डेटा इनसाइट और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए पोर्टल।

आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (एसआरएम)

वेंडर ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन बोली, मूल्यांकन और ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।

ई–मेशरमेन्ट बुक और ई–हिंडरेंस रजिस्टर

- ई–मेशरमेन्ट बुक ठेकेदारों को भुगतान प्रसंस्करण के लिए दैनिक कार्य लॉग करने में सक्षम बनाती है।
- ई–हिंडरेंस रजिस्टर विश्लेषण और भुगतान का समर्थन करने के कारणों के साथ देरी को रिकॉर्ड करता है।

अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस)

- इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ अस्पताल प्रचालन को स्वचालित और केंद्रीकृत करने वाला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- दूरस्थ स्थानों पर एक्स–रे और सीटी स्कैन की टेली–रिपोर्टिंग के लिए पैक्स के साथ एकीकृत।

भूतपूर्व कार्मिक पोर्टल (सम्मान)

- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए क्लाउड आधारित डिजिटल पोर्टल, कागज रहित संचार को बढ़ावा देना।

ईआरपी के साथ एकीकरण

- एससीएडीए–ईआरपी एकीकरण वास्तविक समय उत्पादन और प्रेषण डेटा को सक्षम करता है।
- कम मैनुअल हस्तक्षेप और कम समयावधि के साथ खरीद ऑर्डर और भुगतान के निर्बाध, नियम आधारित प्रवाह के लिए जीईएम–ईआरपी एकीकरण।
- इंटेलिजेंट वर्कफ़्लो और एम्बेडेड एनालिटिक्स उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और रखरखाव में स्वायत्त निर्णय समर्थन को सक्षम करते हैं।

स्वचालन प्रणाली (एआई/एमएल/आईओटी)

फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम (एफएमएस): खनन कार्यों को अनुकूलित करने, डाउनटाइम को कम करने और डंपर, डोजर, फावड़े, ड्रिल और अन्य एचईएमएम और सहायक उपकरणों के लिए एकीकृत समाधानों के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई/एमएल सक्षम समाधान।

उत्पादन मोड सेंसिंग और आईबीएमएस एकीकरण: ओसीएसएल संयंत्र में उत्पादन मोड चयन का स्वचालन और अनावश्यक आईबीएमएस सर्वर के कार्यान्वयन के माध्यम से मैनुअल हस्तक्षेप में कमी।

बिजनेस इंटेलिजेंस और एडवांस्ड एनालिटिक्स: बिग–डेटा एनालिटिक्स आधारित प्रबंधन डैशबोर्ड जिसमें निगरानी और सूचित निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय में उत्पादन, बिक्री, सामग्री प्रबंधन, गुणवत्ता, ईएचएस, एचआर, ईडीडीएम, सीएसआर आदि को शामिल किया गया है।

विक्रेता चालान प्रबंधन प्रणाली (वीआईएमएस)

- इनवॉयस अंतर्ग्रहण के लिए ओसीआर का उपयोग करके एआई/एमएल– संचालित स्वचालन।
- ऑटोक्लासिफिकेशन, कम मैनुअल प्रविष्टि और इंटेलिजेंट अनुमोदन चक्र।

आईटी सिस्टम, अवसंरचना और साइबर सुरक्षा पहलें

एनएमडीसी नेटवर्क और डेटा को बाहरी और अंदरूनी दोनों साइबर खतरों से सुरक्षित करने और संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए:

- खतरों के बारे में कर्मचारियों की समझ बढ़ाने और समग्र सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी स्थानों पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए गए।
- पेरिमीटर फ़ायरवॉल, डब्ल्यूएएफ, एंडपॉइंट सुरक्षा, पैच प्रबंधन और एसओसी सेवाओं सहित एकीकृत सुरक्षा सेवाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चैनल्ड क्लाउड सेवा प्रदाता सुविधा में एसएपी ईआरपी पर होस्ट किए गए सभी प्रमुख और व्यावसायिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग।
- क्लाउड–होस्टेड एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) को निरंतर निगरानी और रीयलटाइम खतरे की प्रतिक्रिया के लिए सभी एंडपॉइंट पर लागू किया गया है।
- स्पैम, फ़िशिंग, स्पूफिंग, प्रतिरूपण और दुर्भावनापूर्ण लिंक/अनुलग्नकों से बचाने के लिए ईमेल सुरक्षा समाधान।
- अतिरिक्त सुरक्षा तकनीकों में केंद्रीकृत पेरीमीटर फ़ायरवॉल प्रबंधन, रीयलटाइम आने वाले खतरे का पता लगाने के लिए सैंडबॉक्स, लॉग विश्लेषक और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए एमएफए शामिल हैं।
- नेटवर्क स्विच और फ़ायरवॉल के प्रतिस्थापन, प्राथमिक और अनावश्यक पथों में ओएफसी बिछाने, संयंत्रों और इमारतों में यूटीपी स्थापना, इनडोर वाईफाई एक्सेस पॉइंट, केंद्रीकृत वायरलेस नियंत्रक, एनएसी, ओपनटेक्स्ट एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम और एचओ में एक नेटवर्क संचालन केंद्र (एनओसी) की स्थापना सहित प्रमुख आईटी नेटवर्क उन्नयन।

वर्ष के दौरान लागू की गई डिजिटल पहल

क. रीयलटाइम स्टॉकपाइल प्रबंधन (आरटीएसएम)

- अयस्क भंडार की वास्तविक समय निगरानी और ट्रैकिंग के लिए IoT + AI एनालिटिक्स।

ख. एआई/एमएल एनेबल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग

- ड्रोन इमेजरी को 3डी इलाके के मॉडल बनाने के लिए एमएल का उपयोग करके संसाधित किया गया।
- पूर्वानुमानित एल्गोरिदम ड्रिल होल संरेखण, चार्ज योजना और विस्फोट अनुक्रमण को अनुकूलित करते हैं।
- एआई सिमुलेशन सुरक्षित और अनुकूलित ब्लास्टिंग के लिए विखंडन, फ्लाईरॉक जोखिम, बैकब्रेक और लागत परिणामों का पूर्वानुमान लगाते हैं।

ग. फ़ाइल जीवन चक्र प्रबंधन (एफएलएम)

- निर्माण से लेकर अनुमोदन तक भौतिक फाइलों का डिजिटलीकरण, कागज रहित कार्यालय प्रचालनों को सक्षम करना, पता लगाने की क्षमता में सुधार, चक्र समय में कमी और उत्पादकता में वृद्धि।

घ. डिजिटल सीएसआर प्रबंधन

- जियोटैग की गई छवियों, मील का पत्थर ट्रैकिंग और व्यय विश्लेषण के साथ प्रगति ट्रैकिंग।

ङ. ईडीडीएमएस

- इंटेलिजेंट संस्करण नियंत्रण और वर्कफ़्लो स्वचालन के साथ केंद्रीकृत इंजीनियरिंग दस्तावेज़ प्रबंधन।

आईटी/ईआरपी पुरस्कार

- प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025– एफटीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ डिजिटल परिवर्तन पहल (खनन और इस्पात)।
- एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल नवाचार में एनएमडीसी के नेतृत्व को मान्यता देते हुए 7वें संस्करण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल परिवर्तन पहल (खनन और इस्पात) का पुरस्कार दिया गया।

14.6 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने निम्नलिखित विकास को कार्यात्मक बनाया है:

- **एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के लिए वेबसाइट:** एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के लिए नई वेबसाइट **(nsltd.in)** का उद्घाटन एनएसएल के विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी के साथ किया गया है और यह कैसे बहुत अधिक ग्राहक उन्मुख है।

- **व्यावसायिक उत्कृष्टता और संग्रह पोर्टलः** व्यावसायिक उत्कृष्टता एनएसएल द्वारा प्राप्त प्रमाणन के संबंध में जानकारी दिखाती है। यह पोर्टल विभाग को मार्गदर्शन करता है कि अपनी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए अपने उत्पाद और प्रणाली की गुणवत्ता कैसे बनाए रखें। यह प्रणाली महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संग्रह को भी बनाए रखती है।
- **सुरक्षा पोर्टलः** यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा घटनाओं और नियर मिस घटनाओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है ताकि घटना का विश्लेषण किया जा सके और निवारक कार्रवाई की जा सके। उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता लाना।
- **सीसीटीवी निगरानी प्रणालीः** संयंत्र के अंदर उस लोडिंग क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्लैग लोडिंग क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

14.7 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने अपने सभी कार्य क्षेत्रों का प्रभावी कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अलग पूर्ण रूप से सुसज्जित सिस्टम विभाग स्थापित किया है। पर्याप्त आईटी अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- अपने सभी कार्यालयों और खदानों/संयंत्रों में कंप्यूटर और आईटी उपकरणों का संस्थापन।
- नागपुर स्थित मुख्यालय और कंपनी की सभी खानों में विंडोज तथा लिनक्स प्लेटफॉर्म पर ईथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) स्थापित है।
- नियमित आधार पर एप्लिकेशंस, डेटाबेस/सूचना और अन्य संसाधनों को प्रभावी रूप से साझा करने के लिए सभी खदानों और मुख्यालय को एमपीएलएस वीपीएन तथा वीपीएन ओवर लीज्ड लाइन के माध्यम से जोड़ा गया है।
- सतत रूप से ज्ञान प्राप्त करने, ई–मेल करने और डेटा के अंतर यूनिट अंतरण की सुविधाओं के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित कार्मिकों को ओएफसी पर इंटरनेट लीज्ड लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है। सभी खदानों को ओएफसी पर लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है।
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी के ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद।
- कंपनी में ईआरपी का कार्यान्वयन। एसएपी के प्रमुख मॉड्यूल्स जैसे एफआईसीओ, एमएम, एसडी, पीपी, पीएम, एचआरएम, अतिरिक्त कंपनी ने फाइल लाइफसाइकल मैनेजमेंट, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली और कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल भी कार्यान्वित किए हैं।
- नागपुर स्थित निगमित कार्यालय में ईआरपी के लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटर को डिजाइन और चालू किया गया है।
- प्रभावी फाइल ट्रैकिंग और कागजी कार्य में कमी लाने के लिए फाइल लाइफसाइकल प्रबंधन (एफएलएम) का उपयोग।

- ग्राहक पोर्टल का कार्यान्वयन, जहाँ ग्राहकों को एक ही स्थान पर कीमतों, उपलब्धता के संबंध में विभिन्न जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- विक्रेता इनवॉयस ट्रैकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, जहाँ विक्रेता अपने इनवॉयस ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- सभी अभिलेखों की स्कैनिंग/डिजिटलीकरण करना और उन्हें इलैक्ट्रोनिक इंडेक्स के साथ संग्रहित करना। इससे कार्यालय में स्थान खाली हो सकेगा और रिकॉर्डों की पुनर्प्राप्ति का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
- मॉयल ने बोर्ड बैठक के साथ–साथ उप–समिति की बैठकों में एजेंडा नोट्स तथा संबंधित दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अग्रेषित करके डिजिटलीकरण शुरू किया है।
- उत्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, जहां उच्च अधिकारी लक्ष्य की तुलना में दैनिक उत्पादन की निगरानी कर सकते है।
- सतर्कता विभाग के लिए शिकायत निवारण प्रणाली का कार्यान्वयन।
- एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया का डिजिटलीकरणः सेवानिवृत्त/इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के लिए पूरी एनओसी प्रक्रिया को एसएपी ईआरपी में पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, जिससे तेज, पारदर्शी और कागज रहित निकासी सुनिश्चित हो गई है।
- एसएपी ईआरपी में एचआरआईएस संवर्द्धनः सेवा इतिहास, आश्रित विवरण, छुट्टी आदि को शामिल करने वाले कर्मचारी डेटा प्रबंधन को मजबूत करता है।

14.8 मेकॉन लिमिटेड

उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए, मेकॉन विभिन्न आईटी पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि में की गई प्रमुख आईटी पहल नीचे दी गई हैं:

क्लाउड आधारित ज़ोहो मेल सेवाओं को अपनाना

प्रबंधन निर्देश के अनुरूप, हम एनआईसी के माध्यम से अपने ऑन–प्रिमाइसेस **meconlimited.co.in** ईमेल से क्लाउड आधारित ज़ोहो मेलिंग प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक माइग्रेट हो गए हैं।

पीएलआई योजना 1.1 और पीएलआई योजना 1.2 के लिए वेब पोर्टल

पीएलआई योजना 1.1 को माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 6 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। भारत में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए मौजूदा वेब पोर्टल **(https://plischeme.mecon.co.in)** को पीएलआई 1.1 के तहत ऑनलाइन आवेदनों और प्रगति की निगरानी को संभालने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था।

पीएलआई योजना 1.2 को माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। फिर से, पीएलआई योजना के मौजूदा वेब पोर्टल को ऑनलाइन आवेदनों और पीएलआई 1.2 के तहत प्रगति की निगरानी के लिए भी पुनर्निर्मित किया गया था। इन पोर्टलों को मेकॉन द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है और राष्ट्रीय डेटा केंद्र, भुवनेश्वर में होस्ट किया जाता है।

मेकॉन के लिए जनरेटिव एआई–आधारित चैटबॉट (एमईसीजीपीटी)

इंडिया एआई मिशन के तहत, मेकॉन एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित कर रहा है जो नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, इन–हाउस तकनीकी क्षमताओं का समर्थन कर सकता है, डेटा एक्सेस को मजबूत कर सकता है और कर्मचारियों की भलाई के लिए एआई का जिम्मेदारी के साथ उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

इस पहल के हिस्से के रूप में, आंतरिक दस्तावेजों की कुशल पहुंच/पूछताछ के लिए एक केंद्रीकृत इन–हाउस जेन एआई प्लेटफॉर्म प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक प्रोटोटाइप एआई मॉडल (एमईसीजीपीटी) विकसित किया गया है। इस मॉडल को बेहतर सटीकता प्राप्त करने, मतिभ्रम को कम करने और पूर्ण डेटा गोपनीयता के साथ डोमेन विशिष्ट पूछताछ का समर्थन करने के लिए आरएजी (रिट्रीवल–ऑगमेंटेड जेनरेशन) ढांचे का उपयोग करके विकसित किया गया है। इस मॉडल को मार्च 2026 तक एंटरप्राइज स्तर पर रोल आउट करने की योजना है।

14.9 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने विभिन्न अनुकूलित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक विकसित और कार्यान्वित किया है। निम्नलिखित डिजिटल पहलें की गई हैं:–

- **गौण खनिज:** ओडिशा और तेलंगाना राज्यों के लिए गौण खनिज ब्लॉक आवंटित करने के लिए बोली मंच विकसित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए रेत ब्लॉक के आवंटन के लिए एक ई–टेंडरिंग–सह–लॉटरी पोर्टल भी विकसित किया गया है।
- **शराब लाइसेंस:** कर्नाटक में शराब की दुकान के लिए लाइसेंस के आवंटन के लिए एक नीलामी मंच भी विकसित किया गया है।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के लिए, सोने के बुलियन और अन्य वस्तुओं के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के ऑनलाइन प्रशासन के लिए एक बोली मंच विकसित किया गया है।
- एनएमडीसी के लिए "राजस्व साझाकरण के आधार पर पेलेट संयंत्र दोणिमलै की परिसंपत्तियों के प्रचालन, रखरखाव और विकास" के लिए एक आरएफपी जारी करने के लिए एक अनुकूलित बोली मंच भी विकसित किया गया है।
- नीलामी से संबंधित भुगतानों के संग्रह के लिए केरल राज्य कोषागार के साथ एपीआई एकीकरण लागू किया गया है।

14.10 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी ने एसएपी एस/4एचएएनए ईआरपी समाधान लागू किया है, जिसमें वित्त, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, संयंत्र रखरखाव, रखरखाव योजना और फ़ाइल जीवनचक्र प्रबंधन (एफएलएम) जैसे प्रमुख कार्यात्मक मॉड्यूल शामिल हैं, जो अप्रैल, 2023 से लाइव हो गया है।

स्थिर एसएपी एस/4एचएएनए ईआरपी वातावरण के अलावा, कंपनी ने डिजिटल सेवा वितरण, साइबर सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन को और बढ़ाने के लिए 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी पहल की है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पोर्टल: चिकित्सा बीमा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया था। पोर्टल एसएपी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है और कंपनी की वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से पहुंच योग्य है। सेवानिवृत्त कर्मचारी एकमुश्त पंजीकरण पूरा कर सकते हैं तथा स्वयं और जीवनसाथी के लिए वार्षिक चिकित्सा बीमा नामांकन और नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नई एनआईसी ईमेल प्रणाली: कंपनी सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक नए और सुरक्षित ज़ोहो–आधारित एनआईसी ईमेल सिस्टम में स्थानांतरित हो गई। सिस्टम मल्टी–फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) के साथ सक्षम है, जिससे ईमेल सुरक्षा बढ़ती है और फ़िशिंग, अनधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघनों से संबंधित जोखिमों को कम किया जाता है।

एंडपॉइंट सुरक्षा एन्हांसमेंट: डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप सहित सभी एंडपॉइंट डिवाइस, बिटडेफ़ेंडर से उन्नत एंडपॉइंट सुरक्षा सॉफ़्टवेयर की तैनाती के माध्यम से सुरक्षित किए गए थे, अर्थात् उन्नत एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) क्षमताओं के साथ बिटडेफ़ेंडर ग्रेविटीज़ोन बिजनेस सिक्योरिटी एंटरप्राइज समाधान पूरे संगठन में 350 उपयोगकर्ताओं के लिए लागू किया गया था, जो एंडपॉइंट खतरे की दृश्यता, वास्तविक समय की घटना प्रतिक्रिया और समग्र साइबर रिजिलियेंस को काफी मजबूत करता है।

पुराने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण: एनआईसीएसआई के माध्यम से कुद्रेमुख और मैंगलोर (पीपीयू और बीएफयू) स्थानों से संबंधित लगभग 3.25 लाख पुराने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण किया गया था। इस पहल ने रिकॉर्डों के इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण, तेजी से पुनर्प्राप्ति और भौतिक भंडारण आवश्यकताओं में कमी को सक्षम किया है।

साइबर सुरक्षा पर जागरूकता सत्र: इस्पात मंत्रालय के आईटी और ई–गवर्नेंस डिवीजन से प्राप्त पत्र के अनुसार सी–डैक द्वारा "साइबर सुरक्षा" पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था। सत्र बैंगलोर कार्यालय में भौतिक मोड में और अन्य स्थानों के लिए वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था।

निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया:

- साइबर स्वच्छता
- सुरक्षित वित्तीय लेनदेन
- सुरक्षित ईमेल संचार
- ऑनलाइन शॉपिंग प्रक्रियाएं
- साइबर शिष्टाचार

दिनांक 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए अनुमानित आईटी पहलें

आईटी ऑडिट और संवेदनशीलता आकलन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी)

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सीईआरटी–इन) द्वारा जारी सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंगलोर और मैंगलोर स्थानों पर आईसीटी अवसंरचना का आईटी ऑडिट और संवेदनशीलता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) एक सीईआरटी–इन सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अनुमानित लागत: 5,30,000/– रुपए।

पुराने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण – दूसरा चरण

दूसरे चरण के तहत एनआईसीएसआई के माध्यम से निगमित कार्यालय, बैंगलोर के लगभग 10 लाख पुराने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह पहल डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, डेटा संरक्षण और ई–ऑफिस कार्यान्वयन में और सहायता करेगी। अनुमानित लागतः 9,80,000/– रुपए।

वेब अनुप्रयोग फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएएफ) का कार्यान्वयन

अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब–आधारित अनुप्रयोगों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएएफ) को लागू करने का प्रस्ताव। डब्ल्यूएएफ साइबर खतरों जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस–साइट स्क्रिप्टिंग (एक्सएसएस), डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) हमलों और अन्य एप्लिकेशन–लेयर कमजोरियों से सुरक्षा प्रदान करेगा। कार्यान्वयन समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाएगा और ऑनलाइन सेवाओं और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा में मदद करेगा। अनुमानित लागतः 6,50,000/– रुपए प्रति वर्ष (लगभग) (क्लाउड–आधारित डब्ल्यूएएफ समाधान के लिए सदस्यता, सुरक्षा नियम, निगरानी और मूलभूत समर्थन शामिल है)।

अध्याय – XV

सुरक्षा

15.1 पृष्ठभूमि

लौह एवं इस्पात उद्योग में जटिल प्रक्रियाओं और बड़े पैमाने पर प्रचालनों का एक मिश्रण होता है, जो जोखिमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। उद्योग के कार्य–वातावरण में संभावित जोखिम अंतर्निहित हैं और यहाँ के कर्मचारियों को इन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। लौह तथा इस्पात उद्योग को, चोटों तथा दुर्घटनाओं से रोकने और अपने कार्मिकों को एक स्वस्थ कार्य–वातावरण प्रदान करने की जरूरत है।

15.2 इस्पात मंत्रालय की पहलें

- किसी भी उद्योग की कार्य–पद्धति में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल उनके कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन एक जटिल एवं जोखिमपूर्ण गतिविधि होने के कारण, चोट एवं दुर्घटनाओं से रोकने के लिए और स्वस्थ्य वातावरण प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
- लौह तथा इस्पात उद्योग के कार्य–वातावरण को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने लौह तथा इस्पात निर्माण उद्योग में मौजूद जोखिमों की पहचान करने और दुर्घटनाओं से बचने हेतु अपनाए जाने वाले जरूरी उपायों का पता लगाने के लिए हितधारकों के साथ विस्तार से बातचीत की है।
- इस्पात उद्योग तथा इसके संबद्ध संगठनों के हितधारकों एवं प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ विचार–विमर्श और इस उद्देश्य से गठित कार्य समूह के प्रयासों के परिणामस्वरूप लौह तथा इस्पात क्षेत्र के लिए 25 सामान्य न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का एक सेट बनाया गया था।
- ये सुरक्षा दिशानिर्देश वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। ये लौह तथा इस्पात उद्योग में सुरक्षा की पद्धति के आईएलओ कोड की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। विश्व इस्पात संघ के ''सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ'' से संबंधित दिशानिर्देश दस्तावेज़ से भी इनपुट्स लिए गए हैं।
- ये दिशानिर्देश माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 17 फरवरी, 2020 को एक पुस्तक अर्थात ''लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश'' के रूप में जारी किए गए थे और इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे।
- भारतीय इस्पात उद्योग और इसके संबद्ध संगठनों के हितधारकों से पूरी निष्ठा के साथ इन दिशानिर्देशों को अपनाने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्मिकों के लिए एक सुरक्षित कार्य–वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह दिशानिर्देश इस्पात पीएसयू द्वारा अपनाए गए हैं।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों को अनिवार्य रूप से अपनाए जाने को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ (ओएसएच तथा डब्ल्यूसी) कोड 2020 के धारा 18 के तहत मानक तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है।
- इसके बाद, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, लौह एवं इस्पात क्षेत्र द्वारा अपनाई गई विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर, इस क्षेत्र के लिए प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशा–निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया था। इन प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशा–निर्देशों को कार्य समूह/उप समूह द्वारा व्यापक विचार–विमर्श के बाद तैयार किया गया था।
- इन प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देशों में 16 दिशानिर्देश शामिल हैं, जिनमें से 4 दिशानिर्देश कार्यस्थल सुरक्षा पर हैं और 12 दिशानिर्देश विशिष्ट लौह एवं इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं पर हैं।
- इन दिशानिर्देशों को पुस्तक के खंड 2 अर्थात **''लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश''** के रूप में औपचारिक रूप से माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 25 जुलाई, 2024 को लॉन्च किया गया।

15.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल प्रबंधन अपने सभी कर्मचारियों, संविदाकारों और अपने संयंत्रों, खदानों तथा इकाइयों के आस–पास रह रहे लोगों सहित अपने प्रचालनों से संबंधित सभी हितधारकों/व्यक्तियों को सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य व्यवसाय कार्यों के बीच इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

15.3.1 प्रबंधन की प्रतिबद्धता

सेल की एक व्यापक सुरक्षा नीति है जो इसके सबसे मूल्यवान संसाधनों अर्थात मानव संसाधन एवं मशीनों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

हर स्तर पर सुरक्षा मुद्दों की निगरानी के लिए कंपनी में सुरक्षा कार्यों के विभिन्न स्तर निम्नानुसार हैं:

- **बोर्ड स्तर:** अनुपालनों, निष्पादन की समीक्षा एवं निगरानी, दिशानिर्देश जारी करने तथा बोर्ड को इसकी जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी बोर्ड की उप–समिति (बीएससी ऑन एचएससी)।
- **कॉर्पोरेट स्तर:** संयंत्रों/इकाइयों के सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के समन्वय, निगरानी और इन्हें सुविधा प्रदान करने तथा दिशानिर्देश तैयार करने हेतु निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल), सेल के अधीन सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ)।
- **संयंत्र स्तर:** निदेशक प्रभारियों/इकाइयों के प्रमुखों के अंतर्गत सुरक्षा उपायों की कार्यनीतियाँ बनाने/कार्यान्वयन में सहायता करना, सुरक्षा एवं विभागीय प्रमुखों के माध्यम से सांविधिक आवश्यकताओं के कार्यान्वयन में सहयोग करना।

15.3.2 सुरक्षा उपाय और नई पहलें

संयंत्रों द्वारा दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में एक प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण और संविदागत कार्मिकों सहित सभी स्तर के कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने पर ज़ोर देने के लिए

विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें सुरक्षा जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सुरक्षा मानक/दिशानिर्देश/प्रक्रियाएँ तैयार करना; सुरक्षा निरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षा सहित लेखापरीक्षाएँ आयोजित करना; कार्मिक सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) तथा सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को लागू करना, दुर्घटना की जाँच तथा विश्लेषण आदि शामिल हैं।

नई पहलें: सुरक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई कुछ नई पहलों में शामिल हैं:–

- एकीकृत इस्पात संयंत्रों के विभिन्न विभागों में इस्पात मंत्रालय की प्रक्रिया सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी।
- **सुरक्षा मंथन:** 23–24 अप्रैल, 2025 के दौरान बीएसपी में और 23–24 दिसंबर, 2025 के दौरान बीएसएल में सुरक्षा और अग्निशमन सेवा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों और सरोकारों पर विचार–विमर्श किया गया था।
- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के तत्वावधान में हर साल 28 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले 'सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व इस्पात दिवस' के अवसर पर, सेल के संयंत्रों और इकाइयों के कर्मचारियों के लिए एसएसओ, रांची में सेल सेफ्टी सर्कल प्रतियोगिता–2025 का आयोजन किया गया था।
- डीएसओ, एएसओ और लाइन मैनेजरों के लिए 'डी–एसएपी' शीर्षक से सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 22 से 23 मई 2025, 21–22 अगस्त, 2025 और 6–7 नवंबर 2025 के दौरान आयोजित किया गया था।
- जेसीएसएसआई (इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति) का वार्षिक पुरस्कार समारोह और 75वीं बैठक 25–26 जुलाई, 2025 के दौरान जेएससीए स्टेडियम और एमटीआई, रांची में आयोजित की गई थी और सदस्य संगठनों के बीच विभिन्न श्रेणियों के तहत 'इस्पात सुरक्षा पुरस्कार' वितरित किए गए थे।
- सेल संयंत्रों और देश के प्रतिष्ठित इस्पात उत्पादकों की भागीदारी के साथ 'दुर्दम्य कार्यों में सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाएं', 'डिजिटल और प्रौद्योगिकी सक्षम सुरक्षा उत्कृष्टता', 'इस्पात निर्माण प्रक्रिया में सुरक्षा', 'लौह क्षेत्र में सुरक्षा', 'रोलिंग मिलों में सुरक्षा बढ़ाना' पर एलईओ (एक दूसरे से सीखना) कार्यशालाएं (6) आयोजित की गईं थी।
- 'सुरक्षा संवाद' सत्र (10) आयोजित किए गए थे, जिसमें तकनीकी जानकारी बढ़ाने के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रमुख घटनाओं और मृत्यु की संभावना वाले प्रमुख मामलों पर चर्चा की गई।
- मौजूदा प्रक्रियाओं का आकलन करने, संभावित खतरों की पहचान करने और रोलिंग स्टॉक के संचालन के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्यों की सिफारिश करने के लिए 19–20 अगस्त, 2025 के दौरान आरएसपी में 'रेल यातायात संचालन में सुरक्षा' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- एक–दूसरे की प्रणालियों और प्रक्रियाओं से सीखने को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों को तैनात करने के उद्देश्य से, सेल के संयंत्रों और इकाइयों के प्रतिभागियों के लिए एमटीआई में 2–3 सितम्बर, 2025 के दौरान 'डिजिटल वे फॉरवर्ड इन सेफ्टी' शीर्षक से 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

- दिनांक 5–6 सितंबर, 2025 के दौरान एसएसओ द्वारा एक विशेष अनुकूलित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सी–एसएपी) का आयोजन किया गया था, जिसमें मेसर्स मेकॉन के 26 इंजीनियरों ने भाग लिया था।
- कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षा खतरों की पहचान तथा शमन में जमीनी स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी के माध्यम से सक्रिय जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सेफ्टी सर्कल' योजना शुरू की गई। 318 सुरक्षा सर्किलों का गठन किया गया, 29 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 941 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।
- ईडी, एसएसओ ने 18 नवंबर, 2025 को एमटीआई में 'सेल में सुरक्षा संस्कृति में बदलाव – आगे का रास्ता' विषय पर सत्र में भाग लिया, जिसमें युवा प्रबंधकों के लिए चेयरमैन ट्रॉफी (सीटीवाईएम) 2024–25 की फाइनलिस्ट टीमों ने सेल में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए उच्च प्रभाव वाली सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

15.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

15.4.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

आरआईएनएल–वीएसपी ने एकीकृत नीति भी अपनाई है जिसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति शामिल है। सुरक्षा नीति, सुरक्षा मानकों, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और अन्य सक्रिय उपायों के कार्यान्वयन पर निरंतर प्रयास संभावित खतरों को खत्म करने और सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति लाने में योगदान दे रहे हैं। आरआईएनएल का शीर्ष प्रबंधन एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है जो सुरक्षा और उनकी भलाई में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चोटों, खराब स्वास्थ्य एवं संपत्ति के नुकसान को रोकने और शून्य–दुर्घटना प्राप्त करने के लिए सुरक्षा समितियों में कर्मचारी और श्रमिकों की भागीदारी, जोखिम मूल्यांकन और जांच, मॉक–ड्रिल में सक्रिय भागीदारी, नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने, सुरक्षा निरीक्षण और ऑडिट जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं।

15.4.2 आरआईएनएल में सुरक्षा व्यवस्था

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रक्रियाएं मौजूद हैं। दुर्घटना/नियर मिस रिपोर्टिंग, मूल कारण विश्लेषण, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयों पर अनुपालन जैसे घटना प्रबंधन अच्छी तरह से स्थापित हैं। आपातकालीन तैयारी और आस–पास के उद्योगों के साथ पारस्परिक सहायता मेसर्स एनटीपीसी, मैसर्स हिंदुजा पावर प्लांट आपात स्थिति के दौरान सहायता का आदान–प्रदान करने के लिए मौजूद है। नियमित कर्मचारियों और संविदागत श्रमिकों को प्रशिक्षण और जागरूकता, टूल बॉक्स टॉक, समय–समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऊंचाई के कार्यों, सीमित स्थान, बिजली के कार्यों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य प्रणाली की अनुमति का पालन किया जा रहा है। सभी कामगारों को मानक सुरक्षा उपकरण जारी किए जाते हैं और उनके उपयोग की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ प्रतिनिधियों और प्रबंधन प्रतिनिधियों की समान भागीदारी के साथ एक केन्द्रीय सुरक्षा समिति और 29 विभागीय सुरक्षा समितियां मौजूद हैं। आरआईएनएल में आईएसओ 45001:2018 प्रणाली सक्रिय सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

15.4.3 सुरक्षा प्रशिक्षण

कर्मचारियों और संविदागत श्रमिकों दोनों के बीच जागरूकता और सुरक्षा चेतना को बढ़ावा देने के लिए आरआईएनएल में सुरक्षा प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2025–26 में, खतरों को पहचानने, आपात स्थिति का सामना करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का ठीक से उपयोग करने जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन प्रयासों ने कार्यबल में सुरक्षा जागरूकता को काफी बढ़ावा दिया है।

15.4.4 वर्ष 2025–26 के दौरान की गई विशेष सुरक्षा पहलें

- सुरक्षा प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, "सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है" अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान, कर्मचारियों और संविदागत श्रमिकों के हेलमेट पर स्टिकर चिपकाए गए थे, जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के महत्व पर जोर दिया गया था।

- एसएमएस, सीओसीसीपी, सीआरएमपी और यूटिलिटीज विभागों के कर्मचारियों के लिए अग्निशमन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोग पर व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया, जिससे आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रतिभागियों की तैयारी में वृद्धि हुई।

- एमएमएसएम मिल क्षेत्र में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जागरूकता अभियान चलाया। जिसका उद्देश्य कर्मियों को पीपीई के महत्व के बारे में शिक्षित करना और जोखिम को कम करने व कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित उपयोग सुनिश्चित करना था।

- 2,555 इंटर्नशिप छात्रों और परियोजना प्रशिक्षुओं के लिए सुरक्षा परिचयात्मक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में संयंत्र के भीतर विभिन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया और सुविधा के विभिन्न वर्गों का दौरा करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया।

- विभिन्न विभागों में संविदागत श्रमिकों के लिए सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

- इंजरी ऑन ड्यूटी (आईओडी) विश्राम अवधि की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया गया है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जब वीएसजीएच में **स्वस्थ पोर्टल** में आईओडी विवरण दर्ज किए जाते हैं, तो संबंधित विभागाध्यक्षों (एचओडी) और एचओडी–सुरक्षा को स्वचालित ईमेल सूचनाएं भेजी जाती हैं, जिससे काम से संबंधित चोटों का समय पर अनुवर्ती और प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

- एचआईएआरओ (जोखिम की पहचान और जोखिम तथा अवसरों का मूल्यांकन) समिति का गठन सीटीक्यूएम, एसईडी, एचआर और प्रबंधन सेवा के सदस्यों के साथ किया गया था। समिति ने विभिन्न विभागों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की, शॉप फ्लोर का दौरा किया और एचआईएआरओ की समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संभावित खतरों की पहचान की जाए और उन्हें समय पर कम किया जाए।

- **पुरस्कार:** आरआईएनएल ने 2025 के दौरान इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) द्वारा लगातार दो वर्षों 2022–23 और 2023–24 के लिए पांच ***इस्पात सुरक्षा पुरस्कार अवॉर्ड*** जीते।

15.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने एक संरचित सुरक्षा प्रबंधन ढांचे के माध्यम से अपने खनन और संयंत्र संचालन में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत किया है जिसमें नियमित सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण, घटना जांच और व्यवस्थित रिपो टग शामिल है। **सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** पर जोर दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों और संविदागत श्रमिकों के लिए केंद्रित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के साथ–साथ भारी अर्थ–मूविंग मशीनरी के संचालन और रखरखाव के लिए ओईएम के नेतृत्व में प्रशिक्षण शामिल है। कंपनी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए **डिजिटल और एआई–सक्षम तकनीकों** जैसे कि फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, एआई/एमएल–आधारित ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग सिमुलेशन जैसे जोखिमों को कम करने के लिए फ्लाईरॉक और बैकब्रेक, रीयल–टाइम स्टॉकपाइल मॉनिटरिंग, एससीएडीए–ईआरपी एकीकरण व जियोफेंसिंग, निकटता चेतावनी और निगरानी सुविधाओं के साथ प्रस्तावित एकीकृत माइन लॉजिस्टिक प्रबंधन और निगरानी प्रणाली का लाभ लिया है। उन्नत अस्पताल प्रबंधन प्रणालियों, टेली–रेडियोलॉजी और विस्तारित चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत किया गया है। इन हस्तक्षेपों से मापने योग्य परिणाम प्राप्त हुए हैं, एनएमडीसी ने **साल–दर–साल लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) में 55% से अधिक की कमी** की रिपोर्ट की है, जो सुरक्षा प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। कंपनी की सुरक्षा पहलों को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से बाहरी मान्यता भी मिली है, जिसमें डीजीएमएस सुरक्षा पुरस्कार, एपेक्स इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड्स, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड्स और ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड्स शामिल हैं, जो एनएमडीसी संचालन में सुरक्षा संस्कृति और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार को रेखांकित करते हैं।

15.6 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

15.6.1 सुरक्षा प्रशिक्षण

- मूलभूत और कार्यस्थल सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए विशेष सुरक्षा परिचयात्मक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।
- कार्यस्थल सुरक्षा, खतरे की पहचान, घटना प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रोटोकॉल के निम्नलिखित क्षेत्रों पर मानव संसाधन विकास के माध्यम से पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
- इस्पात मंत्रालय द्वारा परमिट–टू–वर्क प्रक्रियाओं और विद्युत सुरक्षा, लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश (खंड I और II) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नौकरी–विशिष्ट प्रशिक्षण जारी किया गया।

15.6.2 सुरक्षा जागरूकता और प्रचार गतिविधियाँ

- अभियानों, कार्यशालाओं और संवादात्मक सत्रों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह और इस्पात सुरक्षा दिवस का आयोजन।
- सुरक्षा प्रतिज्ञा समारोह, स्लोगन/पोस्टर प्रतियोगिताएं, टूलबॉक्स वार्ता और सुरक्षा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई।

15.6.3 सुरक्षा समितियाँः

- छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 के अनुसार सभी प्रमुख विभागों/सहायक इकाइयों में समितियों का गठन किया गया है, जिसमें श्रमिकों की भागीदारी भी शामिल है।
- घटनाओं पर चर्चा करने, खतरों की समीक्षा करने, सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए मासिक बैठकें।
- सुरक्षा सिफारिशों को प्राथमिकता देने और लागू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दो–स्तरीय मासिक सुरक्षा समीक्षा।

15.6.4 सुरक्षा लेखापरीक्षाः

- प्रचालन और रखरखाव में जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए क्रॉस–फ़ंक्शनल टीमों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई द्वारा नियामक आवश्यकताओं के अनुसार बाहरी लेखापरीक्षा किए गए थे।
- गैर–अनुरूपताओं की पहचान करें, सुधारात्मक कार्रवाइयां लागू करें और आईएसओ 45001 मानकों का अनुपालन करें।

15.6.5 सुरक्षा निरीक्षणः

- सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण।
- बढ़ी हुई सुरक्षा निगरानी के लिए शीर्ष–स्तरीय निरीक्षण शुरू किया गया।
- फोकसः सुधार क्षेत्रों की पहचान करना और निरंतर सुरक्षा वृद्धि को बढ़ावा दिया जाना।

15.6.6 लिफ्टिंग उपकरण और प्रेशर वेसल्स का निरीक्षण :

- कारखाना अधिनियम, 1948 और मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 का अनुपालन।
- होइस्ट, लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन, चेन, रस्सियाँ, लिफ्टिंग टैकल और प्रेशर वेसल का निरीक्षण और परीक्षण किया गया।

15.6.7 सड़क सुरक्षा निरीक्षण :

- संयंत्र परिसर में सुरक्षित ड्राइविंग प्रैक्टिक्स पर जागरूकता कार्यक्रम।
- भारी वाहनों की आवाजाही को औचक निरीक्षण, समय पाबंदी और उल्लंघनकर्ता पर दंड प्रणाली।
- उपयुक्त सड़क सुरक्षा पहचानसूचकों की स्थापना और आईटी आधारित पहलों का कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है।

15.6.8 घटना/दुर्घटना की जांच और विश्लेषण

- सभी घटनाओं/दुर्घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण किया गया।
- सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयों का कार्यान्वयन।
- निरंतर सुधार के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखना और विश्लेषण।

15.6.9 महत्वपूर्ण नौकरी की निगरानी

- परमिट–टू–वर्क (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली का कड़ाई से प्रवर्तन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन।
- ऊंचाई पास जारी करने के साथ विशेष ऊंचाई कार्य प्रशिक्षण।
- उच्च जोखिम वाले कार्यों के लिए एसओपी और एसएमपी स्थापित किए गए हैं।
- सीमित स्थान, शटडाउन और खतरनाक नौकरियों के लिए निरंतर निगरानी।

15.6.10 पीपीई अनुपालन और निगरानी

- नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की समय पर खरीद।
- पर्याप्त स्टॉक रखरखाव और कुशल वितरण।
- सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए निरीक्षण और ऑडिट के माध्यम से अनुपालन की निगरानी की जाती है।

15.6.11 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

- आईएसओ 45001: 2018 रूपरेखा का कार्यान्वयन।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा जोखिम प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मानक संरेखण के लिए संरचित दृष्टिकोण।

15.6.12 सुरक्षा सर्कल पहल

- सात सुरक्षा सर्कल टीमों का गठन।
- चैप्टर और राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट्स पर चैप्टर कन्वेंशन में भागीदारी।
- टीमों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार जीते, जो सहयोगात्मक समस्या–समाधान और सुरक्षा उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं।

15.7 मॉयल लिमिटेड

मॉयल खदानों तथा संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ज़ोर देता है। यह नवीनतम खनन तकनीकों के प्रयोग और खनन प्रचालनों के मशीनीकरण के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों के मानकों में निरंतर सुधार करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने का भी सतत प्रयास करता है। खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

सुरक्षा के साथ खनन गतिविधियां

- सक्षम पर्यवेक्षकों जैसे माइन मेट, माइन फोरमैन और योग्य खनन इंजीनियर खदानों में चल रहे कार्यों की नियमित निगरानी कर रहे हैं।
- कार्मिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए उनका प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण।
- दुर्घटनाओं की यथासंभव रोकथाम के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों के साथ बातचीत। खदानों, संयंत्रों आदि में प्रत्येक प्रचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ (एसओपीएस) बनाई गई हैं और खदानों तथा संयंत्रों में सभी कर्मचारियों को सुरक्षित ढंग से कार्य करने हेतु उनके संबंधित कार्यों के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं।
- खदानों में काम करने वाले श्रमिकों, पर्यवेक्षकों और सभी कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता के लिए हर महीने विभिन्न खदानों में सुरक्षा पखवाड़ा, सुरक्षा संदेश प्रदर्शनी का आयोजन करना।
- सभी भूमिगत/ओपनकास्ट खदानों के लिए जोखिम प्रबंधन अध्ययन किए जाते हैं और खदान की आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन समिति तथा बाह्य विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की जाती है।
- खदानों, संयंत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।

15.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जिसे उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति कथन की कुछ विशेष बातों को कंपनी के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमों में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मेकॉन में कोई रिपोर्ट करने योग्य कोई दुर्घटना नहीं हुई है। मेकॉन में आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए एक भलिभांति प्रलेखित आपदा प्रबंधन योजना भी है।

15.9 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी एक सेवा संगठन है और इसकी कोई संयंत्र/विनिर्माण इकाई नहीं है। हालांकि, पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में कार्यालय समय के दौरान एक डॉक्टर की उपस्थिति सहित सभी एमएसटीसी कार्यालयों में आग, प्राकृतिक आपदा आदि के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है। कंपनी के पास प्राथमिक सेवक स्थान पर विफलता की स्थिति में अपनी ई–कॉमर्स सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक नामित डिजास्टर रिकवरी (डीआर) सर्वर अवसंरचना है। इसके अलावा, कंपनी का सिस्टम विभाग एसटीक्यूसी से आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है, और इसका ई–कॉमर्स डिवीजन आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रमाणित है।

15.10 केआईओसीएल लिमिटेड

- वर्ष 2025 (जनवरी–दिसंबर 2025) के लिए "जीरो मैन डेज लॉस" हासिल किया।
- दिनांक 13.12.2019 से 31.12.2025 तक दुर्घटना–मुक्त अवधि। खोए हुए समय की चोट (दिनांक 13.12.2019) के बाद दुर्घटना मुक्त दिन 2210 हैं।
- पिछले पांच वर्षों 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के लिए **"शून्य रिपोर्ट योग्य दुर्घटनाएं"** हासिल कीं।
- वर्ष 2025 (जनवरी से दिसंबर 2025) के लिए सुरक्षित मिलियन श्रम घंटे: 1.747 एमएमएच
- **संचयी मिलियन श्रम घंटे:** 12.376 एमएमएच (पिछली दुर्घटना दिनांक 13.12.2019 के बाद से)।
- वर्ष 2025 के लिए केआईओसीएल पेलेट संयंत्र इकाई में आग लगने की प्रमुख घटनाएं – शून्य।
- केआईओसीएल के अनुसार पेलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाई दोनों के लिए ऑनसाइट आपातकालीन योजना उपलब्ध है। पीपीयू और बीएफयू में संभावित आपात स्थितियों के दौरान प्रत्येक सदस्य की भूमिका को मजबूत करने के लिए आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाता है। अंतिम मॉक ड्रिल 06.09.2025 को भंडार विभाग, पीपीयू में आयोजित की गई थी। पारस्परिक सहायता सदस्यों के एक भाग के रूप में, हम अपने मॉक ड्रिल के दौरान आस–पास के उद्योगों में भाग ले रहे हैं और हमारे फायर टेंडर वाहनों के साथ समर्थन कर रहे हैं।
- कारखाना अधिनियम के अनुसार सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में श्रमिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। कंपनी ने क्षेत्रवार सुरक्षा समितियों का गठन किया है। इन सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी पीपीयू और बीएफयू इकाइयों में सुनिश्चित की जाती है। वर्ष 2025 के दौरान सुरक्षा समिति की बैठकें पीपीयू के लिए 25.03.2025, 28.06.2025, 26.09.2025 और 24.12.2025 को आयोजित की गईं और बीएफयू के लिए 20.01.2025 को आयोजित की गई थी।
- वैधानिक आवश्यकता के अनुसार और संयंत्र परिसर को सुरक्षित स्थिति में बनाए रखने के लिए, 2 साल में एक बार बाहरी सुरक्षा ऑडिट किया गया है, जो 3 से 5 जुलाई, 2024 को मैसर्स ब्यूरो वेरिटास इंडस्ट्रियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के माध्यम से पूरा किया गया है। अगले बाहरी ऑडिट की योजना जून–2026 के दौरान बनाई गई है।
- सर्वोत्तम सुरक्षा अभ्यास संचार के लिए एक बहुत ही प्रभावी प्रशासनिक उपकरण सुरक्षा पेप टॉक है, यह एचओडी और टूलबॉक्स टॉक द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है जो प्रत्येक विभाग के प्रभारी इंजीनियर द्वारा

सुनिश्चित किया जा रहा है जो दैनिक आधार पर अभ्यास में है। यह सुरक्षा जागरूकता को शिक्षित करेगा, ठेकेदारों और श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी/छोटी दुर्घटनाओं/लगभग चूक के बारे में बताएगा।

- संयंत्र परिसर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा पोस्टर/चेतावनी बोर्ड (प्रशासन नियंत्रण) और क्या करें/क्या न करें प्रदर्शित किए गए।
- सुरक्षा प्रणालियों को विकसित करने और संयंत्र परिसरों में सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए नीचे दिए गए जैसे कि एसओपी और रखरखाव गतिविधियों पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन प्रशिक्षण, पर्यावरण पर जागरूकता कार्यक्रम, वर्क परमिट प्रणाली में सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सतर्कता, सतत विकास और उत्पादकता से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- सुरक्षा विभागों द्वारा दैनिक सुरक्षा निरीक्षण (असुरक्षित अधिनियम/स्थिति) किए गए थे और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट परिचालित की गई थी।
- संरक्षा विभाग के अधिकारियों सहित एक क्रॉस फंक्शनल टीम द्वारा तीन महीने में एक बार संरचित सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्टें तैयार की गईं और अनुपालन के लिए संबंधित विभागीय प्रमुखों को सूचित किया गया।
- आईएस मानक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, श्वासयंत्र, रेनकोट, हाथ दस्ताने, सुरक्षा चश्मा, फेस शील्ड, एप्रन, ईयर प्लग/मफ्स आदि खरीदे जाएंगे। यह सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल के खतरों से बचाने के लिए बाध्य किया जाएगा। 2025 के दौरान 4,61,489 रुपए (चार लाख इकसठ हजार चार सौ उनयासी मात्र) पीपीई खरीदे गए और वर्ष 2026 के लिए इसकी योजना बनाई गई है।
- कर्नाटक सरकार के कारखानों, बॉयलर एवं औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, कर्नाटक चैप्टर–मंगलुरु एक्शन सेंटर के सहयोग से 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में दक्षिण कन्नड़ जिले में सभी उद्योगों के लिए श्रमिकों की श्रेणी के लिए एक सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पेलेट संयंत्र इकाई टीम ने दूसरा पुरस्कार और ब्लास्ट फर्नेस इकाई टीम ने तीसरा पुरस्कार जीता। दिनांक 20.03.2025 को टॉउन हॉल, मैंगलोर में आयोजित कार्यक्रम विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए थे जिसका उद्घाटन श्री मुल्लाइमुहिलन एमपी, आईएएस (उपायुक्त, दक्षिण कन्नड़ जिला) द्वारा कारखाना, द.क. के उपनिदेशक की उपस्थिति में किया गया।
- 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, सुरक्षा विभाग ने केआईओसीएल (पीपीयू और बीएफयू) के लिए सुरक्षा सप्ताह समारोह 2025 (04 से 10 मार्च, 2025) का आयोजन किया। कर्मचारियों और संविदागत श्रमिकों के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताएं जैसे सुरक्षा स्लोगन (अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़), कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा सुझाव, संविदागत श्रमिकों के लिए सुरक्षा भाषण, स्कूली बच्चों और संविदागत श्रमिकों के लिए सुरक्षा ड्रॉइंग प्रतियोगिताएं, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गईं। विभागीय हाउसकीपिंग पुरस्कार और सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 (विजेता और धावक श्रेणी) भी शुरू किए गए।समापन समारोह के दौरान श्री जी.वी. किरण (सीएमडी) केआईओसीएल और मुख्य अतिथि उप निदेशक कारखानों और बॉयलरों की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।
- जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान 48 तकनीकी कॉलेज के छात्रों के लिए नौकरी पर कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया, साथ ही वर्ष जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 के दौरान एक–एक सप्ताह का इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

- संविदागत श्रमिकों के लिए वर्टिगो परीक्षण प्रशिक्षण जनवरी से दिसंबर 2025 तक पूरा हुआ। सभी श्रमिकों को वर्टिगो टेस्ट कार्ड की वैधता और नवीनीकरण तिथि के साथ दिया गया था।
- हमारे कर्मचारियों के लिए बाहरी और आंतरिक संकाय द्वारा आयोजित प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कक्षा।
  i. **बाहरी प्रशिक्षण:** दिनांक 20.01.2025 को इंडियाना अस्पताल और हर्ट इंन्स्टीट्यूट द्वारा "ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर ट्रेनिंग (टीईसीटी)" और 40 कर्मचारियों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए।
  ii. **आंतरिक प्रशिक्षण :** प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण 14.08.2025 और 21.08.2025 को पूरा हुआ। पहले बैच के 21 गैर–पूर्व कर्मचारी और दूसरे बैच के 15 कर्मचारियों ने भाग लिया। फायर विंग टीम द्वारा घायल व्यक्तियों को क्या करें और क्या न करें तथा कैसे ले जाया जाए, इसका प्रदर्शन किया गया।
- दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड टू वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मैंगलोर द्वारा क्षेत्रीय निदेशालय से "कार्य संस्कृति और कार्य नैतिकता पर मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर एक बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो गैर–कार्यपालकों के लिए आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 19.06.2025 (बैच I) और 03.07.2025 (बैच II) को पूरा किया गया था।
- अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी बड़े पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम (आरएल–एलएसजेएसपी) 04 सत्रों में आयोजित किया गया, सितंबर 2025 के दौरान श्री संदेश, जीएम (ई एंड सी) द्वारा लिए गए सत्र में 61 कर्मचारियों में भाग लिए थे।
- अक्टूबर 2025 के दौरान श्रीमती माधुरी, उप प्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा गैर–कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी बड़े पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम (आरएल–एलएसजेएसपी) 07 सत्रों में आयोजित किए गए, जिसमें 121 कर्मचारियों में भाग लिया।

लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा कोड:

केआईओसीएल के पास अपने संयंत्रों में अच्छी तरह से डिजाइन और व्यापक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। केआईओसीएल पेलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाइयां कारखाना अधिनियम के तहत शामिल की जाती हैं और सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके बाद के संशोधनों में प्रदान किए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है।

केआईओसीएल में, केआईओसीएल एसओपी का पालन कर रहा है और संयंत्र में प्रत्येक विभाग की अपनी मानक प्रचालन प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन किया जा रहा है। पेलेट संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया में शामिल विभागों के आधार पर सुरक्षा विभाग की ओर से पेलेट संयंत्र में "सुरक्षा प्रणालियों की संहिता "पर एक पुस्तिका तैयार की गई है ताकि संबंधित कार्मिकों द्वारा इन सुरक्षा प्रणालियों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा सके। हमारे पेलेट संयंत्र में उपयोग में आने वाले उपकरणों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है। इस "सुरक्षा व्यवहार संहिता" के तहत शामिल संक्षिप्त पहलू इस प्रकार हैं:

- सबस्टेशन, बैटरी, स्विच गियर, मोटर नियंत्रण, ट्रांसफार्मर, तेल निस्पंदन और परीक्षण, प्रकाश और बिजली वितरण, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ओवरहेड लाइनें और केबल, विद्युत हाथ उपकरण, एसी प्लांट, विकिरण खतरे, विद्युत पैनल, उच्च तनाव और कम तनाव, कन्वेयर हड़पने वाली लाइनें और हूटर, प्रकाश वितरण बोर्ड को शामिल करने वाले विद्युत सुरक्षा नियम।
- यांत्रिक उपकरण कवर, आंदोलनकारी, एप्रन फीडर, बॉल मिल, च्यूट्स, कन्वेयर बेल्ट, क्रशर, डंप तालाब की सफाई, लिफ्ट, पेलेटिंग डिस्क, पाइपलाइन, दबाव फिल्टर, प्रक्रिया प्रशंसकों, पंप, रिक्लेमर्स, रोलर

स्क्रीन और फीडर, सीपीपी में सुरक्षा, सीवरेज उपचार संयंत्र, जहाज लोडर, साइलो, थिकनर, वैक्यूम डिस्क फिल्टर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन और फीडर, वेट वाइब्रेटिंग स्क्रीन।

- प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशाला व्यक्तिगत पहनावे, कांच के बर्तन, रसायनों की हैंडलिंग, रसायनों के भंडारण को शामिल करती है
- हाउसकीपिंग, सामग्री भंडारण, पीपीई, हाथ उपकरण, अग्निशामक, शटडाउन और लॉक आउट प्रक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा और रिपोर्टिंग चोटों, मशीन गार्ड और हैंड रेल, वेल्डिंग और गैस कटिंग, सीढ़ी और स्कैफोल्ड्स, ओवरहेड वर्क, क्रेन, हाइड्रोलिक उपकरण को शामिल करने वाले सामान्य पहलू।

केआईओसीएल आईएसओ कंपनी भी प्रमाणित है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 45001–2018 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है।

- जोखिम प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाना
- आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखा जाता है तथा सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सभी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष समय–समय पर चिकित्सा परीक्षा की जाती है।
- कार्यस्थल के खतरों को कम करने/समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है।
- घटना की जांच प्रक्रिया निरपवाद रूप से की जाती है।
- सुरक्षित कार्यस्थल के प्रावधान और प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी की प्रेरणा उच्च रखी गई।
- बाहरी आईएसओ एजेंसी द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है और सुधार के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां कार्रवाई की जाती है। तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा ऑडिट भी किए जाते हैं।

केआईओसीएल ने इस्पात मंत्रालय की सलाह के अनुसार पेलेट संयंत्रों में सुरक्षित कामकाज के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं जो मंत्रालय द्वारा अपलोड किए गए मानक सुरक्षा कोड से जुड़े हुए हैं।

कंपनी में कुल सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को तीन चरणों में लागू किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:

इंजीनियरिंग नियंत्रण: सुरक्षित प्रचालन के लिए उपकरण और मशीनरी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण प्रदान किए गए। कुछ को उद्धृत करने के लिए – सीबी, रिले, फ़्यूज़, इंटरलॉक, ट्रिपिंग डिवाइस, सायरन, हूटर, आपातकालीन स्विच, गेज, फायर अलार्म, संकेतक और ऐसे अन्य उपकरण।

प्रशासनिक नियंत्रण: उपकरणों और टैकल का परीक्षण करना, सुरक्षा ऑडिट करना और विभिन्न स्तरों पर बैठक करना, ऑनसाइट आपातकालीन योजना का प्रावधान, मॉक ड्रिल आयोजित करना, सुरक्षा अभियान, सुरक्षा प्रशिक्षण, संयंत्र सुधार, समीक्षा आदि

व्यक्तिगत सुरक्षा प्रणाली: सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली शरीर के सभी अंगों, अर्थात् सुरक्षा हेलमेट, कान प्लग और मफ, चश्मा, फेस शील्ड, गर्मी से बचाव के लिए एप्रन, रासायनिक काम करने की स्थिति, दस्ताने, जूते और विभिन्न श्वासयंत्रों से बचाने के लिए सिर से पैर तक सभी प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित तथा प्रदान करती है और पीपीई के उपयोग पर प्रशिक्षण भी दिलाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान पीपीई पर लगभग 4,61,489 रुपए (चार लाख इकसठ हजार चार सौ उनयासी मात्र) खर्च किए गए हैं।

प्रशिक्षण और सुरक्षा विभाग में अन्य गतिविधियाँ:

कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार, सुरक्षा सप्ताह हर साल एक बार मनाया जाता था। इस वर्ष 04 से 10 मार्च, 2025 तक आयोजित किया गया। सुरक्षा सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। आंतरिक और बाहरी संकायों के माध्यम से सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा के मुद्दों को संवेदनशील बनाने के लिए सुरक्षा के नारे, त्रिभाषी में निबंध/कविता लेखन, पोस्टर पेंटिंग आदि जैसी कई सुरक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

पीपीयू के लिए 25.03.2025, 28.06.2025, 26.09.2025 और 24.12.2025 को सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं और 20.01.2025 को श्रमिकों की भागीदारी के साथ बीएफयू के लिए आयोजित की गईं। इसके अलावा, मैसर्स ब्यूरो वेरिटास इंडस्ट्रियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के माध्यम से 3 से 5 जुलाई, 2024 के महीने में मानक चेकलिस्ट आईएस: 14489 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित एक समिति द्वारा आंतरिक क्रॉस डिपार्टमेंटल सेफ्टी ऑडिट किया गया है। अगले बाहरी ऑडिट की योजना जून–2026 के दौरान बनाई गई है।

सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और मानव संसाधनों के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एसओपी और रखरखाव गतिविधियों, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन प्रशिक्षण, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सतर्कता, सतत विकास, उत्पादकता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्य स्थल सुरक्षा पर संविदागत श्रमिकों के लिए 208 मानव दिवसों के अलावा कर्मचारियों के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में कुल 1000 कार्य दिवस प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।

केआईओसीएल में वर्टिगो परीक्षण

अध्याय – XVI

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

16.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय में 244 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या में से 191 कार्मिकों की कुल जनशक्ति में 40 अनुसूचित जाति (20.94%), 11 अनुसूचित जनजाति (5.75%), 47 अन्य पिछड़ा वर्ग (24.60%) और 4 आर्थिक पिछड़ा वर्ग (2.09%) से है। केंद्रीय सचिवालय सेवाओं (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवाओं (सीएससीएस) और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय स्टाफिंग योजना से संबंधित पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा भरे जाते हैं तथा अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य संगठित सेवाओं अर्थात् भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी उनके विशिष्ट मूल संवर्ग द्वारा तैनात किए जाते हैं।

16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल भर्ती तथा पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार के निर्देशों का अनुसरण करता है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार 50,612 कार्मिकों की कुल जनशक्ति में से 8,611 अनुसूचित जाति (17%), 8,159 अनुसूचित जनजाति (16.1%) और 9,136 अन्य पिछड़ा वर्ग (18%) से हैं। दिनांक 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार 50,612 कार्मिकों में से 131 कार्मिक अर्थात लगभग 0.26% आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिनांक 08.09.1993 से लागू हुआ और अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन कार्मिकों ने इस दिनांक से पूर्व कार्यभार ग्रहण किया था उन्हें अनारक्षित (यूआर) श्रेणी में दर्शाया गया है।

खदानों सहित सेल के संयंत्र और इकाइयाँ देश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया है। सेल के कुछ योगदान निम्नानुसार हैं:

- गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की भर्ती संयंत्र/इकाई स्तर पर की जाती है और सामान्यतः इसमें क्षेत्र के स्थानीय आवेदक आते हैं तथा इन पदों की संख्या कुल कर्मचारियों का लगभग 80% है और इस प्रकार बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्ति सेल में रोजगार के माध्यम से लाभान्वित होते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में इस्पात संयंत्रों के आस–पास बड़ी संख्या में सहायक उद्योग भी खड़े हो गए हैं। इससे स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार तथा उद्यमिता विकसित करने के अवसर मिले हैं।

- अस्थायी तथा अल्पकालीन प्रकृति के कार्यों के लिए सामान्यतः ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कार्मिक लेते हैं जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय आवेदकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं।
- सेल द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप्स में बेहतरीन चिकित्सा, शिक्षा तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को दिया जा रहा है।
- सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं जो प्रमुख रूप से निम्नानुसार हैं:
- पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों पर विशेष रूप से गरीब एवं वंचित बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म (जूतों सहित), पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी के सामान, स्कूल बैग, पानी की बोतलों तथा कुछ मामलों में परिवहन की सुविधा दी जा रही है।
- कंपनी द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों (सेल कर्मचारियों के बच्चे या गैर–कर्मचारी के बच्चे) से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की बहुलता वाले आस–पास के क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाइयाँ आदि प्रदान की जाती हैं।
- सेल के संयंत्रों ने जनजातीय बच्चों को गोद लिया है। उन्हें आवासीय छात्रावासों जैसे सारंदा सुवन छात्रावास किरीबुरु, ज्ञानोदय हॉस्टल, भिलाई और झारखंड की लगभग विलुप्त जनजाति बिरहोर के लिए विशेष ज्ञान ज्योति योजना के तहत उनके समग्र विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा, यूनिफ़ॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, आवास, और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार योग्यता के लिए आस–पास के गाँवों के युवाओं और महिलाओं को नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कम्प्यूटर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर तथा इलैक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, बेहतर खेती, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, आचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाने, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, रेशम के कीड़ों के पालन, सूट की बुनाई, टेलरिंग, बुनाई एवं कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिये, टाट के बोरे, कम लागत वाले सेनीटरी नैपकिन, मिठाई के डिब्बे, साबुन, धुआँरहित चूल्हा बनाने के क्षेत्र में विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक तथा विशेषीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों/दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में आदेशों तथा निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए सरकार के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- संपर्क अधिकारी उन्हें रिपोर्ट करने वाले अधीनस्थ कार्मिकों के साथ मिल कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों का ध्यान रखते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यों का संचालन किया जाता है। सभी डीपीसी/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल किया जाता है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाता है।

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति तथा अन्य संबंधित मामलों के संदर्भ में अपडेट रखने के लिए एक आंतरिक/बाह्य विशेषज्ञ के माध्यम से उनके लिए आंतरिक कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य मुद्दों के संबंध में समन्वय अधिकारी के साथ नियमित बैठकें करती हैं। इसके अतिरिक्त सेल में समन्वित तरीके से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के मुद्दों को रखने के लिए सेल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी फ़ैडरेशन नामक एक शीर्ष स्तरीय व्यापक निकाय भी है।

16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 9311 है जिसमें 1426 कार्मिक अनुसूचित जाति (15.3%), 804 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (8.63%), 2552 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (27.40%) से हैं।

''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में डॉ. बी. आर. अंबेडकर मेरिट प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान''– डॉ. बी. आर. अंबेडकर मेरिट प्रोत्साहन योजना
आरआईएनएल के अनुदान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के उन बच्चों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान 1500/– रुपए प्रति माह का पुरस्कार दिया जाता है जो 12वीं या इंटरमिडीएट परीक्षा पास करते हैं और इंजीनियरिंग/वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दंत चिकित्सा/कृषि विज्ञान/फार्मेसी/कानून के विषय में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बच्चों को ऐसे कुल 8 पुरस्कार और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को ऐसे कुल 4 (चार) पुरस्कार दिए जाते हैं।

16.4 एनएमडीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4499 हैं। इनमें से 767 कार्मिक अनुसूचित जाति (अ.जा.), 999 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), 998 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) से हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी परियोजनाओं में राष्ट्रपति महोदय के निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चयन साक्षात्कारों/डीपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों के लिए नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। इकाइयों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों और कॉर्पोरेट स्तर पर उनके सर्वोच्च निकाय के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

16.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में 31.12.2025 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 1048 है, जिनमें से 39 अनुसूचित जाति (3.72%), 447 अनुसूचित जनजाति (42.65%), 227 पिछड़ा वर्ग (21.66%) के हैं। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में ऑन–रोल कामगारों की भर्ती, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में छत्तीसगढ़ राज्य आदर्श पुनर्वास नीति

2007 (संशोधित) के अंतर्गत की गई थी, इसलिए भूमि खोने वालों को प्रदान किए गए रोजगार के अनुसार आरक्षण बिंदु बनाए रखा गया है। हालाँकि एक नीति के रूप में, अगले वर्षों में निरंतर आधार पर किसी भी कमी को भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सक्षम रही है। कॉर्पोरेट स्तर और परियोजनाओं पर वर्तमान निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। सभी चयन साक्षात्कारों/डीपीसी में अ.जा./अ.ज.जा. का एक सदस्य शामिल होता है। इकाइयों की अ.जा./अ.जा.जा. कल्याण संघों और कॉर्पोरेट स्तर पर उनकी शीर्ष संस्था के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

16.6 मॉयल लिमिटेड

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 5093 (4277 पुरुष, 816 महिलाएँ) है जिनमें से 922 कार्मिक अनुसूचित जाति (18.10%), 1179 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (23.15%), 1608 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (31.57%) और 10 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.20%) से हैं।

कल्याणकारी गतिविधियां

मॉयल द्वारा अपने कर्मचारियों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खदानों के आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभार्थ कुछ कल्याणकारी योजनाऐं कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसी योजनाओं की उल्लेखनीय विशिष्टताएँ निम्नानुसार हैं: –

- आवासीय क्वाटर का निर्माण किया गया है और अधिकतर कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं।
- खदान कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।
- रियायती दरों पर बिजली का प्रावधान किया गया है।
- अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का प्रावधान है।
- कमजोर वर्गों के कार्मिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय में सहयोग किया जाता है। सभी खदानों में स्कूल बसों की सुविधा दी जाती है ताकि बच्चों को आस–पास के क्षेत्रों के हाई स्कूल/कॉलेज पहुंचाया जा सके।
- खदान क्षेत्रों के आस–पास स्थित स्कूल को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि प्रदान की जाती हैं।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- जनजातीय महिलाओं के विकास तथा उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे सिलाई कक्षाओं, वयस्क साक्षरता कक्षाओं, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, पोस्टर, नोटिस तथा बैनर लगा कर ऐसे अन्य कार्यक्रमों का प्रचार करना, कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते है।

16.7 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जनशक्ति के कुल 1004 कार्मिकों में से 216 कार्मिक अनुसूचित जाति (21.51%), 95 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (9.46%), 149 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (14.84%) और 12 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (1.20%) से हैं। मेकॉन समाज के कमजोर वर्गों के के विकास तथा कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है। मेकॉन ने कमजोर वर्गों के हित तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

16.8 एमएसटीसी लिमिटेड

- दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 291 है जिनमें से 44 कार्मिक अनुसूचित जाति (15.12%), 15 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (5.16%), 85 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (29.21%) से और 09 दिव्यांग कार्मिक (3.09%) हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छूट, रियायत आदि के बारे में नीतियों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है। कमजोर वर्गों के आरक्षण तथा पदोन्नति से संबंधित निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।
- वर्ष 2025–26 के दौरान दिनांक 31.12.2025 तक, कंपनी के 36 अ.जा, 12 अ.ज.जा., 72 अ.पि.व. तथा 8 पीडब्ल्यूडी श्रेणी के कर्मचारियों को घरेलू तथा संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग तथा सहायता दी जाती है और इसका प्रमुख कार्य कंपनी के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।

16.9 केआईओसीएल लिमिटेड

कार्मिकों की संख्या

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार केआईओसीएल में कर्मचारियों की कुल संख्या 483 है जिनमें से 79 कार्मिक अनुसूचित जाति (16.36%), 37 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (7.66%), 86 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (17.81%) से और 1 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.21%) से हैं। इसके अलावा 20 महिलाएं (4.14%) और 11 दिव्यांग व्यक्ति (2.27%) हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांगजन/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों के लिए समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण से संबंधित अनुदेशों के अनुपालन हेतु सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कल्याणकारी उपाय

कंपनी ने मंगलुरु में एक आधुनिक टाउनशिप, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएँ आदि स्थापित करते हुए संपूर्ण सुविधाएँ स्थापित की हैं। टाइप ''ए'' तथा ''बी'' के क्वार्टरों में 10% और टाइप ''सी'' तथा ''डी'' क्वार्टरों में 5% क्वार्टरों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

पदोन्नति

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार), समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में से सभी को मिलाकर 17 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया, जिनमें से 3 कार्मिक अ.जा. श्रेणी और 2 कार्मिक अ.ज.जा. से थे।

सभी साक्षात्कारों/डीपीसी में एक अ.जा/अ.ज.जा. सदस्य मौजूद रहते हैं।

अ.जा./अ.ज.जा प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें

मंगलुरु और बेंगलुरु में प्रबंधन तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ के साथ नियमित बातचीत की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की जाती है और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

सभी स्थलों पर दिनांक 14 अप्रैल, 2025 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती मनाई गई।

केआईओसीएल अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत हर साल समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों खासकर परियोजना क्षेत्र के आस–पास रहने वाले लोगों के उत्थान हेतु परियोजनाएं शुरू कर रहा है सिवाए वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के, क्योंकि उस साल कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब रही।

केआईओसीएल समाज के उन छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, के लाभ हेतु पिछड़े गांवों में शौचालयों, विद्यालयों का निर्माण/नवीनीकरण भी करा रहा है।

अध्याय – XVII

सतर्कता

17.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव या उससे उपर के स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। एक निदेशक, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ सीवीओ मंत्रालय के दायरे में आने वाले सभी सतर्कता मामलों में इस्पात सचिव को रिपोर्ट करता है। सतर्कता इकाई, अन्य बातों के साथ–साथ, इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सीपीएसई के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है:

- सतर्कता शिकायतों की जांच और उचित जांच उपायों की शुरूआत;
- जहां भी आवश्यक हो, बोर्ड स्तर के अधिकारियों से संबंधित पूछताछ/जांच रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रालय की टिप्पणियां/तथ्यात्मक रिपोर्ट सतर्कता आयोग (सीवीसी) को प्रस्तुत करना;
- जहां भी आवश्यक हो, सीवीसी से प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना;
- बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, सेवा विस्तार आदि के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना;
- सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर आसीन पदाधिकारियों/अधिकारियों का रोटेशन सुनिश्चित करना; और
- सीवीसी/डीओपीटी को आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न भेजना।

मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सतर्कता विभागों की अध्यक्षता भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। इस्पात मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग सीवीओ की मौजूदा स्थिति की निगरानी करता है और नियमित रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इसे अपडेट करता है। मॉयल, एनएमडीसी और एमएसटीसी में नए सीवीओ नियुक्त किए गए हैं और वर्ष 2025 के दौरान सीवीओ, आरआईएनएल का अतिरिक्त प्रभार सीवीओ, सेल को सौंपा गया है।

मंत्रालय ने बैठकों और मासिक जांच सूची, आवधिक विवरणियों और सीवीओ द्वारा भेजे गए बयानों के माध्यम से इस्पात सीपीएसई में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा की। इस्पात सीपीएसई के सतर्कता तंत्र की निगरानी के लिए इस्पात सीपीएसई के सीवीओ के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। लंबित शिकायतों, अनुशासनात्मक

मामलों, संवेदनशील पदों की पहचान और अधिकारियों के रोटेशन आदि की समीक्षा के लिए सीवीसी द्वारा 28.08.2025 को एक वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक (एएसआरएम) आयोजित की गई थी। सीवीसी आदि से प्राप्त सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निर्देशों और दिशानिर्देशों वाले परिपत्र भी अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त रूप से सूचित किए जाते हैं।

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, सतर्कता प्रभाग को विभिन्न स्रोतों से 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त 44 शिकायतों में से 35 शिकायतों का उपयुक्त रूप से निपटान कर दिया गया है और शेष 09 शिकायतों/संदर्भों के संबंध में उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, 03 मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणियां सीवीसी को प्रस्तुत की गईं और उस पर 01 मामले में आयोग की सलाह को उपयुक्त रूप से लागू किया गया है। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में कुल 18 सतर्कता मंजूरी प्रस्ताव सीवीसी को भेजे गए थे।

मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2025 से 02 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 भी मनाया। इस अवसर पर मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई थी। कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित करने के अलावा, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता और **"सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी"** विषय से संबंधित एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेल के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा इस मंत्रालय के अधिकारियों के लिए तीन सतर्कता विषयों, यानी जांच और रिपोर्ट, आरोप–पत्र तैयार करना और सीटीई–प्रकार की गहन परीक्षा आयोजित करना शामिल है। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने भी इस अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

17.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि तक सतर्कता कार्यकलापों संबंधी जानकारी

सेल सतर्कता औचक निरीक्षण, फाइलों की जांच, मौजूदा प्रणालियों की निरंतर जांच/समीक्षा के माध्यम से निवारक सतर्कता पर जोर देता है और प्रणाली में सुधार का सुझाव देता है जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ती है। संगठन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया जाता है। जनवरी, 2025 – दिसंबर,2025 की अवधि के दौरान सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों का विवरणः

सेल सतर्कता में जनवरी से दिसंबर 2025 तक कुल 566 शिकायतें प्राप्त हुईं और 568 का निपटान किया गया है, जिनमें पिछले वर्ष की कुछ कैरी फॉरवर्ड शिकायतें भी शामिल हैं।

सेल सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेल में अपनाई जाने वाली प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में कुल 272 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 7208 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इन प्रशिक्षणों में 30 समर्पित दो दिवसीय निवारक सतर्कता कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें कुल 692 कार्यपालकों को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:

सीवीसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, सेल सतर्कता द्वारा सीटीई प्रकार की जांच, आरोप पत्र तैयार करना और जांच एवं रिपोर्ट विषय पर चार प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन सत्रों में सेल सतर्कता के अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

गैर–कार्यपालकों के लिए निवारक सतर्कता प्रशिक्षण मॉड्यूल (सजग):

गैर–कार्यपालकों के लिए एक दिवसीय पीवी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया और विभिन्न निवारक उपायों के बारे में गैर–कार्यपालकों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए। 718 गैर–कार्यपालकों को शामिल करते हुए कुल 30 प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू) 2025:

सेल में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 के दौरान **"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी"** विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को सेल के निगमित कार्यालय के साथ–साथ सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने और गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़ने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान, सेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कार्यशालाओं/संवेदीकरण कार्यक्रमों, भ्रष्टाचार विरोधी मार्च/वॉकथॉन, ग्रामसभाओं, ग्राहकों से मिलने वाले कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में आउटरीच उपायों के रूप में भाषण/वक्तृत्व–कला प्रतियोगिता, पोस्टर/ड्राइंग प्रतियोगिता, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिता, अंतर स्कूल वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों को व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया जैसे सेल के ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया गया। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों, उनके परिवारों, छात्रों, ग्राहकों, विक्रेताओं आदि को ई–शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अग्रदूत के रूप में, 24 सितंबर, 2025 को स्कोप कॉम्प्लेक्स में *"अधिप्राप्ति और परियोजना प्रबंधन में अखंडता और दक्षता बढ़ाना"* विषय पर एक दिवसीय सतर्कता संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में लगभग 90 अधिकारियों ने भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वीएडब्ल्यू–2025 अभियान अवधि के दौरान सेल के सीएमडी द्वारा सतर्कता मामलों के केस स्टडीज का संग्रह और प्रणालीगत सुधारों का संग्रह नामक 2 ई–पुस्तकें लॉन्च की गईं।

सेल सतर्कता के प्रमुख क्षेत्र :

- सामग्री/सेवाओं के आपातकालीन अधिप्राप्ति मामले।
- विपणन विभाग के अंतर्गत वायदा नीलामी (>2 करोड़ रुपए)।
- सेवा संविदाओं में कार्य आदेश के अनुसार लागू दंड की कटौती के साथ–साथ अनुमान और पीओ शर्तों के संबंध में मानव दिवस अंतर आकलन।
- पिछले 3 वर्षों में लागू एसआईपी का ऑडिट।

- क्वार्टरों की एकाधिक अधिभोग और दंडात्मक किराए में कटौती।
- निविदा प्रक्रिया के दौरान पात्रता मानदंड में बदलाव के लिए जीईएम ने बोली लगाई।
- फेरो मिश्र धातुओं का नमूनाकरण।
- विलंबित परियोजनाएं

निवारक जांच:

सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों के संवेदनशील क्षेत्रों में फाइल जांच और संयुक्त जांचों सहित कुल 2124 आवधिक जांच की गइं, जिनमें से विस्तृत जांच के लिए 72 जांचें की गई थीं, जबकि 429 मामलों में निवारक/प्रणाली सुधार सिफारिशें की गई थीं।

प्रणाली सुधार परियोजनाएं:

वर्ष 2025 के दौरान, संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 8 प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एसआईपी) शुरू की गईं।

गहन जांच:

वर्ष 2025 के दौरान, विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन जांच के लिए कुल 9 मामले लिए गए। गहन जांच के दौरान, उच्च मूल्य की अधिप्राप्ति/संविदाओं की व्यापक जांच की गई और सुधार के सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक सिफारिशें भेजी गईं।

एसीवीओ की बैठक:

अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओ), जो संयंत्र/इकाई स्तर पर सतर्कता विभागों के प्रमुख हैं, के साथ नियमित चर्चा करने के एक भाग के रूप में, सीवीओ ने नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कीं जिन्हें एसीवीओ बैठक के रूप में जाना जाता है। बैठकों के दौरान, सेल सतर्कता के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की गई। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों द्वारा मामले के अध्ययन/अन्य सतर्कता संबंधी मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया, जो सभी के लिए अच्छी प्रणालियों/प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित करेंगी।

एलईओ कार्यशालाएं:

क्षमता निर्माण पर ध्यान देने और सतर्कता अधिकारियों के दायरे को बढ़ाने तथा सेल में निवारक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के साथ, सीवीओ (सेल) ने अक्टूबर, 2022 में आयोजित निगमित सतर्कता मासिक समीक्षा बैठक के दौरान सलाह दी कि सतर्कता अधिकारियों के लिए एलईओ (एक दूसरे से सीखना) कार्यशालाएं/सेमिनार समय–समय पर/नियमित आधार पर आयोजित किए जाने चाहिए।

सीवीओ की सलाह के अनुसरण में, सेल सतर्कता द्वारा अब तक सात एलईओ कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। *"रिफ्रैक्टरीज @ सेल – अधिप्राप्ति, गुणवत्ता और अनुप्रयोग पर एक परिप्रेक्ष्य"* शीर्षक से 5वीं एलईओ कार्यशाला 2–3 मई, 2025 के दौरान एसएसपी में आयोजित की गई थी। इसके बाद, 1–2 अगस्त, 2025 को बीएसएल में *"सतर्कता उत्पत्ति की अनुशासनात्मक कार्रवाई"* पर छठी एलईओ कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएमओ द्वारा 15–16 दिसंबर, 2025 के दौरान *"परिसंपत्ति और इन्वेंटरी प्रबंधन–सतर्कता की भूमिका"* पर 7वीं एलईओ कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विभिन्न इकाइयों में सेल सतर्कता के अधिकारियों ने इन एलईओ कार्यशालाओं में भाग लिया।

- दिसंबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान, सेल सतर्कता निवारक सतर्कता प्रयासों को जारी रखेगा जैसे कि निवारक जांच करना, प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना आदि।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान राउरकेला में स्कूल में ड्रॉइंग और पेंटिंग काम्पटिशन

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सतर्कता विभाग ने जहां भी आवश्यक हो, प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करते हुए, माल की खरीद, संविदा और बिक्री में प्रणालियों और प्रक्रियाओं का संरचित अध्ययन किया। उत्पादन, विपणन, अधिप्राप्ति, वित्त, प्रशासन और परियोजनाओं में संविदाओं की यादृच्छिक जांच के साथ–साथ की गई संविदाओं की सीटीई–पैटर्न गहन परीक्षा। चुनिंदा आंतरिक लेखा परीक्षा और सीएजी पैरा की सतर्कता के दृष्टिकोण से जांच की गई। निवारक उपाय के रूप में, निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और औचक निरीक्षण किया जाता है।

निर्धारित कार्यकाल से अधिक संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारियों की पहचान की गई और उनका स्थानांतरण सुनिश्चित किया गया। निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रबंधन उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता पर कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। निवारक, दंडात्मक और निगरानी गतिविधियों के लिए एक ई–सतर्कता पोर्टल के विकास जैसी आईटी पहलों को पूरा और लागू किया गया।

पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईः

- 128 निगरानी जांच की, जिसमें 12 गुणवत्ता जांच, 6 संविदा प्रावधान जांच, मुख्यालय तथा बाहरी विपणन कार्यालयों में 2 निरीक्षण और चिकित्सा सेवाओं पर 4 आवधिक औचक जांच शामिल हैं। 11 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा/सीएजी पैरा की जांच की गई।
- 79 कर्मचारियों को शामिल करते हुए निवारक सतर्कता संबंधी 4 संवेदीकरण सत्र आयोजित किए गए थे।
- सीटीई पैटर्न, पीक्यूसी जांच, बिल जांच, सिस्टम स्टडीज, एकल निविदा/नामांकन मामलों, आपातकालीन अधिप्राप्ति, उच्च मूल्य वाली संविदाओं, विक्रेता/ठेकेदार पंजीकरण आदि पर संविदाओं की जांच के तहत

31 संविदाओं की जांच की गई। 340 वार्षिक अचल संपत्ति विवरणियों की जांच की गई। इसके अलावा, सभी विभागों में साप्ताहिक औचक जांच की गई।

- वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, 31.05.2025 को पहचाने गए संवेदनशील पदों की कुल संख्या 1063 है। सभी 134 अधिकारी, जिन्हें 31.05.2025 तक रोटेशन के लिए जाना था, को सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए स्थानांतरित कर दिया गया है।
- सतर्कता द्वारा सुझाए गए लंबे समय से लंबित 8 प्रणालीगत सुधारों का पालन किया गया और उन्हें लागू किया गया।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2025 की प्रस्तावना के रूप में, 18 अगस्त से 17 नवंबर, 2025 तक तीन महीने का अभियान चलाया गया था। इस अवधि के दौरान, आंतरिक डोमेन विशेषज्ञों द्वारा – जांच और रिपोर्ट, आरोप पत्र तैयार करना, सीटीई प्रकार की गहन परीक्षाएं आयोजित करना, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत सीवीसी द्वारा 530 कार्यपालकों को संवेदनशील बनाना आदि विषयों पर 12 सत्रों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, 24.10.2025 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीवीसी के पूर्व निदेशक श्री राजीव वर्मा उपरोक्त विषयों पर अतिथि वक्ता के रूप में शामिल हुए, जिसमें 49 कार्यपालकों को संवेदनशील बनाया गया।
- तीन महीने की वीएडब्ल्यू 2025 अभियान अवधि के दौरान, आईजीओटी कर्मयोगी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1029 कार्यपालकों द्वारा 28 मॉड्यूल में 5,043 पाठ्यक्रम पूरे किए गए थे।
- वीएडब्ल्यू–2025 का आयोजन 03 नवंबर, 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि, श्री मुप्पला श्रीनिवास, आईआरएसएमई, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम ने भाग लिया।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी सतर्कता विभाग ने पारदर्शिता और प्रचालन दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह उपलब्धि निवारक सतर्कता उपायों के सक्रिय कार्यान्वयन और प्रणाली सुधारों की शुरूआत के माध्यम से महसूस की गई है। अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

(i) **निवारक जांच:** वित्तीय वर्ष के अंतिम नौ महीनों के दौरान कुल 131 निवारक जांच की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- फ़ाइल अध्ययन – 42
- औचक निरीक्षण –34
- नियमित निरीक्षण –42
- लेखापरीक्षा पैरा –9
- सीटीई – 4

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष की शेष तिमाही के लिए भी अतिरिक्त जांचें और निरीक्षण करने की योजना है।

(ii) **शिकायत प्रबंधन:** एनएमडीसी लिमिटेड को अप्रैल, 2025 और दिसंबर, 2025 के बीच 171 शिकायतें मिलीं, जिनमें से सभी का सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान किया गया था।

(iii) **प्रशिक्षण कार्यक्रमः** सतर्कता विभाग ने मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया जैसेः

- आरोप–पत्र का मसौदा तैयार करना और अनुशासनात्मक कार्यवाही
- जांच और सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा
- खरीद में निवारक सतर्कता, एमएसई, एमआईआई और समवर्ती अनुप्रयोग से संबंधित वैधानिक दिशानिर्देश
- नैतिक सतर्कता
- श्रम अनुपालन में निवारक सतर्कता
- लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम

आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षणः आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों जो नैतिकता, आचरण नियम, सत्यनिष्ठा, व्यवहार में बदलाव, साइबर स्वच्छता और सार्वजनिक अधिप्राप्ति जैसे शामिल विषयों की पहचान की गई और सभी परियोजनाओं के कर्मचारियों तथा प्रधान कार्यालय को इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एनएमडीसी में विभिन्न स्तरों के कार्यपालकों द्वारा आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल में कुल 2617 शिक्षण सत्र पूरे किए गए।

सत्यनिष्ठा संधिः पारदर्शिता और नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने के लिये 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक के अनुमानित मूल्य वाली वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की सभी अधिप्राप्ति को इंटीग्रिटी पैक्ट ढाँचे के तहत शामिल किया जाता है।

त्रैमासिक समीक्षा बैठकें: सतर्कता गतिविधियों की प्रगति का मूल्यांकन करने, लंबित मुद्दों के निपटान करने और आगे की योजना बनाने के लिए नियमित त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों से सतर्कता अधिकारियों के बीच ज्ञान साझा करने में भी मदद मिली।

संरचित बैठकें: सतर्कता विभाग प्रबंधन के साथ अपने काम की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों का उद्देश्य खामियों को रोकने और पता लगाने में अपनी वर्तमान गतिविधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, लंबित मुद्दों का निपटान करना और सतर्कता बढ़ाने तथा संगठन के भीतर समग्र अखंडता में सुधार करने के लिए भविष्य की रणनीतियों की योजना बनाना है।

ई–प्लेटफॉर्म पहलः सतर्कता विभाग ने निविदा के लिये ई–प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया और पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये जैम पोर्टल को अपनाने को प्रोत्साहित किया।

4 प्रणाली सुधारों का उक्त अवधि के दौरान निवारक सतर्कता कार्यकलापों के एक भाग के रूप में सुझाव दिया गया।

ऑनलाइन सतर्कता पोर्टलः एनएमडीसी लिमिटेड ऑनलाइन सतर्कता पोर्टल के तहत काम कर रहा है, जो विभाग की दिन–प्रतिदिन की सभी प्रमुख गतिविधियों को सहज करता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताहः सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें केंद्रित गतिविधिया, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं तथा भ्रष्टाचार विरोधी पहलों पर आउटरीच कार्यक्रम और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रम थे। समापन समारोह के दौरान सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई और उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

17.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) के सतर्कता विभाग ने पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह निवारक सतर्कता उपायों के कार्यान्वयन और प्रणाली में सुधार के सुझाव के माध्यम से हासिल किया गया है। कैलेंडर वर्ष में 30 नवम्बर–2025 तक की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

निवारक जांच: दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल 60 निवारक जांच की गईं, जिनमें फ़ाइल अध्ययन, औचक निरीक्षण, नियमित निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा पैरा निरीक्षण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए अतिरिक्त जांच और निरीक्षण की योजना बनाई गई है।

शिकायत निपटान: एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को कैलेंडर वर्ष में दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक 42 शिकायतें मिलीं, जिनमें से सभी का सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम: अपने निवारक सतर्कता प्रयासों के हिस्से के रूप में, सतर्कता विभाग ने मानव संसाधन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों का सुझाव दिया। इन सत्रों में सीवीसी द्वारा चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्रों, जैसे आरोप–पत्र तैयार करना और सीटीई–प्रकार की गहन परीक्षा आयोजित करना, साथ ही समावेशी कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक संवेदीकरण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नैतिक कार्यपद्धतियों को मजबूत करते हैं, प्रक्रियाओं में सुधार करते हैं और पारदर्शिता और जवाबदेही की परिपाटी को प्रोत्साहित करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता अभियान अवधि के दौरान, कर्मचारियों को आईगॉट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रम जैसे नीतिशास्त्र, आचरण नियम, सत्यनिष्ठा, दृष्टिकोण परिवर्तन, साइबर हाइजीन और सार्वजनिक अधिप्राप्ति विषयों से संबंधित 23 विभिन्न पाठ्यक्रमों पर पूरा करने के लिए पदोन्नत किया गया था। लगभग 136 कर्मचारियों ने आईगॉट पोर्टल पर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

प्रणाली में सुधार: दिनांक 30 नवंबर 2025 तक कैलेंडर वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रक्रियाओं की समीक्षा की और कई प्रणाली सुधारों संबंधी सुझाव दिया और कई सुझावों का अनुपालन किया गया।

सत्यनिष्ठा संधि संबंधी कार्यान्वयन: 1 करोड़ और उससे अधिक के अनुमानित वाली सभी वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की अधिप्राप्तियों के लिए सत्यनिष्ठा कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

समीक्षा बैठकें: सतर्कता गतिविधियों की प्रगति का आकलन करने, लंबित मुद्दों पर चर्चा करने और आगे की योजना बनाने के लिए आभासी और वास्तविक रूप से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों ने सतर्कता अधिकारियों के बीच ज्ञान साझा करने को सुगम बनाया।

ई–प्लेटफॉर्म पहल: सतर्कता विभाग ने निविदा के लिये ई–प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया और पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये जैम पोर्टल को अधिक से अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह: सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2025 को उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें कर्मचारियों को विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के साथ–साथ "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" के विषय को बढ़ावा देने के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किया गया, साथ ही उपस्थित लोगों के बीच ईमानदारी और नैतिक परिपाटी को बढ़ावा दिया गया। अभियान अवधि के दौरान क्षमता निर्माण, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल पहल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जागरूक किया गया। सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं को समापन समारोह में सम्मानित किया गया।

17.6 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कामकाज में निवारक सतर्कता शामिल है। सतर्कता के क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और विकसित करने के लिए सतर्कता परामर्श जारी करके संगठन में प्रणाली सुधार पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी बिना किसी डर के आत्मविश्वास से निर्णय ले सकें, ताकि दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हो एवं उत्पादकता के माध्यम से निर्णय लेने में तेजी लाई जा सके। सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं:–

आईएसओ 9001–2015 प्रमाणन: सतर्कता विभाग ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। यह प्रमाणपत्र 20 मई, 2026 तक वैध है।

निरीक्षण: 36 आवधिक, 14 औचक और 06 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण के आधार पर प्रबंधन को सलाह जारी की गई है। (कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान)

शिकायत निपटान: सतर्कता विभाग ने दिनांक 31.12.2025 तक (कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान) कुल 61 शिकायतों पर कार्यवाही की है जिनमें मंत्रालय द्वारा संदर्भित 08 शिकायत भी शामिल हैं।

प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों की जांच: सतर्कता विभाग ने खरीद, बोली प्रक्रिया आदि से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया है और जांच के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणाली में सुधार के लिए परामर्श जारी किया गया है।

मोबाइल ऐप 'विजिलेंस मॉयल': मॉयल सतर्कता द्वारा आंतरिक समूह के साथ विकसित मोबाइल ऐप विजिलेंस मॉयल, किसी भी समय किसी भी स्थान से मुफ्त डाउनलोड करने और शिकायत करने के लिए गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

टोल फ्री नंबर: आम जनता को सतर्कता संबंधी सहायता देने के लिए एक टोल फ्री नंबर 18002333606 उपलब्ध कराया गया है।

प्रबंधन के साथ संरचित बैठक: सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान सीएमडी, मॉयल की उपस्थिति में मॉयल प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की 04 संरचित बैठकें हुई हैं, जिसमें सतर्कता द्वारा जारी प्रणालीगत सुधार सलाह की स्थिति और अन्य कार्यसूची मदों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

मॉयल बोर्ड द्वारा सतर्कता कार्य की समीक्षा: सीवीसी नियमावली के निर्देशों के अनुसार, मॉयल बोर्ड द्वारा दिनांक 30.07.2025 को सतर्कता कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन और की गई कार्रवाई को सीवीओ द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना : सीवीसी के परिपत्र के संदर्भ में, सतर्कता विभाग ने वेबसाइट के प्रभावी उपयोग और नियामक, प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों के निर्वहन और शिकायतों से निपटने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया। सतर्कता विभाग और मॉयल प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

- ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल।
- ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली को व्यवहार में लाया गया है।
- रिकार्डों का डिजिटलीकरण।

- खदानों और संयंत्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना– वेतन बनाने को सैप (एसएपी) के साथ बायोमेट्रिक अटेन्डेंस को लिंक करना
- एफएलएम में एपीआर की तर्ज पर अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली।

नियमावली (मैनुअल) का अद्यतीकरण: 04 नियमावलियां अर्थात एचआर नियमावली, क्रय एवं संविदा नियमावली, सतर्कता नियमावली और लेखा नियमावली को अद्यतित किया गया हैं और वे मॉयल की वेबसाइट/ इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम: सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान मुख्यालय और खदान में अधिप्राप्ति प्रक्रिया, आचरण नियम, साइबर सुरक्षा, नैतिकता और शासन प्रणाली और प्रक्रिया, जांच और रिपोर्ट, आरोप पत्र तैयार करने और सीटीई प्रकार के निरीक्षण पर 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कुल 359 कर्मचारियों को शामिल किया गया। (कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान)।

कार्य रोटेशन: संवेदनशील पदों पर 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के रोटेशन के लिए संवेदनशील पदों की पहचान की गई है और प्रबंधन के साथ इस पर चर्चा की गयी है। जिन कार्मिकों का रोटेशन होना था उन सभी का रोटेशन किया गया है।

प्रणाली सुधार: शिकायतों, अध्ययन, निरीक्षण आदि से संबंधित जांच के परिणामस्वरूप कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार हेतु प्रबंधन को (कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान) लगभग 26 सलाह और सुझाव दिए गए थे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह: मॉयल लिमिटेड की सभी खदानों/कार्यालयों में 27.10.2025 से 02.11.2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें **''सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी''** विषय के साथ सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई थीं।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन समारोह के दौरान वार्षिक पत्रिका शुचिता का विमोचन।
- आम जनता में सतर्कता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वॉकथॉन।
- सीवीसी द्वारा निर्धारित निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 03 विषयों (अर्थात जांच और रिपोर्ट, आरोप पत्र तैयार करना और सीटीई प्रकार का निरीक्षण) को शामिल किया गया।
- सतर्कता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्मिकों, उनके बच्चों, विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों के लिए निबंध/स्लोगन/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- सतर्कता जागरूकता के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वीएडब्ल्यू 2025 की पूर्व तैयारी के रूप में निवारक सतर्कता उपाय एवं अन्य गतिविधियाँ की गईं तथा 18.08.2025 से 17.11.2025 तक तीन माह का अभियान चलाया गया, जिसमें निम्न मदों के संबंध में कार्रवाई गई।

क. **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:**– सीवीसी के निदेशानुसार कुल 147 कार्यकारियों ने 03 विषयों (अर्थात जांच और रिपोर्ट, आरोप पत्र तैयार करना और सीटीई प्रकार का निरीक्षण) पर पुनश्चर्या / नए प्रेरकों (इंडक्टी)

का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभियान अवधि के दौरान कुल 05 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ख. **लंबित मामलों का निपटान:** अभियान अवधि के दौरान, सीवीसी द्वारा दी गई प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की सलाह सतर्कता विभाग, मॉयल लिमिटेड में लंबित नहीं थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए सभी प्रणालीगत सुधार तथा सीटीई पैरा लागू कर दिए गए हैं।

ग. **डिजिटल पहल:** वेबसाइट का रख–रखाव एवं अद्यतन नियमित रूप से किया जा रहा है। वेबसाइट के अद्यतन एवं समीक्षा हेतु एक प्रणाली लागू की गई है।

घ. **परिसंपत्ति प्रबंधन:** सीवीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार अभियान अवधि के दौरान स्थायी एवं चल परिसंपत्तियों की समीक्षा की गई है तथा जीईएम पोर्टल पर अप्रचलित वस्तुओं के निपटान की प्रक्रिया जारी है।

17.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन का सतर्कता विभाग संगठन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और भयमुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग नियमित रूप से प्रणालीगत सुधार और परामर्श जारी करता है, जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार, कदाचार, लापरवाही और संगठन को होने वाले अनुचित वित्तीय नुकसान को रोकना है। ये उपाय पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अधिकारियों को आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए बनाए गए हैं।

इस संदर्भ में, सतर्कता विभाग ने कई प्रमुख पहलें की हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- मेकॉन के विभिन्न कार्यालयों में सतर्कता विभाग द्वारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण सत्रों सहित विभिन्न निवारक सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोखिम प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, संविदा प्रबंधन, और साइबर हाइजीन तथा सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी विशेषज्ञों दोनों को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा, छात्रों और समुदाय के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई आउटरीच गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें सरकारी मिडिल स्कूल, डोरंडा में स्पीच एंड ड्राइंग प्रतियोगिता, एसएलएस डीएवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली में पेंटिंग प्रतियोगिता, कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल, बेंगलुरू में पेंटिंग प्रतियोगिता, निर्मला कॉलेज, परस्तोली, रांची में स्पीच प्रतियोगिता शामिल हैं। ये कार्यक्रम रांची, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में मेकॉन के कार्यालयों में आयोजित किए गए थे और विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसके अलावा, नए प्रवेशकों को संगठन की प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सतर्कता से संबंधित सर्वोत्तम परिपाटी से परिचित कराने के लिए समर्पित क्षमता–निर्माण सत्र आयोजित किए गए।
- औचक और नियमित जांच, फाइलों की जांच और वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच जैसे निवारक उपाय नियमित रूप से किए जा रहे हैं।
- नियमित रूप से संरचित बैठकें सतर्कता और प्रबंधन के बीच आयोजित की जा रही हैं, जिसके दौरान बोली दस्तावेजों का मानकीकरण, संगठनात्मक प्रक्रियाओं और मैनुअल का अद्यतन, विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी का निर्माण, विभागीय कार्यवाही, अभियोजन मंजूरी, रोटेशनल स्थानांतरण और प्रणालीगत सुधार जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चर्चा की जाती है।

- मेकॉन ने 507 आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के साथ इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) (ईपीसी परियोजनाओं के लिए सीमा मूल्यः 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक और नगर प्रशासन के साथ–साथ इन–हाउस खरीद के लिए 25 लाख रुपए और उससे अधिक) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सीवीसी परिपत्र संख्या 04/08/24 दिनांक 01.08.2024 के अनुसार, सभी मेकॉन कार्यालयों में 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2025 मनाया गया, जिसका विषय **''सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी/Vigilance: Our Shared Responsibility-"** था।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2025 के लिए सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, रांची, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, नगरनार और अन्य स्थानों पर मेकॉन कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें दिनांक 27.10.2025 को मेकॉन के सीवीओ डॉ. सतीश कुमार द्वारा "**सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा का संचालन''** पर एक सत्र, उसके बाद दिनांक 29.10.2025 को "जांच और रिपोर्ट" पर एक इंटरैक्टिव सत्र शामिल था। दिनांक 30.10.2025 को "चार्जशीट तैयार करना" पर एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया। इसके अलावा, दिनांक 01.11.2025 को "**निविदा प्रक्रिया के दौरान देने वाली सामान्य गलतियां और केस स्टडी**" पर एक आंतरिक विशेषज्ञ द्वारा एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया।
- आयोग की सलाह के अनुसार दिनांक 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक सभी मेकॉन कार्यालयों में निवारक सतर्कता पर पांच क्षेत्रों, यानी लंबित शिकायतों का निपटान, लंबित मामलों का निपटान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन महीने का अभियान चलाया गया।

17.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है। विभाग पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों के पालन को सुनिश्चित करके संगठन के भीतर भ्रष्टाचार और अनैतिक पद्धतियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कर्मचारियों के लिए प्रौद्योगिकी–आधारित प्रशिक्षण, नियमित अपडेट और लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन के माध्यम से प्रचालन दक्षता बढ़ाने के साथ–साथ सत्यनिष्ठा की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। विभाग संविदाओं, खरीद आदेशों, सीएसआर गतिविधियों, वार्षिक संपत्ति रिटर्न, लेखापरीक्षा टिप्पणियों, बिल भुगतान और औचक निरीक्षण आदि की जांच के लिए जिम्मेदार है। यह अधिकारियों की तयशुदा सूची पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समन्वय करता है और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करता है। इसके अलावा, विभाग संवेदनशील पदों की पहचान करता है और ऐसे पदों पर तैनात अधिकारियों का समय पर रोटेशन सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- 38 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का निपटान किया गया।
- 04 संविदाओं और 07 लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई।
- 10 नियमित निरीक्षण और 07 औचक निरीक्षण किए गए।
- 02 सीटीई प्रकार के निरीक्षण/प्रणाली अध्ययन आयोजित किए गए।

- सतर्कता गतिविधियों के आधार पर प्रबंधन को 4 प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की गई।
- कुल कर्मचारियों के 13% से अधिक के लिए संपत्ति रिटर्न की जांच की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रमः सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा एक विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया था। चार निवारक सतर्कता प्रशिक्षण सत्र भौतिक रूप से आयोजित किए गए थे। कर्मचारियों को आई–गॉट पोर्टल के माध्यम से निवारक सतर्कता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कुल 93 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। नई दिल्ली, कोलकाता, वडोदरा, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, विशाखापत्तनम, रायपुर और चेन्नई में स्थित विभिन्न एमएसटीसी कार्यालयों में नौ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निदेशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की प्रस्तावना के रूप में 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक पांच निवारक सतर्कता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन महीने का निवारक सतर्कता अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2025: एमएसटीसी लिमिटेड ने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन किया, जिसका विषय था **''सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी''/ "Vigilance: Our Shared Responsibility."** इस अवसर पर पारदर्शिता और नैतिक शासन को बढ़ावा देने के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

एमएसटीसी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह वॉकाथॉन

- संगठन की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह की गतिविधियों और विषय को कर्मचारियों तथा आम जनता तक पहुँचाया जा सके। जन–जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पर्चे वितरित किए गए।

- इस अवसर पर एमएसटीसी की इन–हाउस सतर्कता पत्रिका *''जागृत''* का सातवाँ अंक प्रकाशित किया गया, जिसमें एमएसटीसी कर्मचारियों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय पर लिखे गए लेख और कविताएँ शामिल थीं। भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से प्राप्त संदेश भी संगठन की वेबसाइट के सतर्कता कार्नर में प्रकाशित किए गए।

- विषय पर आधारित नाटक और *वॉकाथॉन* का आयोजन किया गया, जिससे निगमित कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय तथा अन्य क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों में जागरूकता फैलाई जा सके। देशभर में स्थित विभिन्न एमएसटीसी कार्यालयों में *ग्राहक शिकायत निवारण शिविरों* का आयोजन किया गया।

- इसके अतिरिक्त, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, नारा लेखन, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, इनमें एमएसटीसी कर्मचारी, उनके बच्चे तथा कोलकाता के स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल थे।

17.9 केआईओसीएल लिमिटेड

हाल के वर्षों में केआईओसीएल में सतर्कता विभाग का प्रमुख फोकस निवारक सतर्कता पर रहा है और इस वर्ष के दौरान भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। भ्रष्टाचार और कदाचार के दुष्प्रभावों प्रति में सभी स्तरों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए निवारक सतर्कता का वातावरण तैयार किया गया है।

- प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित संरचित बैठक आयोजित की जा रही हैं और इनमें प्रणालीगत सुधार, ई–गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी का उपयोग, निविदा प्रबंधन, कार्यों का आवंटन, संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों का स्थानांतरण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अधिप्राप्ति नियमावली का अद्यतन, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, सत्यनिष्ठा समझौते (इंटीग्रिटी पैक्ट) का कार्यान्वयन आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, कंपनी के प्रबंधन और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ त्रैमासिक आधार पर 4 संरचित बैठकें आयोजित की गई हैं।

- सतत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग को आईएसओ प्रमाणन 9001–2015 मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित किया गया है।

- ई–प्रोक्योरमेंट प्रचलन में है और इसके लिए सीमा मूल्य 2 लाख रुपए या उससे अधिक निर्धारित किया गया है। वर्ष के दौरान, मूल्य अनुसार 98.60% संविदाएं इसके अंतर्गत शामिल की गयी हैं। सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान, इंटीग्रिटी पैक्ट क्लॉज को शामिल करते हुए मूल्य आधार पर 95.19% संविदाओं को शामिल करते हुए, 129 कार्य/खरीद/बिक्री आदेश जारी किए गए हैं। सत्यनिष्ठा समझौते के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- इस अवधि के दौरान 50 परीक्षण/जाँच, 24 सामान्य निरीक्षण, 14 आकस्मिक जाँच और 10 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही सुझाई गई। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई।

- केआईओसीएल लिमिटेड के सभी स्थानों/कार्यालयों में दिनांक 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2025, मनाया गया। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय **"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी"** ***"Vigilance: Our Shared Responsibility-"*** निगमित कार्यालय, बेंगलुरु और मंगलुरु में संयंत्र में सतर्कता जागरूकता लाने के लिए वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यशालाएं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अतिथि व्याख्यान, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच निबंध, स्लोगन लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के महत्व और सतर्कता गतिविधियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया।
- वर्ष के दौरान, सतर्कता से संबंधित 14 प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/जागरुकता कार्यक्रमों में अधिकारियों सहित सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे कुल 1221 मानव–घंटे का योगदान हुआ।
- निवारक सतर्कता और क्षमता निर्माण के भाग के रूप में, सतर्कता विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए केआईओसीएल अन्य विभागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है।

अध्याय – XVIII

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली तथा लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान

18.1 केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) को मंत्रालय और उसके सीपीएसई में जन शिकायतों के त्वरित निपटान को सुगम बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीपीग्राम, एनआईसीनेट पर आधारित एक ऑनलाइन वेब–सक्षम प्रणाली है जिसे एनआईसी द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों का त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी करना है। शिकायत निवारण प्रक्रिया के संपूर्ण चक्र में (i) एक नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना। (ii) संगठन द्वारा शिकायत संबंधी स्वीकृति की पुष्टि (iii) अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में शिकायत का आकलन। (iv) अग्रेषण और अंतरण (v) अनुस्मारक और स्पष्टीकरण तथा (vi) मामले का निपटान शामिल है।

दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए सीपीग्राम में निपटान की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

मंत्रलय/सीपीएसई	दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार लंबित	दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक प्राप्त	दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 के दौरान निपटान किया गया	दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार लंबित
इस्पात मंत्रालय	68	1000	1012	56
सेल	32	480	479	33
आरआईएनएल	5	102	100	07
एनएमडीसी लिमिटेड	0	73	73	0
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0	28	25	03
मेकॉन लिमिटेड	02	40	41	01
मॉयल लिमिटेड	0	30	29	01
केआईओसीएल	01	04	05	0
एमएसटीसी लिमिटेड	0	25	22	03

18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल संयंत्रों और इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है।

सेल संयंत्र/इकाइया शिकायत निवारण प्रणाली का रखरखाव कर रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानान्तरण, छुट्टी, कार्य आवंटन और कल्याणकारी सुविधाओं आदि जैसे सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर हर स्तर पर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में मौजूद पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण प्रणाली लागू है, जिसमें कार्यकारी और गैर– कार्यकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु अलग–अलग तंत्र सम्मिलित हैं। गैर– कार्यकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक शिकायत निवारण प्रक्रिया में, समिति में एक श्रमिक प्रतिनिधि भी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त, शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायतों के निवारण हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। सार्वजनिक शिकायतों के निवारण हेतु महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

18.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में शिकायत निवारण तंत्र का नेतृत्व मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है, जो शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी भी है। उत्पादन परियोजनाओं में यह जिम्मेदारी *कार्मिक प्रमुख* द्वारा निभाई जाती है। यह तंत्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। एनएमडीसी की वेबसाइट के होम पेज पर भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। जब भी कोई जन शिकायत (प्रेस/सोशल मीडिया सहित) प्राप्त होती है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

18.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) को मंत्रालय एवं उसके सीपीएसई में सार्वजनिक शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया है। सीपीग्राम एक ऑनलाइन, वेब–आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो एनआईसीनेट पर संचालित होता है तथा इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा शिकायतों के त्वरित निवारण और बेहतर निगरानी को सक्षम बनाना है।

सीपीग्राम के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया में शिकायत के संपूर्ण जीवनचक्र को शामिल किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- नागरिक द्वारा शिकायत का प्रस्तुतिकरण,
- संबंधित संगठन द्वारा प्राप्ति की पुष्टि,
- मूल्यांकन एवं उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की शुरुआत,
- आवश्यकतानुसार शिकायत का अग्रेषण या स्थानांतरण,
- अनुस्मारक जारी करना अथवा स्पष्टीकरण मांगना, और
- मामले का अंतिम निपटान।

18.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में शिकायत निवारण तंत्र में प्रत्येक इकाई/खदान/मुख्यालय में एक शिकायत अधिकारी नामित होता है। मुख्यालय में नामित नोडल अधिकारी उनके प्रभावी कार्य–निष्पादन के लिए इकाई/खदान/मुख्यालय के शिकायत अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। नामित जन शिकायत अधिकारियों द्वारा खनन और निगमित कार्यालय में निर्धारित अवधि में मासिक/त्रैमासिक शिकायतों की समीक्षा की जाती है तथा निर्धारित अवधि के भीतर निपटारा किया जाता है। इकाइयों में शिकायतों से संबंधित आंकड़े इकाई शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/तिमाही विवरणी में मुख्यालय को प्रस्तुत की जाती है।

18.7 मेकॉन लिमिटेड

सामान्यतः मेकॉन का आम जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। परंतु किसी भी तरह के कथित अन्याय से संबंधित किसी भी विशिष्ट शिकायत को शिकायत के रूप में माना जाता है। ग्राहकों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है।

मेकॉन ने लोक शिकायतों के लिए केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के अन्तर्गत नोडल अधिकारी नामांकित किया है और नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

मेकॉन में, अपने कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए द्वि–स्तरीय शिकायत प्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने, उसका निवारण करने की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि वाली एक शिकायत सलाहकार समिति कार्यरत है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ भी है।

वर्तमान में, किसी भी क्षेत्र के कर्मचारियों की कोई शिकायत नहीं है। आम तौर पर, कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को गैर– कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में मेकॉन कर्मचारी संघ (एमईयू) और कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में मेकॉन कार्यकारी संघ (एमईए) के अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाना पसंद करते हैं, जो दोनों ही कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

18.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है। संगठन के क्षेत्रों और शाखाओं में कुल 18 (अठ्ठारह) प्रकोष्ठ हैं और मुख्यालय में एक केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ है। कंपनी की वेबसाइट **www.mstcindia.co.in** पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। एमएसटीसी ने सार्वजनिक शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति और निपटान के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) को भी लागू किया है, ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। बाहर से और संगठन के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का समाधान और निवारण के लिए कार्रवाई की जाती है।

प्रकोष्ठों के अलावा, मुख्यालय में भी एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। शिकायत निवारण समिति संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से प्राप्त शिकायतों और टिप्पणियों की जांच के बाद सिफारिशें प्रस्तुत करती है। शिकायत निवारण समिति मामलों की समीक्षा करने के लिए आवधिक अंतरालों पर बैठक करती है। कंपनी की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) और लोक शिकायत साइट की नियमित रूप से मुख्यालय द्वारा निगरानी की जाती है।

18.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में विवाद समाधान तंत्र सहित एक सुव्यवस्थित और बहुस्तरीय लोक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। केआईओसीएल में स्थापित सार्वजनिक निवारण प्रणाली को बैंगलोर स्थित निगमित कार्यालय से सभी उत्पादन इकाइयों, परियोजना कार्यालयों और संपर्क कार्यालयों में लागू किया गया है। शिकायत रखने वाले विक्रेता और हितधारक निम्नलिखित सार्वजनिक शिकायत/विवाद निपटान के लिए संगठन के साथ बातचीत कर सकते हैं:–

- सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं। शिकायतकर्ता इन अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से या लिखित शिकायत के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं।
- विक्रेताओं की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

केआईओसीएल लिमिटेड ने एक अच्छी तरह से परिभाषित शिकायत प्रक्रिया भी तैयार की है, जिसमें सभी कर्मचारी, कार्यकारी और गैर– कार्यकारी दोनों शामिल हैं। शुरूआत से ही, शिकायतों का समय पर निपटान करके यह योजना संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। हालांकि, संगठन में कर्मचारियों की सीमित संख्या को देखते हुए, शिकायतों की पहचान आसानी से की जाती है और मूल स्तर पर ही उनका निवारण किया जा सकता है।

सेवोत्तम शिकायत नागरिक चार्टर का विकास हमारी कंपनी की वेबसाइट: **www.kioclltd.in** पर उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने शिकायतों को दर्ज करने और उनके निवारण के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के पोर्टल के लिए अपनी वेबसाइट में एक लिंकेज प्रदान किया है।

अध्याय – XIX

दिव्यांग और इस्पात

19.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के कार्यान्वयन के संबंध में सरकारी नियमों का पालन करता है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, इस्पात मंत्रालय में छह दिव्यांग व्यक्ति [दो श्रवण बाधित (एचएच), एक दृष्टि बाधित (वीएच) और तीन अस्थि दिव्यांग (ओएच)] कार्यरत हैं।

19.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाता है। सेल ने विभिन्न दिव्यांगता वाले 807 व्यक्तियों को रोजगार दिया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल पर बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।
- सेल अपने कर्मचारियों के विकलांग और आश्रित भाई–बहन को भी मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, चाहे वे सामान्य नियमों के अनुसार पात्र न हों।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से संयंत्र स्थानों पर खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ संयंत्र परिसरों में दिव्यांगों के लिए अलग खेल के मैदान भी निर्धारित किए गए हैं।

19.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- अधिनियम के अनुसार, आरआईएनएल में जब भी भर्ती की जाती है, आरक्षण लागू किया जाता है। दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा (10 वर्ष), आवेदन शुल्क में छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान योग्यता अंकों में 10% की छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समतुल्य चयन परीक्षाओं में अंकों में 10% की छूट जैसी रियायत और छूट दी जाती हैं।
- अधिनियम लागू होने के बाद से, आरआईएनएल ने विभिन्न दिव्यांगता वाले 214 व्यक्तियों (योग्यता के आधार पर 10 व्यक्तियों को छोड़कर) को रोजगार दिया है।
- कानून के अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं: नौकरियों की पहचान, भर्ती के बाद और पूर्व–पदोन्नति प्रशिक्षण, सहायता/सहायक उपकरण प्रदान करना, कार्यस्थल पर पहुंच और बाधा मुक्त

वातावरण, कंपनी के आवास के आवंटन में वरीयता, शिकायत निवारण, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त, विशेष आकस्मिक अवकाश एवं स्थानांतरण/तैनाती में वरीयता।

- मुख्य प्रशासनिक भवन/निगमित कार्यालय के विभिन्न कार्यालयों में दिव्यांगजन की सुविधा हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इनमें भवन में रैम्प मार्ग की व्यवस्था, लिफ्टों में श्रव्य संकेत की सुविधा तथा स्वागत केंद्र पर व्हीलचेयर की उपलब्धता शामिल है।

19.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी, एक खनन संगठन होने के नाते, खान अधिनियम तथा उसके नियमों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है और सुरक्षा कारक को ध्यान में रखते हुए, खदानों/संयंत्रों में काम करने वाले कार्यों में दिव्यांगजनों को नियोजित करना संभव नहीं है। हालांकि, दिव्यांगजनों को उन पदों पर नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है जहां फील्ड कार्य शामिल नहीं है और वर्तमान में एनएमडीसी के पास विभिन्न पदों पर 97 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं।

एनएमडीसी ने कंपनी में आने वाले दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे सभी कार्यालय और परियोजनाओं में रैंप वे, लिफ्टों में श्रवण संकेत आदि उपलब्ध कराए गए हैं। परियोजनाओं में सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाने वाले कर्मचारियों को चिन्हित पदों पर तैनात किया जाता है।

19.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) एक इस्पात विनिर्माण संगठन होने के नाते कारखाना अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित होता है और सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखते हुए इस्पात में कार्यरत कार्यों में दिव्यांगजन को नियोजित करना संभव नहीं है। तथापि, उन पदों पर दिव्यांग व्यक्तियों को प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां फील्ड कार्य शामिल नहीं है और वर्तमान में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में 12 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं।

एनएसएल ने कंपनी में आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी कार्यालयों और परियोजनाओं में रैंपवे, लिफ्ट में श्रवण संकेत आदि उपलब्ध कराए गए हैं। परियोजनाओं में सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाने वाले कर्मचारियों को चिन्हित पदों पर तैनात किया जाता है।

19.6 मॉयल लिमिटेड

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुरूप सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कार्यस्थल पर, कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार मॉयल में दिव्यांग श्रेणी से संबंधित 17 कर्मचारी कार्यरत हैं।

दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित पदों पर भर्ती, भारत सरकार के निदेशों/अनुदेशों के अनुसार दिव्यांगता बैंचमार्क वाले व्यक्तियों को आरक्षण, छूट और रियायतें देकर की जा रही हैं। जहां तक संभव हो, दिव्यांगजनों को रोटेशनल स्थानांतरण नीति/स्थानांतरण से छूट प्रदान की जाती है। मॉयल दिव्यांग व्यक्तियों को कंपनी की आवासीय परिसर में सुलभ आवास उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देता है।

19.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' के प्रावधानों को लागू किया है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार मेकॉन की कुल कर्मचारियों की संख्या 1004 हैं जिसमें से दिव्यांग/शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में विभिन्न पदों पर 09 कार्मिक हैं।

19.8 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार एमएसटीसी में दिव्यांग श्रेणी से संबंधित 09 कार्मिक (07 कार्यकारी तथा 02गैर–कार्यकारी) हैं।

19.9 केआईओसीएल लिमिटेड

दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक विभिन्न समूहों में कार्यरत दिव्यांगजनों का विवरण निम्नानुसार है:

कार्मिकों की संख्या (1)		दिव्यांगजन कार्मिकों की संख्या (2)			कुल एलडी + बीएल + एचआई (3)	दिव्यांगजन कार्मिकों का% कॉलम 33 एवं कॉलम 1) (4)
समूह		एलडी	बीएल	एचआई		
क	150	2	2	--	4	2.66
ख	38	3	--	--	3	7.89
ग	290	1	--	--	1	0.34
घ तथा घ (एस)	5	1	--	2	3	60
कुल	**483**	**7**	**2**	**2**	**11**	**2.27**

विवरण:

एलडी– लोकोमीटर डिसएबिलिटी अथवा सेरेब्रल पाल्सी

बीए– नेत्रहीन अथवा निम्न दृष्टि

एचआई– श्रवण संबंधी दिव्यांगता

आईडी– बौद्धिक दिव्यांगता/बहु दिव्यांगता।

अध्याय – XX

हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

20.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2025–26 के दौरान राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार और जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। संयुक्त–निदेशक (राजभाषा) के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन राजभाषा प्रभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी अनुवाद कार्य से संबंधित कार्य देखता है। वर्तमान में इसमें एक संयुक्त–निदेशक (राजभाषा), एक सहायक–निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एक वैयक्तिक सहायक, एक आशुलिपिक 'घ' और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

20.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। प्रत्येक वर्ष की हर तिमाही में समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाती है और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं।

20.1.2 हिंदी सलाहकार समिति

हिंदी सलाहकार समिति केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के संबंध में सलाह देना है। हिंदी सलाहकार समिति के गठन का कार्य प्रगति पर है।

20.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3ख3, के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं। "क", "ख" और "ग" क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में विभिन्न जाँच बिंदु स्थापित किए गए हैं।

20.1.4 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा/हिन्दी माह

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री एवं माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा 14 सितम्बर, 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपील जारी की गई थी। मंत्रालय में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आठ हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और नकद पुरस्कार जीते।

20.1.5 मंत्रालय/संसदीय राजभाषा समिति के अधिकारियों द्वारा राजभाषा निरीक्षण

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की जांच करने के लिए समय–समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसे 24 निरीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति ने इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और इन बैठकों में मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व भी किया गया। हाल ही में, संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 10.09.2025 और दिनांक 18.11.2025 को क्रमशः एमएसटीसी भुवनेश्वर और मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया और उसमें दोनों कार्यालयों को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला।

20.1.6 हिंदी कार्यशालाएं

मंत्रालय में नियमित अंतराल पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 26.09.2025 को **हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान'** विषय पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

20.1.7 प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रोत्साहन योजना

मंत्रालय में सरकारी काम–काज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसमें दो प्रथम, तीन द्वितीय और पांच तृतीय नकद पुरस्कार क्रमशः 5000/– रुपए, 3000/– रुपए और 2000/– रुपए की राशि के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय के कर्मचारियों को अपना सरकारी काम–काज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से जारी रखा है। सेल द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए सेल कर्मचारियों को मासिक हिंदी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
- सेल की घरेलू हिन्दी पत्रिका **'इस्पात भाषा भारती'** का प्रकाशन किया गया।
- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सेल के कंप्यूटर यूनिकोड सक्षम हैं और कर्मचारियों को हिंदी में दैनिक सरकारी कामकाज करने के लिए समय–समय पर उनके कौशल में सुधार लाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष के

दौरान, कर्मचारियों के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- दिनांक 17 सितंबर, 2025 को एक हिंदी संगोष्ठी 'विश्व में हिंदी भाषा का महत्व' का आयोजन किया गया।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में स्थापना के बाद से राजभाषा नीति, नियमों और अधिनियमों का प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाता है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में विनिदष्ट लक्ष्यों को पूरा किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ: अभ्यास आधारित हिंदी कार्यशाला में 137 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 107 कर्मचारियों को यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। 42 क्षेत्रीय/ शाखा बिक्री/ संपर्क कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। 19 कर्मचारियों को राजभाषा नीति के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु प्रशिक्षित किया गया। हिंदी बोलने संबंधी 13 कक्षाओं का आयोजन किया गया जिसमें 1044 संविदागत श्रमिकों को भी प्रशिक्षित किया गया।

निरीक्षण: मुख्यालय में 26 विभागों और 05 क्षेत्रीय एवं शाखा बिक्री कार्यालय का ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से निरीक्षण किया गया। इस्पात मंत्रालय द्वारा 05 क्षेत्रीय कार्यालयों शाखा बिक्री कार्यालयों और मुख्यालय का भी निरीक्षण किया गया।

हिंदी माह/पखवाड़ा/कार्यान्वयन दिवस: सितंबर, 2025 के दौरान आरआईएनएल के मुख्यालय में हिंदी माह का आयोजन किया गया। हाइकु हिंदी कविता, राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर शब्द–जाल प्रतियोगिता जैसी दिलचस्प प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

इस्पात मंत्रालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आरआईएनएल मुख्यालय का निरीक्षण: इस्पात मंत्रालय के दल ने दिनांक 13.10.2025 को राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आरआईएनएल मुख्यालय, प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया।

न.रा.का.स: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समित (न.रा.का.स – उपक्रम) के तत्वावधान में, दिनांक 17.12.2025 को विशाखपट्टनम में न.रा.का.स अर्ध–वार्षिक बैठक आयोजित की गई और विशाखपट्टनम सीपीएसई में राजभाषा की संपर्कता बढ़ाने के लिए लेख तैयार करने पर ईमेल प्रविष्टियाँ आमंत्रित करके अभिनव प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

20.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। कंपनी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (न.रा.का.स) द्वारा नियमित निगरानी और सरकारी पत्राचार, प्रकाशनों और दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करके राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। एनएमडीसी अपनी इन–हाउस हिंदी ई–पत्रिका "खनिज भारती" प्रकाशित करता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, और हिंदी में हाउस जर्नल और कॉर्पोरेट प्रकाशन भी निकालता है। राजभाषा कार्यान्वयन में किए गए लगातार प्रयासों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ('ग' क्षेत्र पीएसयू श्रेणी में प्रथम

पुरस्कार) और हैदराबाद में हिंदी ई–पत्रिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) के साथ राजभाषा शील्ड शामिल है। एनएमडीसी को अपने हिंदी हाउस जर्नल्स और वार्षिक रिपोर्टों के लिए पीआरसीआई और पीआरएसआई मंचों पर कई पुरस्कार भी मिले हैं, जो हिंदी के प्रयोग में निरंतर अनुपालन और उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। ये पहलें कार्यालयों, परियोजनाओं और निगमित संचार प्लेटफार्मों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को मजबूत करने के लिए एनएमडीसी के संरचित और प्रतिबद्ध दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं।

20.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2025 तक राजभाषा पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें** सभी चार तिमाहियों में नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान, समिति ने हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और निम्नलिखित संकल्प किए

  i) सभी आधिकारिक दस्तावेज़ द्विभाषी प्रारूप में जारी किए जाते रहें।

  ii) पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की निगरानी और सुधार।

  iii) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करना।

  iv) हिंदी में फ़ाइल टिप्पणियाँ और टिप्पणियाँ करने के लिए प्रोत्साहित करना।

  v) हिंदी टाइपिंग और प्रारूपण को प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

  vi) विभागीय आईटी सहायता को सुदृढ़ करना ताकि कंप्यूटर और लैपटॉप पर हिंदी में कार्य करना सुगम हो सके।

  vii) विभिन्न अनुभागों को दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की सलाह देना।

- मासिक हिंदी प्रोत्साहन योजना वर्ष भर जारी रही, जिसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में अपने सरकारी कार्य संपन्न करने पर प्रोत्साहन दिया गया।

- अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेखों की समीक्षा की गई तथा चयनित लेखों को **"खनिज भारती"** पत्रिका में प्रकाशित किया गया।

- यूनिकोड–आधारित बहुभाषी सुविधाओं को अद्यतन कर विभागीय कंप्यूटरों पर उपलब्ध कराया गया। कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग टूल और फ़ॉन्ट प्रदान किए गए ताकि वे सहजता से हिंदी में दस्तावेज़ तैयार कर सकें।

- मानव संसाधन विभाग ने नव–नियुक्त प्रशिक्षुओं के लिए अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जिनमें आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग के महत्व पर बल दिया गया। प्रतिभागियों ने आश्वासन दिया कि वे अपने दल के सदस्यों को राजभाषा को बढ़ावा देने हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

- एनएसएल ने जगदलपुर स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स) की अर्धवार्षिक बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और परियोजना में राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में की गई प्रगति और पहलों को साझा किया।

20.6 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड और उसकी सभी खदानों में अधिकतम पत्राचार हिंदी में किया जाता है तथा सभी प्रोसेसरों में 97: यूनिकोड प्रणाली लागू की गई है। कंपनी ने सभी कंप्यूटर प्रणालियों में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किए हैं।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 में निहित प्रावधानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, स्वच्छता अभियान, कौमी एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
- कंपनी में हिंदी कार्यशालाएं, काव्य गोष्ठी और राजभाषा सेमिनार आयोजित किए गए।

राजभाषा पुरस्कारः मॉयल लिमिटेड

20.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन अपने कार्यालयीन कामकाज में भारत सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। मेकॉन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

किया जा रहा है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

वर्ष 2025 के दौरान कंपनी के राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए थे:–

- मेकॉन, प्रधान कार्यालय, रांची में राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रमशः दिनांक 18.03.2025,10.06.2025, 17.09.2025 और 06.11.2025 को राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग पर विचार विर्मश किया गया।
- हिंदी कार्यशाला प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है। इस अवधि के दौरान, कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः दिनांक 18.03.2025, 06.05.2025, 22.07.2025, 07.11.2025 और 27.11.2025 को किया गया।
- अवधि के दौरान राजभाषा विभाग प्रधान कार्यालय, रांची के 21 विभागों में हिंदी क्रियान्वयन कार्य का निरीक्षण किया।
- अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, रांची ने अपने 07 प्रमुख कार्यालयों एवं परियोजना कार्यालयों के हिंदी क्रियान्वयन कार्य का निरीक्षण किया।
- डॉ. विचित्रसेन गुप्त, उप निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2025 को प्रधान कार्यालय, रांची में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग का निरीक्षण किया गया।
- मेकॉन मुख्यालय के साथ–साथ कंपनी के सभी साइट कार्यालयों में दिनांक 14.09.2025 से दिनांक 29.09.2025 तक **"हिंदी पखवाड़ा"** मनाया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की शपथ ली। "हिंदी पखवाड़ा" के दौरान कंपनी के मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

20.8 एमएसटीसी लिमिटेड

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा अधिनियम, नियम, नीति एवं वार्षिक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एमएसटीसी लिमिटेड की सभी इकाइयों में सतत एवं केंद्रित प्रयास किए गए।

राजभाषा पुरस्कार

एमएसटीसी ने राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु 10 पुरस्कार प्राप्त कर अब तक की सभी उपलब्धियों को पार कर लिया है। इसमें पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय सर्वोत्तम राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार भी शामिल है। यह पुरस्कार एमएसटीसी झारखंड शाखा कार्यालय को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की गरिमामयी उपस्थिति में असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा प्रदान किया गया।

निरीक्षण

पंजीकृत कार्यालय के 4 विभागों तथा 6 क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों का निरीक्षण ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय द्वारा 5 कार्यालयों तथा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 2 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 48 कर्मचारियों ने हिंदी प्रबोध, प्रवीन, प्रज्ञा एवं परांगत पाठ्यक्रम पूर्ण किए। साथ ही, 211 कर्मचारियों को अभ्यास–आधारित हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

80% से अधिक हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत पंजीकृत कार्यालय, ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्तर–पूर्व शाखा कार्यालय को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राजभाषा पखवाड़ा

राजभाषा पखवाड़ा–2025 का आयोजन 14 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक किया गया। इस दौरान कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिससे सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिला और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला।

हिंदी संगोष्ठी एवं सम्मेलन

एमएसटीसी को प्रदान किया गया नराकस पुरस्कार

एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा 14 जनवरी 2025 को नराकास (उपक्रम), कोलकाता के तत्वावधान में ''हिंदी कार्यालयी पत्रकारिता के मानदंड'' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी नराकास सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 24 सितंबर 2025 को एमएसटीसी राजभाषा समन्वयक सम्मेलन–2025 का आयोजन किया गया।

राजभाषा संगति

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 25 जून 2025 को एमएसटीसी की आंतरिक पत्रिका "राजभाषा संगति", जिसमें 7वां और 8वां विशेष संस्करण–"एमएसटीसी शब्दांजली" शामिल हैं, का अनावरण किया गया।

20.9 केआईओसीएल लिमिटेड

वर्ष 2025–26 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से गतिविधियों और उपलब्धियों से भरा रहा। केआईओसीएल लिमिटेड ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलुरु द्वारा 16 अगस्त, 2025 को आयोजित पहली छमाही बैठक के दौरान प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में, केआईओसीएल लिमिटेड पेलेट संयंत्र इकाई, मैंगलुरु ने 28 जुलाई 2025 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलुरु द्वारा आयोजित पहली छमाही बैठक के दौरान दूसरा पुरस्कार जीता।

राजभाषा विभाग ने राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वार्षिक कार्यक्रम 2025–26 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की समय पर कार्यवाही की।

नियमित रूप से व्यावहारिक और कार्यालय से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया और राजभाषा निरीक्षण आयोजित किए।

केआईओसीएल के निगमित राजभाषा विभाग ने 14–15 सितंबर, 2025 को गॉधी नगर, गुजरात में आयोजित पाँचवे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। राजभाषा विभाग ने हिंदी पखवाड़ा, 2025 के दौरान अभिनव हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जिसमे कर्मचारियों के सभी समूहों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भव्य समारोह में प्रख्यात साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान, कंपनी की वेबसाइट से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों, इस्पात मंत्रालय के साथ पत्राचार, स्थायी समितियों पर रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, हाउस जर्नल, प्रेस विज्ञप्ति, आरटीआई और अन्य प्रारूपों का राजभाषा विभाग द्वारा तत्काल और कुशलता से अनुवाद किया गया।

केआईओसीएल लिमिटेड की ई–पत्रिका 'श्रीगंधा' वर्ष की प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित होती थी और ईमेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से इसका प्रसार किया जाता था। ई–पत्रिका का लिंक कंपनी की वेबसाइट और ई–पुस्तकालय अनुभाग के तहत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वेब–पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया था।

इसके बाद प्रेरणा और प्रोत्साहन के मूल मंत्र को अपनाते हुए केआईओसीएल ने हिंदी दिवस (14 सितंबर) और विश्व हिंदी दिवस (10 जनवरी) पर अखबारों में हिंदी से जुड़े विज्ञापन और अच्छे विचार प्रकाशित किए। चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों और कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के साथ, केआईओसीएल राजभाषा पत्रिका और क्यूआर कोड कैलेंडर केआईओसीएल लिमिटेड में राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग को दर्शाते हुए प्रदर्शित किए गए।

अध्याय – XXI

महिला सशक्तिकरण

21.1 इस्पात मंत्रालय

31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार, इस्पात मंत्रालय में 30 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल जनशक्ति 191 का 15.70% है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले संबंधी अपने निर्णय में, कार्य के संबंध में महिलाओं की लैंगिक समानता के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को मान्यता दी और कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा के खिलाफ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी नियोक्ताओं को चाहे वे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हों, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों के साथ एक शिकायत समिति (महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न) का गठन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय द्वारा महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने के लिए एक पांच सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- 31.12.2025 तक, सेल में तकनीकी और गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्रों में 3213 महिला कर्मचारी हैं। प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर) क्षमता, चिकित्सा, पैरा–मेडिकल सेवाओं और अकादमियों में महिलाएँ हैं। कंपनी एक लैंगिक तटस्थ नीति का पालन करती है और चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में सभी कर्मचारियों को समान अवसर सुनिश्चित करती है।

सेल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

- लैंगिक भेद–भाव के बिना सभी कर्मचारियों को समान करियर विकास का अवसर प्रदान करना सेल की अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास के प्रति कंपनी की नीति की पहचान है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है।

- कंपनी की प्रशिक्षण योजनाएं प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के माध्यम से महिला कर्मचारियों सहित अपने सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। महिला कर्मचारियों को उनके करियर संबंधी विकास और जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में विशिष्ट/तकनीकी/प्रबंधकीय प्रशिक्षण देने के लिए विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए आन्या–महिला नेतृत्व कार्यक्रम सेल महिला अधिकारियों के लिए एक संरचित नेतृत्व विकास पहल है, जिसका उद्देश्य कक्षा में सीखने, कोऋचग, सिमुलेशन, अनुभवात्मक गतिविधियों और तंत्रिका विज्ञान–आधारित आदत निर्माण के माध्यम से आत्म–नेतृत्व, सहयोग और व्यावहारिक नेतृत्व कौशल को मजबूत करना है। चरण 2 में यूनिट–स्तरीय कार्यशालाओं, माइक्रो–लर्निंग सत्रों और संयंत्रों में ज्ञान साझा करने जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षार्थी–नेतृत्व वाले समूह सत्रों के साथ–साथ नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सेल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल में महिला कर्मचारी कुल जनशक्ति का 3.63% है। कुल अधिकारियों में से लगभग 6.9% कार्यपालक और 2.22% गैर–कार्यपालक महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी मानव संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में पारंपरिक कार्यों के अलावा प्रचालन और परियोजनाओं जैसे विविध और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

आरआईएनएल स्कोप के तत्वावधान में गठित सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला कार्यबल को घनिष्ठता से जोड़ने में मदद करता है। यह प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए आयोजित कई गतिविधियों में सहयोग कर रहा है, जिसमें प्रबंधकीय विकास, नेटवर्किंग और कार्य–जीवन संतुलन, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और परामर्श कौशल, महिलाओं के रोजगार से संबंधित मुद्दा पर

अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता सहित सामाजिक कौशल आदि संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्ष के दौरान आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है :–

- आंतरिक समिति–आरआईएनएल के सहयोग से वीएसजीएच में पॉश (पीओएसएच) अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- भावनात्मक कल्याण के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने और रणनीतियाँ विकसित करने के उद्देश्य से, डब्ल्यूआईपीएस–आरआईएनएल ने डॉ. बी. नित्या ऐश्वर्या, परामर्शदाता मनोचिकित्सक) द्वारा महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।
- **राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह:** राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर, डब्ल्यूआईपीएस–आरआईएनएल टीम 26.01.2025 को वुडा कॉलोनी, फेज–7, दुवाडा में बच्चों को संबोधित करने और उन्हें किताबें और स्टेशनरी वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एकत्रित हुई ।
- इस अवसर पर, डब्ल्यूआईपीएस–आरआईएनएल ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बाल अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया। इसमें कानूनी ढांचे और बाल सुरक्षा में शिक्षकों व संस्थानों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह सत्र **श्रीमती जी. आनंदी, पोक्सो कोर्ट के अतंगर्त अपराधों से संबंधित मुकदमों की विशेष न्यायाधीश, विशाखापट्टनम** द्वारा संबोधित किया गया।
- डब्ल्यूआईपीएस समिति (2024–26) द्वारा तीन दिनों तक महिला कर्मचारियों के लिए खेलकूद उक्कू स्टेडियम में आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्रिकेट रहा, जिसे पहली बार शामिल किया गया। इसमें विभिन्न विभागों और सभी आयु वर्ग की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

पुरस्कार:

- आरआईएनएल को फोरम ऑफ डब्ल्यूआईपीएस की 35वीं राष्ट्रीय बैठक में **सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार के लिए तीसरा स्थान** प्राप्त हुआ, जो संगठन में महिलाओं के विकास के लिए किए गए सराहनीय कार्य की पहचान के रूप में नवरत्न श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक उपलब्धि है।
- सुश्री भानु, महाप्रबंधक (एचआर), को 'आत्मनिर्भर भारत के लिए इस्पात: स्थिरता विकास को बढ़ावा देना' विषय के तहत आईएसए स्टील पुरस्कार–2025 में **'लैंगिक विविधता पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया।
- डॉ. सुजाता गुट्टला, मुख्य विशेषज्ञ (प्रसूति एवं स्त्री रोग), आरआईएनएल को **कार्यकारी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान** प्राप्त हुआ।
- सुश्री रेश्मा सुल्ताना, सीनियर लैब तकनीशियन, मधराम माइंस, आरआईएनएल को **गैर–कार्यकारी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी पुरस्कार के लिए दूसरा स्थान** प्राप्त हुआ।

21.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में इसकी कुल जनशक्ति में 198 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी सभी स्तरों पर स्त्री एवं

पुरूषों के लिए समान अवसर प्रदान करती है, कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सहित हर स्तर पर सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है। एनएमडीसी लिमिटेड में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

सभी महिला कर्मचारियों को छह महीने का मातृत्व अवकाश वैधानिक प्रावधान के रूप में प्रदान किया जाता है। एनएमडीसी के सभी कार्यालयों और परियोजनाओं में अलग–अलग शौचालय, रेस्ट रूम और डे–केयर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कंपनी जागरूकता, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित क्षेत्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को भी प्रायोजित करती हैं।

21.5 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)

एनएसएल में 179 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो कुल जनशक्ति का 17.08% है। कंपनी सभी स्तरों पर सभी को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वह चयन, भर्ती, प्लेसमेंट या पदोन्नति हो। एनएसएल में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। वैधानिक प्रावधान के तहत सभी महिला कर्मचारियों को छह महीने का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। एनएसएल के सभी कार्यालयों में पृथक रेस्टरूम, वाशरूम, डे–केयर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एनएसएल जागरूकता, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि में प्रशिक्षण के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को प्रायोजित भी कर रही है।

21.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 816 महिला कर्मचारी हैं जो इसके कुल कार्यबल का 10.13% है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के तहत प्राप्त मामलों से निपटने के लिए कंपनी में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों के नाम कंपनी की वेबसाइट **www.moil.nic.in** पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कंपनी की सभी खदानों में महिला मंडल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, जो ज्यादातर दूरदराज के खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए है।

21.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ महिला कार्यकारी की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित है। मेकॉन महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में समय–समय पर मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का भी पालन करता है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर मानव संसाधन विभाग द्वारा महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न पदों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या 101 है।

21.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड में 46 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो इसकी कुल जनशक्ति का लगभग 15.7% है।

एमएसटीसी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच (डब्ल्यूआईपीएस) का एक निगमित आजीवन सदस्य है। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समितियां सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। कंपनी द्वारा समय–समय पर बैठकें और शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रम आदि भी विधिवत रूप से आयोजित किए जाते हैं।

एमएसटीसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को खत्म करने का प्रयास करता है। एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने और महिला कर्मचारियों की भागीदारी में सुधार करने के लिए, कंपनी के सीडीए नियम, 1980 के तहत ऐसे आपत्तिजनक कृत्यों की रोकथाम, निषेध और निवारण के प्रावधान हैं। उक्त प्रावधान को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ शामिल किया गया था।

21.9 केआईओसीएल लिमिटेड

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 20 है जो कुल जनशक्ति का 4.14: है।

कंपनी द्वारा वेतन भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण संबंधी पहलू, मातृत्व लाभ आदि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

सीएसआर के तहत, गरीब बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने, बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए पौष्टिक भोजन की आपूर्ति आदि पर विशेष जोर दिया जाता है।

केआईओसीएल ने प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने परिसर में किसी भी बाल श्रमिक को नहीं लगाया है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों/आवश्यकताओं के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करने के लिए बेंगलुरु, मंगलुरु और कुद्रेमुख इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया था। शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यकारी, सदस्य के रूप में एक पुरुष कर्मचारी और एक महिला कर्मचारी और तीसरे पक्ष के सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक महिला प्रतिनिधि शामिल हैं।

केआईओसीएल में महिला दिवस समारोह

केआईओसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र में एक महिला मंच कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी उक्त मंच की सदस्य हैं। केआईओसीएल डब्ल्यूआईपीएस का आजीवन सदस्य है। डब्ल्यूआईपीएस के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए केआईओसीएल की ओर से रोटेशन आधार पर समन्वयकों को नामित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा डब्ल्यूआईपीएस की वार्षिक बैठकों/क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को नामित किया जा रहा है।

स्व–विकास को बढ़ावा देने और समान शक्ति साझा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं के समग्र विकास का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें दो प्रमुख हितधारकों, अर्थात् स्वयं महिलाओं और कर्मचारी संगठनों/संस्थानों की पारस्परिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अंतर्संबंध पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय – XXII

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

22.1 परिचय

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक रूपरेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान की गई है जैसा कि समय–समय पर कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 और 2022 के तहत संशोधित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची–VII में कंपनियों द्वारा की जाने वाली उपयुक्त सीएसआर गतिविधियों को निर्धारित किया गया है।

यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% आवंटित करना होगा। सीएसआर के तहत राशि विभिन्न कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई व्यापक रूपरेखा के अनुसार आवंटित और उपयोग की जाती है। कंपनी के बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची–VII उन गतिविधियों को इंगित करती है जो कंपनियों द्वारा की जा सकती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण विकास परियोजनाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 135(5) के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्रों और इसके आस–पास के उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां से वह प्रचालित होती है।

अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए 21 रजिस्ट्री में सालाना सीएसआर गतिविधियों का वार्षिक विवरण दर्ज करना आवश्यक है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) समय–समय पर सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई को सीएसआर पर दिशा–निर्देश/निर्देश भी जारी करता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, डीपीई ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को अनुमोदन दिया है। सीएसआर पर किया जाने वाला व्यय मोटे तौर पर अधिनियम की अनुसूची–VII के तहत निर्धारित क्षेत्रों जैसे शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता, जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल प्रशिक्षण, पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने आदि पर किया जाता है। सीएसआर के अंतर्गत निधि के आबंटन और व्यय का विवरण **अनुलग्नक–XIV** पर दिया गया है।

22.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल सीएसआर पहलों को कंपनी अधिनियम, 2013, अनुसूची–VII, सीएसआर नियम, 2014 और कंपनी (सीएसआर

नीति) संशोधन नियम, 2021 और 2022 के सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में 2 कार्यात्मक निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सेल मुख्य रूप से स्टील टाउनशिप और खदानों के आसपास अनुसूची–VII के अनुरूप आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं चलाता है। सीएसआर रिपोर्ट को निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। यह कंपनी के वेबपेज पर उपलब्ध है।

सीएसआर के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें:

स्वास्थ्य और पोषण: सेल अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र और मोबाइल चिकित्सा वैनों की सहायता से स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से संयंत्रों और खदानों के आस–पास के क्षेत्रों में 2,90,000 से अधिक ग्रामीणों को उनके द्वार पर विशेष और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सेल, अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से, भिलाई और राउरकेला के 600 सरकारी स्कूलों में लगभग 60,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है।

सीएसआर गतिविधि के तहत बांधगोड़ा में चिकित्सा शिविर

सीएसआर गतिविधि के तहत बच्चों को पोषण

दिव्यांगों (निःशक्तजन) और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता: सेल संयंत्रों/इकाइयों ने कार्यान्वयन साझेदार भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से लगभग 3,000 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों/यंत्रों जैसे ट्राइसाइकिल, मोटर चालित वाहन, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र, स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन आदि से सहायता प्रदान की है।

सेल अपने संयंत्रों में 'नेत्रहीन, बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल', 'होम एंड होप' राउरकेला, 'आशालता केंद्र' बोकारो, 'विकलांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम' और 'दुर्गापुर विकलांग हैप्पी होम' दुर्गापुर, और 'चेशायर होम' बर्नपुर जैसे केंद्रों और कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। विभिन्न संयंत्र टाउनशिप जैसे 'सियान सदन' भिलाई, 'आचार्य धाम' और 'अबासर' दुर्गापुर तथा 'वरिष्ठ नागरिक गृह' राउरकेला आदि में वृद्ध ाश्रमों को सहायता प्रदान की जा रही है।

शिक्षा: सेल इस्पात टाउनशिप में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले 77 से अधिक स्कूलों को सहायता प्रदान कर रहा है। 22 विशेष विद्यालय (कल्याण और मुकुल विद्यालय) लगभग 12000 बीपीएल श्रेणी के छात्रों को मुफ्त सुविधाएं, जैसे शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी, जूते, पाठ्य पुस्तकों आदि से लाभान्वित कर रहे हैं। जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 450 से अधिक बच्चों (ज्ञानज्योति योजना, बोकारो के तहत 15 बिरहोर सहित) को सारंडा सुवन छात्रावास, किरीबुरू; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई आदि में मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वर्दी और पाठ्य पुस्तकें आदि मिल रही हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र में सीएसआर गतिविधि के तहत शिक्षा

महिला सशक्तिकरण और सतत आय सृजन : 1600 युवाओं और विभिन्न कौशलो में 2400 महिलाओं को सतत आय सृजन के उद्देश्य से लक्षित व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

कौशल विकास: बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, राउरकेला और बोकारो प्राइवेट आईटीआई आदि में लगभग 474 ग्रामीण युवाओं को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण: ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, अर्थात सौर स्ट्रीट लाइटें और सोलर लालटेन और धुआं रहित चूल्हे ग्रामीण निवासियों को वितरित किए गए हैं। इसकी टाउनशिप में पार्कों, वनस्पति उद्यानों, जल निकायों का रखरखाव, 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण/रखरखाव किया जा रहा है।

खेल, कला और संस्कृति: सेल महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों और महिलाओं को बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी) – विश्व स्तरीय एस्ट्रो–टर्फ मैदान के साथ, भिलाई (लड़कों के लिए एथलेटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथलेटिक्स) और किरीबुरू, झारखंड (तीरंदाजी) में अपनी आवासीय खेल अकादमियों के माध्यम से सहायता और प्रशिक्षण दे रहा है। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।

सेल ने मिशन मोड में कुछ सीएसआर परियोजनाओं को लागू किया है जिनका उद्देश्य अनुसूची–VII गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका सृजन, महिला सशक्तिकरण, सड़कें और कनेक्टिविटी, सामुदायिक केंद्र, खेल सुविधाएं आदि को शामिल करते हुए भौतिक और सामाजिक अवसंरचना दोनों का व्यापक विकास करना है। जो निम्नानुसार है:

- **06 आकांक्षी जिलों का विकास** जिसमें छत्तीसगढ़ के कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव तथा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, तथा रांची शामिल हैं।
- देश भर में **79 ''आदर्श इस्पात गांवों'' को अपनाना और उनका विकास करना।**
- **झारखंड के सारंडा वन में रहने वाले समुदायों का विकास:** सेल ने एम्बुलेंस, साइकिल, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेन उपलब्ध कराए और दीघा गांव में एक एकीकृत विकास केंद्र की स्थापना की, जिसमें निवासियों के लिए बैंक, पंचायत कार्यालय, राशन की दुकान, दूरसंचार कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

22.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

घाटे के कारण, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया है। हालांकि, कंपनी स्वच्छ भारत से संबंधित गतिविधियों को जारी रखे हुए है, जिसमें निम्न गतिविधियां शामिल हैं:

- **सफाई पखवाड़ा,** आरआईएनएल के विभिन्न विभागों द्वारा एक साल का स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसमे श्रमदान गतिविधियों का आयोजन, स्वच्छता प्रतिज्ञा, हरियाली का विकास आदि क्रियाकलाप आयोजित किए गए।
- **विशेष अभियान 5.0:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अनुसार, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक आरआईएनएल में एक विशेष

अभियान 5.0 चलाया गया था। इस महीने भर चलने वाले अभियान के दौरान, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्क्रैप निपटान, नियमों को आसान बनाने, लंबित मामलों के निपटान आदि के साथ–साथ सामूहिक सफाई अभियान जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

22.4 एनएमडीसी लिमिटेड

वर्ष 2025–26 में की गई सीएसआर गतिविधियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एनएमडीसी का वार्षिक सीएसआर बजट (ब.प्रा.) 175.00 करोड़ रुपए है और एनएमडीसी बोर्ड द्वारा नवंबर, 2025 तक लगभग 90 करोड़ रुपए के कार्यों का अनुमोदन दिया गया है। यह भी उल्लेख करना है कि एनएमडीसी लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत स्थायी प्रकार की गतिविधियों जैसे कि आसपास के ग्रामीणों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि जो एक दशक से अधिक समय से चल रही हैं के लिए भी व्यय करेगा

अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, एनएमडीसी अपने सीएसआर बजट का 88% अपने प्रचालन के आसपास के क्षेत्रों में आवंटित करता है ताकि अधिकतम लाभार्थी इसकी खदानों के आसपास के सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों से हों। एनएमडीसी ने लगातार अपने वैधानिक सीएसआर व्यय दायित्वों से आगे बढ़कर निवेश किया है, इन संसाधनों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, अवसंरचना और अन्य में लगाया है। इन प्रयासों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया है, जिससे वंचित समुदायों का उत्थान हुआ है। एनएमडीसी की सीएसआर गतिविधियों का ठोस असर जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और महिलाओं एवं युवाओं के सशक्तिकरण के रूप में दिखाई देता है। इसकी नवीन और प्रभावशाली पहलों ने कॉर्पोरेट नागरिकता में नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार उद्यम के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है।

प्रमुख सीएसआर पहलें:

वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में कंपनी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम और नई पहलें:

शिक्षा:

- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रेरित करने के लिए "एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना" नामक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 से चल रही है और हर वर्ष लगभग 18000 छात्रवृत्तियां कक्षा IX से स्नातक स्तर तक के छात्रों को प्रदान की गई थी जिनमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2022–23 में इस योजना का नाम बदलकर "बालिका शिक्षा सहयोग योजना" कर दिया गया, ताकि वंचित बीपीएल परिवारों की छात्राओं को आठवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा सके।
- एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजना के तहत, सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को प्रमुख नर्सिंग संस्थानों में बी.एससी. (नर्सिंग) और जीएनएम पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान, 85 लड़कियों (68 जीएनएम और 17 बी.एससी.) को प्रायोजित किया गया था और 2025–26 में, अपोलो कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद; कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज

(केआईएमएस) स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद और यशोदा नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, हैदराबाद के साथ 200 लाभार्थियों (90 जीएनएम और 110 बी.एससी.) को प्रायोजित करने के लिए गठजोड़ किया गया है। आज तक नर्सिंग पाठ्यक्रम करने के लिए एनएमडीसी द्वारा लगभग 783 छात्रों को प्रायोजित किया गया है।

- वर्ष 2010 में नगरनार में शुरू किया गया आवासीय विद्यालय भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जहां कक्षा। से XII में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 600 है।
- कर्नाटक में दोणिमलै परियोजना और उसके आसपास के 8000 ग्रामीण स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है और एनएमडीसी इस पहल के लिए अपनी सहायता जारी रखे हुए है।
- एनएमडीसी ने गीदम, दंतेवाड़ा जिले में शैक्षिक सुविधाओं के केंद्र – एजुकेशन सिटी की स्थापना में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्घाटन 2015 में किया गया था। इस एजुकेशन सिटी का उद्देश्य स्कूलों, छात्रावासों और तकनीकी संस्थानों सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है।
- एनएमडीसी दंतेवाड़ा जिले में शुरू की गई निम्नलिखित प्रमुख शैक्षिक पहलों का प्रचालन व्यय प्रदान करता है:
- आस्था गुरुकुल, दंतेवाड़ा जिले के एजुकेशन सिटी, गीदम में एक आवासीय विद्यालय है जो मुख्य रूप से वामपंथी हिंसा से प्रभावित बच्चों के अलावा एससी/एसटी/ओबीसी और स्थानीय समुदायों के अन्य वंचित छात्रों की देखभाल करता है।
- दंतेवाड़ा जिले के एजुकेशन सिटी, गीदम में दिव्यांग बच्चों के लिए 100% दिव्यांग–अनुकूल आवासीय विद्यालय, सक्षम।
- छू लो आसमान, दंतेवाड़ा कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित शिक्षा के साथ–साथ विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय चिकित्सा/इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करता है।

स्वास्थ्य देखभाल:

- वर्ष 2025–26 (नवंबर, 2025 तक) के दौरान क्रमशः 99300 और 14000 स्थानीय आदिवासियों को मुफ्त बाह्य रोगी और अंतः रोगी उपचार सुविधा प्रदान की गई।
- एनएमडीसी छत्तीसगढ़ राज्य के बचेली और नगरनार तथा कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के संदूर और होस्पेट तालुकों में दूर–दराज, कमजोर और अपेक्षित सेवा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन कर रहा है।

अवसंरचना:

एनएमडीसी द्वारा अपनी परियोजनाओं के आस–पास के अल्प विकसित क्षेत्रों में अवसंरचना संबंधी विकास के अंतर को कम करने के उद्देश्य से एनएमडीसी ने वर्ष 2025–26 में विभिन्न ग्रामीण विकास और अवसंरचना संबंधी कार्यों जैसे सड़कें, पुल, पुलिया आदि का निर्माण शुरू किया है।

कौशल विकास और सतत आय सृजन

- प्रत्येक वर्ष नगरनार में 36 छात्रों के 2 ट्रेडों में प्रवेश के साथ आईटीआई का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।
- भांसी में प्रत्येक वर्ष 128 छात्रों के 5 ट्रेडों में प्रवेश क्षमता के साथ आईटीआई को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। आईटीआई भांसी को क्रिसिल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी आईटीआई में प्रथम स्थान दिया गया है। मुंद्रा सोलर पावर लिमिटेड (अडाणी समूह), सुजुकी मोटर्स लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, आदि जैसी कंपनियों में प्लेसमेंट के अलावा, उत्तीर्ण छात्रों में से कई स्व–नियोजित हैं और कइयों ने अपनी उद्यमिता शुरू कर दी है।
- दंतेवाड़ा में, दो संकायों अर्थात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसे 126 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2025–26 के दौरान स्वीकृत/शुरू की गई पहल

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एनएमडीसी का मुख्य ध्यान छात्रों की मांग वाले चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित करके स्थायी आय सृजन के अवसर पैदा करना, अपने प्रचालन के आसपास के गांवों के बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़े– एनएसक्यूएफ अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करना है।

एनएमडीसी ने अपनी मौजूदा प्रमुख पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के अलावा इस प्रमुख क्षेत्र के तहत कई नई पहलें शुरू की हैं। कुछ उल्लेखनीय पहलें निम्नानुसार हैं:

- एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा इन छह जिलों के 500 बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), हैदराबाद के साथ भागीदारी की है। पाठ्यक्रम में एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम (400 सीटें), प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (40 सीटें), प्लास्टिक मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (40 सीटें) और प्लास्टिक प्रसंस्करण और परीक्षण में पीजी डिप्लोमा (20 सीटें) शामिल हैं।
- एनएमडीसी ने अपनी ''बालिका शिक्षा योजना'' के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की आदिवासी बालिकाओं को बी.एससी. एवं जी.एन.एम. पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जा रहा है। इसके लिए प्रमुख नर्सिंग संस्थानों के साथ समझौते किए गए हैं। सभी 200 छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है।

बालिका शिक्षा योजना – भावी स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पेशेवरों को सक्षम बनाना

- एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों के 90 छात्रों को संबद्ध चिकित्सा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में छह विषय–क्षेत्रों (स्ट्रीम) में प्रायोजित करने के लिए अपोलो विश्वविद्यालय, चित्तूर के साथ साझेदारी की है, प्रत्येक विषय–क्षेत्र में 15 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता हैं। इन विषय–क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी में बीएससी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थिसियोलॉजी और ओटी टेक्नोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिजिशियन असिस्टेंट और रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी शामिल हैं सभी 90 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है।
- एनएमडीसी स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, डिमरीपाल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर रहा है।
- एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में समाज के उत्थान के लिए जिला अधिकारियों के सहयोग से कौशल विकास केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

22.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल अपने सामाजिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक समग्र, प्रभावी और प्रभावशाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य प्रणालियों को लागू करने में विश्वास करता है। कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013, समय–समय पर संशोधित कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और डीपीई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुरूप कर रही है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर पहल की है। मॉयल स्वास्थ्य शिक्षा, सशक्तिकरण और सामुदायिक कल्याण सहित प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न प्रभाव डालने वाली सीएसआर पहलों को क्रियान्वित करके सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखे हुए है। शुरू की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- मॉयल वर्ष 2019 से **सक्षम बालिका योजना** के तहत 15 बालिकाओं को प्रायोजित कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इन बालिकाओं को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद के सहयोग से नर्सिंग एवं सामान्य नर्सिंग तथा मिडवाइफटी कोर्स में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह पहल बेहतर भविष्य के लिए युवा महिलाओं को कौशल प्रदान करने के साथ सशक्त बनाने में सहायक रही है।
- बीपीएल परिवारों से संबंधित 27 उम्मीदवारों को सेंचूरियन यूनिवर्सिटी, ओडिशा के सहयोग से ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन और ब्लड बैंक तकनीशियन के रूप में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे वंचित वर्गों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं।
- स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, मॉयल ने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल, नागपुर में एक मॉड्यूलर आईसीयू स्थापित किया है। विशेष रूप से दूरदराज, कठिन, निम्न सेवा वाले और पहुंच से बाहर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए डोंगरीबुजुर ग्राम पंचायत, जिलाः भंडारा (महाराष्ट्र) और राधामोहापुर, जिलाः पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई।
- बालाघाट में सिकल सेल एनीमिया रोगियों और टीबी रोगियों को पोषण किट का वितरण और खानों में संविदागत कर्मचारियों के जीवनसाथी और महिला संविदागत कर्मचारियों के बीच निवारक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी जरूरतों का निदान करते हुए स्वास्थ्य किट का वितरण।
- डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से मॉयल भंडारा जिले के सीतासांगी और बालाघाट जिले के उकवा में दो सीबीएसई पंजीकृत स्कूल चलाता है। लगभग 1500 छात्रों वाला यह विद्यालय आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और एक सुसज्जित पुस्तकालय।
- इसके अतिरिक्त, कंपनी मुनसार खदान में एक नया डीएवी पब्लिक स्कूल स्थापित करने के अंतिम चरणों में है, जो आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाला है। स्कूल भवन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। कंपनी अपनी शिक्षा और कौशल विकास पहलों के तहत दो अन्य स्कूलों एक भंडारा जिले में और दूसरा बालाघाट जिले, मध्य प्रदेश, को भी सहायता प्रदान करती है।
- "शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के तहत संविदागत श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।
- वर्ष 2014 से, मॉयल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 21 गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बाइफ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट (बीएआईएफ) के साथ भागीदारी की है। कार्यक्रम की सफलता के बाद, मॉयल ने वर्ष 2020 में 22 अन्य गांवों को अपनाया, जिससे इसकी पहुंच कुल 43 गांवों (3 वर्षों के लिए) तक बढ़ गई। वर्ष 2024–25 से, अन्य 24 गांवों के लिए यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन पहलों के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं:
    - आजीविका विकास
    - महिला सशक्तिकरण
    - कृषि प्रशिक्षण
    - अवसंरचना विकास

- जल संसाधन प्रबंधन
- स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता
- सामुदायिक स्वास्थ्य

ग्रामीण अवसंरचना विकासः

- ओडिशा के पुरी में दो सामुदायिक भवनों का निर्माण सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करता है। तिरोडी, मध्य प्रदेश में भी सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है।
- डोंगरी बुजुर्ग ग्राम पंचायत, भंडारा जिले, महाराष्ट्र के लिए 1,00,000 लीटर एलिवेटेड सर्विस वाटर जलाशय का निर्माण।

मॉयल अपने सीएसआर उद्देश्यों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है, अपने प्रचालन क्षेत्रों और उसके आसपास समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है। ये पहल न केवल क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान करती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी, सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए कंपनी के समर्पण को भी दर्शाती है।

पुरस्कार और सम्मान

मॉयल को लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कार्य के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पहचान मिल रही है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- मॉयल को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप हैदराबाद द्वारा **पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2025** के लिए" एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन कैटेगरी" से सम्मानित किया गया है।
- वर्तमान में गवर्नेंस द्वारा आयोजित **10वें इंडिया पीएसयू आईटी समिट अवाड्र्स** में प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए मॉयल को तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार – आईटी सेवा प्रबंधन, आईटी सहयोग और भागीदारी, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर (सीआईओ/सीटीओ) से सम्मानित किया गया।
- भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (आईआईआईई) द्वारा 25वें सीईओ सम्मेलन में मॉयल को संगठनात्मक और व्यक्तिगत श्रेणी में **कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार, 2025** से सम्मानित किया गया।
- खनन प्रचालन श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण के लिए मॉयल की तिरोडी खदान को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा **"मध्य प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार 2022–23"** से सम्मानित किया गया है।
- मुंबई में 10 जुलाई को आयोजित 20वें एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अवाड्र्स में **महाराष्ट्र राज्य के सर्वश्रेष्ठ इंप्लोयर ब्रांड अवार्ड 2025** से सम्मानित किया गया।
- मॉयल को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए अपनी गुमगांव, कांद्री और चिकला खदानों के लिए **प्रतिष्ठित 5–स्टार रेटिंग अवार्ड** पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- मॉयल ने भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा आयोजित **15वें पीआरसीआई उत्कृष्ठता पुरस्कार 2025** में, बिजनेस कम्युनिकेशन लीडरशिप, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, हाउस जर्नल (क्षेत्रीय) सहित विभिन्न श्रेणियों में पांच प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं।

- मॉयल की अविघ्ना क्वालिटी सर्कल टीम ने **इंटरनेशनल क्वालिटी सर्कल कंवेंशन 2025** में स्वर्ण पुरस्कार जीता है।
- मुंबई में राष्ट्रीय आर्थिक विकास शिखर सम्मेलन, 2025 में मॉयल लिमिटेड को डिजिटल एचआर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ वित्त विभाग पुरस्कार और एचआर पुरस्कार के माध्यम से सीएसआर से सम्मानित किया गया।
- हिंदी में आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन के लिए मॉयल को **"नराकास पुरस्कार"** के साथ तीसरा पुरस्कार दिया गया।
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के तत्वावधान में आयोजित **54वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला और धातु) – 2025 में,** मॉयल की पुरुष और महिला बचाव टीमों ने समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया और कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, साथ ही पहली बार राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसे खान बचाव स्टेशन (एमआरएस), डब्ल्यूसीएल द्वारा समर्थित किया गया।
- मॉयल को **47वें पीआरएसआई सम्मेलन 2025** में बेस्ट कम्युनिकेशन कैम्पेन (एक्स्टर्नल), बेस्ट कम्युनिकेशन कैम्पेन (इंटर्नल), विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ आर एंड डी प्रयास और वार्षिक रिपोर्ट सहित चार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- मॉयल को तिरुवनंतपुरम में भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (आईआईआईई) के 67वें राष्ट्रीय सम्मेलन और 9वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में **"कोल इंडिया उत्पादकता पुरस्कार 2024–25"** से सम्मानित किया गया है।

22.6 मेकॉन लिमिटेड

1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए मेकॉन द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

बच्चों के सशक्तिकरण के लिए सीएसआर गतिविधियां

- रांची जिले के गोद लिए गए गांवों – पंचा, रूपरू और पांडुटोली और झारखंड के खूंटी जिले के गांव – राय और सुंगी (झारखंड के आकांक्षी जिले) में 6 वर्ष तक की आयु के लगभग 521 बच्चों के बीच पोषक तत्वों की खुराक (मूंग दाल, मसूर दाल, गोटा मूंग, राजमा, सोयाबीन / सोयाबीन बडी, सत्तू, दलिया, खजूर, पीले मटर और काबुली चना) प्रदान करना और उन्हे औषधीय पूरक (विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन (विटामिन बी कॉम्प्लेक्स) सिरप, चबाने योग्य विटामिन सी की गोलियां) देना।
- इसके अतिरिक्त, रांची जिले (झारखंड) में टाउनशिप स्कूल की मुस्कान कक्षाओं के आउटरीच बच्चों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- झारखंड के रांची जिले और उसके आस–पास की झुग्गी–झोपड़ियों/पिछडे क्षेत्रों में वंचित गरीब बच्चों के लिए 5 सामुदायिक शिक्षा केन्द्र को संचालित कर रहा है। प्रत्येक केंद्र में एक समर्पित शिक्षक होता है जिसे इस कार्यक्रम के तहत मेकॉन द्वारा मासिक मानदेय दिया जाता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सीएसआर गतिविधियां

वंचित महिलाओं को रांची और उसके आस–पास के स्लम क्षेत्रों/पिछडे क्षेत्रों तथा झारखंड के खूंटी जिले के दत्तक ग्रहण गांवों में चल रहे 5 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र में एक समर्पित शिक्षक होता है जिसे इस कार्यक्रम के तहत मेकॉन द्वारा मासिक मानदेय दिया जाता है।

22.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद से सीएसआर परियोजना क्रियान्वित करता है। जहाँ तक संभव हो, सरकारी/अर्ध–सरकारी/सीएसआर हब की सूचीबद्ध एजेंसियों को शामिल किया जाता है। ऐसी एजेंसियां जो कोई भी सीएसआर गतिविधि करने का इरादा रखती हैं, उन्हें नीति आयोग के साथ पंजीकृत होना होगा। एजेंसी को केंद्र सरकार (आरओसी) के साथ भी पंजीकृत होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 से आरओसी द्वारा जारी एक अद्वितीय सीएसआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। परियोजना का मूल्यांकन संबंधित अधिकारियों/सीएसआर समिति द्वारा किया जाता है। निगरानी प्रणाली में अधिकारियों के नामित समूहों द्वारा परियोजना/कार्यक्रम स्थलों का नियमित क्षेत्र दौरा शामिल है।

एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान की गई प्रमुख विकासात्मक गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

प्रारंभ की गई प्रमुख सीएसआर पहलें:

- नादिया, पश्चिम बंगाल में सामुदायिक अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण।
- मध्य प्रदेश के 28 जिलों में 63 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें।
- न्यू टाउन, पश्चिम बंगाल में एनजीओ द्वारा संचालित नेत्र अस्पताल के लिए नेत्र उपकरण।
- कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शिशु देखभाल अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण।
- मथुरा, उत्तर प्रदेश में नेत्र अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण।
- ओडिशा के रायगडा में 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना।
- नायागढ़ और भुवनेश्वर, ओडिशा के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन।
- ओडिशा के खोर्धा में 20 सरकारी बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ।
- केरल के वायनाड में एनजीओ द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सीय, जांच संबंधी और दंत चिकित्सा उपकरण।
- विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एनजीओ द्वारा संचालित नेत्र अस्पताल के लिए ऑप्टिकल बायोमीटर की खरीद।

22.8 केआईओसीएल लिमिटेड

सामाजिक रूप से जागरूक निगम के रूप में, केआईओसीएल शुरू से ही सामुदायिक विकास और लोगों के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी से संबद्ध

परियोजनाओं के आसपास रहने वाले लोग विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सके। यद्यपि, कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों में लगातार नुकसान उठा रही है, जोकि 385.56 करोड़ रुपए है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।

सीएसआर गतिविधि के तहत केआईओसीएल में स्वास्थ्य शिविर

अध्याय – XXIII

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

23.1 परिचय

देश के प्रशासन और सुशासन में स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करना भी है ताकि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

23.2 आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई करने और मंत्रालय में उनकी प्रगति की केंद्रीय निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी की सहायता के लिए अनुभाग अधिकारी होता है। साथ ही, इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक (रा.भा.)/सहायक औद्योगिक सलाहकार या इस्पात मंत्रालय के समकक्ष स्तर के अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और इस्पात मंत्रालय के निदेशक/ उप सचिव/संयुक्त निदेशक (रा.भा.)/उप औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष अधिकारी के स्तर के अधिकारी को क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सभी लोक प्राधिकरणों ने भी अपने–अपने लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है। आरटीआई आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए वेब पोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किया गया है और इस्पात मंत्रालय दिनांक 25.06.2013 से आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल का हिस्सा रहा है।

वर्ष 2025 (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को 769 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटान किया गया। इसके अलावा, आरटीआई प्रावधानों के अनुपालन में, जैसा कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिनांक 01.08.2025 द्वारा सूचित किया गया था, इस्पात मंत्रालय के सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ सैकेंण्डरी स्टील टैक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) द्वारा किया गया था।

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

लोक प्राधिकरण	दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान प्राप्त आवेदन	दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान निपटान किये गये आवेदन	दिनांक 31.12.2025 की स्थितिनुसार लंबित आवेदन
इस्पात मंत्राालय	758 (11 ऑफलाइन आवेदन सहित)	742	27
सेल	2122	1984	138
आरआईएनएल	354	334	20
एनएमडीसी लिमिटेड	545	520	25
मॉयल लिमिटेड	152	125	27
मेकॉन लिमिटेड	122	115	07
केआईओसीएल लिमिटेड	74	71	03
एमएसटीसी लिमिटेड	132	123	09

23.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अधिनियम के तहत प्राप्त प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक संयंत्रा और इकाई में अधिनियम की धारा 5 और 19(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)/सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किए हैं। पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधक को डीम्ड पीआईओ कहा जाता है और वे आवेदक को समय पर सूचना प्रदान करने के लिए पीआईओ के समान ही जिम्मेदार होते हैं।

सेल के लिए एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है जिसका लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी संयंत्रों/इकाइयों में 17 नियमावली सूचीबद्ध हैं और अधिनियम के तहत प्राधिकरणों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सीआईसी पोर्टल के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन पर तिमाही रिटर्न और वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही हैं। दिनांक 1 मई, 2015 से ऑनलाइन अनुरोधों का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। निगमित कार्यालय के विभिन्न कार्यों की अभिलेखन प्रतिधारण नीति (रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी) का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

23.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) की आवश्यकता के अनुसार आरटीआई की 17 नियमावलियों में उपलब्ध जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर त्रौमासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

23.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने अपनी वेबसाइट **www.nmdc.co.in** पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) के तहत सूचना प्रकाशित की है। आम जनता की जानकारी के लिए लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जो इसके कामकाज के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाती है, व्यापक रूप से परिचालित की जाती है और यह एनएमडीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस विज्ञप्ति आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त जानकारी प्रसारित की जाती है। एनएमडीसी अपने सभी रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से रखता है। सूचना यथासंभव उसी रूप में दी जाती है जिसमें वह मांगी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय भाषा में भी दी जाती है।

23.6 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड

एनएसएल आरटीआईएमआईएस सरकारी पोर्टल **rtionline.gov.in** के माध्यम से भेजे गएसभी ऑफलाइन और ऑनलॉइन आरटीआई आवेदनों पर विचार करता है। कार्मिक विभाग के प्रमुख आरटीआई मामलों के निपटान के लिए सीपीआईओ हैं। सूचना निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रदान की जाती है।

23.7 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने निगमित कार्यालय में सीपीआईओ नियुक्त किए हैं और इसकी सभी खदानों में पीआईओ/एपीआईओ भी नियुक्त किए गए हैं। अधिनियम के तहत संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाइट **www.moil.nic.in** पर भी दिए गए हैं। कंपनी, उसके कर्मचारियों आदि के संबंध में सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में निर्धारित 17 शीर्षों के तहत तैयार की गई है और इसे कंपनी के पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना और रिटर्न प्रस्तुत करता रहा है और उन्हें नियमित रूप से अद्यतित करता रहा है।

कंपनी ने नियमित अंतराल पर अपनी वेबसाइट पर जनता के लिए अधिक से अधिक सूचना को उपलब्ध/अद्यतन कराया है, ताकि आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों का कम से कम सहारा लेना पड़े। व्यापक स्तर पर कर्मचारियों की जागरूकता के लिए, वर्तमान परिदृश्य में आरटीआई अधिनियम के महत्व को समझाने और अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

23.8 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 से संबंधित सभी प्रासंगिक नियमावली 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट **www.meconlimited.co.in** पर उपलब्ध करायी गयी हैं। मेकॉन ने अपने मुख्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारी को नामित किया है तथा विभिन्न क्षेत्रीय और साइट कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) को नामित किया है। मेकॉन को जनता से प्राप्त प्रश्नों पर इन नामित अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और निर्धारित समय–सीमा के भीतर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनका उत्तर दिया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत एक पारदर्शिता अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

23.9 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। एमएसटीसी, मुख्यालय में एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), एक नोडल अधिकारी है और पूरे भारत में स्थित कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रा/शाखा में एक पीआईओ है। सभी तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की गई हैं और उन्हें सीआईसी की साइट पर उपलब्ध कराया गया है।

23.10 केआईओसीएल लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.06.2002 को प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा देश में सुशासन प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरियों से जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी देता है। केआईओसीएल एक सीपीएसई होने के नाते उपरोक्त विनियमन के दायरे में आता है, जिसने इसे लागू होने की तारीख से ही चालू कर दिया था।

केआईओसीएल ने निगमित कार्यालय में पीआईओ नियुक्त किए हैं और इसके सभी संयंत्रों/अन्य इकाइयों में भी पीआईओ/एपीआईओ नियुक्त किए गए हैं। अधिनियम के तहत शीर्ष स्तर पर कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट **www.kioclltd.in** भी उपलब्ध कराये गए हैं।अधिनियम के खंड (ख) उपखंड (1) की धारा (4) में निर्धारित नियम पुस्तिका तैयार करने के दायित्व का अनुपालन किया गया है, इन्हें अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर केआईओसीएल के पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है और नियमित अंतराल पर इसकी समीक्षा और अद्यतन किया जा रहा है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और इस्पात मंत्राालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर, केआईओसीएल आवधिक आचार पर अपेक्षित जानकारी का अद्यतन कर रहा है। मासिक रिटर्न नियमित रूप से संबंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इसके अलावा, इस्पात मंत्राालय के निर्देशों के अनुसार, सीआईसी को त्रौमासिक रिटर्न जमा करने की प्रणाली शुरू की गई है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। केआईओसीएल ने सभी इकाइयों के लिए नोडल अधिकारी, जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकरणों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड बनाये है ताकि वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकें और उनका उत्तर दे सकें। कंपनी डीओपीटी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

(अध्याय–II, पैरा 2.1 देखें)

अनुलग्नक – I

इस्पात मंत्रालय

(इस्पात मंत्रालय)[1]

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे री–रोलर्स, फ्लैट उत्पाद (हॉट/कोल्ड रोलिंग इकाइयां), कोटिंग इकाइयां, वायर ड्राइंग इकाइयां और स्टील स्क्रैप प्रसंस्करण सहित लौह एवं इस्पात उत्पादन इकाइयों की स्थापना की योजना, विकास और उन्हें सुविधा प्रदान करना।[2]

2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खदानों और अन्य अयस्क खदानों (खनन पट्टे या उससे संबंधित मामलों को छोड़कर मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कायानाइट और लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अन्य खनिज) का विकास।

3. लौह एवं इस्पात तथा लौह–मिश्रधातु का उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात और निर्यात।

4. उनकी सहायक कंपनियों सहित निम्नलिखित उपक्रमों से संबंधित मामले[3]:

   i. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

   ii. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

   iii. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल);

   iv. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल);

   v. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी);

   vi. मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकॉन);

   vii. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);

   viii. हटा दिया गया[4]।

   ix. भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल);

   x. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी);

   xi. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; तथा

   xii. बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

---

[1]दिनांक 23.05.1998 और दिनांक 15.10.1999 की संशोधन श्रंखला संख्या क्रमशः 238 व 243 के तहत संशोधित।
[2]दिनांक 31.07.2014 की संशोधन श्रृंखला संख्या 306 द्वारा संशोधित (पूर्व में दिनांक 01.09.2005 की संशोधन श्रृंखला संख्या 281 द्वारा संशोधित)।
[3]दिनांक 01.06.2006 की संशोधन श्रृंखला संख्या 286 द्वारा संशोधित।
[4]दिनांक 06.12.2017 की संशोधन श्रृंखला संख्या 337 द्वारा हटा दिया गया।

(अध्याय–II, पैरा 2.1 देखें)

अनुलग्नक – II

इस्पात मंत्रालय में
प्रभारी मंत्री एवं अधिकारी

(उप सचिव स्तर तक)
(दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थितिनुसार)

इस्पात मंत्री	श्री एच. डी. कुमारास्वामी
इस्पात राज्य मंत्री	श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा
सचिव	श्री संदीप पौण्डरीक
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री आशीष चटर्जी
संयुक्त सचिव	श्री अभिजीत नरेन्द्र श्री विनोद कुमार त्रिपाठी श्री दया निधान पाण्डेय सुश्री सुदर्शन मैंदीरत्ता
उप महानिदेशक	सुश्री संतोष अग्रवाल
आर्थिक सलाहकार	श्री अश्विनी कुमार
मुख्य लेखानियंत्रक	श्री अरविंद कुमार
निदेशक	सुश्री नेहा वर्मा (इस मंत्रालय से दिनांक 01.01.2026 से कार्यमुक्त) सुश्री मैमुन आलम सुश्री अंबिका आनंद चटर्जी श्री गोपालकृष्णन गणेशन श्री नितिन जैन श्री एस. शरद राव सुश्री गुरप्रीत गढोक
उप सचिव/संयुक्त निदेशक	श्री अमित कुमार श्री सुभाष कुमार श्री रमेश कुमार श्री रेवती रमन श्री जी. सारथी राजा (पार्श्विक प्रवेश) श्री राज कुमार श्री आनंद भोई

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – III

लौह + इस्पात का उत्पादन

('000 टन)

क्र. सं.	मद/उत्पादक	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 दिसंबर, 2025 तक (अनंतिम)
	उत्पादन					
I.	**क्रूड स्टील :**					
	सेल, टीएसएल समूह, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल समूह, जेएसपीएल, एनएमडीसी, एनएसएल					
	ऑक्सीजन रूट	52,515	56,665	58,881	60,393	51,289
	ई.ए.एफ इकाईयां	22,359	23,389	26,490	25,892	19,922
	अन्य शेष उत्पादक					
	ऑक्सीजन रूट	2,070	2,127	2,726	2,095	1,668
	ई.ए.एफ इकाईयां	8,138	4,815	5,121	5,720	4,667
	इंडक्शन फर्नेस	35,211	40,201	51,081	58,080	47,005
	कुल (क्रूड इस्पात)	**1,20,293**	**1,27,197**	**1,44,299**	**1,52,180**	**1,24,551**
	अन्य शेष उत्पादकों का शेयर %	38%	37%	41%	43%	43%
II.	**पिग आयरन :**					
	सेल, टीएसएल समूह, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल समूह, जेएसपीएल, एनएमडीसी, एनएसएल	1,462	1,184	1,909	2,075	1,475
	अन्य शेष उत्पादक	**4,801**	**4,677**	**5,455**	**6,256**	**4,889**
	कुल (पिंग आयरन)	**6,262**	**5,861**	**7,364**	**8,332**	**6,364**
	अन्य शेष उत्पादकों का शेयर %	77%	80%	74%	75%	77%
III.	**स्पंज आयरन:**					
	गैस आधारित	**8,866**	**8,007**	**9,785**	**8,880**	**6,681**
	कोयला आधारित	**30,334**	**35,614**	**41,776**	**46,884**	**37,867**
	कुल (स्पंज आयरन)	**39,200**	**43,621**	**51,560**	**55,764**	**44,547**
	प्रक्रिया (कोयला आधारित) द्वारा शेयर%	77%	82%	81%	84%	85%
IV.	**तैयार इस्पात (उत्पादन) (मिश्र धातु/गैर–मिश्र धातु):**					
	सेल, टीएसएल समूह, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल समूह, जेएसपीएल, एनएमडीसी, एनएसएल	65055	72265	77,698	80,076	65,340
	अन्य शेष उत्पादक	**48,542**	**50,931**	**61,455**	**66,612**	**53,359**
	कुल (तैयार इस्पात)	**1,13,597**	**1,23,196**	**1,39,153**	**1,46,688**	**1,18,699**
	शेष निर्माताओं का शेयर %	43%	41%	44%	45%	45%

नोट: पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;

स्रोत: जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – IV

क्रूड स्टील का उत्पादन

('000 टन)

क्र. सं.	उत्पादक	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 दिसंबर, 2025 तक (अनंतिम)		
		कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई**															
1	सेल	20,632	17,363	84	20,632	18,292	89	20,632	19,241	93	20,632	19,171	93	20,632	14,348	70
2	आरआईएनएल	6,300	5,272	84	7,300	4,137	57	7,300	4,411	60	7,300	3,584	49	7,300	3,934	54
3	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	3,000	540	18	3,000	1,471	49	3,000	1,727	58
	कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**26,932**	**22,636**	**84**	**27,932**	**22,429**	**80**	**30,932**	**24,192**	**78**	**30,932**	**24,227**	**78**	**30,932**	**20,009**	**65**
ख.	**निजी क्षेत्र की इकाई**															
4	टीएसएल समूह	20,600	19,464	94	20,600	19,805	96	21,500	20,783	97	21,581	21,677	100	26,581	17,407	65
5	एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	9,600	7,295	76	9,600	6,688	70	9,600	7,683	80	9,600	7,103	74	9,600	5,607	58
6	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	8,100	7,458	92	8,100	7,509	93	9,600	7,645	80	9,600	6,748	70	14,600	6,473	44
7	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	23,000	18,023	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	जेएसडब्ल्यू समूह	-	-	-	25,750	23,623	92	28,080	25,608	91	34,200	26,530	78	34,200	21,714	63
9	अन्य बीओएफ	3,177	2,070	65	3,177	2,127	67	3,177	2,185	69	3,177	2,095	66	3,177	1,668	53
10	अन्य ई.ए.एफ	11,614	8,138	70	8,743	4,815	55	7,828	5,121	65	9,323	5,720	61	9,323	4,667	50
11	अन्य आईएफ	51,040	35,211	69	57,397	40,201	70	68,797	51,081	74	81,920	58,080	71	89,883	47,005	52
	कुल निजी क्षेत्र	**1,27,130**	**97,658**	**77**	**1,33,367**	**1,04,768**	**79**	**1,48,583**	**1,20,107**	**81**	**1,69,401**	**1,27,953**	**76**	**1,87,364**	**1,04,542**	**56**
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र + निजी क्षेत्र)		**1,54,062**	**1,20,293**	**78**	**1,61,299**	**1,27,197**	**79**	**1,79,515**	**1,44,299**	**80**	**2,00,333**	**1,52,180**	**76**	**2,18,296**	**1,24,551**	**57**
सार्वजनिक क्षेत्र का शेयर (%)		**17**	**19**		**17**	**18**		**17**	**17**		**15**	**16**		**14**	**16**	

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;

स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – V

क्रूड स्टील का उत्पादन
(रूट द्वारा)

('000 टन)

प्रोसेस रूट	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
ऑक्सीजन रूट					
सेल	17,153	18,055	18,980	18,912	14,134
आरआईएनएल	5,272	4,137	4,411	3,584	3,934
एनएमडीसी			540	1,471	1,727
टी एस एल समूह	17,215	17,514	18,335	19,359	15,632
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10,380	-	-		
जेएसडब्ल्यू समूह	-	14,236	14,530	15,042	12,883
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	2,495	2,723	2,625	2,025	2,980
अन्य ऑक्सीजन रूट	2,070	2,127	2,186	2,095	1,668
कुल ऑक्सीजन रूट:	**54,585**	**58,792**	**61,607**	**62,488**	**52,957**
इलेक्ट्रिक रूट					
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
सेल	210	237	261	259	214
टीएसएल समूह	2,249	2,290	2,448	2,318	1,776
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	7,643	-	-		
जेएसडब्ल्यू समूह	-	9,387	11,079	11,488	8,831
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड	7,295	6,688	7,683	7,103	5,607
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	4,963	4,786	5,020	4,723	3,494
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस/	8,138	4,815	5,121	5,720	4,667
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस :	30,498	28,204	31,611	31,611	24,589
इलेक्ट्रिक इन्डक्शन फर्नेस	35,211	40,201	51,081	58,080	47,005
कुल इलेक्ट्रिक रूट:	**65,708**	**68,405**	**82,692**	**89,692**	**71,593**
कुल योग :	**1,20,293**	**1,27,197**	**1,44,299**	**1,52,180**	**1,24,551**

नोट: पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;

स्रोत: जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – VI

हॉट मेटल का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	18,734	19,409	20,496	20,305	15,143
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	5,774	4,407	4,700	3,913	4,323
एनएमडीसी	-	-	970	2,000	2,259
टीएसएल समूह	19,405	19,835	21,434	22,542	17,874
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	3,335	3,375	3,573	3,516	2,615
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	16,794	-	-	-	
जेएसडब्ल्यू समूह	-	22,476	23,549	25,615	19,994
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	6,068	6,165	6,116	6,131	4,532
क) उपयोग	**70,111**	**75,667**	**80,838**	**84,022**	**66,739**
ख) अन्य शेष उत्पादक	**8,112**	**5,496**	**6,207**	**7,360**	**4,960**
कुल (क+ख)	**78,223**	**81,162**	**87,045**	**91,382**	**71,699**
शेष उत्पादकों का शेयर %	**10%**	**7%**	**7%**	**8.1%**	**6.9%**

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;

स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – VII

पिग आयरन का उत्पादन

('000 टन)

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	554	361	418	401	247
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	80	40	0	0	0
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-	-	300	412	399
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**634**	**401**	**718**	**813**	**646**
निजी क्षेत्र की इकाई					
टीएसएल समूह	98	108	576	376	306
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	496	534	281	131	127
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	234	-	-	-	-
जेएसडब्ल्यू समूह	-	141	633	755	397
अन्य निजी इकाई	4,801	4,677	5,155	6,256	4,889
कुल निजी क्षेत्र	**5,628**	**5,460**	**6,646**	**7,519**	**5,718**
कुल उत्पादन (क+ख)	**6,262**	**5,861**	**7,364**	**8,332**	**6,364**

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;
स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – VIII

तैयार इस्पात का उत्पादन

(गैर–मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात)

('000 टन)

संयंत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	13,829	15,282	16,255	15,857	12,545
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3,750	3,643	3,731	3,215	3,155
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड			531	1,439	1,683
टीएसएल समूह	18,745	19,459	21,152	21,398	17,017
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	7,217	6,677	7,549	7,357	5,879
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	16,367	-	-		
जेएसडब्ल्यू समूह	-	21,785	23,260	23,870	19,556
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	5,147	5,418	5,750	6,941	5,506
उपयोग (क):	**65,055**	**72,265**	**78,228**	**80,076**	**65,340**
अन्य शेष उत्पादक (ख)	48,542	50,931	60,925	66,612	53,359
कुल उत्पादन (क+ख)	**1,13,597**	**1,23,196**	**1,39,153**	**1,46,688**	**1,18,699**
शेष उत्पादकों का शेयर %	**43%**	**41%**	**44%**	**45%**	**45%**

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;

स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – IX
तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)		
	सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू समूह, जेएसपीएल	अन्य	कुल
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)															
बार्स और रॉड्स	15,320	31,878	**47,198**	16,298	35,380	**51,679**	17,502	41,422	**58,924**	17,084	45,908	**62,992**	13,389	36,069	**49,459**
स्ट्रक्चरल्स	2,212	5,268	**7,480**	2,633	5,976	**8,609**	2,819	7,487	**10,306**	2,748	8,413	**11,161**	2,185	6,692	**8,878**
रेलवे सामग्री	1,331	14	**1,346**	1,478	15	**1,493**	1,524	21	**1,544**	1,636	24	**1,660**	1,239	22	**1,261**
कुल (नॉन–फ्लैट)	**18,863**	**37,160**	**56,024**	**20,409**	**41,372**	**61,781**	**21,845**	**48,930**	**70,774**	**21,469**	**54,344**	**75,813**	**16,814**	**42,783**	**59,598**
पीएम प्लेट्स	5,236	119	**5,355**	5,238	100	**5,338**	5,634	116	**5,751**	5,227	72	**5,299**	4,107	30	**4,137**
एचआर कॉइल/स्ट्रिप	39,638	5,598	**45,236**	42,826	3,606	**46,433**	47,523	5,700	**53,223**	48,737	5,433	**54,170**	39,739	4,998	**44,737**
कुल (फ्लैट)	**44,874**	**5,717**	**50,591**	**48,064**	**3,706**	**51,770**	**53,157**	**5,817**	**58,974**	**53,965**	**5,505**	**59,469**	**43,846**	**5,029**	**48,875**
कुल (गैर– मिश्र धातु)	**63,738**	**42,877**	**1,06,615**	**68,474**	**45,078**	**1,13,551**	**75,002**	**54,746**	**1,29,748**	**75,433**	**59,849**	**1,35,282**	**60,660**	**47,812**	**1,08,472**
तैयार इस्पात (मिश्र धातु)															
नॉन फ्लैट	1,040	2,793	**3,832**	1,380	2,909	**4,289**	1,509	3,150	**4,659**	1,290	2,724	**4,014**	915	2,141	**3,056**
फ्लैट	85	253	**337**	2,343	240	**2,583**	1,054	305	**1,359**	3,150	326	**3,476**	3,597	264	**3,861**
कुल (मिश्र धातु)	**1,124**	**3,046**	**4,170**	**3,723**	**3,148**	**6,872**	**2,563**	**3,456**	**6,019**	**4,440**	**3,049**	**7,490**	**4,512**	**2,405**	**6,917**
तैयार इस्पात (स्टेनलेस)															
नॉन–फ्लैट	0	733	**733**	0	846	**846**	0	1,027	**1,027**	124	1,087	**1,211**	115	915	**1,030**
फ्लैट	193	1,886	**2,078**	68	1,859	**1,927**	133	2,226	**2,360**	78	2,626	**2,704**	53	2,227	**2,280**
कुल (स्टेनलेस)	**193**	**2,619**	**2,811**	**68**	**2,705**	**2,773**	**133**	**3,253**	**3,387**	**202**	**3,713**	**3915**	**168**	**3,142**	**3,310**
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु + मिश्र धातु + स्टेनलेस)															
कुल (नॉन–फ्लैट)	**19,903**	**40,686**	**60,589**	**21,790**	**45,126**	**66,915**	**23,355**	**53,107**	**76,461**	**22,883**	**58,155**	**81,038**	**17,844**	**45,839**	**63,684**
कुल (फ्लैट)	**45,152**	**7,856**	**53,007**	**50,475**	**5,805**	**56,280**	**54,344**	**8,348**	**62,692**	**57,192**	**8,457**	**65,649**	**47,496**	**7,520**	**55,016**
कुल तैयार इस्पात	**65,055**	**48,542**	**1,13,597**	**72,265**	**50,931**	**1,23,196**	**77,698**	**61,455**	**1,39,153**	**80,076**	**66,612**	**1,46,687**	**65,340**	**53,359**	**1,18,699**

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है; एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है;
स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – X

लौह और इस्पात का श्रेणी–वार आयात

('000 टन)

क्र. सं.	श्रेणी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
I	**अर्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)**					
	सेमिज	12	330	433	214	793
	रि– रोलेबल स्क्रैप	119	286	175	226	80
	कुल	**131**	**616**	**609**	**440**	**873**
II	**तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)**					
	नॉन फ्लैट					
	बार्स और रॉड्स	63	115	158	222	104
	स्ट्रक्चरल्स	14	9	6	20	10
	रेल सामग्री	68	76	76	31	64
	कुल गैर फ्लैट	**145**	**199**	**239**	**273**	**178**
	फ्लैट					
	प्लेट्स	237	161	660	994	458
	एचआर शीट्स	0	0	10	2	1
	एचआर कॉइल्स/स्केलप/ स्ट्रिप्स	811	1,525	3,003	3,140	1,316
	सीआर कॉइल्स/शीट्स	340	386	330	316	116
	जीपी/जीसी शीट्स	735	914	1,290	1,356	694
	इलेक्ट्रिक शीट	430	264	329	490	374
	टीएमबीपी	0	0	0	0	0
	टिन प्लेट्स	54	11	7	9	12
	टिन मुक्त इस्पात	12	3	2	1	1
	पाइप्स	150	215	324	360	200
	कुल फ्लैट	**2,769**	**3,479**	**5,955**	**6,668**	**3,171**
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)	**2,913**	**3,678**	**6,195**	**6,940**	**3,349**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र धातु)	**3,044**	**4,294**	**6,803**	**7,381**	**4,221**

क्र. सं.	श्रेणी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
	मिश्र धातु/स्टेनलेस					
	नॉन फ्लैट	214	233	198	244	144
	फ्लैट	1,542	2,111	1,927	2,366	1,156
	अर्ध–तैयार	38	386	720	543	525
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु / स्टेनलेस स्टील)	**1,756**	**2,344**	**2,125**	**2,610**	**1,300**
	कुल इस्पात (मिश्र धातु / स्टेनलेस)	**1,794**	**2,730**	**2,845**	**3,153**	**1,826**
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र + मिश्र धातु/स्टेनलेस स्टील)	**4,669**	**6,022**	**8,320**	**9,551**	**4,649**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र + मिश्र धातु/स्टेनलेस स्टील)	**4,838**	**7,024**	**9,648**	**10,533**	**6,047**
III	**अन्य इस्पात उत्पाद**					
	फिटिंग्स	135	173	101	137	348
	विविध इस्पात उत्पाद	350	240	168	284	173
	इस्पात स्क्रैप	4,845	9,915	8,695	9,549	5,998
IV	**लौह**					
	पिग आयरन	26	118	366	326	172
	स्पंज आयरन	35	300	608	583	710
V	फेरो–मिश्रधातु	**600**	**344**	**516**	**606**	**260**
	कुल योग	**10,830**	**18,114**	**20,102**	**22,019**	**13,709**

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है;
स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 देखें)

अनुलग्नक – XI

लौह और इस्पात का श्रेणी–वार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) (अनंतिम)
सेमीज (गैर–मिश्र धातु)	**4,866**	**1,597**	**1,022**	**1,034**	**870**
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)					
नॉन फ्लैट					
बार्स और रॉड्स	2,096	346	427	375	352
स्ट्रक्चरल्स	203	185	102	80	75
रेलवे सामग्री	2	0	3	2	7
कुल नॉन–फ्लैट	**2,301**	**531**	**533**	**457**	**434**
फ्लैट					
प्लेट्स	875	528	629	377	354
एचआर कॉइल्स/ शीट्स	6,185	1,661	2,750	999	1,621
सी आर शीट्स/कॉइल्स	1,059	352	517	467	387
जीपी / जीसी शीट्स	1,730	1,132	1,652	1,136	713
इलेक्ट्रिक शीट्स	42	37	28	7	7
टिनप्लेट्स	39	12	21	102	45
टिन मुक्त इस्पात	2	0	0	1	1
पाइप्स	137	231	647	599	650
कुल फ्लैट	**10,067**	**3,953**	**6,244**	**3,687**	**3,778**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु)	**12,369**	**4,484**	**6,776**	**4,144**	**4,212**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र धातु)	**17,234**	**6,081**	**7,798**	**5,178**	**5,082**
नॉन–फ्लैट अलॉय/ स्टेनलेस	634	304	280	311	258
फ्लैट अलॉय/ स्टेनलेस	491	1,929	430	403	329
कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस स्टील)	**1,125**	**2,233**	**710**	**714**	**587**
अर्ध–तैयार (मिश्र धातु/स्टेनलेस)	**12**	**24**	**34**	**369**	**314**
कुल इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस)	**1,137**	**2,257**	**744**	**1,083**	**901**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्रधातु/स्टेनलेस)	**13,494**	**6,716**	**7,487**	**4,858**	**4,799**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र + मिश्रधातु/स्टेनलेस)	**18,372**	**8,338**	**8,542**	**6,261**	**5,983**
पिग आयरन	1,213	629	385	287	511
स्पंज आयरन	788	1,085	1,309	1,516	1,138

नोटः पी अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है;

स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–I तथा V देखें)

अनुलग्नक – XII

इस्पात सीपीएसई का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई /कंपनी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (अनंतिम)/@दिसंबर, 2025 तक
1.	सेल		2636.91	3687.67	3009	2010
2.	आरआईएनएल	941.58	(-)3236.46	(-)5218.46	(-)5031.99	(-)1927.95**
3	एनएमडीसी लिमिटेड	13022	7637	8012	9296	7280
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड*	-	-	(-)2201.02	(-)3321.72	(-) 410.32
5.	मॉयल लिमिटेड	523.29	334.45	387.00	486.78	218.44
6.	मेकॉन लिमिटेड	19.54	34.01	77.62#	32.87	(-) 55.52
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	220.08	313.48	284.44	503.90	173.62
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	411.03	(-) 122.76	(-) 63.70	(-) 205.07	(-) 47.97

@दिसंबर, 2025 तक अंनतिम

#पुनःउल्लिखित

**अनुमानित मासिक कार्य परिणाम (एमडब्ल्यूआर) के अनुसार अनंतिम।

*दिनांक 31.08.2023 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तिथि घोषित की गई।

(अध्याय–I तथा V देखें)

अनुलग्नक – XII क

इस्पात सीपीएसई का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात लाभ)

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई/कंपनी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (अनंतिम)/ @(दिसंबर, 2025 तक)
1.	सेल	12015.04	1903.07	2733.11	2148.00	1554
2.	आरआईएनएल	913.19	(-)2858.74	(-)4848.86	(-)1388.62	(-)1686.77**
3	एनएमडीसी लिमिटेड	8895	4763	6645	7075	4340
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड*	-	-	(-) 1560.32	(-)2373.78	(-)333.19
5.	मॉयल लिमिटेड	376.98	250.59	293.34	381.64	163.46
6.	मेकॉन लिमिटेड	13.70	31.01	54.56#	29.00	(-) 55.52
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	200.09	239.23	171.91	402.98	129.43
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	313.41	(-) 97.67	(-) 83.31	(-) 204.58	(-) 47.97

@दिसंबर, 2025 तक अंनतिम

#पुनःउल्लिखित

**अनुमानित मासिक कार्य परिणाम (एमडब्ल्यूआर) के अनुसार अनंतिम।

*दिनांक 31.08.2023 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तिथि घोषित की गई।

(अध्याय–V देखें)

अनुलग्नक – XIII

इस्पात सीपीएसई द्वारा केंद्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों को दिया गया अंशदान

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई/कंपनी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (अनंतिम)/ @(दिसंबर, 2025 तक)
1.	सेल	16510	15829	13919	13912	11185
2.	आरआईएनएल	3005.69	3032.70	2981.66	2801.12	1963.97
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	8895	4763	6645	7075	4340
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड*	-	-	87.75	85.54	1165.52
5.	मॉयल लिमिटेड	438.34	324.50	328.50	364.69	196.72(वास्तविक)
6.	मेकॉन लिमिटेड	96.64	145.90	137.97	151.11	80.81
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	412.79	227.24	225.32	381.08	134.04
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	168.11	63.44	46.51	21.33	20.29

@दिसंबर, 2025 तक अंनतिम

*दिनांक 31.08.2023 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तिथि घोषित की गई।

(अध्याय–V देखें)

अनुलग्नक – XIII क

इस्पात सीपीएसई द्वारा राज्य सरकार को दिया गया अंशदान

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई/कंपनी	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (अनंतिम)/ @(दिसंबर, 2025 तक)
1.	सेल	7792	7796	8096	7243	6249
2.	आरआईएनएल	474.19	530.90	463.17	440.00	171.59
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	10631	9731	9625	11512	8,783
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड*	-	-	7.95	8.67	58.32
5.	मॉयल लिमिटेड	126.35	143.83	148.31	147.04	99.76 (वास्तविक)
6.	मेकॉन लिमिटेड	11.46	23.45	19.02	27.21	26.59
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	20.93	23.52	26.69	21.62	14.87
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	4.30	21.85	6.16	1.62	1.08

@दिसंबर, 2025 तक अंनतिम

*दिनांक 31.08.2023 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तिथि घोषित की गई।

(अध्याय–XXII देखें)

अनुलग्नक – XIV

इस्पात सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर बजट और व्यय

(लाख रूपये में)

क्रं. सं.	सीपीएसई/ कंपनी	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (अनंतिम)	
		बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
1	सेल	8186	9424	15795	16246	15875	16193	13763	13810	5311	3983##
2	आरआईएनएल	1200	1142	0	33	0	0	0	0	0	0
3	एनएमडीसी लिमिटेड	25000	28732.83	18670	18670*	19707.03	19707.03*	19114	19114*	17500**	4200.17***
4	मॉयल लिमिटेड	1350	1320	1350	1374	1631	1666	1783	1525.60	1890	805
5	मेकॉन लिमिटेड	343.20ख	149.84	277.11ग	61.45	271.46घ	124.69	365.07ङ	139.89	328.12च	15.32
6	एमएसटीसी लिमिटेड	-	17.84	272.00	301.69	376.00	377.60	480.00	480.81	700.00	125.88@@
7	केआईओसीएल लिमिटेड	438.70	1341.47	589.96	554.98	87.50	87.50	149.72@	शून्य	शून्य	लागू नहीं

 # दिसंबर, 2025 तक

** सभी व्यय में बिना खर्च किए गए सीएसआर खाते (यूसीएसआरए) में जमा की गई राशि शामिल है और इसे खाता बही में देयता प्रावधान के रूप में दिखाया गया है। वर्ष 2022–23, 2023–24 और 2024–25 के लिए वास्तविक व्यय क्रमशः रु. 8758.43 लाख, 4615.03 लाख और 6778.48 लाख हैं।*

बजट जैसा कि ब.प्रा में है और '''दिसंबर तक व्यय

*ख वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, कुल सीएसआर निधि उपलब्ध 343.20 लाख रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2021–22 के लिए निधि आवंटन के रूप में **77.38 लाख रुपए** + पिछले वर्षों की चालू परियोजनाओं के कैरी–ओवर फंड के रूप में 265.82 लाख रुपए शामिल हैं।*

*ग वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, कुल सीएसआर निधि उपलब्ध 277.11 लाख रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2022–23 के लिए निधि आवंटन के रूप में **83.75 लाख रुपए** और पिछले वर्षों की चालू परियोजनाओं के कैरी–ओवर फंड के रूप में 193.36 लाख रुपए शामिल हैं।*

*घ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, कुल सीएसआर निधि 271.46 लाख रुपए उपलब्ध है, जिसमें **55.88 लाख रुपए** (वित्त वर्ष 2023–24 के लिए निधि आवंटन के रूप में **48.40 लाख रुपए** + वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बिना व्यय किए गए सीएसआर शेष राशि के "फ्लेक्सी जमा खाते" पर अर्जित ब्याज की अधिशेष निधि के रूप में **7.40 लाख रुपए**) + पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाओं की कैरी–ओवर फंड के रूप में 215.66 लाख रुपए शामिल हैं।*

*ङ वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, कुल सीएसआर निधि उपलब्ध 365.07 लाख रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2024–25 के लिए निधि आवंटन के रूप में **70.37 लाख रुपए** + पिछले वर्षों की चालू परियोजनाओं के कैरी–ओवर फंड के रूप में 146.76 लाख रुपए + वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अतिरिक्त सीएसआर आवंटन के रूप में 147.94 लाख रुपए शामिल है।*

*च वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, कुल सीएसआर निधि उपलब्ध 328.12 लाख रुपए है, जिसमें 102.93 लाख रुपए (वित्त वर्ष 2025–26 के लिए निधि आवंटन के रूप में **96.33 लाख रुपए** + वित्त वर्ष 2023–24 और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बिना व्यय किए गए सीएसआर शेष "फ्लेक्सी जमा खाते" पर अर्जित ब्याज की अधिशेष निधि के रूप में **6.60 लाख रुपए**) + पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाओं की कैरी–ओवर फंड के रूप में 225.19 लाख रुपए शामिल हैं ।*

*उपरोक्त व्यय में पीएमकेयर्स फंड में योगदान शामिल है। **1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किया गया सीएसआर व्यय 65.45 लाख रुपए है।***

@@ वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए दिनांक 16.12.2025 तक किया गया सीएसआर व्यय।

नोटः वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा अर्जित हानि के कारण, कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी पर कोई सीएसआर दायित्व नहीं है। एमएसटीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वेच्छा से 17.84 लाख रुपए खर्च किए हैं।

@ कंपनी अधिनियम–2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के लिए/सीएसआर बजट 149.72 लाख रुपए है। हालांकि, केआईओसीएल ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर की ओर किए गए अतिरिक्त व्यय को कैरी फॉरवर्ड करके वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 149.72 लाख रुपए के सेट–ऑफ का लाभ उठाया है। इसलिए वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कोई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। चूंकि कंपनी को पिछले तीन वित्त वर्षों में लगातार नुकसान हुआ है, जो कुल मिलाकर 385.56 करोड़ रुपए है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।

(अध्याय–IX, पैरा 9.2.3 देखें)

अनुलग्नक – XV

अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत जारी अनुदान

(लाख रु में)

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षक	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व
1	एक व्यापक प्रौद्योगिकी नवाचारः क्वांटम कनफाईनमेंट–प्रेरित पुनः विन्यास योग्य सहक्रियात्मक सक्रियण इस्पात उद्योग से व्युत्पन्न सीओएक्स को सीएनजी में शामिल करना", आईआईटी बीएचयू वाराणसी	96.74289	0.00001	96.74288
2	रिडक्टेंट के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करके रोटरी किल्न में डीआरआई प्रक्रिया का अकार्बनीकरण	82.99999	82.99999	0
3	सीओ$_2$ का सीओ में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोकैटलिटिक रूपांतरण और इसका आगे का मूल्यांकन	79.99999	79.99999	0
4	डीआरआई शाफ्ट रिएक्टर के 3डी मल्टीफिजिक्स मॉडलिंग के साथ–साथ अलग–अलग एच$_2$ और सीओ अनुपात के साथ डी. आरआई के उत्पादन के लिए प्रक्रिया मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए एक प्रयोगशाला/पायलट स्केल स्थापित किया गया है।	70.00000	70.00000	0
5	सीओ$_2$ को कम करने की दिशा में रोटरी किल्न डीआरआई में रिडक्टेंट और ईंधन के रूप में कोयला–बायोमास मिश्रणों की जांच	64.99999	64.99999	0
6	लौह बनाने की प्रक्रिया में सीओ$_2$ फुटप्रिंट को कम करने के लिए सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइज़र सेल और ब्लास्ट फर्नेस टॉप गैस उपयोग के लिए शॉर्ट स्टैक का विकास	44.99999	44.99999	0
7	हाइब्रिड मोड द्वारा कोकिंग कोल का बेनिफिशियेशनः राख बनाने वाली अशुद्धियों को कम करने के लिए ड्राई और वेट प्रसंस्करण	36.03600	0	36.03600
8	हाइड्रोजन आधारित डीआरआई उत्पादन के लिए प्रक्रिया सिमुलेशन का उपयोग करते हुए डिजाइन और प्रचालन मापदंडों का आकलनः (1) एक सतत वर्टिकल शाफ्ट रिएक्टर (2) आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा एक वर्टिकल बैच रिएक्टर	27.00003	27.00001	0.00002
9	औद्योगिक उत्सर्जन का हाइड्रोथर्मल ऑक्सीकरण एच$_2$ समृद्ध कंप्रेस्ड ईंधन गैस मिश्रण उत्पन्न करना	23.71518	12.73999	10.97519

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षक	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व
10	गैस आधारित डीआरआई और हाइड्रोजन आधारित डीआरआई का मेल्टिंग और शोधन व्यवहार	21.99999	21.99999	0
11	स्टील ग्रिडर ब्रिज के लिए एक एकीकृत डिजाइन, अनुकूलन और जीवन–चक्र लागत गणना सॉफ्टवेयर का विकास	20.82985	11.99999	8.82986
12	बेनिफिशियेशन संयंत्र अवशिष्ट फाइन/स्लाइम/टेलिंग और लीन–ग्रेड आयन अयस्कों से लौह मूल्यों की पुनःप्राप्ति पर भौतिक और खनिज प्रभाव का अध्ययनः लौह अयस्क स्थिरता की ओर एक दृष्टिकोण	10.69500	0	10.69500
13	उच्च वाणिज्यिक मूल्य ग्राफीन उत्पादों को तैयार करने के लिए खर्च किए गए ईएएफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास	8.53000	0	8.53000
14	अमोनिया का उपयोग करके प्रत्यक्ष कमी पर शोधः एक नई हरित वैकल्पिक लौह बनाने की प्रक्रिया	8.19100	0	8.19100
15	सीओ और हाइड्रोजन के साथ आयरन ऑक्साइड की कमी के दौरान नियंत्रण तंत्र पर एक तुलनात्मक अध्ययन–लौह और इस्पात विनिर्माण के अकार्बनीकरण पर प्रभाव	3.26000	3.26000	0
16	रिवर्स फ्लोटेशन का उपयोग करके लौह अयस्क स्लाइम का बेनिफिशियेशन और कलेक्टरों के सहक्रियात्मक प्रभाव पर अध्ययन	0.00002	0.00001	0.00001
17	भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और ट्यूबलर सेक्शन–आधारित स्टील मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम का विकास	0.00002	0.00001	0.00001
18	यातायात शोर को कम करने के लिए इंडक्शन फर्नेस स्टील स्लैग जियोपॉलिमर कम्पोजिट का मशीन लर्निंग आधारित डिजाइन	0.00002	0.00001	0.00001
19	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस डस्ट और संयुग्मित उपकरण से जस्ता और लौह पुनः प्राप्ति के लिए नया सतत दृष्टिकोण	0.00002	0.00001	0.00001
20	वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए इस्पात मेल्टिंग स्लैग का पुनर्चक्रणः जलमग्न आर्क वेल्डिंग में एक स्थायी प्रवाह विकल्प	0.00002	0.00001	0.00001
	कुल	**600**	**420**	**180**

अनुलग्नक – XVI

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट संबंधी रिपोर्ट पर केंद्रीय सरकार (वाणिज्यिक) अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए वर्ष 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 6

मॉयल लिमिटेड में शेयरों की वापसी खरीद (बायबैक)

वर्ष 2021–22 के सं.प्रा. (आर.ई) चरण में शेयरों की वापसी खरीद (मॉयल लिमिटेड) के एक लेनदेन की पहचान की गई जिससे 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की प्राप्ति हुई। मॉयल लिमिटेड द्वारा वापसी खरीद प्रक्रिया के बाद सरकार को 393.77 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(पैरा 4.7)

भारत स्टील

Bharat Steel

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF

STEEL